CONTENT

इतिहास

1. **जनजातियाँ और त्यौहार** 3
   - यांगली महोत्सव 3
   - गुड़ी पड़वा ३
   - उगादि.....४
   - ईस्टर.....4
2. **वास्तुकला** ५
   - जामा मस्जिद.....5
   - राखीगढ़ी.....5

भूगोल

1. **प्रतिचक्रवात** ८
2. **पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र** 10
3. **भू-आकृतियाँ (डुआर्स)** 11

समाज (सामाजिक न्याय)

1. **जन्म का पंजीकरण** 13
2. **प्रवास** 14
3. **सह-जीवन जीने की कला** 16
4. **आदिवासी मुद्दा** 16
5. **भारत की पहली किन्नर सरपंच** 24
6. **महिलाओं पर जलवायु का प्रभाव** 27
7. **प्रमुख मुद्दा वन अधिकार** 30
8. **स्वास्थ्य** 32
9. **शिक्षा** 45
10. **संवेदनशील अनुभाग** 49

राजनीति

1. **चुनाव मशीनरी** 54
   - आरओपीए 1951 57
   - डाक मतपत्र प्रणाली 59
   - चुनावी बांड 60
2. **न्यायपालिका - उपचारात्मक याचिका** 61
   - भारतीय न्याय संहिता.....62
   - एफएमसीजी विपणन विज्ञापन पर न्यायिक कार्रवाई.....65
3. **संवैधानिक/वैधानिक/मौलिक अधिकार** 65
   - जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध अधिकार.....65
   - सूचना का अधिकार.....66
4. **संवैधानिक/गैर-संवैधानिक/वैधानिक निकाय** 68
   - राष्ट्रीय महिला आयोग.....68
   - चुनाव आयोग 69
   - आईआरडीएआई.....69
   - एएससीआई.....70
5. **संसद** 71
   - संसद का प्रदर्शन...71
   - संसदीय कार्यवाही...72

अंतरराष्ट्रीय संबंध

1. **चीन-भारत संबंध** 74
2. **भारत-श्रीलंका संबंध** 78
3. **भारत-मालदीव संबंध** 81
4. **इजराइल-ईरान संकट** 81
5. **भारत-पाकिस्तान संबंध** 89
6. **अंतर्राष्ट्रीय संगठन** 92
7. **विविध** ९५

अर्थव्यवस्था

1. **कराधान** 99
2. **बैंकिंग क्षेत्र** 100
3. **बुनियादी ढांचा और विनिर्माण क्षेत्र** 101
4. **असमानता और बेरोजगारी** 105
5. **विविध** 109

पर्यावरण

1. **जलवायु परिवर्तन और उसका प्रभाव** 111
   - कोयले का चरणबद्ध तरीके से उन्मूलन.....१११
   - एशिया पर प्रभाव.....111
   - अच्छे स्वास्थ्य के लिए पृथ्वी का अधिकार.....113
   - लद्दाख को बचाने की लड़ाई.....115
2. **संरक्षण प्रयास** 118
   - वन संरक्षण अधिनियम संशोधन.....118
   - कम्मलमकुडी थोडू पुनः जीवित हो गया.....120
   - ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम.....121
   - वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 123
   - प्रोजेक्ट टाइगर.....124
3. **समाचार में प्रजातियां** 125
   - नीलगिरि तहर.....125
   - ओलिव रिडले कछुआ.....126
   - ग्रेट इंडियन बस्टर्ड.....126

विज्ञान और प्रौद्योगिकी

1. **जीआई टैग** 127
2. **ऊर्जा** 128
3. **आईसीटी** 131
   - लोग फ़ोन पर नियंत्रण खो रहे हैं...131
   - चुनावों में एआई.....132
   - राज्य की प्राथमिकता तकनीक नहीं, बल्कि श्रमिक होनी चाहिए.....134
4. **अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी** 136
   - प्रतुष टेलीस्कोप.....136
5. **रोग** 138

Patriotic IAS

- क्षय रोग.....138
- खुरपका और मुंहपका रोग.....138
- निपाह वायरस.....139
- गांठदार त्वचा रोग.....140
- वायरल हेपेटाइटिस पर डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट.....140

6. **रक्षा** 143
   - आईएनएस विक्रांत.....143

आंतरिक सुरक्षा

1. लद्दाख के लिए सभी मौसम वाली सड़क...146
2. माओवादी विद्रोह.....147
3. पीएमएलए.....147

आपदा प्रबंधन

1. भूकंप.....१५०
2. बेंगलुरू जल संकट.....151
3. ग्लेशियल झील के फटने से बाढ़ आई...154

नैतिकता 156

यूपीपीसीएस विशेष 158

इतिहास (कला, संस्कृति और वास्तुकला)

1. जनजातियाँ और त्यौहार:

1.1 यांगली महोत्सव:

- तिवा जनजाति भारत के असम में रहने वाला एक मूल समुदाय है, जो अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है।
- वे यांगली त्यौहार मनाते हैं, जो आमतौर पर जनवरी में फसल के अंत और वसंत का स्वागत करने के लिए मनाया जाता है।
- त्योहार के दौरान, तिवा आदिवासी पारंपरिक नृत्य करते हैं जो उनकी संस्कृति का केंद्र है।
- असम में बोरमारजोंग गांव तिवा जनजाति के बीच यांगली त्योहार मनाने के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है।
- त्यौहार में **नृत्य प्रदर्शन, अनुष्ठान और सामुदायिक दावत जैसी विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियाँ शामिल हैं।**

1.2. गुडी पडवा:

- गुड़ी पड़वा एक महत्वपूर्ण त्योहार है जो मुख्य रूप से भारतीय राज्यों **महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ हिस्सों में मनाया जाता है।**
- यह **चंद्र-सौर हिंदू कैलेंडर के अनुसार पारंपरिक नए साल की शुरुआत का प्रतीक है** ।
- यह त्यौहार चैत्र माह के प्रथम दिन **(मार्च-अप्रैल के आसपास) मनाया जाता है** और यह भारत के अन्य भागों में मनाए जाने वाले इसी प्रकार के नववर्ष त्यौहारों (उगादि, चेटी चंड, नवरेह आदि) के साथ मेल खाता है।

प्रतीकों

- **गुड़ी:** गुड़ी इस त्यौहार का मुख्य प्रतीक है। यह एक चमकदार कपड़ा है जिसे बांस की छड़ी पर लटकाया जाता है, जिसे आम और नीम के पत्तों, फूलों और चीनी के क्रिस्टल (गाठी) की माला से सजाया जाता है। इसके ऊपर एक उलटा तांबे या चांदी का बर्तन रखा जाता है।
- **विजय:** गुड़ी विजय और समृद्धि का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि यह बुराई को दूर भगाता है, सौभाग्य लाता है और आने वाले साल में समृद्धि लाता है।
- **पौराणिक महत्व:** इस त्यौहार से जुड़ी कई किंवदंतियाँ हैं, जिनमें इस दिन भगवान ब्रह्मा द्वारा ब्रह्मांड का निर्माण करना और रावण पर विजय प्राप्त करने के बाद भगवान राम की अयोध्या में विजयी वापसी शामिल है।

समारोह

- **रंगोली:** दरवाजे पर रंगीन पैटर्न (रंगोली) बनाना।
- **पारंपरिक पोशाक:** लोग उत्सव के कपड़े पहनते हैं।

- **विशेष भोजन:** पारंपरिक महाराष्ट्रीयन व्यंजन जैसे पूरन पोली (मीठा फ्लैटब्रेड), श्रीखंड (मीठा दही) आदि तैयार किए जाते हैं।
- **जुलूस:** कुछ स्थानों पर जुलूस और सभाएँ आयोजित की जाती हैं।

1.3. उगादि:

- उगादि **भारत के दक्कन क्षेत्र, मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक राज्यों के लोगों के लिए पारंपरिक नव वर्ष का प्रतीक है।**
- "उगादि" नाम संस्कृत के शब्द **"युग" (उम्र) और "आदि" (शुरुआत) से लिया गया है, जो एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक है।**
- यह **हिंदू चंद्र कैलेंडर में चैत्र महीने के पहले दिन पड़ता है** , जो आमतौर पर ग्रेगोरियन कैलेंडर में मार्च या अप्रैल के साथ मेल खाता है।

प्रतीकों

- उगादी एक नई शुरुआत, अतीत से मुक्ति और आने वाले वर्ष के लिए आशा को अपनाने का प्रतिनिधित्व करता है।
- यह सृजन, संरक्षण और परिवर्तन के चक्र का प्रतीक है।

उत्सव: उगादी उत्सव में आम तौर पर निम्नलिखित शामिल होते हैं:

- **घर की तैयारी:** घर की सफाई और सजावट करना, प्रवेश द्वार पर रंग-बिरंगी रंगोली बनाना।
- **अनुष्ठान:** तेल स्नान, नये कपड़े पहनना, विशेष प्रार्थनाएं और मंदिर जाना।
- उगादि पचड़ी: छह अलग-अलग स्वादों (मीठा, खट्टा, नमकीन, कड़वा, तीखा, कसैला) से तैयार एक अनोखा व्यंजन, जो जीवन के मिश्रित अनुभवों का प्रतीक है।
- **पंचांग श्रवणम:** भविष्यवाणियों के साथ नए साल के पंचांग का वाचन।
- **उत्सव भोजन:** पारिवारिक समारोह और पारंपरिक व्यंजनों के साथ साझा भोजन।

1.4. ईस्टर

- यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाए जाने के बाद उनके पुनरुत्थान की याद में मनाया जाने वाला यह उत्सव है **।**
- ईसाईयों का मानना है कि यीशु का पुनरुत्थान बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है, तथा विश्वास रखने वालों को अनंत जीवन का वादा करता है।
- **परिवर्तनशील पर्व:** ईस्टर की तिथि हर साल बदलती रहती है। यह हमेशा **22 मार्च से 25 अप्रैल के बीच रविवार को पड़ता है, जिसका निर्धारण हिब्रू कैलेंडर के समान चंद्र-सौर कैलेंडर पर आधारित गणनाओं द्वारा किया जाता है।**

ईस्टर सप्ताह (पवित्र सप्ताह):

- पवित्र सप्ताह की शुरुआत होती है और येरुशलम में यीशु के विजयी प्रवेश का प्रतीक है।
- **पुण्य बृहस्पतिवार:** अंतिम भोज की याद में मनाया जाता है, वह अंतिम भोजन जो यीशु ने क्रूस पर चढ़ने से पहले अपने शिष्यों के साथ खाया था।
- **गुड फ्राइडे:** यह दिन यीशु के क्रूस पर चढ़ने और मृत्यु का दिन है।
- **ईस्टर रविवार:** यीशु के पुनरुत्थान का जश्न मनाता है।

ईस्टर परंपराएं और प्रतीक:

- **सूर्योदय सेवाएं:** कई चर्च भोर में विशेष सेवाएं आयोजित करते हैं, जो ईस्टर की सुबह खोजी गई खाली कब्र का प्रतीक है।
- **ईस्टर अंडे:** सजाए गए अंडे नए जीवन और पुनर्जन्म का प्रतीक हैं। इस परंपरा की जड़ें संभवतः ईसाई प्रतीकवाद और पूर्व-ईसाई वसंत ऋतु रीति-रिवाजों दोनों में हैं।
- **पास्का मोमबत्ती:** एक बड़ी, सजी हुई मोमबत्ती ईसा मसीह के प्रकाश का प्रतिनिधित्व करती है।
- **ईस्टर लिली:** पवित्रता और आशा का प्रतीक सफेद लिली, अक्सर ईस्टर के दौरान चर्चों को सजाती हैं।

2. <u>वास्तुकला:</u>

<u>2.1 जामा मस्जिद:</u>

- **भारत की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक:** जामा मस्जिद भारत की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण मस्जिदों में से एक है।
- **मुगल सम्राट शाहजहाँ द्वारा बनवाया गया:** इसका निर्माण 1650 में शुरू हुआ और 1656 में पूरा हुआ।
- **वास्तुकला का महत्व:** मुगल वास्तुकला की उत्कृष्ट कृति, यह उस काल की कलात्मक और इंजीनियरिंग उपलब्धियों को दर्शाती है।

प्रमुख विशेषताऐं:

- **सामग्री:** मुख्य रूप से लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर से निर्मित।
- **लेआउट:** इसमें एक विशाल प्रांगण है जिसमें लगभग 25,000 उपासक बैठ सकते हैं।
- **मीनारें:** दो ऊंची मीनारें लगभग 40 मीटर ऊंची हैं।
- **गुंबद:** तीन भव्य गुंबद मस्जिद की शोभा बढ़ाते हैं।
- **सुलेख:** जटिल नक्काशी और कुरान की आयतें आंतरिक सज्जा को सजाती हैं।

महत्व:

- **सक्रिय पूजा स्थल:** यह पूजा का एक महत्वपूर्ण स्थान बना हुआ है और विशेष रूप से शुक्रवार और ईद के दौरान प्रार्थना के लिए बड़ी संख्या में लोग एकत्र होते हैं।
- **पर्यटन स्थल:** एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण, जो मुगल इतिहास, वास्तुकला और भारत की इस्लामी विरासत की जानकारी प्रदान करता है।
- **दिल्ली का प्रतीक:** पुरानी दिल्ली और शहर के इतिहास में एकीकृत एक प्रतिष्ठित स्थलचिह्न।

<u>२.२. एनसीईआरटी की किताबों में राखीगढ़ी के निष्कर्ष , नर्मदा बांध का संदर्भ हटाया गया:</u>

जगह:

- **हरियाणा के हिसार जिले** में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है ।
- यह सिंधु घाटी सभ्यता (जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है) के परिपक्व चरण से संबंधित है, जिसका इतिहास लगभग 2600-1900 ईसा पूर्व का है।

आकार और महत्व

- **सबसे बड़े हड़प्पा स्थलों में से एक:** राखीगढ़ी 550 हेक्टेयर में फैला है, जो इसे सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी ज्ञात बस्तियों में से एक बनाता है।

- **चुनौतीपूर्ण पारंपरिक दृष्टिकोण:** साइट का विशाल आकार हड़प्पा सभ्यता की तुलना में अधिक जटिल और शहरीकृत समाज का सुझाव देता है।
- **संभावित राजधानी:** शोधकर्ताओं का अनुमान है कि राखीगढ़ी सिंधु घाटी के लोगों का एक प्रमुख क्षेत्रीय केंद्र या राजधानी भी रही होगी।

पुरातात्विक खोज

- **नियोजित शहर:** उत्खनन से सड़कों, जल निकासी प्रणालियों और आवासीय संरचनाओं के साथ एक सुनियोजित शहर के प्रमाण मिले हैं।
-
- **उन्नत शिल्प कौशल:** मिट्टी के बर्तन, आभूषण और उपकरण जैसी कलाकृतियाँ परिष्कृत शिल्प कौशल और तकनीकी कौशल का प्रदर्शन करती हैं।
- **व्यापार नेटवर्क:** दूर-दराज के क्षेत्रों से सामग्रियों की उपस्थिति व्यापक व्यापार संबंधों का सुझाव देती है।
- **दफ़न और कंकाल:** खोजे गए दफ़न और मानव कंकाल के अवशेष हड़प्पा के लोगों की जैविक संरचना और अंत्येष्टि प्रथाओं में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं।

संशोधनचालू

- **उत्खनन जारी:** राखीगढ़ी में पुरातत्व कार्य जारी है, जिससे इसके लेआउट, अर्थव्यवस्था, समाज और गिरावट के बारे में और अधिक जानकारी मिलने की संभावना है।
- **डीएनए अध्ययन:** कंकाल के अवशेषों से प्राचीन डीएनए के विश्लेषण ने हड़प्पा के लोगों की आनुवंशिक वंशावली और संभावित जनसंख्या प्रवासन पर प्रकाश डाला है।
- राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) ने स्कूली पाठ्यपुस्तकों में संशोधन का प्रस्ताव रखा।
- कक्षा 12 की इतिहास की पाठ्यपुस्तक में, एनसीईआरटी ने हरियाणा के राखीगढ़ी पुरातात्विक स्थल से कंकाल अवशेषों के डीएनए विश्लेषण के निष्कर्षों को जोड़ने का सुझाव दिया है।
- वे समाजशास्त्र की पाठ्यपुस्तक से आदिवासी लोगों पर नर्मदा बांध परियोजना के प्रतिकूल प्रभावों के संदर्भ हटाने का प्रस्ताव करते हैं।
- समाजशास्त्र की पाठ्यपुस्तक में, एनसीईआरटी ने **अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को गरीबी, शक्तिहीनता और सामाजिक कलंक से चिह्नित किए जाने के संबंध में एक वाक्य हटा दिया है।**
- इतिहास की पाठ्यपुस्तक में एक महत्वपूर्ण अतिरिक्त हड़प्पा सभ्यता पर एक अध्याय है, जिसमें कहा गया है कि **राखीगढ़ी के डीएनए विश्लेषण से पता चलता है कि आनुवांशिक जड़ें 10,000 ईसा पूर्व की हैं।**

- पाठ इंगित करता है कि हड़प्पा डीएनए आज भी दक्षिण एशियाई आबादी में मौजूद है, जो आनुवंशिक और सांस्कृतिक निरंतरता के कारण आर्यों द्वारा बड़े पैमाने पर आप्रवासन नहीं होने का संकेत देता है।
- संशोधित पाठ से पता चलता है कि शोध से संकेत मिलता है कि सीमावर्ती क्षेत्रों और दूर-दराज के क्षेत्रों के लोग समय के साथ भारतीय समाज में समाहित हो गए।
- राखीगढ़ी में कंकाल के अवशेषों से निकाले गए डीएनए का विश्लेषण डेक्कन कॉलेज डीम्ड यूनिवर्सिटी, पुणे ने सेंटर फॉर सेल्युलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, हैदराबाद और हार्वर्ड मेडिकल कॉलेज के सहयोग से किया था।
- कुछ व्याख्याओं से पता चलता है कि **5,000 वर्षों तक अटूट निरंतरता के साथ, हड़प्पावासी इस क्षेत्र के मूल निवासी थे।**
- **हड़प्पा के लोगों के चेहरे का पुनर्निर्माण हरियाणा की आधुनिक आबादी के साथ उल्लेखनीय समानता दर्शाता है।**
- **पुरातत्वविद् मुदित त्रिवेदी का तर्क है कि राखीगढ़ी का डीएनए मिश्रण ईरानी आबादी और अंडमानी या दक्षिण-पूर्व एशियाई लोगों के साथ साझा प्राचीन वंशावली को इंगित करता है।**
- मीडिया कवरेज में डीएनए की "स्वदेशीता" पर जोर दिया जाता है, जिससे डेटा से जुड़े सामाजिक भूगोल पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता पड़ती है।
- एनसीईआरटी ने कक्षा 12 की समाजशास्त्र की पाठ्यपुस्तक में संशोधन का प्रस्ताव दिया है, जिसमें सरदार सरोवर और पोलावरम बांध जैसी परियोजनाओं के संदर्भों में परिवर्तन किया गया है।
- इन परियोजनाओं के कारण आदिवासियों के विस्थापन का उल्लेख करने वाले वाक्य को भूतकाल को प्रतिबिंबित करने तथा विस्थापितों की संख्या निर्दिष्ट करने के लिए बदल दिया गया।
- नर्मदा परियोजना से संबंधित अन्य उल्लेख भी पाठ्यपुस्तक से हटा दिए गए।
- संशोधित पाठ में नर्मदा बांधों का विशेष संदर्भ दिए बिना आदिवासियों पर निजी संपत्ति के प्रतिकूल प्रभाव पर जोर दिया गया है।
- **एनसीईआरटी ने राजनीति विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों से बाबरी मस्जिद विध्वंस के संदर्भों को भी हटा दिया और इसके स्थान पर राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन पर जोर दिया।**

Patri

भूगोल

1. **प्रतिचक्रवात,**

चर्चा में क्यों - भारत पर अभी भी मंडरा रहा प्रतिचक्रवाती तूफान, गर्मी से गर्मी का संबंध:

2023 की रिकॉर्ड गर्मी को अभी तक पूरी तरह से स्पष्ट नहीं किया जा सका है क्योंकि वैश्विक गर्मी पर **एल नीनो के प्रभाव के कारण यह अपेक्षा से कहीं अधिक गर्म था। लेकिन आईईजे** पर मानसून से पहले खत्म होने के दौरान **एल नीनो के प्रभाव** से एक मजबूत और अधिक स्थायी प्रतिचक्रवात उत्पन्न होता है और इस प्रकार लंबे समय तक चलने वाली और तीव्र गर्मी की लहरें होती हैं।

- ग्लोबल वार्मिंग की स्थानीय अभिव्यक्तियाँ वैश्विक मॉडलिंग के साथ-साथ स्थानीय भविष्यवाणियों की आवश्यकता को भी रेखांकित करती हैं।
- **2023 में अल नीनो के कमजोर होने से वैश्विक स्तर पर गर्म तापमान की उम्मीद है, तथा** मार्च में **पाकिस्तान से लेकर भारत होते हुए पश्चिम बंगाल तक** ठंडा तापमान फैल जाएगा ।
- ग्लोबल वार्मिंग के बावजूद, 2023 में पूरे भारत में एक ठंडा बैंड बना रहा।
- भारत में गर्मी की लहरें चिंता का विषय हैं, खासकर आम चुनावों के दौरान।
- लगातार परिसंचरण पैटर्न गर्मी की लहरों में योगदान करते हैं, जिसके लिए बेहतर पूर्वानुमान विधियों की आवश्यकता होती है।
- उत्तर हिंद महासागर पर प्रतिचक्रवात परिसंचरण के कारण मार्च में ओडिशा में असामान्य वर्षा हुई।
- **प्रतिचक्रवात में दक्षिणावर्त हवाएँ होती हैं** , जिसमें डूबती हुई हवा उच्च दबाव वाले ऊष्मा गुंबद बनाती है, जो ऊष्मा तरंगों की व्याख्या करती है।
- **17 अप्रैल को दुबई में** ऐतिहासिक बाढ़ में एंटीसाइक्लोनिक सर्कुलेशन ने भी योगदान दिया ।
- उत्तर हिंद महासागर और भारतीय उपमहाद्वीप पर प्रतिचक्रवात बने रहते हैं।

Indian Easterly Jet (IEJ)

A strong upper-level wind pattern that develops over the Indian subcontinent.

Occurs during the pre-monsoon season, typically in April and May.

Extends across the Arabian Sea, peninsular India, and the Bay of Bengal, around the 10 degrees North latitude.

Characterized by strong easterly winds, blowing from **east to west.**

Influences weather patterns, including the onset of monsoon rains and the formation of heat waves and anticyclones.

Monitored and predicted by meteorological agencies like the India Meteorological Department (IMD) using advanced models and observational data.

प्रतिचक्रवातों को ऊष्मा से क्या जोड़ता है?

- मानसून-पूर्व ऋतु के दौरान, ऊपरी स्तर का भारतीय पूर्वी जेट (IEJ) लगभग 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर बनता है, जो अरब सागर, प्रायद्वीपीय भारत और बंगाल की खाड़ी तक फैला होता है।
- एक मजबूत पश्चिमी जेट आगे उत्तर में 30 डिग्री उत्तर के आसपास मौजूद है, और जब वे संयुक्त होते हैं, तो वे हिंद महासागर और भारतीय उपमहाद्वीप पर एक प्रतिचक्रवाती पैटर्न उत्पन्न कर सकते हैं।
- पूर्वी जेट पूर्व से तेज हवाएं लेकर आते हैं, जबकि पश्चिमी जेट पश्चिम से आते हैं, और ये प्राकृतिक मौसमी विशेषताएं हैं।
- मानसून के मौसम में पश्चिमी जेट उत्तर की ओर बढ़ता है, जिससे IEJ को भारतीय उपमहाद्वीप पर हावी होने का मौका मिलता है।
- मानसून-पूर्व मौसम के दौरान, एक मजबूत प्रतिचक्रवाती तूफान भारत के कई भागों में शुष्क और गर्म मौसम ला सकता है, जबकि एक कमजोर प्रतिचक्रवाती तूफान के कारण मौसम हल्का हो सकता है।
- मुख्य प्रश्न यह है कि क्या इस वर्ष प्रतिचक्रवात की ताकत ग्लोबल वार्मिंग और गर्म लहरों की घटना से संबंधित है।

ऊष्मा तरंगें कैसे बढ़ती हैं?

- भारत में प्री-मानसून सीज़न गर्मियों का पर्याय है और इस दौरान गर्म लहरें आने की संभावना रहती है।
- जीवन बचाने के लिए गर्म लहरों की सटीक भविष्यवाणी और पूर्व चेतावनी प्रणाली अत्यंत महत्वपूर्ण है।
- ताप तरंगों की अवधि, तीव्रता और आवृत्ति को प्रभावित करने वाले अंतर्निहित कारकों को समझने से ताप तरंगों के हॉटस्पॉट की पहचान करने में मदद मिलती है।
- 2023 में देखी गई रिकॉर्ड तापमान वृद्धि को अभी तक पूरी तरह से स्पष्ट नहीं किया गया है, क्योंकि यह वैश्विक तापमान वृद्धि पर केवल अल नीनो के प्रभाव के आधार पर की गई अपेक्षाओं से अधिक है।
- **प्री-मॉनसून सीज़न के दौरान अल नीनो के कमजोर होने से भारतीय ईस्टरली जेट (IEJ) मजबूत हो जाता है, जिससे एक मजबूत और अधिक लगातार एंटीसाइक्लोन बनता है** , जिसके परिणामस्वरूप लंबी और अधिक तीव्र गर्मी की लहरें पैदा होती हैं।

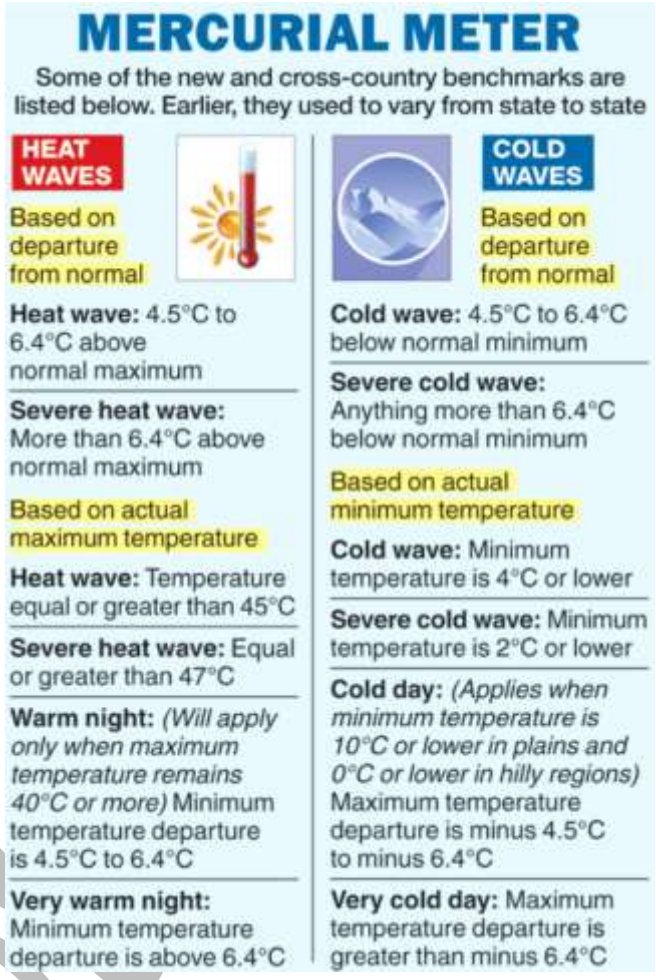

- इसलिए, इस वर्ष गर्मी की लहर का मौसम अल नीनो के कारण गर्म तापमान और 2023 में देखे गए अस्पष्टीकृत वार्मिंग के अतिरिक्त प्रभाव को माना जाता है।
- **भारत मौसम विज्ञान विभाग की सटीक भविष्यवाणियों** के लिए एक मजबूत और लगातार एंटीसाइक्लोन के साथ-साथ एक शांत पृष्ठभूमि स्थिति की उपस्थिति महत्वपूर्ण है , जो प्रभावी प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों के विकास को सक्षम बनाती है।

प्रारंभिक चेतावनियों के चरण

- चरम मौसम की घटनाओं के लिए सटीक पूर्व-चेतावनी प्रणाली तीन-चरणीय दृष्टिकोण का उपयोग करती है जिसे 'रेडी-सेट-गो' प्रणाली के रूप में जाना जाता है।
- **विश्व मौसम विज्ञान संगठन के तहत विश्व जलवायु अनुसंधान कार्यक्रम** द्वारा शुरू की गई **'उप-मौसमी-से-मौसमी भविष्यवाणियों' परियोजना** का हिस्सा है ।
- भारत इस परियोजना में सक्रिय रूप से शामिल है और पूर्वानुमानों की सटीकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण प्रगति की है।
- **'तैयार' कदम में ग्लोबल वार्मिंग और अल नीनो जैसे पृष्ठभूमि कारकों के आधार पर एक मौसमी दृष्टिकोण प्रदान करना शामिल है** , जिससे आपदा प्रतिक्रिया प्रणालियों को तदनुसार तैयार करने की अनुमति मिलती है।

- उप-मौसमी भविष्यवाणियाँ दो से चार सप्ताह को कवर करती हैं, जो **'निर्धारित' चरण में योगदान करती हैं** , जिसमें संसाधन आवंटन और आपदा तैयारियों के लिए संभावित हॉटस्पॉट की पहचान करना शामिल है।
- 'गो' चरण बचाव प्रयासों, जलयोजन केंद्रों और ताप आश्रयों सहित आपदा प्रबंधन उपायों को लागू करने के लिए लघु- (दिन 1-3) और मध्यम- (दिन 3-10) श्रेणी के पूर्वानुमानों का उपयोग करता है।

तैयारी और पुनर्प्राप्ति

- भारत की पूर्वानुमान प्रणाली और प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों में लगातार सुधार हुआ है।
- राष्ट्रीय **आपदा प्रबंधन एजेंसी (एनडीएमए) ने** इन प्रगतियों को अपनी **'रेडी-सेट-गो'** प्रणाली में प्रभावी ढंग से एकीकृत किया है।
- अब मुख्य चुनौती भारत भर में हर स्थान पर मौसम प्रक्षेपवक्र की सटीक भविष्यवाणी करके भविष्य के लिए लचीलापन बढ़ाना है।
- **10-वर्षीय समय-सीमा पर मौसम के मिजाज की** भविष्यवाणी करने के प्रयासों ने आशाजनक प्रदर्शन किया है, लेकिन इसमें और विकास की आवश्यकता है।
- राष्ट्रीय स्तर से लेकर पड़ोस के स्तर तक समन्वय स्थापित किया जा रहा है और दिनों से लेकर एक दशक तक की प्रारंभिक चेतावनियों का प्रावधान किया जा रहा है।
- निरंतर सफलता सुनिश्चित करने के लिए सरकारों, विभागों और आम जनता का प्रशिक्षण और जुड़ाव आवश्यक है।
- सतत आर्थिक विकास के लिए भारत की आकांक्षाएं इन प्रयासों की प्रभावशीलता पर निर्भर हैं।

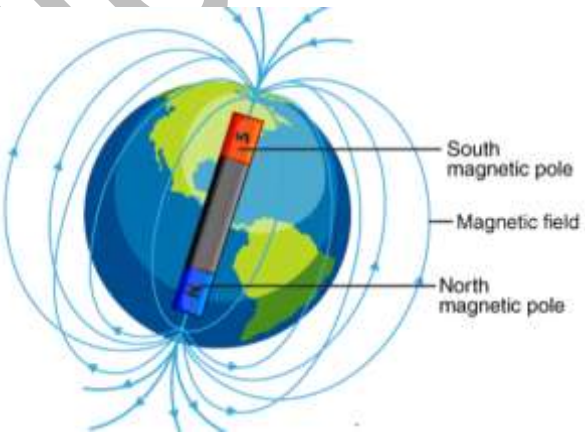

2. <u>पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र:</u>

चर्चा में क्यों - पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के सबूत वाली चट्टानों की खोज की गई

- **एमआईटी और ऑक्सफ़ोर्ड विश्वविद्यालय के भूवैज्ञानिकों ने** ग्रीनलैंड में प्राचीन चट्टानों की खोज की है जिनमें पृथ्वी के प्रारंभिक चुंबकीय क्षेत्र के सबसे पुराने अवशेष मौजूद हैं।
- उन्होंने **दक्षिण-पश्चिमी ग्रीनलैंड में इसुआ सुप्राक्रस्टल बेल्ट से चट्टानों के नमूने लिए, जिसमें धारीदार लौह संरचनाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया, जो संभवतः 2.5 अरब साल पहले** वायुमंडलीय ऑक्सीजन के उदय से पहले बनी थीं।
- **इनमें कम से कम 15 माइक्रोटेस्ला** की ताकत वाले चुंबकीय क्षेत्र के संकेत मिलते हैं। (आज, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र लगभग 30 माइक्रोटेस्ला है)।
- **जर्नल ऑफ जियोफिजिकल रिसर्च** में प्रकाशित इस अध्ययन में पृथ्वी पर चुंबकीय क्षेत्र होने के कुछ प्रारंभिक साक्ष्य उपलब्ध कराए गए हैं।
- पिछले अध्ययनों से पता चला था कि पृथ्वी पर चुंबकीय क्षेत्र कम से कम 3.5 अरब वर्ष पुराना है, लेकिन यह शोध इसे 200 मिलियन वर्ष तक आगे बढ़ा देता है।

- **एमआईटी के पृथ्वी, वायुमंडलीय** और ग्रह विज्ञान विभाग के और लेखकों में से एक बेंजामिन वीस का सुझाव है कि यदि **पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र कुछ सौ मिलियन वर्ष** पहले मौजूद होता, तो यह ग्रह को रहने योग्य बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता था।

पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र क्या है?

- पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र हमारे ग्रह के आसपास का क्षेत्र है। यह एक विशाल सुरक्षा कवच की तरह कार्य करता है, जो सूर्य और ब्रह्मांडीय किरणों से आवेशित कणों के साथ संपर्क करता है
- उत्पत्ति: एक "जियोडायनेमो" द्वारा उत्पन्न। यह पृथ्वी के बाहरी कोर में घूमते, पिघले हुए लोहे की गति है, जो एक विशाल विद्युत जनरेटर की तरह काम करता है।

प्रमुख विशेषताऐं

- यह पृथ्वी के घूर्णन अक्ष से थोड़ा झुका हुआ एक बार चुंबक जैसा दिखता है।
- ध्रुव: भू-चुंबकीय उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव भौगोलिक ध्रुवों से मेल नहीं खाते हैं और समय के साथ अपनी स्थिति बदलते रहते हैं।
- ताकत: एक समान नहीं और सतह पर अलग-अलग होती है। नैनोटेस्लास (एनटी) नामक इकाइयों में मापा जाता है।
- महत्त्व:
- सौर पवन विक्षेपण: सबसे हानिकारक सौर विकिरण को सतह तक पहुँचने से रोकता है।
- नेविगेशन: जानवरों द्वारा प्रवास के लिए और मनुष्यों द्वारा कम्पास के साथ उपयोग किया जाता है।
- औरोरा: आश्चर्यजनक ध्रुवीय प्रकाश प्रदर्शन का कारण बनता है - औरोरा।
- चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन
- भटकते ध्रुव: कोर में परिवर्तन के कारण चुंबकीय उत्तर तेजी से स्थानांतरित हो रहा है।
- कमज़ोर होना: हाल के दशकों में क्षेत्र की समग्र ताकत थोड़ी कम हो रही है।
- उलटफेर: ऐतिहासिक रूप से, चुंबकीय उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पूरी तरह से उलट गए हैं, हालांकि वर्तमान में हम उलटफेर की ओर नहीं बढ़ रहे हैं।
- इस चुंबकीय क्षेत्र ने संभवतः जीवन को बनाए रखने वाले वातावरण को बनाए रखने में मदद की और ग्रह को हानिकारक सौर विकिरण से बचाया

3. **<u>भू-आकृतियाँ:</u>**

डुआर्स:

- **स्थान:** दोआर्स (या डुआर्स) पूर्वोत्तर भारत में पूर्वी हिमालय की तलहटी में स्थित एक आकर्षक क्षेत्र है। यह भारत और भूटान के बीच एक प्रवेश द्वार बनाता है। यह क्षेत्र मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी और अलीपुरद्वार जिलों में स्थित है, जिसका कुछ हिस्सा असम तक फैला हुआ है।
- **व्युत्पत्ति:** "डूआर्स" शब्द का अर्थ कई क्षेत्रीय भाषाओं (असमिया, बंगाली, नेपाली, आदि) में "दरवाज़ा" होता है, जो एक संक्रमण क्षेत्र के रूप में इसकी स्थिति को उजागर करता है।
- **भूगोल और जलवायु:**
    - डुआर्स की विशेषता तीस्ता, तोरसा, जलढाका, संकोश और उनकी सहायक **नदियों द्वारा निर्मित उपजाऊ जलोढ़ बाढ़ के मैदान हैं।**
    - इसमें **हरे-भरे जंगल, चाय के बागान और वन्यजीव अभयारण्यों की एक समृद्ध विविधता शामिल है।**

- जलवायु उपोष्णकटिबंधीय से लेकर आर्द्र तक होती है, जिसमें उच्च वर्षा और ठंडी सर्दियों से लेकर गर्म गर्मियों तक का औसत तापमान होता है।

डुआर्स का महत्व:

इसमें कई जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं:

- डुआर्स अपनी अविश्वसनीय जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्यों में शामिल हैं:
  - **गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान** - गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में मूर्ति और रैदक नदियों के तट पर स्थित है
  - **जलदापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान** - उत्तरी पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार जिले में पूर्वी हिमालय
  - **बक्सा टाइगर रिजर्व** – पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले का अलीपुरद्वार उप-मंडल
  - **चपरामारी वन्यजीव अभयारण्य** – उत्तरी पश्चिम बंगाल
- ये संरक्षित क्षेत्र एक सींग वाले गैंडे, एशियाई भेड़िये जैसे प्रतिष्ठित जानवरों का घर हैं। हाथी, गौर (भारतीय बाइसन), बाघ, विभिन्न हिरण प्रजातियाँ और पक्षियों की एक उल्लेखनीय श्रृंखला।

चाय की खेती:

- डुआर्स भारत का एक प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्र है, जो अपने विशाल चाय बागानों और मनोरम दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है।
- **पश्चिम बंगाल भारत का दूसरा सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य** है । यह चाय के अंतर्गत आने वाले **कुल क्षेत्रफल का 20% है और** भारत में **कुल चाय उत्पादन में 24% का योगदान देता है (असम पहले स्थान पर है)**

पर्यटन एवं लोकप्रिय स्थल:

डुआर्स प्रकृति प्रेमियों, वन्यजीव प्रेमियों और शांत स्थानों की तलाश करने वालों को आकर्षित करता है। लोकप्रिय स्थानों में शामिल हैं:

- **जलदापारा राष्ट्रीय उद्यान** : एक सींग वाले गैंडों की बड़ी आबादी का घर
- **गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान:** हाथियों, तेंदुओं और उत्कृष्ट पक्षी अवलोकन के लिए जाना जाता है
- **सुनतालेखोला:** हरे-भरे हरियाली से घिरा एक खूबसूरत गांव
- **मूर्ति:** एक सुरम्य नदी घाटी जो आश्चर्यजनक दृश्य और नदी गतिविधियों की पेशकश करती है

Tea Production In India:

- The **soil** should be **acidic, porous, and loamy,** without calcium content.
- The optimal temperature for tea growth is a continuous **21°C for 8 months,** with the best yields observed between June and September in Northeastern India.
- Monsoon is crucial for quality.
- The northern region, particularly **Assam and West Bengal, contributes about 83%** of India's tea production, while the southern region, including **Tamil Nadu, Kerala, and Karnataka, contributes around 17%.**

Patriotic IAS

- **सैमसिंग:** सुंदर दृश्य, संतरे के बगीचे और चाय के बागान प्रस्तुत करता है

समाज (सामाजिक न्याय)

1. जन्म का पंजीकरण:

चर्चा में क्यों:

- केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मॉडल नियमों का मसौदा तैयार किया है, जिसमें बच्चे के जन्म का पंजीकरण कराते समय माता-पिता को अपना धर्म और माता-पिता दोनों का धर्म दर्ज करना होगा।
- **पहले, जन्म रजिस्टर में केवल परिवार का धर्म दर्ज किया जाता था।**
- प्रस्तावित परिवर्तन बच्चे, पिता और माता के धर्म के लिए अलग-अलग प्रविष्टियाँ शामिल करने के लिए जन्म रिपोर्ट फॉर्म का विस्तार करेंगे।
- **गोद लिए गए बच्चों के माता-पिता** पर भी लागू होंगे ।
- पंजीकरण **(संशोधन) अधिनियम, 2023 राष्ट्रीय जन्म और मृत्यु डेटाबेस के रखरखाव को अनिवार्य बनाता है।**
- **राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर), मतदाता सूची, आधार संख्या, राशन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और संपत्ति पंजीकरण** जैसे विभिन्न आधिकारिक रिकॉर्डों को अद्यतन करने के लिए किया जा सकता है।

सांख्यिकीय और कानूनी जानकारी

- जन्म रजिस्टर में अब दो भाग शामिल हैं: कानूनी जानकारी और सांख्यिकीय जानकारी।
- **माता-पिता का धर्म केवल सांख्यिकीय उद्देश्यों के लिए दर्ज किया जाएगा।**
- **कानूनी जानकारी अनुभाग में अब माता-पिता दोनों के आधार नंबर, मोबाइल और ई-मेल आईडी (यदि उपलब्ध हो) दर्ज करना भी शामिल है।**
- **कानूनी जानकारी अनुभाग में पता बॉक्स अधिक विस्तृत है** , जिसमें राज्य, जिला, उप-जिला, शहर या गांव, वार्ड संख्या (यदि लागू हो), इलाका, घर का नंबर और पिन कोड शामिल है।
- जानकारी प्रदान करने वाले मुखबिर को अपना आधार और मोबाइल नंबर, ईमेल पता, साथ ही नाम और पता विवरण प्रदान करना होगा जैसा कि पहले आवश्यक था।

More on Digital Records:

- A law effective from October 1 last year mandates the digital registration of all reported births and deaths in India.
- This registration process is conducted through the Centre's portal for the **Civil Registration System (crsorgi.gov.in).**
- **Digital birth certificates issued** through this system serve as a single document to verify the date of birth for various purposes, including admission to educational institutions.
- The **Registrar General of India (RGI) under the Ministry of Home Affairs (MHA)** has proposed replacing existing forms related to the registration of births, deaths, stillbirths, adoptions, and the Medical Certificate of Cause of Death (MCCD) as per the draft rules.
- The **updated MCCD will now include the "history of illness, if any" in addition to the actual cause of death.**

राष्ट्रीय डेटाबेस

- 2023 का संशोधन भारत के रजिस्ट्रार जनरल (आरजीआई) को पंजीकृत जन्म और मृत्यु का राष्ट्रीय स्तर का डेटाबेस बनाए रखने का आदेश देता है।

Patriotic IAS

- **राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त मुख्य रजिस्ट्रार और रजिस्ट्रार को** पंजीकृत जन्म और मृत्यु का डेटा इस राष्ट्रीय डेटाबेस के साथ साझा करना होगा।
- जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 द्वारा सशक्त आरजीआई, मुख्य रजिस्ट्रारों की गतिविधियों का समन्वय और एकीकरण करता है।
- **जन्म और मृत्यु के पंजीकरण के लिए पंचायत स्तर तक नागरिक पंजीकरण प्रणाली (सीआरएस) पदाधिकारियों की नियुक्ति की जाती है।**
- सीआरएस डेटा का उपयोग वार्षिक **'नागरिक पंजीकरण प्रणाली पर आधारित भारत के महत्वपूर्ण आंकड़े'** रिपोर्ट को संकलित करने के लिए किया जाता है, जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर जन्म के समय लिंग अनुपात, शिशु मृत्यु दर, मृत जन्म और मृत्यु की जानकारी शामिल होती है।
- यह डेटा सामाजिक-आर्थिक नियोजन, सामाजिक क्षेत्र के कार्यक्रमों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली का आधार बनाने के लिए महत्वपूर्ण है।

2. <u>प्रवास:</u>

परिभाषा - एक व्यापक शब्द, जिसे अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत परिभाषित नहीं किया गया है, जो किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में आम समझ को दर्शाता है जो अपने सामान्य निवास स्थान से, चाहे वह किसी देश के भीतर हो या किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पार, अस्थायी रूप से या स्थायी रूप से, और विभिन्न कारणों से दूर चला जाता है।

नोट: प्रवासन/प्रवासी की कोई सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत परिभाषा नहीं है।

More on Migration:

- Migration in the Census of India is of two types – **Migration by Birth place** and **Migration by place of last residence.**
- When a person is enumerated in Census at a place, i.e., village or town, different from her/his place of birth, she/he would be considered a **migrant by place of birth.**
- A person would be considered a **migrant by place of last residence**, if she/he had last resided at a place other than her/his place of enumeration.
- Historically, information on migration has been collected **since 1872**.
- It was confined to seeking information **only on place of birth till 1961.**
- **1971 census onwards the** information for migration by both place of birth and place of last residence is considered.

चारों ओर की ख़बरें : **लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने अपने-अपने घोषणापत्र में प्रवासियों से वादे किए थे।**

- भाजपा और कांग्रेस ने **2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अपने घोषणापत्र में प्रवासियों के लिए चिंता व्यक्त की है।**
- कोविड-19 महामारी और उसके बाद के लॉकडाउन ने प्रवासियों की ओर ध्यान आकर्षित किया, जिससे उनकी असुरक्षा और मताधिकार से वंचित होने की स्थिति उजागर हुई।
- कई प्रवासी श्रमिकों को **ई-श्रम के लाभों के बारे में गलत धारणाएं हैं।**
- दूसरा वादा **प्रवासी श्रमिकों के लिए विशेष ट्रेन सेवाओं को बढ़ाने का है, जो साल भर प्रमुख प्रवास गलियारों को जोड़ेगी।**
- घोषणापत्र में **श्रमिकों के लिए न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी की समय-समय पर समीक्षा का प्रस्ताव किया गया है,** लेकिन आलोचकों को शोषणकारी स्थितियों की चिंता है।

Patriotic IAS

- **विभिन्न क्षेत्रों के लिए अलग-अलग न्यूनतम मजदूरी दर के कारण प्रवासन उच्चतर वेतन वाले क्षेत्रों की ओर हो सकता है।**
- डाकघर बचत, बीमा और सामाजिक सुरक्षा उपायों को डिजिटल प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके क्रियान्वित किया जाएगा, जिससे डिजिटल विभाजन और पहुंच के बारे में चिंताएं बढ़ेंगी।
- घोषणापत्र **में महिलाओं, बच्चों और युवा प्रवासियों के सामने आने वाली विशिष्ट चुनौतियों को नजरअंदाज किया गया है** ।
- **यह नीति आयोग द्वारा तैयार राष्ट्रीय प्रवासी श्रम नीति के मसौदे के कार्यान्वयन पर चुप है।**
- घोषणापत्र में **शहर-केंद्रित विकास का समर्थन किया गया है, जिससे शहरों की ओर पलायन को बढ़ावा मिलने की संभावना है।**
- इसमें **'एक राष्ट्र, एक चुनाव' का वादा किया गया है, जो प्रवासी मतदाताओं को मताधिकार से वंचित कर सकता है।**

कांग्रेस के वादे

- कांग्रेस के घोषणापत्र, **न्याय पत्र में** प्रवासी **श्रमिकों के रोजगार को विनियमित करने, उनके कानूनी अधिकारों और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कानून बनाने का वादा किया गया है।**
- **इसमें राशन कार्ड धारकों को अद्यतन करने, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) कवरेज का विस्तार करने तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली और एकीकृत बाल विकास सेवा के लिए अधिक धनराशि आवंटित करने का वचन दिया गया है।**
- हालाँकि, **यह पीडीएस पोर्टेबिलिटी पर चुप है।**
- कांग्रेस ने **ग्रामीण प्रवासियों के लिए महत्वपूर्ण मनरेगा मजदूरी को बढ़ाकर 400 रुपये प्रतिदिन करने तथा लिंग आधारित भेदभाव को रोकने के लिए 'समान कार्य, समान मजदूरी' सिद्धांत को लागू करने का संकल्प लिया।**
- इसमें शहरी गरीबों के लिए शहरी रोजगार योजना शुरू करने की योजना है, जिससे शहरी प्रवासियों को लाभ मिल सकता है।
- महिला कल्याण पर ध्यान केन्द्रित करते हुए **प्रवासी महिलाओं के लिए पर्याप्त रात्रि आश्रय और स्वच्छ सार्वजनिक शौचालय का वादा किया गया है।**
- प्रवासी महिलाओं के सामने आने वाली विशिष्ट चुनौतियों का समाधान करने में चूक हुई है तथा **अनौपचारिक श्रम बाजार में शोषण और जबरन श्रम की स्थिति जैसे मुद्दों की अनदेखी की गई है** ।
- दोनों ही पार्टियां सार्वजनिक स्वास्थ्य, प्रवासी बच्चों के लिए शिक्षा, आवास, जल, स्वच्छता और कानूनी सहायता जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों की अनदेखी करती हैं।
- प्रवासियों और उनके परिवारों के जीवन को प्रभावी ढंग से सुधारने के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति की आवश्यकता पर बल दिया गया।

ई-श्रम पोर्टल

- द्वारा शुरू किए गए ई-श्रम पोर्टल का **उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का एक केंद्रीकृत राष्ट्रीय डेटाबेस बनाना है** ।
- यह डेटाबेस सरकार को इस विशाल और अक्सर हाशिए पर रहने वाले कार्यबल को लक्षित करने और **सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने में मदद करता है।**

प्रमुख विशेषताऐं

- **पंजीकरण:** असंगठित श्रमिक अपने आधार नंबर का उपयोग करके पोर्टल पर अपने और अपने व्यवसाय के बारे में बुनियादी विवरण प्रदान करके पंजीकरण कर सकते हैं।
- **ई-श्रम कार्ड: पंजीकरण पर, श्रमिकों को 12 अंकों के यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) के** साथ एक अद्वितीय ई-श्रम कार्ड प्राप्त होता है ।

- **लाभ:** पंजीकृत श्रमिकों को **प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के तहत दुर्घटना बीमा कवरेज सहित विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और लाभों तक पहुंच प्राप्त होती है।** यह पोर्टल श्रमिकों को नौकरी के अवसरों और कौशल विकास कार्यक्रमों से जोड़ने के लिए एक पुल के रूप में भी कार्य करता है।

पात्रता

- **व्यवसाय:** ई-श्रम पोर्टल असंगठित श्रमिकों जैसे खेतिहर मजदूर, निर्माण श्रमिक, घरेलू कामगार, प्रवासी श्रमिक, गिग श्रमिक, प्लेटफार्म श्रमिक, स्ट्रीट वेंडर आदि को कवर करता है।
- **आयु: 16-59 वर्ष की आयु** के बीच का कोई भी असंगठित श्रमिक ।
- **अन्य मानदंड:** श्रमिक ईपीएफओ/ईएसआईसी या आयकरदाता के सदस्य नहीं होने चाहिए।

कैसे पंजीकृत करें

- **स्व-पंजीकरण:** श्रमिक सीधे ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण कर सकते हैं। **सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी):** श्रमिक सहायता प्राप्त पंजीकरण के लिए अपने निकटतम सीएससी पर जा सकते हैं।
- **राज्य सेवा केंद्र, डाकघर: कुछ** चुनिंदा स्थानों पर पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध हो सकती है।

ई-श्रम पोर्टल का महत्व

- **असंगठित क्षेत्र के लिए डेटाबेस:** पोर्टल असंगठित श्रमिकों का एक व्यापक, डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करता है, जिससे बेहतर नीति नियोजन और कल्याण कार्यक्रम कार्यान्वयन संभव हो पाता है।
- **लाभों की पोर्टेबिलिटी:** यूएएन श्रमिकों को विभिन्न स्थानों पर लाभों तक पहुंच की अनुमति देता है क्योंकि वे विभिन्न क्षेत्रों और क्षेत्रों में काम करते हैं।
- **सामाजिक सुरक्षा को लक्ष्य बनाना:** यह डेटाबेस सरकार को सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों के लिए लाभार्थियों की सटीक पहचान करने में सहायता करता है।

3. सह-जीवन की कला:

- **"शमदी"** (तिवा में) या छात्रावास, पूर्वोत्तर भारत में आदिवासी समुदायों के बीच एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है।
- यह एक सामुदायिक रहने की जगह के रूप में कार्य करता है जहां युवा विभिन्न जीवन कौशल सीखते हैं और अनुभवी व्यक्तियों से मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं।
- छात्रावास में सिखाए जाने वाले कौशल में पारंपरिक कला और शिल्प से लेकर जीवन साथी चुनने जैसे महत्वपूर्ण जीवन निर्णयों पर चर्चा तक शामिल है।
- छात्रावास में भागीदारी से युवाओं में समुदाय और सौहार्द की भावना को बढ़ावा मिलता है।
- छात्रावास के सदस्यों की आयु सीमा विभिन्न जनजातीय समूहों के बीच भिन्न-भिन्न होती है।
- छात्रावास के सदस्य समुदाय में जरूरतमंद लोगों को सहायता प्रदान करते हैं, जैसे किसानों को फसल कटाई में मदद करना या घर निर्माण में सहायता करना।
- छात्रावास के सदस्यों द्वारा प्रदान की गई सहायता स्वैच्छिक है, और वे बदले में किसी मुआवजे की अपेक्षा नहीं करते हैं।
- समाज में छात्रावासों की स्थायी प्रासंगिकता और सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से उनके सकारात्मक प्रभाव के बावजूद, उन्हें आधुनिक दुनिया में बाहरी प्रभावों, विशेष रूप से इंटरनेट के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
- महिलाओं को पहाड़ी तिवास के शमाडी पारिस्थितिकी तंत्र में प्रवेश करने पर सख्त प्रतिबंध है, जो इस सामाजिक संस्था के लिंग-विशिष्ट पहलू को दर्शाता है।

4. जनजातीय मुद्दे:

4.1 डोंगरिया कोंध

- डोंगरिया कोंध मुख्य रूप से भारत के **दक्षिण-पश्चिमी ओडिशा के नियमगिरि पहाड़ियों में रहते हैं।**
- भारत सरकार ने उनकी विशिष्ट संस्कृति और उनके अधिकारों के विशेष संरक्षण की आवश्यकता को मान्यता देते हुए उन्हें **विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG) घोषित किया है।**
- डोंगरिया **लोग नियमगिरि पहाड़ियों को पवित्र मानते हैं** और अपने **प्राथमिक देवता को नियम राजा कहते हैं** । उनकी संस्कृति, पहचान और आजीविका पहाड़ियों और जंगलों से गहराई से जुड़ी हुई है।

सामाजिक-सांस्कृतिक जीवन:

- आजीविका: डोंगरिया कोंध लोग खेती के साथ-साथ वनोपज संग्रह का भी काम करते हैं। बागवानी उनके आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन का मुख्य हिस्सा है।
- सामाजिक संरचना: डोंगरिया कोंध समाज सामुदायिक जीवन और मजबूत रिश्तेदारी संरचना पर जोर देता है। वे भौगोलिक रूप से सीमांकित कुलों में संगठित हैं, जिन्हें अक्सर जानवरों के नाम से पहचाना जाता है।
- धार्मिक मान्यताएं: डोंगरिया कोंध लोग प्रकृति पूजा और अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा पर आधारित अपनी पारंपरिक मान्यताओं का पालन करते हैं।
- त्यौहार: डोंगरिया लोग वर्ष भर अनेक त्यौहार मनाते हैं, जिनमें से अनेक उनके कृषि चक्र और धार्मिक प्रथाओं से संबंधित होते हैं।

विकास और संरक्षण चुनौतियाँ

- **खनन का खतरा:** डोंगरिया कोंध ने वेदांता रिसोर्सेज जैसी कंपनियों के खनन प्रस्तावों का विरोध किया है, जो नियमगिरी पहाड़ियों से बॉक्साइट निकालने की कोशिश कर रही थीं। उनका सफल अभियान भारत में आदिवासी अधिकारों और पर्यावरण संरक्षण के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ है।
- **विकास पहल** : ओडिशा सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित करते हुए विशेष रूप से डोंगरिया कोंध के लिए कई विकास कार्यक्रम शुरू किए हैं।
- **विकास और संरक्षण में संतुलन:** सतत विकास के लिए एक ढांचा बनाने की निरंतर आवश्यकता है जो डोंगरिया कोंध के अधिकारों, कल्याण और उनकी पैतृक भूमि से उनके संबंध को प्राथमिकता दे।

समाचार: ओडिशा की नियमगिरि पहाड़ी श्रृंखला में डोंगरिया कोंध जनजाति की मिंजली सिकाका को प्रतिबंधित सीपीआई (माओवादी) के कथित कैडर के रूप में आत्मसमर्पण करने के लिए राजी किया गया था।

- रायगड़ा के पुलिस अधीक्षक और साथी डोंगरिया कोंध सदस्यों की उपस्थिति में, उन्हें नक्सलियों के लिए सरकार की आत्मसमर्पण-सह-पुनर्वास योजना के तहत ₹2 लाख देने का वादा किया गया था।
- हालाँकि, उन्होंने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया क्योंकि इससे उन पर माओवादी होने का लेबल लग जाएगा और उनके परिवार का नाम खराब हो जाएगा।
- लखपदर के कई अन्य ग्रामीणों, जिनमें मिंजली जनजाति के सात अन्य लोग भी शामिल हैं, पर पिछले 15 से 20 वर्षों से प्रतिबंधित सीपीआई (माओवादी) के साथ संबंधों के ऐसे ही आरोप लगे हैं।
- माओवादियों से संबद्ध होने के संदेह में कई डोंगरिया कोंध आदिवासियों को अधिकारियों द्वारा हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है।
- पिछले वर्ष, नौ डोंगरिया कोंध आदिवासियों और नियमगिरि सुरक्षा समिति के एक कार्यकर्ता पर राजद्रोह का आरोप लगाया गया था, लेकिन बाद में पुलिस ने आरोप हटा दिए थे।
- अपने समुदाय के सदस्यों को लगातार नक्सलवादी बताये जाने से हताश होकर उन्होंने आगामी चुनावों का बहिष्कार करने की घोषणा की।

- मिंजली ने सीपीआई (माओवादी) के साथ किसी भी तरह के संबंध से इनकार किया और पुलिस के दावों पर आश्चर्य व्यक्त किया।
- उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वह अपने परिवार के साथ लखपदर में रह रही हैं और विभिन्न शहरों का दौरा कर चुकी हैं, जिससे माओवादियों के साथ कोई जुड़ाव नहीं होने का संकेत मिलता है।
- वित्तीय संघर्षों के बावजूद, मिंजली ने जोर देकर कहा कि वह पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए कभी भी ₹2 लाख स्वीकार नहीं करेगी।
- कल्याणसिंहपुर पुलिस स्टेशन के प्रभारी निरीक्षक नीलकंठ बेहरा ने मिंजलि के मामले को स्वीकार किया लेकिन स्पष्ट किया कि यह एक "पुराना मामला" था।
- प्रमुख राजनीतिक दल बिखरी हुई आबादी के कारण नियमगिरि पर्वत श्रृंखला के भीतर बिखरी हुई बस्तियों में शायद ही कभी जाते हैं, इसे समय की बर्बादी मानते हैं।
- समुदाय के एक नेता लड्डा सिकाका ने कहा कि चुनावों का बहिष्कार करने से उन्हें कम संख्या के बावजूद अपने अस्तित्व पर जोर देने का मौका मिलता है।
- डोंगरिया जनजातियों को कानूनी मामलों का सामना करना पड़ा, जिनमें से कई कथित माओवादी कनेक्शन से संबंधित थे, खासकर नियमगिरि पहाड़ियों में बॉक्साइट खनन का विरोध करने के बाद।
- ओडिशा माइनिंग कॉरपोरेशन ने वेदांता समूह की लांजीगढ़ स्थित एल्युमिना रिफाइनरी को आपूर्ति करने के लिए नियमगिरि में खनन का प्रस्ताव रखा। सर्वोच्च न्यायालय के 2013 के फैसले में खनन मंजूरी के लिए ग्राम सभाओं की सहमति की आवश्यकता बताई गई थी, जिसके कारण **डोंगरिया प्रतिनिधियों ने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया** ।
- डोंगरिया कोंध समुदाय के लोगों पर सीपीआई (माओवादी) के साथ कथित संबंधों के कारण आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिससे समुदाय में असंतोष व्याप्त है।
- डोंगरिया कोंध के गांव बिस्सामकटक विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जिसका प्रतिनिधित्व राज्य के आदिवासी विकास मंत्री जगन्नाथ सरका करते हैं। इस क्षेत्र में 13 मई को मतदान होना है।

4.2 आदिवासी पहचान की लड़ाई:

चर्चा में क्यों?

भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार आदिवासी प्रतिरोध आंदोलनों की खोई हुई कहानियों को “पुनः प्राप्त” करने के लिए कई प्रयास कर रही है ताकि एक राष्ट्रवादी आदिवासी पहचान बनाई जा सके। यह मानते हुए कि आदिवासी पहचान को संघ परिवार द्वारा हड़पा जा रहा है, राजस्थान और झारखंड के स्वदेशी समुदाय इन आख्यानों का मुकाबला करने का प्रयास कर रहे हैं।

- राजस्थान के उदयपुर, बांसवाड़ा और डूंगरपुर के आदिवासी इलाकों में **भील आदिवासी लोगों की बस्तियों की ओर जाने वाले धूल भरे राजमार्गों पर साइनबोर्ड दिखाई देने लगे हैं।**
- **16वीं शताब्दी के आदिवासी प्रतीक राणा पुंजा भील** का चित्र अंकित होता है , निवासियों को "आदिवासी परिवार" या आदिवासी परिवार का हिस्सा बताते हैं।
- "आदिवासी परिवार" को एक व्यापक विचारधारा के रूप में वर्णित किया गया है जिसका उद्देश्य इन बस्तियों में लोगों की अंतरात्मा को जागृत करना है।
- विधायक राजकुमार रोत द्वारा सितंबर 2023 में गठित भारत आदिवासी पार्टी इस आंदोलन से जुड़ी है.

- भारत आदिवासी पार्टी के 27 वर्षीय कार्यकर्ता अमित खराड़ी बताते हैं कि हाल के वर्षों में निवासियों ने खुद ही ये साइनबोर्ड लगाना शुरू कर दिया है, जो आंदोलन में जमीनी स्तर की भागीदारी का संकेत देता है।

अनेक आख्यान

- भारत आदिवासी पार्टी (बीएपी) भील आदिवासी लोगों के लिए एक अलग भील राज्य की मांग से उभरी।
- पार्टी के वरिष्ठ नेता भंवरलाल परमार कहते हैं कि पार्टी का मिशन आदिवासी पहचान से जुड़ी कहानी पर "नियंत्रण रखना" है।
- बीएपी का उद्भव आंशिक रूप से आदिवासी समुदायों को दशकों से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से संबद्ध **अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम** और उसके संघीय संगठनों के हमलों का सामना करने के जवाब में था।
- संघ परिवार द्वारा बनाई गई आदिवासी पहचान पर कथाएँ अब राष्ट्रवादी आदिवासी पहचान बनाने के लिए आदिवासी प्रतिरोध आंदोलनों की खोई हुई कहानियों को पुनः प्राप्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के प्रयासों के साथ विलय हो रही हैं।
- राष्ट्रीय **अनुसूचित जनजाति आयोग** केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई इस परियोजना का नेतृत्व कर रहा है, **जिसका लक्ष्य आदिवासी इतिहास, समुदायों और प्रतिरोध आंदोलनों पर मौजूदा साहित्य को स्वदेशी लोगों द्वारा अपने समुदायों के बारे में बनाए गए साहित्य से बदलना है।**
- बीएपी इस पहल को सरकार द्वारा उनकी पहचान के विनियोजन के रूप में देखता है।
- 27 साल के अमित खराड़ी संसाधनों की कमी के बावजूद नवंबर 2023 में राजस्थान विधानसभा चुनाव में 40,000 वोट हासिल करने के लिए "आदिवासी परिवार" की अवधारणा को जिम्मेदार मानते हैं।
- खराडी ने आदिवासी समुदाय के इतिहास को संरक्षित करने के महत्व पर प्रकाश डाला, और चिंता व्यक्त की कि उनके पदचिन्हों को मिटाया जा रहा है, और उनके इतिहास को नकारा जा रहा है।
- दक्षिणी राजस्थान के भील बेल्ट में "आदिवासी परिवार" घोषित करने वाले साइनबोर्ड लगाए जा रहे हैं, जो आदिवासी पहचान और इतिहास को पुनः प्राप्त करने के लिए एक जमीनी स्तर के आंदोलन को दर्शाता है।
- आदिवासी मतदाताओं के लिए भाजपा का अभियान आदिवासी समुदायों के भूले हुए नायकों को पहचानने और सम्मान देने के सरकार के प्रयासों पर जोर देने के लिए पुंजा भील और गोविंद गुरु जैसे नेताओं की छवि का उपयोग करता है।
- खराड़ी सतही इशारों के लिए भाजपा और आरएसएस की आलोचना करते हैं, उन्हें "लॉलीपॉप" कहते हैं और **"आदिवासी" के बजाय "वनवासी" और "जनजाति" जैसे शब्दों के उनके निरंतर उपयोग पर सवाल उठाते हैं।**
- उनका तर्क है कि **आदिवासी पहचान हिंदू धर्म से पहले की है** और मुख्यधारा की कहानियों में गोविंद गुरु जैसी शख्सियतों के चित्रण पर असंतोष व्यक्त करते हैं।

भाजपा के लिए एक उपकरण

- 15 नवंबर को, जो आदिवासी प्रतीक बिरसा मुंडा की जयंती है, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव प्रचार के बीच में थे।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के उलिहातु में बिरसा मुंडा की जयंती के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम में भाग लिया, जहां उन्होंने सरकारी परियोजनाओं का उद्घाटन किया और भीड़ को संबोधित किया।

- मोदी ने आजादी के बाद से भारत के स्वतंत्रता संग्राम में आदिवासी नायकों को मान्यता न मिलने पर अफसोस जताया और आजादी का अमृत महोत्सव पहल द्वारा उनकी कहानियों को साझा करने के अवसर पर प्रकाश डाला।
- **बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, रानी दुर्गावती और अल्लूरी सीताराम राजू** जैसे "आदिवासी योद्धाओं" के योगदान को स्वीकार किया तथा भूमि की रक्षा में उनकी भूमिका पर जोर दिया।
- मोदी ने विशेष रूप से 1913 में राजस्थान के मानगढ़ नरसंहार में गोविंद गुरु के बलिदान का उल्लेख किया।
- मोदी की टिप्पणी से पहले, भाजपा के अनुसूचित जनजाति मोर्चा ने गोविंद गुरु की एक तस्वीर उनके संघर्ष के विवरण के साथ एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट की थी, जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा स्वतंत्रता संग्राम में आदिवासी नेताओं के योगदान नामक पुस्तक में प्रकाशित जानकारी से मिलती जुलती थी।
- भाजपा **"स्वतंत्रता संग्राम में आदिवासी नेताओं का योगदान" नामक पुस्तक का उपयोग ब्रिटिश शासन से पहले भारत की राजनीति में आदिवासियों को समान भागीदार के रूप में स्थापित करने के लिए कर रही है।**
- भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा ने गोविंद गुरु के बारे में पोस्ट करते हुए उन्हें भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक महत्वपूर्ण आंदोलन का नेता बताया।
- गोविंद गुरु को **सफेद कुर्ता पहने तथा गले में रुद्राक्ष की माला पहने हुए दिखाया गया है, जो** उनकी नेतृत्वकारी भूमिका का प्रतीक है।
- इस पोस्ट में गोविंद गुरु द्वारा 20 वर्षों तक ब्रिटिश शासन के खिलाफ की गई लड़ाई और स्वशासन स्थापित करने की उनकी इच्छा पर प्रकाश डाला गया था, तथा मानगढ़ में "सम्प सभा" नामक एक सभा के दौरान उनके भील अनुयायियों के नरसंहार का भी उल्लेख किया गया था।
- विद्वानों का काम मानगढ़ नरसंहार की तारीख और गोविंद गुरु की मानगढ़ किले में उपस्थिति के कारण के चित्रण का खंडन करता है।
- विजय कुमार वशिष्ठ के शोध के अनुसार, ईडर साम्राज्य के शासक ने गोविंद गुरु के उपदेश के कारण बांसवाड़ा, डूंगरपुर और सुंथ राज्यों के भीलों के बीच उनके प्रभाव को कम करने के लिए उन्हें गिरफ्तार करने का प्रयास किया।
- **गोविंद गुरु की शिक्षाओं में सामाजिक पदानुक्रम को चुनौती देते हुए तर्कसंगतता, अंधविश्वास से दूर रहने, एकेश्वरवाद और उच्च हिंदू जातियों के साथ समानता पर जोर दिया गया।**
- उन्होंने एक ऐसे धर्म की वकालत की जिसमें धूनी (अग्निकुंड) में पूजा करना, रुद्राक्ष की माला पहनना और रविवार को विशेष पूजा के साथ लोहे का चिमटा ले जाना शामिल है।
- गोविंद गुरु ने प्रचलित सामाजिक व्यवस्था को चुनौती देते हुए अपने अनुयायियों को खुद को उच्च हिंदू जातियों के बराबर मानने के लिए प्रोत्साहित किया।
- बीएपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और दिल्ली विश्वविद्यालय में इतिहास के सहायक प्रोफेसर जितेंद्र मीना, सरकारी छवि में गोविंद गुरु को रुद्राक्ष पहने हुए चित्रित करने की आलोचना करते हैं।
- मीना इस बात पर जोर देते हैं कि गोविंद गुरु की लड़ाई ऊंची जाति के शासकों द्वारा थोपी गई जाति-आधारित सामाजिक संरचना के खिलाफ थी, न कि केवल रुद्राक्ष की माला पहनने के बारे में।

Patriotic IAS

- उनका तर्क है **कि गोविंद गुरु ने सामाजिक प्रतिबंधों से मुक्त होने और आदिवासी समुदाय के लिए एक नई सामाजिक व्यवस्था बनाने के लिए लड़ाई लड़ी।**
- एक आदिवासी शोधकर्ता और भारतीय इतिहास कांग्रेस और राजस्थान इतिहास कांग्रेस जैसे अकादमिक निकायों के सदस्य के रूप में, मीना व्यक्तिगत रूप से आदिवासी नेताओं पर सरकार की कहानियों का मुकाबला करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
- वह कम से कम एक दर्जन आदिवासी नेताओं के बारे में सरकार द्वारा प्रचारित कहानियों का विश्लेषण और विश्लेषण करने पर काम कर रहे हैं।
- मीना आदिवासी सुधारकों के सामने आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डालती हैं, जिनमें उपनिवेशवादी प्रशासन, जमींदारों और मिशनरियों के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक दबाव भी शामिल हैं।
- वह मानते हैं कि कुछ जनजातीय सुधारकों ने एक-दूसरे से प्रेरणा ली होगी, लेकिन उनके सामूहिक प्रयास का उद्देश्य अपने समुदायों के लिए कुछ नया स्थापित करना था।

गलत बयानी के खिलाफ लड़ाई

- झारखंड के सरना विचारक और आध्यात्मिक नेता बंधन तिग्गा लगभग एक दशक से अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम का विरोध कर रहे हैं।
- **तिग्गा का कहना है कि आदिवासियों का विशिष्ट धर्म सरना, अन्य सभी धर्मों से पुराना है और बिरसा मुंडा जैसे आंदोलनों का उद्देश्य आदिवासी समुदायों के लिए विशिष्ट सामाजिक व्यवस्था बनाना था।**
- वह वनवासी कल्याण आश्रमों की आलोचना करते हैं, क्योंकि वे जनजातीय गांवों में हिंदू मंदिर बनाने के लिए अभियान चलाते हैं, जिसके साथ अक्सर लोगों को शिक्षा भी दी जाती है।
- झारखंड में केन्द्रीय सरना समिति के कार्यकर्ता हांडू भगत कहते हैं कि **संघ परिवार आदिवासियों को यह समझाने का प्रयास कर रहा है कि हिंदू और आदिवासी रीति-रिवाज एक जैसे हैं, और इस प्रक्रिया में बिरसा मुंडा जैसे नेताओं की कहानियों को तोड़-मरोड़ कर पेश किया जा रहा है।**
- भगत सुगाकट्टा जैसे गांवों की ओर इशारा करते हैं, जहां वनवासी कल्याण केंद्र ने एक हनुमान मंदिर का निर्माण किया है, जिसके कारण पारंपरिक आदिवासी धर्म और हिंदू धर्म के बीच का अंतर धुंधला हो गया है।
- झारखंड स्थित लेखिका और पत्रकार जसिंता केरकेट्टा इस बात पर प्रकाश डालती हैं कि आदिवासी नेताओं को अक्सर अंग्रेजों और मुगलों से लड़ते हुए दिखाया जाता है, जबकि अंग्रेजों के लिए काम करने वाले हिंदू जमींदारों और साहूकारों के खिलाफ उनके संघर्ष को नजरअंदाज कर दिया जाता है।
- **जैकिंटा केरकेट्टा ने ब्रिटिश और हिंदू जमींदारों के खिलाफ आदिवासी संघर्ष के ऐतिहासिक संदर्भ पर प्रकाश डाला, तथा जमींदारों और साहूकारों द्वारा आदिवासी लोगों के शोषण पर जोर दिया।**
- वह **संथाल लोगों के हूल आंदोलन का हवाला देती हैं, जिसका नेतृत्व सिदो, कान्हू, चांद और भैरव भाइयों ने किया था, जो जमींदारों और साहूकारों के उत्पीड़न से असंतोष से उत्पन्न हुआ था।**
- इस आंदोलन की शुरुआत एक पुलिस इंस्पेक्टर की हत्या से हुई, जो एक गांव के मुखिया को बंधक बनाकर बैठा था, जिसके परिणामस्वरूप व्यापक विद्रोह हुआ और तत्पश्चात ब्रिटिश सैन्य हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप कई आदिवासी मारे गए।

Patriotic IAS

- रणेन्द्र कुमार आदिवासी विद्रोहों के अध्ययन के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की पुस्तक के उपयोग की आलोचना करते हैं, तथा इसे आदिवासी प्रतिरोध आंदोलनों की जटिलताओं को समझने के लिए परिचयात्मक और अपर्याप्त मानते हैं।
- कुमार का कहना है कि **अधिकांश आदिवासी प्रतिरोध आंदोलन उच्च जाति के जमींदारों और स्थानीय शासकों द्वारा सामाजिक आधिपत्य बनाए रखने के लिए औपनिवेशिक प्रशासन के साथ सहयोग करने के उत्पीड़न के जवाब थे।**
- वह जाति संरचनाओं के प्रति आदिवासियों के प्रतिरोध को पहचानने के महत्व पर जोर देते हैं **और स्वीकार करते हैं कि प्रतिरोध ने अक्सर ब्रिटिश प्रशासन को निशाना बनाया, लेकिन इसने जमींदारों और शासकों द्वारा जारी सामाजिक अन्याय को भी संबोधित किया।**
- केरकेट्टा इस बात पर जोर देते हैं कि आजादी के बावजूद आदिवासी लोगों को उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है, और उन्हें सत्तारूढ़ सरकार की परवाह किए बिना दमनकारी व्यवस्था का शिकार बताया।

4.3. छत्तीसगढ़ की मुराई जनजाति:

- चुक्कलपाडु की बस्ती छत्तीसगढ़ में मुरिया जनजाति का घर है, जो नक्सलवाद से प्रभावित एपी-छत्तीसगढ़ सीमा के पास 'भारत के लाल गलियारे' के भीतर स्थित है।
- आरक्षित जंगल के भीतर होने के बावजूद, मुरिया जनजाति ने आंध्र प्रदेश वन विभाग द्वारा कई बार लगाई गई आग का सामना करने के बाद चुक्कलपाडु को अपना स्थायी निवास स्थान बना लिया है।
- इस बस्ती में 34 मुरिया आदिवासी परिवार रहते हैं जो वामपंथी चरमपंथियों और राज्य प्रायोजित सलवा जुडूम के बीच संघर्ष के दौरान बस्तर में अपने पैतृक गांव से भाग गए थे।
- **सलवा जुडूम, जिसे शुरू में सरकार ने "शांति मिशन" होने का दावा किया था, को जुलाई 2011 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा असंवैधानिक घोषित कर दिया गया,** जिससे समूह का विघटन हो गया।
- अपने पैतृक गाँवों में लौटने के सरकार के निमंत्रण के बावजूद, संयुक्त आंध्र प्रदेश में बसे मुरियाओं ने अनिश्चित भविष्य के कारण यहीं रहने का विकल्प चुना।
- आंध्र प्रदेश में मुरिया बस्तियों को आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों (आईडीपी) का निवास स्थान माना जाता है, जिनकी आबादी लगभग 6,600 है।
- मुरिया छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य क्षेत्र के सुकमा, दंतेवाड़ा और बीजापुर जैसे जिलों से चले गए और आंध्र प्रदेश के पूर्व और पश्चिम गोदावरी जिलों में बस गए।
- राज्य में मुरियाओं के साथ काम करने वाले आदिवासी अधिकार कार्यकर्ता वेंकटेश जाटवी के अनुसार, आंध्र प्रदेश में मुरियाओं की 54 बस्तियाँ हैं।

पहचान के संकट

- **मुरियाओं ने खाद्य फसलों की खेती के लिए आरक्षित वनों के भीतर वनों को साफ कर दिया है, जो वन विभाग द्वारा उठाया गया एक प्रमुख मुद्दा रहा है।**
- एक दशक की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद, कुछ मुरिया बस्तियों ने स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है, लेकिन यदि इसे हटा दिया जाता है, तो वन विभाग आरक्षित वनों की रक्षा के उद्देश्य से अधिनियम लागू कर सकता है, जिससे संभावित रूप से उनका निष्कासन हो सकता है।

Patriotic IAS

- **आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा मतदाता कार्ड, राशन कार्ड और नरेगा कार्ड जारी किए जाने के बावजूद, मुरिया को अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र से वंचित कर दिया गया है, जिससे वे संबंधित लाभों के लिए अयोग्य हो गए हैं।**
- **मुरिया को आधिकारिक तौर पर आंध्र प्रदेश में एक जनजाति के रूप में मान्यता नहीं दी गई है, लेकिन छत्तीसगढ़ में आधिकारिक सूची में है** ।
- जाति प्रमाण पत्र के अभाव में मुरिया लोग वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन सहित सामाजिक कल्याण पेंशन के लिए अपात्र हैं।
- मड़कम राकेश सहित कई मुरिया छात्र जाति प्रमाण पत्र के अभाव के कारण उच्च शिक्षा प्राप्त करने में असमर्थ हैं, जिससे उन्हें कॉलेज और छात्रावासों में दाखिला लेने में बाधा आ रही है।
- किसान और पशुपालक राकेश बताते हैं कि 10वीं कक्षा पास करने वाले 200 से अधिक मुरिया छात्रों ने जाति प्रमाण पत्र की अनिवार्यता के कारण आगे की पढ़ाई छोड़ दी है।

शिक्षा एक सपना

- 8 वर्षीय रावा सुरेश बकरियों और गायों की देखभाल में मदद करता है और जंगल से महुआ के फूल इकट्ठा करने में अपने माता-पिता की सहायता करता है।
- सुरेश ने दो साल पहले स्कूल छोड़ दिया था, और उनकी बहन इरम्मा ने भी चौथी कक्षा की पढ़ाई पूरी करने के बाद स्कूल छोड़ दिया था, ताकि वे छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में अपने दादा-दादी के साथ महुआ फूल इकट्ठा करने में उनकी मदद कर सकें।
- सुरेश सहित दंडकारण्य क्षेत्र के कई परिवार अपने पैतृक गांवों में रिश्तेदारों से संपर्क बनाए हुए हैं, जो अभी भी वामपंथी उग्रवादी गतिविधियों का सामना कर रहे हैं।
- **स्कूलों की कमी** के कारण स्कूल छोड़ चुके हैं।
- 6-14 वर्ष की आयु के 30 से अधिक बच्चों वाली इस बस्ती ने एक स्कूल के लिए एक घर बनाया, लेकिन सरकार ने उन्हें सलाह दी कि वे अपने बच्चों को 3 किलोमीटर दूर एक सरकारी स्कूल में भेजें, जहां अर्धसैनिक शिविर के माध्यम से पहुंचा जा सकता है।
- एक अस्थायी शिक्षक कभी इस बस्ती के स्कूल का प्रबंधन करता था, लेकिन शिक्षा विभाग के रिकॉर्ड के अनुसार अब वह स्कूल अस्तित्व में नहीं है।
- **चिन्ना एडुगुरल्लापल्ली गांव** में , स्कूली उम्र के 10 बच्चे शिक्षा प्रणाली से बाहर हैं, और ग्रामीण पीने के पानी तक पहुंच सुनिश्चित करने के बारे में चिंता व्यक्त करते हैं।
- स्कूलों की कमी बच्चों, विशेषकर लड़कियों को आंध्र-तेलंगाना सीमाओं पर मिर्च के खेतों में काम करने के लिए मजबूर करती है, जबकि पढ़ाई छोड़ चुके युवा छोटी-मोटी नौकरियों के लिए शहरों की ओर पलायन कर जाते हैं।
- 2024 तक, आंध्र प्रदेश की 54 मुरिया बस्तियों में से 23 में कोई स्कूल नहीं है, और बाकी में 6-14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए एकल-शिक्षक स्कूल हैं।
- एएसआर जिला कलेक्टर एम. विजया सुनीता मुरिया बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार पर जोर देती हैं और विस्तृत अध्ययन के साथ स्कूलों की कमी को दूर करने का संकल्प लेती हैं। स्कूलों की अनुपस्थिति के कारण

Patriotic IAS

मुरिया के बच्चे मध्याह्न भोजन योजना के माध्यम से सरकार द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले पोषण आहार से भी वंचित हो जाते हैं।

न्यूनतम स्वास्थ्य देखभाल

- इलाके की वजह से मुरिया बस्तियों तक राजनीतिक नेताओं के लिए पहुंचना मुश्किल है, इसलिए वे अक्सर वहां चुनाव प्रचार करने से बचते हैं।
- चुनौतियों के बावजूद, मुरिया ने विस्थापन से सुरक्षा के लिए आंध्र प्रदेश में मतदान के अपने अधिकार का प्रयोग किया।
- मुरिया का कोया और कोंडा रेड्डी जैसी अन्य मूल जनजातियों से जुड़ाव नहीं है, जिन्हें विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- मुरियास के लिए मवेशी महत्वपूर्ण हैं, जो वित्तीय और स्वास्थ्य आपात स्थितियों के दौरान उनकी जीवन रेखा के रूप में काम करते हैं।
- गाँव में स्वास्थ्य सेवा न्यूनतम है, कभी-कभार अकेली सरकारी नर्स ही आती है।
- कई मुरियाओं के पास जाति प्रमाण पत्र नहीं हैं, जिससे वे सामाजिक कल्याण पेंशन और शैक्षिक अवसरों के लिए अयोग्य हो जाते हैं।
- नर्सिंग छात्रा राव्वा कोइन्डे मुरियास द्वारा सामना किए गए संघर्षों और मान्यता और अवसरों की उनकी इच्छा पर प्रकाश डालती हैं।
- मुरिया लोगों को बेदखली का सामना करना पड़ा है और उन्हें वन संसाधनों का उपयोग करके अपने घरों का पुनर्निर्माण करना पड़ा है।
- सीमित बोरवेल और सूखी नदियों के कारण मुरिया बस्तियों के लिए स्वच्छ पेयजल तक पहुंच एक चुनौती है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में जल की कमी को दूर करने के उद्देश्य से शुरू किया गया जल जीवन मिशन कई मुरिया बस्तियों तक नहीं पहुंच पाया है।
- आरक्षित वनों में रहने वाले मुरिया लोगों के पास अक्सर बुनियादी सुविधाओं का अभाव होता है, तथा वन क्षेत्रों में बसने पर कानूनी प्रतिबंधों के कारण सरकारी सहायता भी सीमित होती है।

छत्तीसगढ़ की मुरिया जनजाति

- **स्थान:** मुख्य रूप से भारत के छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में, तथा कुछ समुदाय पड़ोसी महाराष्ट्र में भी रहते हैं।
- गोंडी लोगों के भीतर.
- **भाषा:** मुरिया, जिसे वृहद गोंडी भाषाई समूह के अंतर्गत द्रविड़ भाषा के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- **आजीविका:** पारंपरिक रूप से कृषि, शिकार, मछली पकड़ने और वन-आधारित गतिविधियों का मिश्रण।
- **धर्म:** मुख्यतः प्रकृति और पैतृक पूजा पर केन्द्रित जीववादी विश्वास।

सामाजिक संरचना और उल्लेखनीय सांस्कृतिक प्रथाएँ

- **घोटुल प्रणाली:** एक अनोखी परंपरा जिसमें किशोर **मिश्रित लिंग वाले छात्रावासों (घोटुल) में रहते हैं।** इस प्रणाली का उद्देश्य कामुकता की खोज, समाजीकरण और आदिवासी रीति-रिवाजों को सीखना है।
  - **महत्वपूर्ण टिप्पणी:** यद्यपि घोटुल प्रणाली मुरिया संस्कृति का एक मुख्य हिस्सा है, फिर भी इसे अतिसरलीकरण या विदेशी नजरिए से प्रस्तुत करने से बचना आवश्यक है।
- **जीवंत नृत्य शैली: गौर नृत्य** त्योहारों और समारोहों के दौरान कलात्मक अभिव्यक्ति का एक प्रमुख रूप है।
- **मजबूत सामुदायिक बंधन:** मुरिया समाज ग्राम परिषदों के माध्यम से सामूहिक कार्य और निर्णय लेने पर जोर देता है।

चुनौतियाँ और सरकारी पहल

- **सामाजिक-आर्थिक मुद्दे:** कई आदिवासी समुदायों की तरह, मुरिया को भी गरीबी, शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल तक सीमित पहुंच से संबंधित चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

Patriotic IAS

5. भारत की 'पहली किन्नर सरपंच' दमोह से लोकसभा चुनाव मैदान में:

- **दुर्गा बाई मझवार, जिन्हें दुर्गा मौसी के नाम से भी जाना जाता है,** ट्रांसजेंडर या किन्नर समुदाय से भारत की पहली सरपंच होने का दावा करती हैं।
- वह देवी दुर्गा के वेश में तैयार हैं और मैहर में मां शारदा मंदिर में प्रदर्शन की तैयारी कर रही हैं।
- विभिन्न समस्याओं से जूझ रहे ग्रामीणों ने प्रोत्साहित होकर 2014 में दुर्गा मौसी को अपने गांव का सरपंच चुना।
- वह एक साधु भी हैं और किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर के पद पर भी हैं।
- जबकि दुर्गा मौसी मध्य प्रदेश में चुनावी सफलता हासिल करने वाली पहली ट्रांसजेंडर व्यक्ति नहीं हैं, **शबनम मौसी 2000 में सोहागपुर उपचुनाव सीट जीतकर भारत की पहली किन्नर विधायक बनीं।**
- कमला जान, जिन्हें कमला मौसी के नाम से भी जाना जाता है, ने 1999 में कटनी शहर में मेयर का चुनाव जीता था, लेकिन 2002 में उन्हें पद छोड़ना पड़ा क्योंकि एक अदालत ने उस समय मतदाता सूची में पुरुष के रूप में पंजीकृत होने के कारण उनके चुनाव को अवैध करार दिया था।

हम अभिशाप नहीं हैं'

- दुर्गा बाई मझवार को किन्नर समुदाय में उनके जैसे लोगों के खिलाफ सामाजिक भेदभाव के कारण औपचारिक शिक्षा नहीं मिली।
- वह कमला जान को अपना गुरु मानती हैं और 14 साल की उम्र से ही उनके साथ काम करना शुरू कर दिया था।
- सामाजिक चुनौतियों और भेदभाव का सामना करने के बावजूद, वह इस बात पर जोर देती हैं कि उनके समुदाय के लोग अभिशाप नहीं हैं जैसा कि समाज मानता है।
- दुर्गा मौसी ने अपने समुदाय के साथ लगभग 10 से 12 वर्षों तक काम किया, तथा उसके बाद जब उनकी उम्र लगभग 25 या 26 वर्ष की थी, तब उन्हें राजनीति में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया गया।
- उनका दावा है कि दमोह के लोगों ने ही उनसे लोकसभा चुनाव लड़ने का आग्रह किया था, जिसके चलते वह अपने निर्वाचन क्षेत्र खजुराहो के बजाय दमोह से चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित हुईं।
- दुर्गा मौसी के अभियान में साथी किन्नर समुदाय के सदस्यों और आम जनता का समर्थन शामिल है, तथा कार्यकर्ता और अनुयायी अभियान के दौरान बाइक और स्कूटी पर उनके साथ शामिल होते हैं।
- अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखते हुए, उनका मानना है कि वह प्रमुख राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों को कड़ी टक्कर दे सकती हैं।

ट्रांसजेंडर लोगों को शामिल करने पर प्रमुख धर्म अलग-अलग रुख अपनाते हैं:

- वेटिकन **ने एक नया दस्तावेज़ जारी किया जिसमें किसी के जैविक लिंग को** बदलने की अवधारणा को खारिज कर दिया गया , जिससे ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को निराशा हुई, जिन्होंने **पोप फ्रांसिस के तहत कैथोलिक चर्च** से अधिक स्वागत योग्य दृष्टिकोण की उम्मीद की थी ।
- लिंग परिवर्तन के प्रति यह निराशाजनक रुख केवल कैथोलिक चर्च के लिए ही नहीं है; अन्य संप्रदाय, जैसे कि **दक्षिणी बैपटिस्ट कन्वेंशन** , यह भी दावा करते हैं कि भगवान के डिजाइन में दो अलग और पूरक लिंग शामिल हैं - **पुरुष और महिला - जो जैविक लिंग द्वारा निर्धारित होते हैं, आत्म-धारणा से नहीं** ।

Patriotic IAS

- अमेरिका में **इवेंजेलिकल लूथरन चर्च जैसे** कुछ मुख्य प्रोटेस्टेंट संप्रदाय, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सदस्य और पादरी के रूप में स्वागत करते हैं। वास्तव में, उन्होंने **2021 में एक खुले तौर पर ट्रांसजेंडर व्यक्ति को बिशप के रूप में चुना।**
- **इस्लाम में** कोई एक केंद्रीय धार्मिक प्राधिकरण नहीं है, इसलिए ट्रांसजेंडर मुद्दों पर नीतियां अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग हो सकती हैं **। काहिरा में अल-अजहर के वरिष्ठ विद्वानों की परिषद के महासचिव अब्बास शौमन ने** कहा कि उनके विचार में लिंग परिवर्तन पूरी तरह से अस्वीकार है, क्योंकि यह ईश्वर की रचना के खिलाफ है।

- **ईरान में, अयातुल्ला रूहोल्लाह खुमैनी ने** दशकों पहले एक फतवा जारी किया था, जिसमें शिया धर्मतंत्र के ढांचे के भीतर लिंग परिवर्तन सर्जरी के लिए आधिकारिक समर्थन की अनुमति दी गई थी।

सहस्राब्दियों से मान्यता प्राप्त:

- **दक्षिण एशिया में हिंदू समाज में** पुरुषों और महिलाओं के लिए पारंपरिक भूमिकाएं निर्धारित हैं, लेकिन गैर-द्विआधारी लिंग अभिव्यक्ति के लोगों को **सहस्राब्दियों से मान्यता दी गई है** और उन्होंने पवित्र ग्रंथों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
- **पूरे दक्षिण एशियाई इतिहास में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सम्मान दिया जाता रहा है,** जिनमें से कई ने हिंदू और मुस्लिम शासकों के अधीन सत्ता के महत्वपूर्ण पद प्राप्त किए हैं। 2014 में एक सर्वेक्षण में अनुमान लगाया गया था कि अकेले **भारत में लगभग 3 मिलियन ट्रांसजेंडर लोग रहते हैं ।**
- हिंदू धर्मग्रंथों की प्राचीन भाषा संस्कृत में तीन लिंगों का वर्णन करने के लिए शब्दावली मौजूद है - पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और लिंग-तटस्थ।
- **कुछ हिंदुओं का मानना है कि ट्रांसजेंडर लोगों के पास विशेष शक्तियाँ** और आशीर्वाद या श्राप देने की क्षमता होती है, जिसके कारण समुदाय के भीतर रूढ़िवादिता पैदा होती है और डर और हाशिए पर धकेल दिया जाता है। कई ट्रांसजेंडर व्यक्ति स्वास्थ्य सेवा, आवास और रोजगार तक उचित पहुँच के बिना गरीबी में रहते हैं।
- **2014 में भारत, नेपाल और बांग्लादेश ने आधिकारिक तौर पर ट्रांसजेंडर लोगों को** समान अधिकारों के हकदार नागरिक के रूप में मान्यता दी।
- **भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने** इस बात पर जोर देते हुए कहा कि **प्रत्येक मनुष्य को अपना लिंग चुनने का अधिकार** है कि वह कौन सा समूह है, इस बात को मान्यता देना मानवाधिकार का मुद्दा है, न कि केवल सामाजिक या चिकित्सीय मुद्दा।
- **सुधारवादी यहूदी धर्म** ट्रांसजेंडर लोगों को स्वीकार करता है तथा ट्रांसजेंडर रब्बियों को नियुक्त करने की अनुमति देता है।
- **यहूदी पारंपरिक ज्ञान,** जन्म के समय निर्धारित लिंग से जुड़ी लिंग पहचान और अभिव्यक्ति के अलावा अन्य खोज की अनुमति देता है, जैसा कि कबला जैसे रहस्यवादी ग्रंथों में प्रतिबिंबित होता है।

रूढ़िवादी विचार

- , द्विआधारी लिंग और पुरुषों और महिलाओं के बीच सख्त अलगाव पर जोर देने के कारण **ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए अक्सर चुनौतीपूर्ण होता है ।**
- **ट्रांसजेंडर लोगों को रूढ़िवादी समुदायों में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है** , जैसे कि यदि उन्होंने चिकित्सीय रूप से ट्रांसजेंडर नहीं बने हैं तो पूजा के दौरान कहां बैठना है, यह निर्धारित करना।

- **अगुदथ इजरायल के रब्बी एवी शफरान** ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के सामने आने वाली चुनौतियों को स्वीकार करते हैं, लेकिन उनका कहना है कि यहूदी धार्मिक कानून जन्म के समय निर्धारित लिंग के अनुसार जीवन जीने का निर्देश देता है।
- में **, द्विआधारी लिंग भूमिकाओं का पारंपरिक पालन** प्रचलित है, विशेष रूप से मठवासी परंपराओं में जहां पुरुषों और महिलाओं को अलग किया जाता है और विशिष्ट भूमिकाएं सौंपी जाती हैं।
- थाई **संघ परिषद ने थेरवाद बौद्ध धर्म** में मजबूत द्विआधारी लिंग मान्यताओं को दर्शाते हुए, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अभिषेक पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया ।
- हालाँकि, कुछ **थेरवाद परंपराओं ने** जन्म के समय दर्ज किए गए लिंग के आधार पर गैर-अनुरूप लिंग वाले व्यक्तियों को नियुक्त करके प्रतिबंधों को कम कर दिया है।

- **बौद्ध धर्म के महायान और वज्रयान स्कूल अधिक लचीले हैं, जो ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए अपवाद की अनुमति देते हैं, जबकि जोडो शिंशु संप्रदाय** विशेष रूप से ट्रांसजेंडर भिक्षुओं को नियुक्त करने में शामिल है।

- तिब्बती बौद्ध धर्म में, ताशी चोएडुप नामक एक खुले तौर पर समलैंगिक भिक्षु को, लिंग पहचान के बारे में पूछे बिना ही भिक्षु बना दिया गया, जो बौद्ध सिद्धांत के अनुरूप है, जो लिंग की अपेक्षा आध्यात्मिक गुणों को प्राथमिकता देता है।

- कई बौद्ध संप्रदाय, विशेष रूप से पश्चिम में, जानबूझकर ट्रांसजेंडर लोगों को अपने समारोहों या संघों में शामिल करते हैं।

6. महिलाओं पर जलवायु का प्रभाव:

जबकि जलवायु कार्रवाई के लिए जनसंख्या की 100% भागीदारी की आवश्यकता है, वहीं महिलाओं को सशक्त बनाने का मतलब बेहतर जलवायु समाधान होगा

- जलवायु संकट हर किसी को अलग-अलग तरीके से प्रभावित करता है, महिलाओं और लड़कियों को गरीबी, मौजूदा भूमिकाओं, जिम्मेदारियों और सांस्कृतिक मानदंडों के कारण असमान रूप से उच्च स्वास्थ्य जोखिमों का सामना करना पड़ता है।

- **संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी)** के अनुसार , आपदा में महिलाओं और बच्चों की मृत्यु की संभावना पुरुषों की तुलना में 14 गुना अधिक होती है।
- सर्वोच्च **न्यायालय (एमसी मेहता बनाम भारत संघ और अन्य, 2024 में**) ने हाल ही में जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से मुक्त होने के लोगों के अधिकार को मान्यता दी है, स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकार किया है। जीवन के लिए।
- भारत में, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में **महिलाओं की आजीविका के लिए कृषि महत्वपूर्ण है ।** जलवायु-संबंधित फसल उपज में कमी से खाद्य असुरक्षा बढ़ती है, विशेष रूप से उच्च पोषण संबंधी कमी वाले गरीब परिवारों पर इसका प्रभाव पड़ता है।
- छोटे और सीमांत भूमिधारक परिवारों में, पुरुषों को **अवैतनिक ऋण के कारण सामाजिक कलंक का सामना करना पड़ सकता है, जिससे प्रवासन, भावनात्मक संकट और कभी-कभी आत्महत्या भी हो सकती है** । दूसरी ओर, महिलाएं घरेलू काम के भारी बोझ, ख़राब स्वास्थ्य और अधिक अंतरंग साथी हिंसा का अनुभव करती हैं।

- **राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) 4 और 5 के आंकड़ों से** पता चला है कि पिछले दशक में सूखाग्रस्त जिलों में रहने वाली महिलाओं का वजन कम था, उन्हें अपने अंतरंग साथी द्वारा अधिक हिंसा का सामना करना पड़ा, तथा सूखाग्रस्त जिलों की तुलना में लड़कियों के विवाह का प्रचलन अधिक था।
- बढ़ती **खाद्य एवं पोषण संबंधी असुरक्षा** , कार्य का बोझ और आय की अनिश्चितताएं महिलाओं के शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक कल्याण पर नकारात्मक प्रभाव डालती हैं।

चरम घटनाएँ और लिंग आधारित हिंसा:

- विश्व में चरम मौसम की घटनाएं और जलवायु-जनित प्राकृतिक आपदाएं लगातार बढ़ रही हैं।
- की एक रिपोर्ट में **पाया गया कि भारत के 75% जिले बाढ़, सूखा और चक्रवात जैसी जलविद्युत आपदाओं के प्रति संवेदनशील हैं।**
- एनएफएचएस 5 के आंकड़ों से पता चला है कि इन जिलों में आधे से अधिक महिलाएं और बच्चे खतरे में हैं।

ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद (सीईईडब्ल्यू)

- ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद (सीईईडब्ल्यू) एशिया की अग्रणी **गैर-लाभकारी नीति अनुसंधान संस्थाओं में से एक है** । यह **ऊर्जा, स्वच्छ हवा, पानी और भूमि तक पहुँच पर वैश्विक चुनौतियों का रणनीतिक रूप से समाधान करता है।**

केंद्र बिंदु के क्षेत्र

सीईईडब्ल्यू का अनुसंधान और सलाहकार कार्य स्थिरता क्षेत्र के व्यापक दायरे को कवर करता है :

- **ऊर्जा:** स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन, बिजली बाजार, ऊर्जा पहुंच, औद्योगिक डीकार्बोनाइजेशन, नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा वित्त।
- **पर्यावरण:** जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और शमन, वायु प्रदूषण, वन, जैव विविधता और संसाधन दक्षता।
- **जल:** जल संसाधन प्रबंधन, जल-ऊर्जा-खाद्य संबंध, वाश (जल, स्वच्छता और स्वास्थ्य)।
- **अन्य क्षेत्र:** शहरीकरण, प्रौद्योगिकी नवाचार, टिकाऊ वित्त और रणनीतिक मामले।

सीईईडब्ल्यू कैसे काम करता है

- **अनुसंधान:** चुनौतियों का आकलन करने और समाधानों की पहचान करने के लिए कठोर, डेटा-आधारित अनुसंधान आयोजित करता है।
- **नीति प्रभाव:** साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण के लिए राष्ट्रीय, राज्य और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नीति निर्माताओं के साथ जुड़ता है।
- **क्षमता निर्माण: स्थिरता क्षेत्र में काम करने वाले पेशेवरों के लिए प्रशिक्षण और कौशल विकास प्रदान करता है।**
- **आउटरीच:** निष्कर्षों को संप्रेषित करता है और प्रकाशनों, आयोजनों, सम्मेलनों और साझेदारियों के माध्यम से जनता के साथ जुड़ता है।

मुख्य सफलतायें

सीईईडब्ल्यू के पास महत्वपूर्ण योगदान का ट्रैक रिकॉर्ड है। यहाँ एक छोटा सा नमूना है:

- भारत की राष्ट्रीय विद्युत योजना के डिजाइन में योगदान दिया।
- भारत के राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) को आकार देने में भूमिका निभाई।
- अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) की संकल्पना को साकार करने में मदद की।
- स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन तक पहुंच में सुधार पर शोध ने भारत की प्रमुख उज्ज्वला योजना को प्रभावित किया है।

भारत का पहला नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र (आरईसी) बाज़ार डिज़ाइन किया गया।

- अध्ययन प्राकृतिक आपदाओं और महिलाओं के खिलाफ लिंग आधारित हिंसा के बीच सीधा संबंध दिखाते हैं।
- **चरम मौसम की घटनाएं और जल चक्र पैटर्न में परिवर्तन सुरक्षित पेयजल तक पहुंच को प्रभावित करते हैं, महिलाओं के कार्यभार को बढ़ाते हैं और उत्पादक कार्य और स्वास्थ्य देखभाल के लिए समय कम करते हैं।**

- पिछला दशक अब तक का सबसे गर्म दशक रहा है और भारत को अभूतपूर्व गर्मी की लहरों का सामना करना पड़ सकता है।
- लंबे समय तक गर्मी के संपर्क में रहने से गर्भवती महिलाओं, छोटे बच्चों और बुजुर्गों के लिए खतरा पैदा हो सकता है, जिससे **समय से पहले जन्म और अन्य जटिलताओं की संभावना बढ़ जाती है।**
- **वायु प्रदूषण, चाहे वह घर के अंदर हो या बाहर, महिलाओं के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, श्वसन और हृदय संबंधी बीमारियों का कारण बनता है, तथा अजन्मे बच्चों के शारीरिक और संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करता है।**
- जलवायु परिवर्तन महिलाओं के कुछ उप-समूहों को असमान रूप से प्रभावित करता है, जिससे उनकी कमजोरियों पर अधिक साक्ष्य की आवश्यकता पर प्रकाश पड़ता है।
- वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5°C तक सीमित रखने के पेरिस समझौते के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जलवायु कार्रवाई में सभी की भागीदारी की आवश्यकता है।
- **महिलाओं को सशक्त बनाने से जलवायु संबंधी बेहतर समाधान प्राप्त होते हैं, जैसा कि संसाधनों तक महिलाओं की समान पहुंच होने पर कृषि पैदावार में वृद्धि के रूप में देखा जा सकता है।**
- जनजातीय और ग्रामीण महिलाएं अक्सर पर्यावरण संरक्षण प्रयासों में अग्रणी होती हैं।
- **महिलाओं और महिला समूहों को ज्ञान, उपकरण और संसाधन उपलब्ध कराने से जलवायु चुनौतियों के लिए स्थानीय समाधान को प्रोत्साहन मिलता है।**
- **अनुकूलन उपायों को विभिन्न संदर्भों के अनुरूप बनाया जाना चाहिए,** जिसमें ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच ताप जोखिम, वायु प्रदूषण, तथा जल और भोजन तक पहुंच में भिन्नता को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

गर्म लहरों और पानी की कमी पर:

- **बाहरी श्रमिकों, गर्भवती महिलाओं, शिशुओं, बच्चों और बुजुर्गों जैसे कमजोर समूहों पर लंबे समय तक गर्मी** के प्रभाव को कम करने के लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है ।
- गर्मी की लहरों के दौरान अत्यधिक मौतें होती हैं, जिससे उत्पादकता और अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है।
- **शहरी स्थानीय निकायों, नगर निगमों और कमजोर जिलों में जिला अधिकारियों के पास योजनाएँ होनी चाहिए और कार्यान्वयन के लिए प्रशिक्षण और संसाधन उपलब्ध कराने चाहिए।**
- **गर्मी से संबंधित मौतों को कम करने के उपायों में गर्मी की लहर की चेतावनी, बाहरी काम और स्कूल के समय को समायोजित करना, स्वास्थ्य सुविधाओं में शीतलन कक्ष स्थापित करना, सार्वजनिक पेयजल सुविधाएं प्रदान करना और हीटस्ट्रोक के लिए तत्काल उपचार शामिल हैं।**
- **दीर्घकालिक कार्रवाइयों में वृक्षों का आवरण बढ़ाने, कंक्रीट को कम करने, हरे-नीले स्थान बनाने और गर्मी-लचीले आवास डिजाइन करने की शहरी योजना शामिल है।**
- उदयपुर में महिला आवास ट्रस्ट ने प्रदर्शित किया **कि निम्न आय वर्ग के घरों की छतों को परावर्तक सफेद रंग से रंगने से घर के अंदर का तापमान कम हो सकता है तथा जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो सकता है।**
- जल की कमी एक बड़ा खतरा बन गई है, जिसके लिए सामाजिक कार्रवाई की आवश्यकता है।
- ऐतिहासिक रूप से भारत में वर्षा जल संचयन एवं भंडारण की उन्नत प्रणालियाँ मौजूद थीं।
- **तमिलनाडु में एमएस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन** जैसी परियोजनाएं जल स्रोतों का मानचित्रण करने, कमजोरियों की पहचान करने, तथा सरकारी योजनाओं और संसाधनों का उपयोग करके बेहतर जल पहुंच के लिए स्थानीय योजनाएं विकसित करने के लिए भौगोलिक सूचना प्रणालियों का उपयोग करती हैं।

ग्राम स्तर पर कार्य करना:

- क्षेत्रों और सेवाओं का प्रभावी अभिसरण, कार्यों की प्राथमिकता के साथ, गांव या पंचायत स्तर पर सर्वोत्तम रूप से प्राप्त किया जा सकता है।
- **पंचायत और स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) के सदस्यों के लिए क्षमता निर्माण के साथ-साथ पंचायत को शक्तियों और वित्त का हस्तांतरण, समुदाय के नेतृत्व वाले और भागीदारीपूर्ण तरीके से भारत के लचीलेपन-निर्माण के दृष्टिकोण को प्रदर्शित कर सकता है।**
- जलवायु परिवर्तन पर राज्य-कार्य योजनाओं में महिलाओं पर पड़ने वाले प्रभावों को व्यापक रूप से संबोधित करने के लिए लिंग लेंस को शामिल करना चाहिए।
- **जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय और राज्य कार्य योजनाएं (एनएपीसीसी और एसएपीसीसी)** अक्सर लैंगिक गतिशीलता की गहराई में गए बिना महिलाओं को पीड़ित के रूप में चित्रित करती हैं।
- 28 एसएपीसीसी की समीक्षा में परिवर्तनकारी दृष्टिकोण की कमी का पता चला, जिसमें कुछ ने महिलाओं को परिवर्तन के एजेंट के रूप में मान्यता दी।
- एसएपीसीसी को संशोधित करने की सिफारिशें रूढ़िवादिता से परे जाने, सभी लिंगों की कमजोरियों को पहचानने और व्यापक और न्यायसंगत जलवायु अनुकूलन के लिए लिंग-परिवर्तनकारी रणनीतियों को लागू करने पर जोर देती हैं।
- महिलाओं को पीड़ित के रूप में लेबल नहीं किया जाना चाहिए बल्कि उन्हें जलवायु कार्रवाई प्रयासों में नेतृत्व करने के लिए सशक्त बनाया जाना चाहिए।

यूएनडीपी के बारे में

- संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) अंतरराष्ट्रीय विकास पर केंद्रित प्रमुख संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है। यह **गरीबी उन्मूलन, असमानताओं को कम करने और लचीलापन बनाने के लिए काम करता है,** जिससे देशों को सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करने में मदद मिलती है।

यूएनडीपी का कार्य तीन मुख्य स्तंभों पर केंद्रित है:

1. **सतत विकास:** देशों को समावेशी तरीकों से आर्थिक विकास हासिल करने, ग्रह की रक्षा करने और भविष्य के झटकों के खिलाफ लचीलापन बनाने में सहायता करता है।
2. **लोकतांत्रिक शासन और शांति निर्माण:** लोकतांत्रिक संस्थानों को मजबूत करने, शांति और संघर्ष समाधान को बढ़ावा देने और निर्णय लेने में समावेशी भागीदारी का समर्थन करने में मदद करता है।
3. **जलवायु एवं आपदा लचीलापन:** देशों को जलवायु परिवर्तन के अनुकूल होने, आपदा जोखिम को कम करने, तथा स्वच्छ, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को अपनाने में सहायता करता है।

यूएनडीपी कैसे काम करता है?

- **वैश्विक नेटवर्क:** यूएनडीपी के लगभग 170 देशों और क्षेत्रों में कार्यालय हैं, जो जमीनी स्तर पर सहायता और स्थानीय विशेषज्ञता प्रदान करते हैं।
- **नीति सलाह:** विकास लक्ष्यों के अनुरूप नीतियों को विकसित करने और कार्यान्वित करने के लिए सरकारों के साथ काम करता है।
- **क्षमता निर्माण: विकासशील देशों में संस्थाओं और व्यक्तियों को उनके विकास संबंधी पहलों का स्वामित्व लेने के लिए सशक्त बनाता है।**
- **साझेदारियां:** अपने मिशन को प्राप्त करने के लिए यह **सरकारों, अन्य संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र और स्थानीय समुदायों के साथ सहयोग करता है ।**

वित्तपोषण:

यूएनडीपी को **मुख्य रूप से संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों के स्वैच्छिक योगदान से वित्त पोषित किया जाता है।**

7. वन अधिकार चुनाव का मुख्य मुद्दा होगा:

- **लैंड कॉन्फ्लिक्ट वॉच ने** भारत में भूमि-संबंधी संघर्षों का विश्लेषण किया।
- उन्होंने पाया कि इनमें से लगभग **एक तिहाई संघर्ष ऐसे लोकसभा क्षेत्रों में होते हैं** जहां वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) का कार्यान्वयन **एक महत्वपूर्ण चुनावी मुद्दा है** ।

- **विश्लेषण किये गये 781 विवादों में से** 264 को ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों से संबद्ध किया गया जहां एफ.आर.ए. महत्वपूर्ण है।
- इन संघर्षों में से **117 सीधे तौर पर वनवासी समुदायों को प्रभावित करते हैं** , जिनमें लगभग 2.1 लाख हेक्टेयर भूमि और 6.1 लाख लोग शामिल हैं।
- **इनमें से** लगभग 44% संघर्ष संरक्षण और वानिकी परियोजनाओं , जैसे वृक्षारोपण, के कारण उत्पन्न हुए, जिनमें वन प्रशासन शामिल था।
- रिपोर्ट के लेखकों में से एक अनमोल गुप्ता के अनुसार, इनमें से कई संघर्षों में वन विभाग मुख्य विरोधी पक्ष प्रतीत होता है।
- **विश्लेषण किये गये संघर्षों में से लगभग 88% वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) के प्रमुख प्रावधानों के गैर-कार्यान्वयन या उल्लंघन से संबंधित हैं।**
- संघर्ष के अन्य प्रमुख बिंदुओं में **भूमि अधिकारों पर कानूनी सुरक्षा का अभाव** , **जबरन बेदखली और भूमि से बेदखल करना शामिल हैं** ।
- लगभग **110 विवाद अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों में स्थित हैं** , तथा 77 विवाद अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों में स्थित हैं।
- **महाराष्ट्र, ओडिशा और मध्य प्रदेश में "कोर" एफआरए निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या सबसे अधिक है,** जहां 20% से अधिक निवासी मतदाता एफआरए के तहत अधिकारों का दावा करने के पात्र हैं।
- **एफआरए-महत्वपूर्ण निर्वाचन क्षेत्रों में वन अधिकार के मुद्दों से जुड़े विवादों की अधिकतम संख्या वाले राज्य ओडिशा, छत्तीसगढ़ और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर हैं** ।
- केंद्र के नवीनतम अनुमानों के अनुसार, फरवरी 2024 तक, **आदिवासियों और वनवासियों को 2.45 मिलियन स्वामित्व दिए गए हैं** , जबकि स्वामित्व के लिए पांच मिलियन दावे प्राप्त हुए हैं। जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा लगभग 34% दावों को खारिज कर दिया गया है।

<u>वन अधिकार अधिनियम के बारे में:</u>

प्रावधानों

- **स्वामित्व अधिकार :** वन में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों और पारंपरिक वन निवासियों को **आवास या स्व-खेती के लिए वन भूमि पर स्वामित्व और रहने का अधिकार है** । इसमें आजीविका के लिए व्यक्तिगत या सामान्य व्यवसाय शामिल हैं।
- **सामुदायिक अधिकार :** इसमें विभिन्न शासनों में उपयोग किए जाने वाले निस्तार, **गांव की सीमाओं के भीतर या बाहर पारंपरिक रूप से एकत्र किए गए लघु वन उपज तक पहुंच और मछली पकड़ने और चराई जैसे अन्य सामुदायिक अधिकार शामिल हैं।**
- **वन संसाधनों की सुरक्षा और प्रबंधन का अधिकार :** समुदायों को स्थायी उपयोग के लिए पारंपरिक रूप से संरक्षित और संरक्षित किसी भी सामुदायिक वन संसाधन की सुरक्षा, पुनर्जनन, संरक्षण और प्रबंधन करने का अधिकार है।
- **राज्य कानूनों के तहत मान्यता प्राप्त अधिकार :** ये किसी भी राज्य कानून या किसी **स्वायत्त जिला परिषद या स्वायत्त क्षेत्रीय परिषद के कानूनों के साथ-साथ संबंधित जनजातियों के पारंपरिक या प्रथागत कानूनों के तहत मान्यता प्राप्त अधिकार हैं** ।
- **जैव विविधता और पारंपरिक ज्ञान तक पहुंच:** इसमें जैव विविधता तक पहुंच का अधिकार और जैव विविधता और सांस्कृतिक विविधता से संबंधित बौद्धिक संपदा और पारंपरिक ज्ञान पर सामुदायिक अधिकार शामिल हैं।
- **अन्य पारंपरिक अधिकार** : वन में रहने वाले अनुसूचित जनजातियों या अन्य पारंपरिक वन निवासियों द्वारा परंपरागत रूप से प्राप्त कोई अन्य पारंपरिक अधिकार, शिकार या जाल बिछाने के पारंपरिक अधिकार को छोड़कर।

पात्रता मापदंड

- **वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजाति (एफडीएसटी)** :
    1. उस क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति से संबंधित होना चाहिए जहां अधिकारों का दावा किया जा रहा है।
    2. 13 दिसंबर 2005 से पहले मुख्य रूप से वन या वन भूमि में निवास किया होना चाहिए।
    3. वास्तविक आजीविका की जरूरतों के लिए वन या वन भूमि पर निर्भर रहना पड़ता है ।
- **अन्य पारंपरिक वन निवासी (ओटीएफडी)** :

1. 13 दिसंबर 2005 से पहले तीन पीढ़ियों (75 वर्ष) तक मुख्य रूप से वन या वन भूमि में निवास किया हो।
2. वास्तविक आजीविका की जरूरतों के लिए वन या वन भूमि पर निर्भर रहना पड़ता है।

- **ओटीएफडी के लिए सामुदायिक मान्यता** :
  - यदि **कोई अन्य परंपरागत वनवासी (ओटीएफडी) गांव अधिनियम के तहत अपनी पात्रता साबित कर देता है, तो प्रत्येक व्यक्तिगत सदस्य को अलग से पात्रता स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है।**

अधिकारों की मान्यता की प्रक्रिया

अधिकारों की मान्यता प्रक्रिया:

- **पहल** : ग्राम सभा एक प्रस्ताव पारित करती है जिसमें सिफारिश की जाती है कि किसके अधिकारों को मान्यता दी जानी चाहिए।
- **अनुमोदन प्रक्रिया** :
  - समाधान की जांच और अनुमोदन उप-विभाजन (या तालुका) स्तर पर किया जाता है।
  - आगे की मंजूरी जिला स्तर पर मांगी गई है ।
- **समिति की संरचना** :
  - **समितियों में सरकारी अधिकारी (वन, राजस्व और आदिवासी कल्याण विभाग) और निर्वाचित स्थानीय निकाय सदस्य शामिल हैं।**
  - समितियाँ अपीलें भी संभालती हैं।

वन्यजीव संरक्षण के लिए पुनर्वास:

- **प्रक्रिया** :
  - स्थानांतरण के लिए वैज्ञानिक आवश्यकता और विकल्पों की कमी को सार्वजनिक परामर्श के माध्यम से प्रदर्शित किया जाना चाहिए।
  - स्थानीय समुदाय की सहमति आवश्यक है.
  - पुनर्वास से मुआवजा और सुरक्षित आजीविका मिलनी चाहिए।

2022 वन संरक्षण संशोधन:

- **परिचय** :
  - 1980 के वन संरक्षण अधिनियम में संशोधन करता है।
  - वन अधिकारों को जनजातीय समुदायों से बड़े निगमों में स्थानांतरित करना ।
- **प्रमुख बिंदु** :
  - जिला कलेक्टर ग्राम सभा की मंजूरी को रद्द कर सकते हैं और वन भूमि को निजी संस्थाओं को हस्तांतरित कर सकते हैं।
  - वनवासी भागीदारी के अधिकार खो देते हैं, जबकि निगम विकास के अधिकार हासिल कर लेते हैं ।

  तर्क : वन मंजूरी को सरल बनाने और भूमि हस्तांतरण अनुमोदन को सुव्यवस्थित करने का लक्ष्य ।
- **चिंताओं** :
  - पर्यावरण संरक्षण और स्वदेशी अधिकारों पर व्यावसायिक हितों को प्राथमिकता देने के रूप में देखा गया।
  - इससे वन संसाधनों के दोहन और वनों पर निर्भर समुदायों को नुकसान होने की आशंका बढ़ जाती है।
- **कार्रवाई हेतु आह्वान** :
  - कई लोग समुदायों और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए वन अधिकार अधिनियम के संशोधन और कार्यान्वयन को रद्द करने की मांग करते हैं ।

अधिनियम को भूमि वितरण योजना के रूप में समझना

- आम ग़लतफ़हमी: यह धारणा कि अधिनियम का उद्देश्य वन भूमि को वनवासियों या आदिवासियों को वितरित करना है, प्रति परिवार 4 हेक्टेयर आवंटित करना।
- वास्तविक उद्देश्य: 13 दिसंबर, 2005 तक पहले से ही खेती के अधीन भूमि को मान्यता देने का इरादा है, न कि नई भूमि का मालिकाना हक देने का।

विरोध:

- पर्यावरणविदों और वन्यजीव संरक्षणवादियों की चिंताएँ।
- कुछ लोग इस अधिनियम को आदिवासियों को जंगल सौंपने की भूमि वितरण योजना के रूप में देखते हैं।
- वन्यजीव संरक्षणवादियों की ओर से सबसे कड़ा विरोध, वन्यजीव संरक्षण के लिए "अभेद्य स्थान" बनाने में हस्तक्षेप की आशंका से, विशेष रूप से बाघों के आवास के संबंध में।

अंतिम तिथि कट-ऑफ तिथि के संबंध में व्याख्या:

- एम. साई संपत द्वारा वन अधिकार मान्यता प्रक्रिया को पूरा करने पर जोर देते हुए "समय सीमा कट-ऑफ तिथि" शामिल करने का प्रस्ताव।
- वन भूमि में गिरावट/अतिक्रमण और एफआरए 2006 कार्यान्वयन के बीच सहसंबंध, अधिनियम के कार्यान्वयन के बाद 16.21 लाख हेक्टेयर अतिक्रमित वन भूमि की सूचना दी गई।

समर्थकों का दृष्टिकोण:

- इस अधिनियम को भूमि वितरण उपाय के रूप में नहीं बल्कि भूमि हड़पने को रोकने के लिए एक पारदर्शी कानून के रूप में देखा जाता है।
- वन्यजीव संरक्षण के लिए आवश्यक होने पर लोगों को पुनर्स्थापित करने के लिए स्पष्ट प्रक्रिया प्रदान करता है, साथ ही मनमाने कार्यों के विरुद्ध सुरक्षा भी प्रदान करता है।
- सामुदायिक संरक्षण के प्रावधानों से समुदायों को वनों की सुरक्षा के लिए कानूनी अधिकार प्रदान करके वन संरक्षण को मजबूत करने का विश्वास है।

वन अधिकार समर्थकों द्वारा आलोचना

- समर्थक वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) के सिद्धांतों का समर्थन करते हैं, लेकिन कानून के अंतिम संस्करण से असंतोष व्यक्त करते हैं।
- संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिशों को आंशिक रूप से अस्वीकार कर दिया गया तथा कुछ महत्वपूर्ण खंडों को छोड़ दिया गया।
- अंतिम कानून के बारे में चिंताएं व्यक्त की गईं, जिससे **जनजातीय और गैर-जनजातीय वनवासियों की कुछ श्रेणियों को बाहर करना आसान हो जाएगा।**
- ऐसा माना जाता है कि अधिनियम के अंतर्गत लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को कमजोर किया गया है।
- **लोगों के अधिकारों पर लगाए गए अतिरिक्त नौकरशाही प्रतिबंधों** की आलोचना की जाती है।
- अभियान **ने अपने आधिकारिक बयान में अंतिम कानून को "जीत और विश्वासघात दोनों" बताया।**

8. स्वास्थ्य:

8.1 स्वच्छ भारत मिशन की वास्तविकता:

पूर्णतः राज्य के स्वामित्व वाली योजना सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के निजीकरण का साधन बन गई है तथा जातिगत भेदभाव जारी है

- 2022 में पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक (ईपीआई) में भारत 180 देशों में सबसे निचले स्थान पर है।
- ईपीआई जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन, पर्यावरणीय स्वास्थ्य और पारिस्थितिकी तंत्र की जीवंतता के आधार पर देशों का मूल्यांकन करता है।
- इसमें वायु गुणवत्ता और पेयजल स्वच्छता सहित 11 मुद्दों की श्रेणियों में 40 प्रदर्शन संकेतकों का उपयोग किया गया है।
- भारत सरकार ने रैंकिंग की आलोचना करते हुए दावा किया कि कार्यप्रणाली त्रुटिपूर्ण है और भारतीय परिदृश्य का सटीक प्रतिनिधित्व नहीं करती है।
- पिछले दशक में, मोदी सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन और राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम जैसे कई विकास अभियान शुरू किए।
- इन अभियानों का उद्देश्य पानी, स्वच्छता और स्वच्छ ऊर्जा जैसे मुद्दों को संबोधित करके जीवन स्तर में सुधार करना है।
- हालाँकि, इन प्रयासों के बावजूद, वायु और जल प्रदूषण के कारण जनसंख्या की संवेदनशीलता में वृद्धि हुई है।
- सरकार के प्रयासों और बिगड़ती पर्यावरणीय स्थितियों के बीच विसंगति इन पहलों की प्रभावशीलता पर सवाल उठाती है।

स्वच्छ भारत मिशन

- स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) और एसबीएम 2.0 का लक्ष्य भारतीय शहरों को कचरे से मुक्त बनाना है।

- हालाँकि, भारत में स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन जाति व्यवस्था से जुड़ा हुआ है, ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर रहने वाली जातियों को स्वच्छता कार्य करने के लिए मजबूर किया जाता है।
- एसबीएम ने इस विचार को बढ़ावा देने की कोशिश की कि स्वच्छता हर किसी की ज़िम्मेदारी है, लेकिन अंतत: जाति-आधारित प्रथाओं को कायम रखा गया।
- यह परियोजना राजनीतिक रूप से सफल है, इसमें विपक्षी दलों या समुदायों द्वारा कोई आपत्ति नहीं उठाई गई है।
- जबकि सरकार का दावा है कि भारत खुले में शौच से मुक्त है, रिपोर्ट कुछ और ही संकेत देती है।
- नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की एक रिपोर्ट में एसबीएम के तहत शौचालयों के खराब गुणवत्ता वाले निर्माण पर प्रकाश डाला गया।
- कुछ शहरी क्षेत्रों, विशेषकर मलिन बस्तियों में अभी भी सार्वजनिक शौचालयों की पहुंच नहीं है।
- यहां तक कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी, शौचालय निर्माण को अपशिष्ट उपचार से नहीं जोड़ा जाता है, जिससे पर्यावरण प्रदूषण होता है।
- एसबीएम का उद्देश्य पूंजी-प्रधान प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके अपशिष्ट प्रबंधन में मानवीय भागीदारी को कम करना था, लेकिन ये प्रौद्योगिकियां इसमें विफल रहीं।
- सरकारें अपशिष्ट प्रबंधन का काम निजी कंपनियों को सौंपती हैं, जो अक्सर इस काम के लिए हाशिए पर पड़े समुदायों को नियुक्त करती हैं।
- केंद्र सरकार शहरों में ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र और जैविक मीथेनेशन जैसे तकनीकी समाधानों को लागू कर रही है।
- हालाँकि, इन पहलों में सफलता की कहानियाँ बहुत कम हैं।
- नगरीय सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे उपलब्ध धनराशि से सड़क सफाई मशीनों और कचरा परिवहन के लिए वाहनों जैसी महंगी मशीनरी खरीदें।
- स्वच्छता सेवाओं के प्रबंधन के लिए अक्सर बड़े ठेकेदारों को नियुक्त किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं का निजीकरण हो जाता है।
- इन ठेकेदारों द्वारा नियोजित श्रमिकों में से कई दलित हैं, जो जातिगत भेदभाव को कायम रखते हैं।
- हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में नगर निगमों में स्वच्छता निरीक्षकों की भारी कमी है, कुछ नगर पालिकाओं में तो कोई भी नहीं है।
- इसी तरह की समस्याएं अन्य सरकारी कार्यक्रमों में भी मौजूद हैं, जो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक (ईपीआई) में भारत के खराब प्रदर्शन में योगदान करती हैं।

विकास मॉडल

- पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक (ईपीआई) वर्तमान विकास प्रक्रियाओं में खामियों को उजागर करता है, उनकी अस्थिरता को उजागर करता है।
- यह पर्यावरणीय चिंताओं को दूर करने के लिए मौजूदा विकास मॉडल को संशोधित करने की आवश्यकता को इंगित करता है।
- सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया फैसले ने जलवायु परिवर्तन और मौलिक मानवाधिकारों के बीच संबंध को मान्यता दी है।
- जलवायु वैज्ञानिक वर्तमान पर्यावरणीय चुनौतियों के लिए मानवीय गतिविधियों और प्रणालीगत मुद्दों को जिम्मेदार मानते हैं।
- इन चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान करने के लिए नीतियों को मानवाधिकार सिद्धांतों के अनुरूप बनाने की आवश्यकता है।

Patriotic IAS

- नीतियों को मानवाधिकारों से जोड़ने से पर्यावरणीय मुद्दों से अधिक व्यापक और नैतिक तरीके से निपटने में मदद मिल सकती है।

8.2 जंक फूड को बाहर फेंकें, स्वस्थ भोजन को अपनी प्लेट में वापस लाएं:

स्वस्थ और पोषण संबंधी विविधतापूर्ण आहार को बढ़ावा देने तथा सूचित खाद्य विकल्प सुनिश्चित करने के लिए ईमानदार नीतिगत हस्तक्षेपों द्वारा समर्थित एक जन आंदोलन की आवश्यकता है।

- भारत एक महत्वपूर्ण आहार परिवर्तन से गुजर रहा है जिसे " **पोषण परिवर्तन " के रूप में जाना जाता है, जो पारंपरिक उच्च फाइबर आहार** से हटकर अधिक प्रसंस्कृत, कैलोरी युक्त पश्चिमी शैली के आहार की ओर बढ़ रहा है ।
- यह परिवर्तन **आर्थिक प्रगति, शहरीकरण और पैकेज्ड व प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों की बढ़ती खपत के साथ मेल खाता है, जिन्हें आमतौर पर "जंक फूड" कहा जाता है।**
- **जंक फूड में विटामिन और खनिज जैसे आवश्यक पोषक तत्व कम होते हैं, लेकिन कैलोरी, वसा, नमक, चीनी और संरक्षक (उदाहरण के लिए सोर्बिक एसिड, बेंजोइक एसिड और सोडियम नाइट्राइट) अधिक होते हैं।**
- वैज्ञानिक प्रमाण बताते हैं कि जंक फूड के सेवन से **प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर होती है, उच्च रक्तचाप, रक्त शर्करा का स्तर बढ़ता है, वजन बढ़ता है और कैंसर का खतरा बढ़ता है।**
- जंक या **उच्च वसा, लवण और शर्करा (HFSS) वाले खाद्य पदार्थों के उदाहरणों में कुकीज़, केक, चिप्स, शर्करा युक्त पेय, इंस्टेंट नूडल्स, डिब्बाबंद फल और बेकरी उत्पाद** शामिल हैं ।
- **जीवनशैली संबंधी बीमारियों** में वृद्धि के लिए अस्वास्थ्यकर आहार एक प्रमुख कारण है , तथा जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा **मधुमेह, उच्च रक्तचाप और पेट के मोटापे जैसे चयापचय विकारों से प्रभावित है।**
- **"स्वादिष्ट" और "सस्ती" सुविधायुक्त खाद्य पदार्थों** को बढ़ावा देने वाले आक्रामक विज्ञापन , विशेष रूप से **युवा उपभोक्ताओं को लक्षित करते हुए** , आहार संबंधी आदतों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- अध्ययनों से पता चलता है कि बच्चों में पैकेज्ड खाद्य पदार्थों की खपत का प्रचलन बहुत अधिक है, जिनमें से एक **बड़ा हिस्सा प्रतिदिन मीठे पेय पदार्थ और पैकेज्ड खाद्य पदार्थों का सेवन करता है।**
- अल्ट्रा -**प्रोसेस्ड खाद्य उद्योग में** तेजी से वृद्धि देखी गई है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग **2025-26 तक 535 बिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है** ।

कोर्ट की चिंता

- सुप्रीम कोर्ट (सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य मामला (1991), एमसी मेहता बनाम भारत संघ और अन्य (2013), उपभोक्ता शिक्षा और अनुसंधान केंद्र (सीईआरसी) बनाम भारत संघ (यूओआई) और अन्य मामला (2015)): इस बात पर जोर दिया गया कि खतरनाक खाद्य पदार्थ संविधान के **अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार को खतरे में डालते हैं।**
- **ईट राइट इंडिया, फिट इंडिया मूवमेंट और प्रधानमंत्री की समग्र पोषण योजना (पोषण) 2.0** जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से स्वस्थ भोजन और सक्रिय जीवन शैली को प्राथमिकता दी गई।
- **एफएसएसएआई विनियम** : बच्चों को अस्वास्थ्यकर भोजन से बचाने के लिए स्कूलों के पास एचएफएसएस खाद्य पदार्थों की बिक्री प्रतिबंधित।
- **राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने** स्वास्थ्यवर्धक पेय पदार्थों के बारे में भ्रामक विज्ञापन देने वाली कंपनियों को नोटिस जारी किया है।

Patriotic IAS

- कार्यान्वयन चुनौतियाँ: नीतियों के बावजूद, जंक फूड की खपत को कम करने के लिए प्रभावी कार्रवाई करना कठिन बना हुआ है।
- प्रमुख रणनीतियाँ:
    - विनियामक प्रवर्तन को मजबूत करें।
    - पोषण शिक्षा कार्यक्रम लागू करें।
    - **खाद्य उद्योग सुधार को प्रोत्साहित करें।**
    - स्वस्थ भोजन के लिए समुदाय-आधारित पहल को बढ़ावा दें।

एक स्पष्ट परिभाषा तैयार करें

- बच्चों को जंक फूड से बचाएं:
    - एफएसएसएआई के पास एचएफएसएस खाद्य पदार्थों की स्पष्ट परिभाषा का अभाव है।
    - बेहतर विनियमन कार्यान्वयन के लिए एचएफएसएस खाद्य पदार्थों को परिभाषित करें।
    - **राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग** द्वारा निर्धारित स्कूल भोजन विनियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करना ।
- **फ्रंट-ऑफ-पैक लेबलिंग (FOPL) का उपयोग करें:**
    - उपभोक्ताओं को सूचित खाद्य विकल्प चुनने में सहायता करता है।
    - खाद्य पैकेटों पर वर्तमान पोषण तालिका को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है।
    - बेहतर समझ के लिए सामने "नमक की मात्रा अधिक" जैसे चेतावनी लेबल लागू करें।
- भारतीय पोषण रेटिंग (आईएनआर):
    - मसौदा विनियमों में शामिल।
    - स्टार रेटिंग के कारण अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थों को अनुमति मिलने की चिंता।

स्वस्थ भोजन के लिए सब्सिडी प्राप्त करें

- स्वस्थ भोजन के लिए सकारात्मक सब्सिडी:
    - संपूर्ण खाद्य पदार्थों, बाजरा, फल और सब्जियों को बढ़ावा दें।
    - उन्हें अधिक उपलब्ध एवं किफायती बनाएं।
    - ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अधिक उपभोग को प्रोत्साहित करें।
- व्यवहार परिवर्तन अभियान:
    - बच्चों और युवा वयस्कों को लक्ष्य करें।
    - स्वस्थ खान-पान की आदतों के बारे में शिक्षित करें।
    - जंक फूड के स्वास्थ्य संबंधी खतरों पर प्रकाश डालें।
    - स्थानीय एवं मौसमी उपज को बढ़ावा दें।
    - जागरूकता के लिए सोशल मीडिया प्रभावशाली लोगों का उपयोग करें।
- स्वस्थ आहार की तत्काल आवश्यकता:
    - एक "जन आन्दोलन" बनाइये।

Patriotic IAS

- स्वस्थ आहार के लिए सार्वजनिक मांग उत्पन्न करें।
- सूचित खाद्य विकल्पों के लिए नीतिगत हस्तक्षेप लागू करना।

8.3. 'एक स्वास्थ्य' के प्रति समग्र दृष्टिकोण का आगमन:

'राष्ट्रीय एक स्वास्थ्य मिशन' इस मान्यता का परिणाम है कि केवल एक समन्वित दृष्टिकोण ही बीमारी के प्रकोप पर बेहतर प्रतिक्रिया सुनिश्चित करेगा

- कोविड-19 जैसी महामारी के उद्भव ने **मनुष्यों, जानवरों और पर्यावरण के बीच परस्पर निर्भरता को उजागर किया है।**
- महामारी न केवल मनुष्यों को बल्कि पशुधन को भी प्रभावित करती है, जैसा कि **जैसे प्रकोप के साथ देखा जाता है**
- **'राष्ट्रीय एक स्वास्थ्य मिशन'** पर कैबिनेट का निर्णय इस अंतर्संबंध को संबोधित करने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।
- जुलाई 2022 में, **प्रधान मंत्री की विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद (पीएम-एसटीआईएसी) ने** मिशन की स्थापना का समर्थन किया।
- **विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी), और वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) सहित विज्ञान वित्त पोषण एजेंसियों के साथ तेरह मंत्रालय और विभाग, मिशन को आकार देने के लिए एक साथ आए।**
- **इसमें शामिल मंत्रालयों में स्वास्थ्य, पशुपालन, पर्यावरण, रक्षा और आयुष (आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी) शामिल हैं।**
- मिशन **वन हेल्थ और महामारी संबंधी तैयारियों के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाता है** ।
- **एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान** स्थापित करने पर सहमति बनी ।
- **नागपुर में स्थित,** यह **संस्थान राष्ट्रीय गतिविधियों के समन्वय के लिए एंकर और अंतर्राष्ट्रीय समन्वय के लिए नोडल एजेंसी के रूप में काम करेगा।**
- संस्थान की आधारशिला 11 दिसंबर, 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रखी जाएगी।

अधिक यात्रा

- **'राष्ट्रीय एक स्वास्थ्य मिशन' का उद्देश्य है:**
  - एकीकृत रोग निगरानी और संयुक्त प्रकोप प्रतिक्रिया के लिए रणनीति विकसित करना।
  - अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी) प्रयासों का समन्वय करना।
  - नियमित और महामारी संबंधी दोनों प्रकार की बीमारियों को नियंत्रित करने के लिए निर्बाध सूचना साझाकरण सुनिश्चित करना।
  - पशुओं को प्रभावित करने वाली बीमारियाँ, जैसे खुरपका-मुँहपका रोग या गांठदार त्वचा रोग, उत्पादकता और व्यापार को प्रभावित कर सकती हैं।
  - कैनाइन डिस्टेंपर जैसी बीमारियाँ जंगली जानवरों और उनके संरक्षण को भी प्रभावित करती हैं।
- **एक समन्वित दृष्टिकोण** आवश्यक है **, जो अगली महामारी का कारण बन सकती हैं।**
- **मजबूत अनुसंधान एवं विकास प्रयास** महत्वपूर्ण हैं, जिनमें टीके, चिकित्सा और निदान विकसित करना शामिल है।
- **इसमें शामिल विभागों में** जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी), वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर), भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) और फार्मास्यूटिकल्स विभाग शामिल हैं।
- **इस प्रयास में शैक्षणिक केन्द्र और निजी क्षेत्र भी महत्वपूर्ण हितधारक हैं।**

- प्रभावी कार्यान्वयन के लिए **केन्द्र और राज्यों के बीच घनिष्ठ समन्वय आवश्यक है।**
- राज्यों के साथ मिलकर काम करने से जमीनी स्तर पर वन हेल्थ दृष्टिकोण को लागू करने में मदद मिलेगी तथा कार्यान्वयन से प्राप्त अनुभवों के आधार पर रणनीति को परिष्कृत करने में मदद मिलेगी।

प्रयोगशालाओं का एक नेटवर्क

- राष्ट्रीय **एक स्वास्थ्य मिशन' ने जैव सुरक्षा स्तर 3 (बीएसएल 3) और जैव सुरक्षा स्तर 4 (बीएसएल 4) सुविधाओं सहित उच्च जोखिम वाले रोगज़नक़ प्रयोगशालाओं का एक राष्ट्रीय नेटवर्क स्थापित किया है।**
- **विभिन्न विभागों द्वारा प्रबंधित इन प्रयोगशालाओं को एक साथ लाने से मानव, पशु और पर्यावरण क्षेत्रों में रोग प्रकोप की प्रतिक्रिया में वृद्धि होती है।**
- यह एकीकृत दृष्टिकोण **संसाधन उपयोग में सुधार करता है और निपाह वायरस के प्रकोप जैसी कई प्रजातियों से जुड़ी बीमारियों से निपटने के लिए बेहतर समन्वय की सुविधा प्रदान करता है।**
- भारत का लक्ष्य इस मिशन के तहत अपनी महामारी विज्ञान और डेटा विश्लेषण क्षमताओं को मजबूत करना है।
- **सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), मशीन लर्निंग और रोग मॉडलिंग का** प्रयोग शामिल है ।
- विभिन्न क्षेत्रों में महामारी विज्ञान में क्षमता निर्माण का समन्वय किया जा रहा है।
- जैसी उभरती हुई तकनीकें **, जो कोविड-19 महामारी के दौरान आशाजनक साबित हुईं** , का विस्तार किया जाएगा।
- **यह विस्तार विभिन्न प्रहरी स्थलों को कवर करेगा, जिनमें वे स्थान भी शामिल हैं जहां जानवर (पशुधन या वन्यजीव) एकत्र होते हैं, ताकि मानव, पशुधन और पर्यावरण क्षेत्रों में होने वाली बीमारियों की व्यापक श्रेणी पर नजर रखी जा सके।**

एक वैश्विक विषय

- **जी-20 में भारत की अध्यक्षता के दौरान, 'एक स्वास्थ्य' दृष्टिकोण पर जोर दिया गया और सभी सदस्य देशों द्वारा इसका समर्थन किया गया।**
- इसका लक्ष्य बेहतर **निगरानी क्षमता, विश्लेषणात्मक क्षमता का निर्माण करने तथा 'वन हेल्थ' संस्थानों का एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क स्थापित करने में सहयोग करना है।**
- 'वन हेल्थ' बीमारियों से परे रोगाणुरोधी प्रतिरोध, खाद्य सुरक्षा, पौधों की बीमारियों और इन पहलुओं पर **जलवायु परिवर्तन के प्रभाव जैसे व्यापक मुद्दों को शामिल करता है।**
- **'वन हेल्थ' चुनौतियों को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए सरकारी एजेंसियों, गैर-सरकारी संगठनों, शिक्षाविदों, निजी क्षेत्र और नागरिकों को शामिल करने वाला अंतरक्षेत्रीय सहयोग महत्वपूर्ण है** ।
- **'एक पृथ्वी, एक स्वास्थ्य' और 'सभी के लिए स्वास्थ्य'** पर ध्यान केंद्रित करने वाला एक कार्रवाई योग्य ढांचा इन लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में प्रगति कर सकता है।

8.4 घोर कुप्रबंधन: टीबी दवा की कमी और भारत के राष्ट्रीय टीबी कार्यक्रम पर:

तपेदिक पर नियंत्रण के प्रयासों में भारत पिछड़ रहा है

- **भारत का लक्ष्य 2025 तक क्षय रोग (टी.बी.) को "समाप्त" करना है** , लेकिन उसे टीबी दवाओं की कमी के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिनमें दवा-संवेदनशील टीबी की दवाएं भी शामिल हैं।
- टीबी दवाओं की कमी जारी है तथा दवा आपूर्ति में अक्सर व्यवधान उत्पन्न हो रहा है।
- अतीत में, बहुऔषधि प्रतिरोधी टीबी (एमडीआर-टीबी) के लिए महत्वपूर्ण दवाओं, जैसे **डेलामानिड, की** लगभग एक वर्ष तक भारी कमी रही थी।
- टीबी रोगियों के लिए समय पर निदान और उपचार आरंभ करने के साथ-साथ उपचार की सफलता के लिए दवा की उपलब्धता आवश्यक है।
- टीबी दवाओं की कमी से उपचार शुरू करने में देरी हो सकती है तथा रोगियों में दवा के अनुपालन संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं।
- लक्ष्य तिथि के करीब होने के बावजूद, भारत में अभी भी दवा-संवेदनशील टीबी दवाओं की कमी है, जिनका निर्माण देश के भीतर कई कंपनियों द्वारा किया जाता है।
- **राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण कार्यक्रम का** नाम बदलकर राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम रखना अक्षमता के रूप में देखा जाता है।
- स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा राज्यों को अंतिम समय में स्थानीय स्तर पर दवाइयां खरीदने की अनुमति देने से क्षेत्रीय स्तर पर चुनौतियां उत्पन्न हो गई हैं।
- स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी परिपत्र में दवा आपूर्ति में संभावित देरी के कारण राज्यों को तीन महीने के लिए स्थानीय स्तर पर दवाएं खरीदने की अनुमति दी गई है।
- **यदि जिला स्वास्थ्य सुविधाएं निःशुल्क दवाएं उपलब्ध कराने में विफल रहती हैं, तो मरीजों को स्वयं दवाएं खरीदनी पड़ सकती हैं, जो कि गरीब सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि वाले लोगों के लिए चुनौतीपूर्ण है।**
- भारत में टीबी नियंत्रण का प्रबंधन अपर्याप्त प्रतीत होता है, तथा देश **टीबी उन्मूलन के 2025 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तैयार नहीं दिखता है।**

8.5. समावेशी स्वास्थ्य देखभाल के लिए भारत के मार्ग को आकार देना:

भारत के स्वास्थ्य समानता के मुद्दों के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है जो स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में सुधार से परे हो

- **विश्व स्वास्थ्य दिवस हर साल 7 अप्रैल को** स्वास्थ्य समानता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मनाया जाता है, जो वैश्विक स्वास्थ्य और न्याय के लिए महत्वपूर्ण है।
- विश्व **स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) स्वास्थ्य को एक मौलिक मानव अधिकार मानता है और** सभी के लिए स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच सुनिश्चित करने के महत्व पर जोर देता है।
- इस वर्ष की **थीम "मेरा स्वास्थ्य, मेरा अधिकार" है,** जो स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच के व्यक्तियों के अधिकारों पर प्रकाश डालती है।
- कोविड-19 महामारी, पर्यावरणीय संकट और बढ़ती सामाजिक-आर्थिक असमानताओं ने स्वास्थ्य देखभाल पहुंच में अंतराल को संबोधित करने की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित किया है।
- **140 से अधिक देशों में स्वास्थ्य को संवैधानिक अधिकार के रूप में मान्यता दिए जाने के बावजूद, दुनिया की आधी से अधिक आबादी को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं तक पूर्ण पहुंच नहीं है।**
- सभी के लिए स्वास्थ्य की अर्थव्यवस्था पर विश्व स्वास्थ्य संगठन की परिषद स्वास्थ्य समानता को बढ़ावा देने के महत्व पर जोर देती है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी को स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच प्राप्त हो।

- विश्व स्वास्थ्य दिवस 2024 स्वास्थ्य समानता प्राप्त करने के लिए आवश्यक निरंतर प्रयासों की याद दिलाता है, तथा विश्व भर में लाखों लोगों के लिए आशा की किरण प्रस्तुत करता है।

स्वास्थ्य समानता का अर्थ

- **स्वास्थ्य समानता यह सुनिश्चित करती है कि सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय स्थितियों जैसे कारकों पर विचार करते हुए सभी को अच्छे स्वास्थ्य के लिए समान अवसर मिले।**
- विश्व **स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) का लक्ष्य** विभिन्न सामाजिक और आर्थिक समूहों के बीच रोकथाम योग्य स्वास्थ्य असमानताओं को समाप्त करना है।
  - विशिष्ट एजेंसी: WHO संयुक्त राष्ट्र की अग्रणी विशिष्ट एजेंसी है जो अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य को निर्देशित और समन्वयित करने पर केंद्रित है।
  - संविधान (1948): डब्ल्यूएचओ को "सभी लोगों द्वारा स्वास्थ्य के उच्चतम संभावित स्तर की प्राप्ति" हासिल करने के लिए व्यापक आदेश प्रदान करता है।
  - सदस्यता: विश्व स्वास्थ्य सभा (डब्ल्यूएचए) के माध्यम से भाग लेने वाले 194 सदस्य देशों का समावेश
- यह गरीबी, भेदभाव, शिक्षा तक सीमित पहुंच, स्वस्थ भोजन, स्वच्छ पानी और आवास जैसे मूल कारणों को संबोधित करता है।
- **उदाहरण के लिए, गरीबी में पैदा हुए बच्चे को बुनियादी जरूरतों तक पहुंच नहीं होती है, जिससे दीर्घकालिक स्वास्थ्य समस्याएं पैदा होती हैं।**
- **महामारी और जलवायु परिवर्तन जैसी वैश्विक चुनौतियाँ स्वास्थ्य संबंधी असमानताओं को बढ़ाती हैं** , जिससे हाशिए पर रहने वाले समूह सबसे अधिक प्रभावित होते हैं।
- भारत में, विविध आबादी को स्वास्थ्य देखभाल संबंधी असमानताओं का सामना करना पड़ता है, **ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी पहुंच सीमित है।**
- **स्वास्थ्य समानता हासिल करने के लिए कानून से परे प्रयासों की आवश्यकता है, जिसमें सरकारें, समुदाय और व्यक्ति शामिल हों।**
- **चुनौतियों में सामाजिक अन्याय, वैश्विक स्वास्थ्य मुद्दे और स्वास्थ्य देखभाल पहुंच को बाधित करने वाले संघर्षों को संबोधित करना शामिल है।**
- कोविड **-19 महामारी और जलवायु परिवर्तन ने स्वास्थ्य समानता के अंतर को बढ़ा दिया है, जिससे हाशिए पर रहने वाले समुदाय सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं, जबकि संघर्ष स्वास्थ्य देखभाल प्रावधान में बाधा डालते हैं।**

भारत की स्वास्थ्य समानता चुनौती

- **स्वास्थ्य देखभाल परिणामों और पहुंच में अंतर के कारण, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, भारत को स्वास्थ्य समानता हासिल करने में लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।**
- **शहरी मलिन बस्तियाँ, जिनमें 17% से अधिक महानगरीय क्षेत्र शामिल हैं , भीड़भाड़, खराब स्वच्छता और स्वच्छ पानी तक सीमित पहुंच** के कारण गंभीर स्वास्थ्य असमानताओं से पीड़ित हैं ।
- **भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के अनुसार, तपेदिक जैसी संक्रामक बीमारियाँ गैर-झुग्गी बस्तियों की तुलना में मलिन बस्तियों में 1.5 गुना अधिक आम हैं।**
- **जाति और लिंग में असमानताएं महत्वपूर्ण हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में बाल मृत्यु दर अधिक है और टीकाकरण दर कम है।**
- **सबसे कम संपत्ति वर्ग में महिलाओं में एनीमिया की व्यापकता 59% है, जो उच्चतम वर्ग से दोगुना है, जो स्वास्थ्य परिणामों पर जाति, लिंग और आर्थिक स्थिति के प्रभाव को दर्शाता है।**

- पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के अनुसार, भारत में होने वाली कुल मौतों में से **60% से अधिक गैर-संचारी रोगों के कारण होती हैं , तथा 2030 तक इनकी अनुमानित आर्थिक लागत 6 ट्रिलियन डॉलर से अधिक होने का अनुमान है।**
- **डॉक्टरों की भारी कमी है, प्रति 1,000 लोगों पर केवल 0.8 डॉक्टर हैं, जो अनुशंसित अनुपात से कम है। ग्रामीण क्षेत्रों में यह कमी विशेष रूप से गंभीर है।**
- स्वास्थ्य समानता प्राप्त करने के लिए स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में सुधार के अलावा स्वास्थ्य के व्यापक सामाजिक-आर्थिक निर्धारकों पर भी ध्यान देना आवश्यक है।
- **सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज को आगे बढ़ाने और भारत के लिए अधिक न्यायसंगत भविष्य बनाने के लिए सरकार, नागरिक समाज, स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं और समुदायों के बीच सहयोग को शामिल करते हुए एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है।**
- **सरकारें फंडिंग, नीतियों और कानूनों के माध्यम से स्वास्थ्य देखभाल को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं** , जैसे कि **भारत की आयुष्मान भारत पहल आर्थिक रूप से निचले 40% लोगों को मुफ्त स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करती है।**
- **एनआरएचएम और एनयूएचएम सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) का उद्देश्य पहुंच का विस्तार, बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और कमजोर आबादी को आवश्यक सेवाएं प्रदान करके ग्रामीण और शहरी भारत के बीच स्वास्थ्य देखभाल असमानताओं को कम करना** है ।
- **स्वास्थ्य समानता प्राप्त करने के लिए स्वास्थ्य साक्षरता महत्वपूर्ण है, और एनएचएम में स्वास्थ्य शिक्षा को एकीकृत करने से लोगों को न्यायसंगत देखभाल प्राप्त करने और सूचित स्वास्थ्य निर्णय लेने के लिए सशक्त बनाया जा सकता है।**
- सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र, निवारक शिक्षा, कार्यबल विकास और बुनियादी ढांचे में वृद्धि पर ध्यान केंद्रित करते हुए, वंचित समुदायों को सेवाएं प्रदान करने के लिए मिलकर काम करते हैं।
- **गैर सरकारी संगठन और नागरिक समाज सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील स्वास्थ्य पहलों को तैयार करने के लिए अंतरराष्ट्रीय और सरकारी संगठनों के साथ सहयोग करते हुए, क्षेत्रीय स्वास्थ्य चिंताओं को दूर करने के लिए सामुदायिक आउटरीच का संचालन करते हैं।**
- **डब्ल्यूएचओ, ग्लोबल फंड और गावी** जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थान संसाधन-सीमित क्षेत्रों में स्वास्थ्य पहल का समर्थन करते हैं और विशेष रूप से भारत जैसे देशों में स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों को मजबूत करने के लिए सूचना और संसाधन साझाकरण को बढ़ावा देते हैं।
- वाणिज्यिक क्षेत्र और धर्मार्थ संगठन **स्वास्थ्य देखभाल की पहुंच, सामर्थ्य और प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए, विशेष रूप से डिजिटल स्वास्थ्य में नवाचार और तकनीकी प्रगति का लाभ उठाते हैं।**
- **अनुसंधान संस्थान और शैक्षणिक संस्थान स्वास्थ्य असमानताओं को समझने और हस्तक्षेप प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने, वैज्ञानिक अध्ययनों द्वारा समर्थित साक्ष्य-आधारित प्रथाओं और नीतियों में योगदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।**

ये संगठन टैप करें

- **स्थानीय संगठन** सामुदायिक आवश्यकताओं की अपनी समझ के आधार पर, योजना से लेकर मूल्यांकन तक, स्वास्थ्य कार्यक्रमों के सभी चरणों में सक्रिय रूप से भाग लेकर स्वास्थ्य समानता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- **स्वास्थ्य समानता के लिए सफल सहयोग खुले संचार, आपसी सम्मान और साझा लक्ष्यों पर निर्भर करते हैं, जो बदलती स्वास्थ्य चिंताओं और सामुदायिक जरूरतों के अनुकूल अनुकूलन की अनुमति देते हैं।**

- नीति निर्माताओं और जमीनी स्तर के संगठनों सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग, स्वास्थ्य समानता को काफी बढ़ा सकता है और उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच को सभी के लिए एक साझा वास्तविकता बनाने की दिशा में काम कर सकता है।

आयुष्मान भारत

- **प्रमुख स्वास्थ्य योजना:** आयुष्मान भारत, जिसे आधिकारिक तौर पर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएम-जेएवाई) के रूप में जाना जाता है, भारत सरकार की प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा योजना है।
- **लॉन्च:** 2018 में घोषित किया जाएगा।
- **उद्देश्य:** देश की आर्थिक रूप से कमजोर आबादी को वित्तीय सुरक्षा और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करना।

ज़रूरी भाग:

1. **आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई):**
    - प्रति वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपये तक का द्वितीयक और तृतीयक अस्पताल में भर्ती कवरेज प्रदान करता है।
    - इसका लक्ष्य गरीब और सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि के लगभग 500 मिलियन लाभार्थियों को शामिल करना है।
    - पैनलबद्ध निजी एवं सार्वजनिक अस्पतालों तक नकदी रहित एवं कागज रहित पहुंच।
2. **स्वास्थ्य एवं कल्याण केन्द्र (एचडब्ल्यूसी):**
    - इसका उद्देश्य समुदायों के निकट व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के लिए 150,000 उप-स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को HWC में उन्नत करना है।
    - सामान्य बीमारियों और गैर-संचारी रोगों के लिए निवारक देखभाल, जांच और उपचार पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम)

- एनएचएम भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है जिसे 2005 में शुरू किया गया था, जिसमें दो पूर्ववर्ती मिशन शामिल हैं:
    - राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम)
    - राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (एनयूएचएम)
- मुख्य कार्यक्रम घटकों में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ़ीकरण (आरएमएनसीएच+ए) - प्रजनन-मातृ-नवजात-शिशु और किशोर स्वास्थ्य, तथा संचारी और गैर-संचारी रोग शामिल हैं।
- एनएचएम का लक्ष्य समतापूर्ण, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना है, जो लोगों की आवश्यकताओं के प्रति जवाबदेह और उत्तरदायी हों।

प्रमुख उद्देश्य:

- **स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे को मजबूत करना:**
    - बेहतर उपकरण, मानव संसाधन और सेवाओं के साथ ग्रामीण और शहरी स्वास्थ्य सुविधाओं को उन्नत करना।
    - नये उप-केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करना।
- **मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाना:**
    - प्रसवपूर्व और प्रसवोत्तर देखभाल, संस्थागत प्रसव और टीकाकरण कार्यक्रमों सहित मातृ स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार पर ध्यान केंद्रित करना।
    - कुपोषण और संचारी रोगों जैसी बाल स्वास्थ्य चुनौतियों का समाधान करना।
- **संचारी रोगों पर नियंत्रण:**
    - रोग निगरानी प्रणालियों को मजबूत बनाना।
    - टीबी, मलेरिया, एचआईवी/एड्स और अन्य संचारी रोगों के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम लागू करना।
- **सस्ती दवाओं तक पहुंच बढ़ी:**
    - सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं पर आवश्यक दवा की उपलब्धता और सामर्थ्य को बढ़ावा देना

वैश्विक निधि

- **बहुपक्षीय वित्तपोषण संगठन:** ग्लोबल फंड 2002 में स्थापित एक वैश्विक साझेदारी है जिसका उद्देश्य एचआईवी/एड्स, तपेदिक (टीबी) और मलेरिया के खिलाफ लड़ाई में तेजी लाना है।
- **फंडिंग संरचना:** यह सरकारों, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र और तीन बीमारियों से प्रभावित लोगों के सहयोग पर निर्भर करती है। संगठन संसाधनों को एकत्रित करता है और उन्हें उच्च रोग बोझ वाले निम्न और मध्यम आय वाले देशों में वितरित करता है।
- **प्रभाव-संचालित निवेश:** यह परिणामों और मापने योग्य परिणामों पर ध्यान देने के साथ देश के नेतृत्व वाले दृष्टिकोण पर जोर देता है।

प्रमुख फोकस क्षेत्र:

- **एचआईवी/एड्स:** रोकथाम, परीक्षण, उपचार, देखभाल और सहायता कार्यक्रमों के लिए वित्त पोषण प्रदान करता है।
- **क्षय रोग:** टीबी के मामलों का पता लगाने, निदान, उपचार और दवा प्रतिरोधी टीबी देखभाल में सहायता करता है।
- **मलेरिया:** कीटनाशक उपचारित मच्छरदानी, इनडोर छिड़काव, उपचार और निवारक चिकित्सा में निवेश करता है।
- **स्वास्थ्य प्रणालियों को सुदृढ़ बनाना:** मजबूत स्वास्थ्य देखभाल बुनियादी ढांचे के महत्व को स्वीकार करता है, इसलिए अपनी रणनीति के हिस्से के रूप में स्वास्थ्य प्रणालियों का समर्थन करता है।

यह काम किस प्रकार करता है:

- **संसाधन जुटाना:** ग्लोबल फंड दाता देशों, निजी क्षेत्र और संस्थाओं से बहु-वर्षीय वचनबद्धताओं के माध्यम से धन जुटाता है।
- **देश-आधारित प्रस्ताव:** जरूरतमंद देश प्रस्ताव विकसित करते हैं, जिनकी वैश्विक कोष द्वारा वित्तपोषण अनुमोदन के लिए समीक्षा की जाती है।
- **अनुदान कार्यान्वयन:** अनुदान प्राप्त देश वैश्विक कोष से तकनीकी सहायता और निगरानी के साथ कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करते हैं।

गावी, वैक्सीन एलायंस

- **लक्ष्य:** गावी (GAVI) वर्ष 2000 में स्थापित एक **वैश्विक सार्वजनिक-निजी भागीदारी है, जो विश्व के सबसे गरीब देशों में बच्चों के लिए नए और कम उपयोग किए जाने वाले टीकों तक पहुंच में सुधार लाने के लिए समर्पित है।**

गावी किस प्रकार स्वास्थ्य पहलों का समर्थन करता है

1. **वैक्सीन वित्तपोषण:** गावी पात्र देशों के लिए वैक्सीन लागत को सब्सिडी देने के लिए दाता सरकारों, परोपकारी संगठनों, निजी क्षेत्र और नवीन वित्तपोषण तंत्रों से धन जुटाता है।
2. **खरीद और आपूर्ति श्रृंखला:** गावी टीकों की मांग एकत्र करता है, निर्माताओं के साथ कम कीमतों पर बातचीत करता है, और यह सुनिश्चित करने के लिए विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखलाओं का समर्थन करता है कि टीके सबसे कमजोर समुदायों तक पहुंचें।
3. **टीकाकरण प्रणाली को मजबूत बनाना:** गावी वैक्सीन वितरण के लिए स्वास्थ्य प्रणाली में सुधार के लिए देशों को अनुदान प्रदान करता है, जिसमें कोल्ड चेन उपकरण, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण और डेटा संग्रह शामिल है।
4. **वकालत और साझेदारी:** गावी टीकाकरण के महत्व की वकालत करने और स्थायी कार्यक्रमों के लिए समर्थन तैयार करने के लिए सरकारों, नागरिक समाज, डब्ल्यूएचओ, यूनिसेफ और अन्य भागीदारों के साथ काम करता है।

गावी का प्रभाव:

- **बढ़ी हुई पहुंच:** गावी ने खसरा, पोलियो, डिप्थीरिया और कई अन्य बीमारियों के लिए टीकाकरण दर बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे लाखों बच्चों की मृत्यु को रोका जा सके।
- **समानता:** कमजोर स्वास्थ्य प्रणालियों वाले कम आय वाले देशों पर गावी का ध्यान यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि सबसे कमजोर बच्चों को जीवन रक्षक टीके प्राप्त हों।
- **नवाचार:** गावी वैक्सीन विकास, वितरण और वित्तपोषण मॉडल में नवाचार को बढ़ावा देता है

8.6. भारत की एचआईवी/एड्स प्रतिक्रिया का एआरटी:

भारत में अग्रणी मुक्त एंटीरेट्रोवाइरल थेरेपी (एआरटी) पहल शुरू हुए 20 साल हो गए हैं, और इसमें अन्य सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए सबक हैं।

- को , **भारत सरकार ने** एचआईवी (पीएलएचआईवी) से पीड़ित व्यक्तियों के लिए मुफ्त एंटीरेट्रोवाइरल थेरेपी (एआरटी) शुरू की, जो भारत में एचआईवी/एड्स महामारी की प्रतिक्रिया में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।
- इस निर्णय ने **एचआईवी पॉजिटिव व्यक्तियों के लिए एंटीरेट्रोवायरल दवाओं तक मुफ्त पहुंच प्रदान की** , जो एचआईवी/एड्स के खिलाफ लड़ाई में एक सफल और महत्वपूर्ण हस्तक्षेप साबित हुआ।
- शुरुआत में , **एचआईवी/एड्स को मौत की सजा के रूप में माना जाता था** और इसके साथ व्यापक भय, कलंक और भेदभाव भी शामिल था।
- **पहली एंटीरेट्रोवायरल दवा, एजेडटी (ज़िडोवुडिन) को मार्च 1987 में अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन (यूएस एफडीए) द्वारा अनुमोदित किया गया था** , इसके बाद 1988 में तीन और दवाओं को मंजूरी दी गई और 1995 में प्रोटीज़ इनहिबिटर की शुरूआत की गई।
- इन चिकित्सा प्रगति के बावजूद, दुनिया की अधिकांश आबादी के लिए एचआईवी/एड्स उपचार तक पहुंच सीमित रही, विशेष रूप से निम्न और मध्यम आय वाले देशों में।

एआरटी को मुक्त करने का विकास

- 2000 में, संयुक्त राष्ट्र महासभा के सहस्राब्दी शिखर सम्मेलन में, विश्व नेताओं ने एचआईवी/एड्स के प्रसार को रोकने और उलटने का लक्ष्य स्थापित किया।
- एचआईवी की रोकथाम, उपचार, देखभाल और सहायता सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच की वकालत करने के लिए 2002 में एड्स, तपेदिक और मलेरिया से लड़ने के लिए वैश्विक कोष की स्थापना की गई थी।
- 2004 में, भारत में एचआईवी (पीएलएचआईवी) से पीड़ित 5.1 मिलियन व्यक्तियों का अनुमान लगाया गया था, जिनकी जनसंख्या का प्रसार 0.4% था। हालाँकि, बहुत कम लोग एंटीरेट्रोवाइरल थेरेपी (एआरटी) प्राप्त कर रहे थे।
- उच्च उपचार लागत और उपचार तक सीमित भौगोलिक पहुंच के कारण 2004 के अंत तक केवल 7,000 पीएलएचआईवी एआरटी पर थे।
- HAART (अत्यधिक सक्रिय एंटीरेट्रोवाइरल थेरेपी) के नाम से जानी जाने वाली संयोजन चिकित्सा 1996 में उपलब्ध हो गई, लेकिन इसकी लागत अत्यधिक $10,000 प्रति वर्ष थी।
- पीएलएचआईवी को कलंक का सामना करना पड़ा, तथा एआरटी की अनुपलब्धता और सामर्थ्यहीनता के कारण कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, जिससे स्वास्थ्य सेवा प्रदाता असहाय महसूस कर रहे थे।
- एक महत्वपूर्ण निर्णय के तहत एचआईवी से पीड़ित किसी भी वयस्क व्यक्ति के लिए निःशुल्क एआरटी (एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी) उपलब्ध करायी गयी।
- नवंबर 2006 से निःशुल्क ए.आर.टी. बच्चों के लिए भी उपलब्ध करा दी गई।
- दो दशकों में, एआरटी केन्द्रों की संख्या 10 से बढ़कर लगभग 700 हो गई, जिसमें 1,264 लिंक एआरटी केन्द्र लगभग 1.8 मिलियन पीएलएचआईवी को मुफ्त एआरटी दवाएं उपलब्ध करा रहे हैं।
- एआरटी का उद्देश्य न केवल पीएलएचआईवी के लिए उपचार शुरू करना है, बल्कि वायरल लोड को कम करना और रोग संचरण को रोकना भी है।
- 2023 तक, 15-49 वर्ष के लोगों में एचआईवी का प्रसार घटकर 0.20% हो जाएगा, तथा अनुमानतः 2.4 मिलियन पीएलएचआईवी होंगे, जिससे भारत की वैश्विक हिस्सेदारी दो दशक पहले के 10% से घटकर 6.3% हो जाएगी।

Patriotic IAS

- 2023 तक, अनुमानित 82% पीएलएचआईवी को अपनी एचआईवी स्थिति पता थी, 72% एआरटी पर थे, और 68% वायरल रूप से दबे हुए थे।
- 2010 के बाद से भारत में वार्षिक नए एचआईवी संक्रमण में 48% की गिरावट आई है, जो वैश्विक औसत 31% से अधिक है, जबकि एड्स से संबंधित मृत्यु दर में 82% की गिरावट आई है, जो 2010 के बाद से 47% के वैश्विक औसत से अधिक है।
- भारत में सरकार द्वारा संचालित अन्य सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों के सामने आने वाली चुनौतियों को देखते हुए ये उपलब्धियाँ उल्लेखनीय हैं।

सेवाओं के प्रति रोगी-केंद्रित दृष्टिकोण

- फ्री एआरटी ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन अन्य पहलों ने एचआईवी महामारी को रोकने में इसकी सफलता को पूरक बनाया।
- पूरक पहलों में मुफ्त नैदानिक सुविधाएं प्रदान करना, माता-पिता से बच्चे में एचआईवी के संचरण को रोकने (पीपीटीसीटी) सेवाओं पर ध्यान केंद्रित करना और तपेदिक (टीबी) और सह-संक्रमण जैसे अवसरवादी संक्रमणों का प्रबंधन करना शामिल है।
- कार्यक्रम ने लचीलापन प्रदर्शित किया और समय के साथ अनुकूलित किया, जिसमें एआरटी पात्रता मानदंड में परिवर्तन किया गया: सीडी4 गणना 200 कोशिका/मिमी3 से कम (2004 में) से 500 कोशिका/मिमी3 से कम (2016 में), और अंततः 2017 से 'सभी का उपचार' दृष्टिकोण अपनाया गया, जिसमें सीडी4 गणना की परवाह किए बिना एआरटी शुरू किया गया।
- 'सभी का उपचार' दृष्टिकोण ने व्यक्तिगत और सामुदायिक दोनों स्तरों पर वायरस के संचरण को कम किया, तथा उपचार प्राप्त सभी पीएलएचआईवी के लिए निःशुल्क वायरल लोड परीक्षण द्वारा इसे और भी बेहतर बनाया गया।
- रोगी-केंद्रित दृष्टिकोण अपनाया गया, जिसके तहत स्थिर पीएलएचआईवी को दो से तीन महीने की दवाइयां दी गईं, जिससे रोगियों के दौरे, यात्रा समय और लागत में कमी आई।
- इस दृष्टिकोण से उपचार अनुपालन में वृद्धि हुई और एआरटी केंद्रों में भीड़भाड़ कम हुई, जिससे स्वास्थ्य कर्मियों को अन्य रोगियों के लिए अधिक समय मिल सका।
- भारत ने लगातार इस कार्यक्रम में नई और अधिक शक्तिशाली दवाएं शामिल कीं, जैसे कि 2020 में डॉल्युटेग्रेविर (डीटीजी)।
- वर्ष 2021 में, भारत ने तीव्र एआरटी आरंभीकरण को लागू किया, एचआईवी निदान के सात दिनों के भीतर एआरटी आरंभ किया गया, और कभी-कभी तो उसी दिन एआरटी आरंभ कर दिया गया।
- भारत के राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम (एनएसीपी) चरण 5 के साथ एचआईवी/एड्स के विरुद्ध लड़ाई जारी है।
- चरण 5 का लक्ष्य 2025 तक महत्वाकांक्षी लक्ष्य हासिल करना है:
    - वार्षिक नये एचआईवी संक्रमणों में 80% की कमी लाना।
    - एड्स से संबंधित मृत्यु दर में 80% की कमी लाना।
    - एचआईवी और सिफलिस के ऊर्ध्वाधर संचरण को समाप्त करना।
    - सिफलिस एक यौन संचारित संक्रमण (एसटीआई) है जो बैक्टीरिया ट्रेपोनेमा पैलिडम के कारण होता है। यह संक्रमण से पीड़ित किसी व्यक्ति के साथ यौन संपर्क के माध्यम से फैल सकता है, जिसमें योनि, गुदा या मुख मैथुन शामिल है।
    - गर्भावस्था या प्रसव के दौरान गर्भवती महिला से उसके अजन्मे बच्चे में भी सिफलिस फैल सकता है।
- इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए, एनएसीपी चरण 5 का लक्ष्य 2025 तक 95-95-95 का लक्ष्य रखना है:
    - एचआईवी से पीड़ित 95% लोगों को अपनी एचआईवी स्थिति का पता होना चाहिए।

Patriotic IAS

- एचआईवी संक्रमण से पीड़ित 95% लोगों को निरंतर एंटीरेट्रोवाइरल थेरेपी (एआरटी) मिलनी चाहिए।
- ए.आर.टी. प्राप्त करने वाले सभी लोगों में से 95% को वायरल दमन प्राप्त हो जाना चाहिए।

- ये लक्ष्य यूएनएड्स द्वारा निर्धारित वैश्विक लक्ष्यों के अनुरूप हैं, जो एचआईवी/एड्स के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए निदान, उपचार और वायरल दमन दर में सुधार पर केंद्रित हैं।

बाधाओं को पार करना

- एआरटी सुविधाओं में देरी से नामांकन एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि कई मरीज़ तभी उपचार की मांग करते हैं जब उनका सीडी4 काउंट 200 से कम होता है।
- ए.आर.टी. से मरीज बेहतर महसूस करना शुरू कर सकते हैं, लेकिन फिर दवा लेना बंद कर सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप खुराक लेना भूल सकते हैं और प्रतिरोध विकसित हो सकता है।
- **दूरदराज के क्षेत्रों** सहित सभी क्षेत्रों में एआरटी दवाओं की निरंतर आपूर्ति और उपलब्धता सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है।
- **पीएलएचआईवी देखभाल में निजी क्षेत्र की भागीदारी पर** जोर दिया जाना चाहिए।
- विकासशील वैज्ञानिक ज्ञान के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए **स्वास्थ्य देखभाल कर्मचारियों के लिए निरंतर प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण आवश्यक है।**
- **हेपेटाइटिस, मधुमेह** , उच्च रक्तचाप और मानसिक स्वास्थ्य जैसे अन्य स्वास्थ्य कार्यक्रमों के साथ एकीकरण आवश्यक है क्योंकि पीएलएचआईवी में अक्सर अन्य स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं।
- रोके जा सकने वाली मृत्यु दर को कम करने के लिए एक केंद्रित दृष्टिकोण में व्यवस्थित मृत्यु समीक्षा और उन्नत निदान तक पहुंच शामिल होनी चाहिए।
- भारत की निःशुल्क एआरटी पहल की सफलता का श्रेय:
  - राजनीतिक इच्छाशक्ति और उत्तरोत्तर सरकारों से लगातार समर्थन।
  - कार्यक्रम के लिए सतत और पर्याप्त धन।
  - प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए नियमित कार्यक्रम समीक्षा और क्षेत्र-आधारित निगरानी।
  - मुफ़्त एआरटी के साथ-साथ पूरक पहलों का कार्यान्वयन।
  - समुदायों और हितधारकों की भागीदारी और भागीदारी।
  - पीएलएचआईवी की जरूरतों को पूरा करने के लिए सेवा वितरण में जन-केंद्रित संशोधन।
  - कार्यान्वयन संबंधी कमियों के साथ नीतिगत इरादों को पाटने का प्रयास।
  - अधिक पीएलएचआईवी तक पहुंचने के लिए सेवाओं का निरंतर विस्तार।

- **निःशुल्क एआरटी पहल ने भारत में एचआईवी/एड्स महामारी को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।**
  - यह सभी को गुणवत्तापूर्ण, मुफ्त और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में सरकार द्वारा संचालित सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों की प्रभावशीलता को प्रदर्शित करता है।
  - यह देश में अन्य सार्वजनिक स्वास्थ्य पहलों के लिए मूल्यवान अंतर्दृष्टि और सबक प्रदान करता है।
  - यह रोग उन्मूलन की दिशा में प्रगति में तेजी लाने के लिए राष्ट्रव्यापी मुफ्त हेपेटाइटिस सी उपचार जैसी समान पहल शुरू करने के लिए एक मॉडल के रूप में कार्य कर सकता है।

9. शिक्षा:

9.1 बेहतर शिक्षा और छात्रों के उज्ज्वल भविष्य के लिए आंकड़े:

PatriotIAS

वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट (एएसईआर) 2023 में सीखने के परिणामों से संबंधित आंकड़े निस्संदेह चिंता का कारण हैं, लेकिन शोक मनाने के बजाय, एएसईआर को अन्य आंकड़ों के साथ मिलकर सुधारात्मक कार्रवाई के लिए उपयोग किया जाना चाहिए।

- वार्षिक स्थिति रिपोर्ट (एएसईआर) 2023 जनवरी के मध्य में जारी की गई, जिसमें कोविड-19 वर्षों को छोड़कर **2005 से चली आ रही परंपरा को जारी रखा गया।**
- हमेशा की तरह, शिक्षा के विभिन्न पहलुओं पर अपनी अंतर्दृष्टि के कारण इस रिपोर्ट ने काफी ध्यान आकर्षित किया है।
- रिपोर्ट का एक उल्लेखनीय फोकस **14-18 वर्ष के बच्चों के बुनियादी कौशल पर रहा है।**
- रिपोर्ट में प्रस्तुत शिक्षण परिणाम संबंधी आंकड़े चिंताजनक हैं, तथा उन क्षेत्रों पर प्रकाश डालते हैं जहां विद्यार्थी संघर्ष कर रहे हैं।
- चिकित्सकों और नीति निर्माताओं से आग्रह है कि वे डेटा का गहन अध्ययन करें ताकि कार्रवाई योग्य निष्कर्ष निकाला जा सके।
- इसका लक्ष्य इन जानकारियों का उपयोग भारत के किशोरों और युवाओं के लिए शिक्षा और समग्र परिणामों में सुधार लाने के लिए करना है।

आधारभूत शिक्षण पथ पर

- ASER 2023 बियॉन्ड बेसिक्स सर्वेक्षण भारत के 26 राज्यों के 28 ग्रामीण जिलों में आयोजित किया गया था।
- यद्यपि यह नमूना राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधि नहीं है, फिर भी यह जिला-स्तरीय रुझानों को दर्शाता है तथा 14-18 वर्ष के बच्चों की गतिविधियों, डिजिटल क्षमताओं सहित क्षमताओं और आकांक्षाओं का विचार देता है।
- रिपोर्ट से पता चलता है कि कुल मिलाकर, 14-18 वर्ष के 26% बच्चे अपनी क्षेत्रीय भाषा में मानक दो स्तरीय पाठ्य सामग्री नहीं पढ़ सकते हैं, जो चिंताजनक है।
- यह स्थिति शिक्षा के क्षेत्र में अतीत की असफलताओं के परिणामों को दर्शाती है, क्योंकि 2023 में 18 वर्ष का बच्चा 2018 में 13 वर्ष का हो जाएगा, जो संभवतः मानक सात या आठ के स्तर पर होगा।
- **2018 में, कक्षा सात के लगभग 32% और कक्षा आठ के 27% बच्चे कक्षा दो के स्तर की पाठ्य सामग्री नहीं पढ़ सकते थे, जो प्राथमिक कक्षाओं में आधारभूत कौशल की कमी को दर्शाता है।**
- आधारभूत शिक्षण पथ प्रायः सपाट होते हैं तथा उच्च कक्षाओं में और भी सपाट हो जाते हैं, जिसका अर्थ है कि बच्चों द्वारा बाद में बिना केंद्रित हस्तक्षेप के इन कौशलों को प्राप्त करना संभव नहीं है।
- **सर्वेक्षण में शामिल 14-18 वर्ष आयु वर्ग के लगभग 57% बच्चे, जिनमें बुनियादी पठन कौशल का अभाव है, 10वीं कक्षा या उससे नीचे की कक्षा में नामांकित हैं, जबकि अन्य 28% किसी भी शैक्षणिक संस्थान में नामांकित नहीं हैं।**
- 2017-18 में एनएसएसओ के 75वें दौर से पता चला कि ग्रामीण भारत में माध्यमिक ग्रेड (कक्षा नौ और 10) में उपस्थिति 60% तक कम थी।

Patriotic IAS

-
- 14-18 वर्ष के बच्चों में, जो धाराप्रवाह पढ़ने में संघर्ष करते हैं, यहां तक कि स्कूल में नामांकित लोग भी नियमित रूप से उपस्थित नहीं हो सकते हैं।
- **स्कूल में उपस्थिति और पढ़ने के लिए प्रेरणा के मुद्दों को संबोधित किए बिना केवल स्कूल-आधारित पठन सुधार कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित करना प्रभावी नहीं हो सकता है।**
- एएसईआर 2022 से पता चलता है कि आठवीं कक्षा के कई बच्चे जिन्हें पढ़ने में कठिनाई होती है, वे सरल स्तर का पाठ पढ़ सकते हैं, जो दर्शाता है कि उन्हें सुधार करने के लिए मार्गदर्शन और प्रोत्साहन की आवश्यकता है।
- **स्कूली पाठ्यपुस्तकों के अलावा अन्य पठन सामग्री तक पहुंच की कमी ग्रामीण परिवारों में एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, जो पढ़ने की आदतों के विकास में बाधा बन रही है।**
- सामुदायिक पुस्तकालय पढ़ने की आदतों, रचनात्मकता और आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
- हालाँकि, पुस्तकालयों की सफलता प्रतिबद्ध व्यक्तियों द्वारा प्रभावी प्रबंधन और नेतृत्व पर निर्भर करती है, जो सभी आयु और पृष्ठभूमि के लोगों के लिए सहायक पठन वातावरण तैयार कर सकें।

बच्चे और करियर

- एएसईआर 2023, 14-18 वर्ष के युवाओं की भविष्य के संबंध में आकांक्षाओं और दृष्टिकोणों पर प्रकाश डालता है।
- **सर्वेक्षण में शामिल 60% से अधिक बच्चे कम से कम कॉलेज शिक्षा प्राप्त करने का लक्ष्य रखते हैं, जिसमें लड़कों (59%) की तुलना में कॉलेज जाने की आकांक्षा रखने वाली लड़कियों (65%) का प्रतिशत अधिक है।**
- **कार्य संबंधी आकांक्षाओं के संबंध में, पांच में से एक बच्चे ने इसके बारे में नहीं सोचा था, जबकि अन्य ने बताया कि लड़कों के लिए पुलिस या रक्षा बलों में शामिल होना तथा लड़कियों के लिए शिक्षक या डॉक्टर बनना प्रमुख विकल्प हैं।**
- यद्यपि आकांक्षाओं का विकास करना महत्वपूर्ण है, लेकिन **युवाओं को अपने लक्ष्यों का मूल्यांकन करने और उन्हें प्रभावी ढंग से प्राप्त करने के लिए समर्थन, मार्गदर्शन और प्रेरणा की आवश्यकता होती है।**
- सर्वेक्षण में शामिल 14-18 वर्ष आयु वर्ग के लगभग आधे युवा जो काम करने की आकांक्षा रखते हैं, वे

ASER

- **The largest citizen-led household survey in India.** ASER provides a yearly snapshot of children's schooling and learning outcomes in rural districts across the nation.
- **Conducted by Pratham Education Foundation.** Pratham is a well-respected, non-governmental organization working in the field of education in India.
- **Focuses on children's foundational skills.** ASER assesses basic reading and arithmetic abilities of children ages 5-16.

Why is ASER important?

- **Provides reliable data on learning outcomes.** While school enrolment data is often available, ASER digs deeper into actual learning levels, highlighting areas where improvement is needed.
- **Informs policy:** ASER findings are used by governments, NGOs, and researchers to understand the state of education in rural areas and design targeted interventions.

Citizen-led model: ASER's methodology relies on volunteers, showcasing the power of community participation in assessing the educational landscape.

अपने इच्छित पेशे में काम करने वाले किसी व्यक्ति को नहीं जानते, जिससे उनके लिए करियर पथ के बारे में जानकारी सीमित हो जाती है।

- सीतापुर और धमतरी में फोकस समूह चर्चाओं से पता चला कि व्यावसायिक शिक्षा के प्रति नकारात्मक धारणा है कि जो लोग सफेदपोश नौकरी पाने में असमर्थ हैं, उनके लिए यह एक विकल्प है।
- हालांकि, **सोलन में, स्कूलों में शुरू किए गए पर्यटन और होटल प्रबंधन जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों ने** आकांक्षात्मक मूल्य प्राप्त किया, जिसमें नौकरी पर प्रशिक्षण, प्रमाणन और कैरियर की संभावना की जानकारी ने छात्रों को संबंधित व्यवसायों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया।

प्रौद्योगिकी का उपयोग

- एएसईआर 2023 और **ग्रामीण भारत में प्रारंभिक शिक्षा की स्थिति रिपोर्ट में** युवाओं की स्मार्टफोन तक बढ़ती पहुंच पर जोर दिया गया है।
- **किशोर स्मार्टफोन का उपयोग मुख्यतः शैक्षिक उद्देश्यों के बजाय मनोरंजन और सोशल मीडिया के लिए करते हैं।**
- **डिजिटल प्रौद्योगिकी का** उपयोग युवाओं की प्रेरणाओं और रुचियों के साथ तालमेल बिठाने, उन्हें उनके इच्छित व्यवसायों की नींव प्रदान करने तथा उन्हें प्रासंगिक पेशेवरों से जोड़ने के लिए किया जा सकता है।
- **नर्सिंग और संबंधित विषयों पर ऑनलाइन पाठ्यक्रम या प्राथमिक चिकित्सा जैसे लघु मॉड्यूल** ले सकते हैं ।
- इस पहल के लिए शैक्षिक प्रौद्योगिकी एजेंसियों, उद्योगों और पेशेवर समूहों के बीच सहयोग महत्वपूर्ण है।
- स्कूलों और कॉलेजों को युवाओं की आकांक्षाओं को समझने और विकसित करने में अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए, तथा उन्हें सीखने के लिए उपयुक्त मंच और अवसर प्रदान करने चाहिए।
- **ASER डेटा सहित कठोर रूप से डिज़ाइन और एकत्रित डेटा** न केवल समस्याओं को उजागर करता है, बल्कि कार्रवाई के लिए महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि भी प्रदान करता है।
- मुद्दों पर विलाप करने के बजाय, यह **जानना आवश्यक है कि कहां कार्य करना है, कैसे कार्य करना है, तथा किसे कार्रवाई करनी चाहिए।**

9.2 विश्वविद्यालयों को कॉलेज स्वायत्तता पर जोर देना होगा :

विश्वविद्यालयों को कॉलेजों की चिंताओं का समाधान करने की आवश्यकता है क्योंकि स्वायत्तता का उच्च शिक्षा पर परिवर्तनकारी प्रभाव पड़ता है

- राष्ट्रीय **शिक्षा नीति 2020 का** उद्देश्य कॉलेजों को स्वायत्त संस्थानों में बदलना, नवाचार, स्वशासन और शैक्षणिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देना है।
- अप्रैल 2023 में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने इस परिवर्तन को सुविधाजनक बनाने के लिए नए नियम पेश किए।
- स्वायत्त दर्जा पाने के इच्छुक कॉलेजों की प्रतिक्रिया उल्लेखनीय रही है, तथा शुभारंभ के बाद से अब तक 590 आवेदन प्राप्त हुए हैं।
- **नवाचार को बढ़ावा देने, शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार लाने तथा संस्थागत उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए कॉलेजों को स्वायत्तता प्रदान करना महत्वपूर्ण है।**
- स्वायत्त कॉलेज **छात्रों और उद्योगों की बदलती जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने पाठ्यक्रम को अनुकूलित कर सकते हैं।**
- वे नई शिक्षण विधियों और अनुसंधान पहलों के साथ प्रयोग कर सकते हैं, ज्ञान को आगे बढ़ा सकते हैं और सामाजिक प्रगति में योगदान दे सकते हैं।

- **स्वायत्तता कॉलेजों में जवाबदेही और जिम्मेदारी को बढ़ावा देती है, तथा उन्हें स्वतंत्र रूप से शैक्षणिक और प्रशासनिक निर्णय लेने में सशक्त बनाती है।**
- यह सशक्तिकरण **संस्थागत दक्षता को बढ़ाता है और कॉलेजों के भीतर गौरव और पहचान की भावना को बढ़ावा देता है, तथा संकाय और कर्मचारियों को उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है।**

रैंकिंग एक बात साबित करती है

- एनआईआरएफ 2023 रैंकिंग भारत में कॉलेज के प्रदर्शन पर स्वायत्तता के सकारात्मक प्रभाव को उजागर करती है।
- में **, शीर्ष 100 कॉलेजों में से 55 स्वायत्त संस्थान हैं, जो** अकादमिक उत्कृष्टता और संस्थागत प्रभावशीलता को बढ़ावा देने में स्वायत्तता की प्रभावशीलता को दर्शाता है।
- **एनआईआरएफ 2023 रैंकिंग में शीर्ष 10 कॉलेजों में से पांच स्वायत्त कॉलेज हैं, जो** अकादमिक उत्कृष्टता प्राप्त करने में स्वायत्तता की सफलता का प्रदर्शन करते हैं।
- उच्च शिक्षा में स्वायत्त महाविद्यालयों की स्थापना की दिशा में रुझान बढ़ रहा है, जल्द ही **24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में यह संख्या 1,000 तक पहुंचने की उम्मीद है।**
- आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और तेलंगाना जैसे राज्यों में स्वायत्त कॉलेजों की संख्या काफी अधिक है, जो **कुल संख्या का 80% से अधिक है।**
- यहां तक कि छत्तीसगढ़, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पंजाब और पश्चिम बंगाल जैसे कम स्वायत्त संस्थाओं वाले राज्यों में भी संस्थागत प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए स्वायत्तता की क्षमता का पता लगाने में देशव्यापी रुचि है।
- विभिन्न क्षेत्रों में स्वायत्त महाविद्यालयों की उपस्थिति इस बात की बढ़ती अनुभूति को रेखांकित करती है कि स्वायत्तता भारत में उच्च शिक्षा पर परिवर्तनकारी प्रभाव डाल सकती है।

स्वायत्तता के बाद की अनेक चुनौतियों का समाधान

- जबकि यूजीसी कॉलेजों के लिए स्वायत्तता को बढ़ावा देता है, कुछ विश्वविद्यालय नियंत्रण छोड़ने का विरोध करते हैं।
- **विश्वविद्यालय प्रायः स्वायत्तता पर सीमाएं लगाते हैं, जैसे पाठ्यक्रम में परिवर्तन की सीमा, जिससे कॉलेजों की नवप्रवर्तन की क्षमता बाधित होती है।**
- कॉलेजों को स्वायत्तता को मान्यता देने में विश्वविद्यालयों की ओर से देरी का सामना करना पड़ता है, जिससे दक्षता में बाधा आती है और स्वायत्तता की भावना कमजोर होती है।
- **विश्वविद्यालय कॉलेजों को पूर्ण स्वायत्तता देने में संकोच करते हैं, विशेषकर पाठ्यक्रम डिजाइन और नए पाठ्यक्रम शुरू करने में।**
- यह अनिच्छा **विश्वविद्यालयों के भीतर पारंपरिक पदानुक्रमित शासन से उत्पन्न हो सकती है** ।
- **कॉलेजों को संबद्धता के लिए विश्वविद्यालयों द्वारा लगाई गई मनमानी फीस का सामना करना पड़ सकता है** , जिससे स्वायत्तता कम होगी और पारदर्शिता संबंधी चिंताएं बढ़ सकती हैं।
- उच्च शिक्षा के लिए राज्य परिषदों को स्वायत्तता पर यूजीसी नियमों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करना चाहिए।
- विश्वविद्यालयों को उच्च शिक्षा सुधार के तहत निर्णय लेने की प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करते हुए स्वायत्त कॉलेजों की चिंताओं का समाधान करना चाहिए।
- **नवाचार और शैक्षणिक उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालयों और स्वायत्त कॉलेजों के बीच सहयोग आवश्यक है।**

- स्वायत्तता के विकास के लिए अनुकूल वातावरण उच्च शिक्षा में नवाचार, उत्कृष्टता और समावेशिता को बढ़ावा देगा।
- स्वायत्तता के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए चुनौतियों पर काबू पाने और एक जीवंत उच्च शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र सुनिश्चित करने के लिए सभी हितधारकों के सहयोग की आवश्यकता है।

10. कमजोर वर्ग:

10.1 नए बीमा नियम वरिष्ठ नागरिकों की मदद करते हैं:

- भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने 1 अप्रैल से बीमा उत्पाद विनियम, 2024 लागू किया।
- **बीमा क्षेत्र को बढ़ाने के लिए** IRDAI द्वारा शुरू किए गए व्यापक सुधारों का हिस्सा हैं ।
- नए मानदंड **जीवन बीमा, सामान्य बीमा और स्वास्थ्य बीमा के विभिन्न पहलुओं को संबोधित करते हैं।**
- इन विनियमों में काफी रुचि है, विशेष रूप से **नई स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी प्राप्त करने के लिए ऊपरी आयु सीमा में प्रत्याशित परिवर्तन के संबंध में** ।

नये नियम क्या संबोधित करते हैं?

- नए बीमा उत्पाद विनियम, 2024 का उद्देश्य बीमा कंपनियों को बदलती बाजार जरूरतों के अनुरूप अधिक तेजी से प्रतिक्रिया करने में सक्षम बनाना है।
- **पॉलिसीधारकों के हितों की रक्षा करते हुए कारोबार को आसान बनाने तथा बीमा पहुंच बढ़ाने का** भी प्रयास कर रहे हैं ।
- पॉलिसीधारकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बीमा कंपनियों को अपने उत्पादों के डिजाइन और मूल्य निर्धारण में अच्छे प्रशासन प्रथाओं को प्रोत्साहित किया जाता है।
- स्वास्थ्य बीमा में, **नियम "विशिष्ट प्रतीक्षा अवधि" को चार साल से घटाकर तीन साल कर देते हैं।**
- इसका मतलब है कि दुर्घटनाओं के परिणामस्वरूप होने वाली बीमारियों को छोड़कर, निर्दिष्ट बीमारियों या उपचारों के लिए बीमा कवरेज के लिए कम प्रतीक्षा समय।
- प्रतीक्षा अवधि के बाद, पॉलिसी को बिना किसी रुकावट के नवीनीकृत करने पर बीमारियों या उपचारों को कवर किया जाएगा।
- पहले से मौजूद बीमारी की परिभाषा में अब पॉलिसी शुरू होने से तीन साल के भीतर चिकित्सक द्वारा निदान या इलाज की गई कोई भी स्वास्थ्य स्थिति शामिल है।
- **नए नियमों में आयुष (आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी प्रणाली) उपचार कवरेज पर जोर दिया गया है।**
- **बीमाकर्ताओं को अन्य उपचार विकल्पों के समान आयुष उपचार के लिए कवरेज प्रदान करना अनिवार्य है।**
- पिछले विनियमन ने बीमाकर्ताओं को प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट कुछ शर्तों के तहत आयुष उपचार के लिए कवरेज प्रदान करने की अनुमति दी थी।
- **बीमाकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे विशिष्ट लाभ-आधारित पॉलिसियों को छोड़कर, केवल पिछले दावों के आधार पर स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों के नवीनीकरण से इनकार न करें।**

वरिष्ठ नागरिकों के लिए कौन से परिवर्तन प्रासंगिक हैं?

Patriotic IAS

- **आईआरडीएआई के '2047 तक सभी के लिए बीमा' के लक्ष्य** के अनुरूप बीमा कवरेज का विस्तार करना है ।
- पहले, **स्वास्थ्य बीमा विनियम, 2016 में** कहा गया था कि स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों में कम से कम 65 वर्ष की आयु तक प्रवेश की अनुमति होनी चाहिए।
- इसका मतलब यह है कि बीमाकर्ता 65 वर्ष की आयु तक के व्यक्तियों को कवरेज देने से इनकार नहीं कर सकते।
- इस विनियमन के बावजूद, कुछ बीमाकर्ताओं ने पहले से ही 99 वर्ष तक की प्रवेश आयु वाली पॉलिसियों की पेशकश की है।
- नए नियमों के तहत बीमाकर्ताओं को वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य बीमा दावों और शिकायतों के समाधान के लिए एक अलग चैनल स्थापित करने की आवश्यकता है।
- इस कदम का उद्देश्य बुजुर्ग पॉलिसीधारकों के लिए बेहतर सेवा और सहायता सुनिश्चित करना है।

नए नियमों पर बीमा कंपनियों की क्या प्रतिक्रिया होने की संभावना है?

- बीमा कवरेज बढ़ाने की दिशा में आईआरडीएआई का दबाव बीमाकर्ताओं को 65 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए नए उत्पादों पर विचार करने के लिए प्रेरित कर रहा है।
- कई बीमाकर्ता प्रतीक्षा करो और देखो का दृष्टिकोण अपना रहे हैं, जबकि कुछ इस जनसांख्यिकीय के अनुरूप नए उत्पाद विकसित करना शुरू कर सकते हैं।
- उद्योग के अधिकारियों का अनुमान है कि बीमाकर्ता धीरे-धीरे स्वास्थ्य बीमा के लिए अधिकतम प्रवेश आयु 99 वर्ष कर देंगे।
- पहले, कोई स्पष्ट आयु प्रतिबंध नहीं था, लेकिन स्वास्थ्य बीमा उत्पादों में न्यूनतम और अधिकतम प्रवेश आयु थी।
- पहले के नियमों के अनुसार प्रवेश की अधिकतम आयु कम से कम 65 वर्ष होनी चाहिए थी, लेकिन अब यह प्रावधान हटा दिया गया है।
- बीमा कंपनियों को अब स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों के लिए अपनी न्यूनतम और अधिकतम प्रवेश आयु निर्धारित करने की सुविधा प्राप्त हो गई है।

ये परिवर्तन कितने महत्वपूर्ण हैं?

- **वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम की वहनीयता अत्यंत महत्वपूर्ण है, विशेषकर तब जब उन्हें कवरेज की सबसे अधिक आवश्यकता होती है।**
- **आईआरडीएआई स्वास्थ्य बीमा उत्पादों के मूल्य निर्धारण में हस्तक्षेप नहीं करता है, लेकिन उसने प्रीमियम भुगतान और प्रोत्साहनों के संबंध में** नए नियम पेश किए हैं ।
- **नए नियमों के अनुसार, पॉलिसी अवधि के लिए प्रीमियम अपरिवर्तित रहेगा, और बीमाकर्ता किश्तों में प्रीमियम भुगतान और शीघ्र प्रवेश, निरंतर नवीनीकरण और अनुकूल दावा अनुभव के लिए प्रोत्साहन जैसी सुविधाएं प्रदान कर सकते हैं।**
- स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस उन कुछ कंपनियों में से एक है जो प्रवेश के समय 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है, जो व्यापक कवरेज के लिए जल्दी पॉलिसी खरीदने के महत्व पर बल देती है।
- **स्वास्थ्य बीमा जल्दी खरीदने से व्यापक कवरेज मिलता है और प्रीमियम में वृद्धि के बिना पॉलिसी नवीकरण की गारंटी मिलती है, भले ही बाद में बीमारियाँ विकसित हो जाएं।**
- स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियां ग्राहकों की भुगतान क्षमता को ध्यान में रखते हुए विभिन्न विशेषताओं के साथ मॉड्यूलर होती जा रही हैं, तथा युवावस्था में स्वास्थ्य बीमा खरीदने से प्रतीक्षा अवधि कम हो जाती है।

Patriotic IAS

- **रोग की घटनाओं और चिकित्सा मुद्रास्फीति जैसे** कारकों के आधार पर बेहतर सुविधाएं और सामर्थ्य प्रदान करने की क्षमता होगी।

10.2 पीएमएवाई-यू योजना का अवलोकन:

- वर्तमान केंद्र सरकार ने दो कार्यकाल पूरे कर लिए हैं।
- इसके प्रमुख कार्यक्रमों में से एक **2022 तक सभी के लिए आवास (एचएफए) था** ।
- कार्यक्रम का **उद्देश्य शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में आवास प्रदान करना था।**
- इसकी योजना **2015 में प्रधान मंत्री आवास योजना (PMAY) योजना के तहत बनाई गई थी** ।

PMAY योजना क्या है?

- PMAY एक केंद्र प्रायोजित योजना है।
- केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को इसमें वित्तीय योगदान देना होता है।
- योजना के उद्देश्यों में शामिल हैं:
    - **निजी डेवलपर्स की भागीदारी से झुग्गीवासियों** का पुनर्वास ।
    - **क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजनाओं (सीएलएसएस) के माध्यम से** कमजोर वर्गों के लिए किफायती आवास को बढ़ावा देना ।
    - सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की साझेदारी में किफायती आवास।
    - लाभार्थी-नेतृत्व निर्माण (बीएलसी) के लिए सब्सिडी।

यह योजना कैसे कार्यान्वित हुई?

- एचएफए (सभी के लिए आवास) योजना पूरी होने के बावजूद अधूरी है।
- अगस्त 2022 में, पहले से स्वीकृत घरों को पूरा करने के लिए पीएमएवाई-शहरी (पीएमएवाई-यू) को 31 दिसंबर, 2024 तक बढ़ा दिया गया था।
- ऐसा अनुमान है कि **ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 20 मिलियन तथा शहरी क्षेत्रों में लगभग 3 मिलियन मकानों की कमी है।**
- हालाँकि, वास्तविक आंकड़े इससे भी बड़ी कमी दर्शाते हैं, **2012 से 2018 तक शहरी आवास की कमी 54% बढ़ गई है।**
- पीएमएवाई-यू उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा है, स्वीकृत और पूर्ण किए गए खंडों में लगभग 40 लाख मकान कम पड़े हैं।
- **आईएसएसआर (इन-सीटू स्लम पुनर्विकास) विशेष रूप से विफल रहा है, जिसके तहत केवल 2,10,552 मकानों को मंजूरी दी गई।**
- रिपोर्टों के अनुसार, **पीएमएवाई-यू ने 80 लाख घरों का निर्माण करके आवास की कमी का केवल 25.15% ही समाधान किया है।**
- यदि शेष स्वीकृत मकानों का निर्माण 2024 तक भी कर दिया जाए तो भी यह **वास्तविक आवश्यकता का केवल 37% ही पूरा कर पाएगा, जिससे लगभग 2.4 करोड़ परिवार बिना छत के रह जाएंगे।**
- पिछले पांच वर्षों में कम लागत वाले आवास पर 29 बिलियन डॉलर से अधिक खर्च करने के बावजूद, "सभी के लिए आवास" एक अधूरा वादा बना हुआ है।

प्रधानमंत्री आवास योजना में क्या समस्या थी?

Patriotic IAS

- प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) सामाजिक आवास के लिए सार्वजनिक निवेश में अंतर को पूरा करने के लिए **निजी क्षेत्र की भागीदारी पर बहुत अधिक निर्भर करती है ।**
- भारतीय शहरी क्षेत्रों में लगभग 40% (विश्व बैंक के अनुसार, 49%) लोग निर्दिष्ट या अनौपचारिक झुग्गियों में रहते हैं, जिससे इन क्षेत्रों में आवास की समस्या को संबोधित करना पीएमएवाई की सफलता के लिए महत्वपूर्ण हो गया है।
- हालाँकि, **झुग्गी-झोपड़ियों की जगहों को निजी खिलाड़ियों को सौंपने वाली कुछ परियोजनाओं के परिणामस्वरूप लंबवत विकास हुआ, जिससे उपयोगिताओं की आवर्ती लागत और रहने की जगह कम होने के कारण निवासियों के लिए अधिक समस्याएं पैदा हुईं।**
- **भूमि स्वामित्व के मुद्दे** , जैसे **कि हवाई अड्डों, रेलवे, या जंगलों के तहत भूमि, ने आईएसएसआर (इन-सीटू स्लम पुनर्विकास) के लिए आवास आवश्यकताओं को संबोधित करना असंभव बना दिया है।**
- आईएसएसआर के लिए योजनाएं अक्सर समुदाय की भागीदारी के बिना सलाहकारों द्वारा तैयार की जाती थीं।
- शहर के मास्टर प्लान और पीएमएवाई-यू के बीच एक अंतर है, **कई शहर सामाजिक आवास के बजाय बड़े पूंजी-गहन तकनीकी समाधानों को प्राथमिकता देते हैं।**
- **पीएमएवाई के निवेश व्यय में केंद्र का योगदान केवल 25% है, जिसमें अधिकांश धन लाभार्थी परिवारों (60%) और राज्य सरकारों (15%) से आता है।**
- पीएमएवाई की वास्तुकला कई क्षेत्रों में सीमित सरकारी भूमिका के साथ, भूमिहीन और गरीबों की जरूरतों को प्रभावी ढंग से संबोधित नहीं करती है।
- **आईएसएसआर के तहत पुनर्वास के लिए पात्र झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले परिवार कुल लाभार्थियों का केवल 2.5% हैं।**

10.3. आयुष्मान भारत:

- **प्रमुख स्वास्थ्य योजना:** आयुष्मान भारत, जिसे आधिकारिक तौर पर प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (पीएम-जेएवाई) के रूप में जाना जाता है, भारत सरकार की प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा योजना है।
- **लॉन्च:** 2018 में घोषित।
- **उद्देश्य:** देश की आर्थिक रूप से कमजोर आबादी को वित्तीय सुरक्षा और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करना।

ज़रूरी भाग:

आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई):

- प्रति वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपये तक का द्वितीयक और तृतीयक अस्पताल में भर्ती कवरेज प्रदान करता है।
- इसका लक्ष्य गरीब और सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि के लगभग 500 मिलियन लाभार्थियों को शामिल करना है।
- पैनलबद्ध निजी एवं सार्वजनिक अस्पतालों तक नकदी रहित एवं कागज रहित पहुंच।

स्वास्थ्य एवं कल्याण केन्द्र (एचडब्ल्यूसी):

- इसका उद्देश्य समुदायों के निकट व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के लिए 150,000 उप-स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को HWC में उन्नत करना है।

Patriotic IAS

- सामान्य बीमारियों और गैर-संचारी रोगों के लिए निवारक देखभाल, जांच और उपचार पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।

10.4. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम)

- एनएचएम 2005 में शुरू की गई भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है, जिसमें पहले के दो मिशन शामिल हैं:
    - राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम)
    - राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (एनयूएचएम)
- मुख्य कार्यक्रम घटकों में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ़ीकरण (आरएमएनसीएच+ए)- प्रजनन-मातृ-नवजात-बाल और किशोर स्वास्थ्य, और संचारी और गैर-संचारी रोग शामिल हैं।
- एनएचएम न्यायसंगत, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच की उपलब्धि की परिकल्पना करता है जो लोगों की जरूरतों के प्रति जवाबदेह और उत्तरदायी हो।

प्रमुख उद्देश्य:

- **स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाना:**
    - बेहतर उपकरण, मानव संसाधन और सेवाओं के साथ ग्रामीण और शहरी स्वास्थ्य सुविधाओं को उन्नत करना।
    - नये उप-केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करना।
- **मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाना:**
    - प्रसवपूर्व और प्रसवोत्तर देखभाल, संस्थागत प्रसव और टीकाकरण कार्यक्रमों सहित मातृ स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार पर ध्यान केंद्रित करना।
    - कुपोषण और संचारी रोगों जैसी बाल स्वास्थ्य चुनौतियों का समाधान करना।
- **संचारी रोगों पर नियंत्रण:**
    - रोग निगरानी प्रणालियों को मजबूत बनाना।
    - टीबी, मलेरिया, एचआईवी/एड्स और अन्य संचारी रोगों के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रमों का कार्यान्वयन।
- **सस्ती दवाओं तक पहुंच में वृद्धि:**
    - सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं पर आवश्यक दवाओं की उपलब्धता और सामर्थ्य को बढ़ावा देना

Patriotic IAS

राजनीति

1. चुनाव और चुनाव मशीनरी:

1.1 मतदान प्रक्रिया में आवश्यक सुधार:

मतदान का इतिहास:

- **1952 और 1957 में** हुए भारत के **पहले दो आम चुनावों** में , मतदाताओं को प्रत्येक उम्मीदवार के लिए उनके चुनाव चिन्ह के साथ एक **खाली मतपत्र एक अलग बॉक्स में** डालना था ।
- 1957 के बाद हुए तीसरे चुनाव से, उम्मीदवारों के नाम और उनके प्रतीकों के साथ मतपत्र पेश किए गए। मतदाताओं को अपनी पसंद के उम्मीदवार पर मोहर लगानी थी.
- इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) को 1982 में **केरल के परवूर** विधानसभा क्षेत्र में **परीक्षण के आधार पर पेश किया गया था** ।
- 1989 में, चुनाव आयोग (ईसी) ने दो केंद्रीय सरकारी उपक्रमों - इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया **(ईसीआईएल) और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) के साथ मिलकर भारत की स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) विकसित की। 1999 के गोवा राज्य विधानसभा चुनावों में पहली बार ईवीएम का इस्तेमाल किया गया था।**
- **2001 में तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी और पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनावों के दौरान सभी बूथों पर** ईवीएम पूरी तरह से तैनात की गयी थीं।
- सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न निर्णयों में ईवीएम के प्रयोग की वैधता को बरकरार रखा है।
- **2004 के लोकसभा आम चुनावों में सभी 543 निर्वाचन क्षेत्रों में ईवीएम का प्रयोग किया गया था।**

- **2013 में सुब्रमण्यम स्वामी बनाम भारत के चुनाव आयोग** के मामले में , सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए पेपर ट्रेल का होना आवश्यक है।
- **2019 के चुनावों में,** चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए सभी निर्वाचन क्षेत्रों में 100% वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी) के साथ ईवीएम का उपयोग किया गया था।

ईवीएम (इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन) क्या है?

- इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) संसद, विधानमंडल और स्थानीय निकायों जैसे पंचायत और नगर पालिकाओं के चुनाव कराने के उद्देश्य से एक पोर्टेबल उपकरण है।
- ईवीएम में दर्ज मतदान डेटा को वर्षों तक सुरक्षित रखा जा सकता है तथा आवश्यकता पड़ने पर उसे निकाला भी जा सकता है।

ईवीएम की विशेषताएं क्या हैं?

- इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) ने चुनावी प्रक्रिया में कई लाभ लाए हैं:
- ईवीएम ने **वोट डालने की दर को** सीमित करके **बूथ कैप्चरिंग के जोखिम को कम कर दिया है प्रति मिनट चार वोट** , जिससे झूठे वोटों को शीघ्रता से भरना कठिन हो जाएगा।
- उन्होंने **अवैध मतों को समाप्त कर दिया है,** जो कागजी मतपत्रों में एक आम समस्या थी, तथा मतगणना प्रक्रिया को सुव्यवस्थित कर दिया है।
- **ईवीएम पर्यावरण अनुकूल हैं** क्योंकि वे कागज की खपत को कम करते हैं, जो लगभग एक अरब लोगों के बड़े मतदाता वर्ग को देखते हुए महत्वपूर्ण है।
- वे **मतदान अधिकारियों को प्रशासनिक सुविधा प्रदान करते हैं** , जिससे मतदान और मतगणना प्रक्रिया तेज और अधिक सटीक हो जाती है।
- **ईवीएम और वीवीपैट प्रक्रियाओं की अखंडता सुनिश्चित करने के लिए तंत्र मौजूद हैं, जिनमें बूथों को ईवीएम का यादृच्छिक आवंटन, वास्तविक मतदान से पहले मॉक पोल आयोजित करना, और मतगणना के दौरान सत्यापन के लिए उम्मीदवारों के एजेंटों के साथ ईवीएम सीरियल नंबर और कुल डाले गए मतों को साझा करना शामिल है।**
- इन लाभों के बावजूद, ई.वी.एम. के बारे में संदेह व्यक्त किया जाता रहा है, मुख्यतः **इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होने के कारण उन्हें हैक किये जाने की सम्भावना के संबंध में।**
- **भारतीय निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने स्पष्ट किया है कि ईवीएम एक स्वतंत्र उपकरण है, जिसमें कोई बाहरी कनेक्टिविटी नहीं है, जिससे वे बाहरी हैकिंग से सुरक्षित हैं** ।
- हालांकि, **ईवीएम की गणना और वीवीपैट पर्चियों के मिलान के लिए नमूना आकार के बारे में चिंता बनी हुई है** , जो वैज्ञानिक रूप से पर्याप्त नहीं हो सकता है और मतगणना के दौरान दोषपूर्ण ईवीएम का पता लगाने में विफल हो सकता है।
- वर्तमान प्रक्रिया में **बूथ-वार मतदान व्यवहार की पहचान करने की भी अनुमति है, जिससे विभिन्न दलों द्वारा प्रोफाइलिंग और धमकी दी जा सकती है।**

वीवीपैट :

- **वीवीपीएटी प्रणाली:** चुनावों में पारदर्शिता और मतदाताओं का विश्वास बढ़ाने के लिए भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) के साथ प्रयोग की जाने वाली एक अतिरिक्त प्रणाली।
- **उद्देश्य:** एक मुद्रित कागज की पर्ची उपलब्ध कराना, जिस पर मतदाता द्वारा ईवीएम पर चुने गए उम्मीदवार का नाम और चुनाव चिन्ह प्रदर्शित होता है।

वीवीपैट कैसे काम करता है?

- **मतदाता ईवीएम पर वोट डालता है:** मतदाता अपना वोट डालने के लिए हमेशा की तरह ईवीएम का उपयोग करता है।
- **वी.वी.पी.ए.टी. पर्ची तैयार करना:** वी.वी.पी.ए.टी. मशीन मतदाता की पसंद (पार्टी का चुनाव चिह्न, उम्मीदवार का नाम) दर्शाने वाली एक मुद्रित पर्ची तैयार करती है।
- **मतदाता को दिखाई देने योग्य:** पर्ची एक पारदर्शी, सीलबंद खिड़की में 7 सेकंड के लिए प्रदर्शित होती है, उसके बाद यह स्वचालित रूप से एक सीलबंद कंटेनर में गिर जाती है।
- **सत्यापन के लिए पेपर ट्रेल:** ये वीवीपीएटी पर्चियां एक भौतिक कागजी रिकॉर्ड के रूप में काम करती हैं, जिनका उपयोग विवादों के मामले में ऑडिटिंग या मैन्युअल गिनती के लिए किया जा सकता है।

वीवीपैट के लाभ

- **पारदर्शिता:** मतदाताओं को आश्वस्त करता है कि उनका वोट ईवीएम द्वारा सही ढंग से दर्ज किया गया है।
- **विवाद समाधान:** संभावित विसंगतियों को पुनः गणना करने या हल करने के लिए एक भौतिक कागजी रिकॉर्ड प्रदान करता है।
- **विश्वास में वृद्धि:** चुनाव प्रक्रिया में जनता का विश्वास मजबूत होता है।

कार्यान्वयन

- **चरणबद्ध परिचय:** भारत ने वी.वी.पी.ए.टी. को चरणबद्ध तरीके से लागू किया, जिसकी शुरुआत 2013 में छोटे पैमाने पर हुई।
- **राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन:** 2019 से, संसदीय और राज्य चुनावों के दौरान पूरे भारत में सभी मतदान केंद्रों पर वीवीपीएटी का उपयोग किया जाता है।

अंतर्राष्ट्रीय प्रथाएं क्या हैं?

- **इंग्लैंड, फ्रांस, नीदरलैंड और अमेरिका** सहित कई पश्चिमी लोकतंत्रों ने अपने राष्ट्रीय या संघीय चुनावों के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के बजाय कागजी मतपत्रों का विकल्प चुना है।
- **जर्मनी जैसे कुछ देशों ने चुनावों में ईवीएम के उपयोग को असंवैधानिक घोषित कर दिया है, जैसा कि 2009 में हुआ था।**
- ब्राज़ील ऐसे देश का उदाहरण है जो अपने चुनावों में ईवीएम का उपयोग जारी रखता है।
- भारत के पड़ोसियों में पाकिस्तान भी अपने चुनावों में ईवीएम का उपयोग नहीं करता है।
- बांग्लादेश ने 2018 में कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में ईवीएम का प्रयोग किया था, लेकिन 2024 के आम चुनावों के लिए वह पुनः मतपत्रों का प्रयोग करने लगा।

ईवीएम के उपयोग को लेकर विवाद:

- ई.वी.एम. के आगमन के साथ डिजिटलीकरण ने आदिम कागजी मतपत्र प्रणालियों और परिणामों के लिए लम्बी प्रतीक्षा से चुनाव संचालन के लिए अधिक विश्वसनीय, सुरक्षित और संरक्षित माध्यम की ओर संक्रमण को चिह्नित किया।
- हालांकि, प्रौद्योगिकी और परिवर्तन की अपनी चुनौतियां हैं और राजनीतिक दलों और लोगों के कुछ वर्ग हैं जो ईवीएम की प्रामाणिकता को चुनौती देते हैं और इस पर हमेशा बहस चलती रहती है।'
- कुछ राजनीतिक दलों का आरोप है कि चुनाव से पहले ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की गई थी और वे मतदान के लिए मतपत्र प्रणाली को पुनः लागू करने की मांग कर रहे हैं।
- 2009 में, जब कांग्रेस पार्टी चुनावों में अच्छा प्रदर्शन कर रही थी, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के दिग्गज नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने अपनी पार्टी की चुनावी हार के बाद मशीनों की विश्वसनीयता पर चिंता व्यक्त की थी।
- कांग्रेस ने ईवीएम के दुरुपयोग को लेकर "राजनीतिक दलों और लोगों के बीच आशंकाओं" के बारे में बात की और चुनाव आयोग से आग्रह किया कि वह "मतपत्रों का उपयोग करने की पुरानी प्रथा को वापस शुरू करे जैसा कि अधिकांश प्रमुख लोकतंत्रों ने किया है।" आम आदमी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने इस कदम का समर्थन किया।
- नवंबर 2020 में उत्तर प्रदेश के नगर निकाय चुनावों के दौरान ईवीएम की विश्वसनीयता एक बार फिर जांच के दायरे में आ गई, जब ऐसी खबरें आईं कि कई वोटिंग मशीनें, चाहे कोई भी बटन दबाया जाए, केवल भाजपा के लिए ही वोट दर्ज कर रही थीं।

हालिया विवाद:

- सर्वोच्च न्यायालय ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) में लगे माइक्रोकंट्रोलर्स पर चर्चा की और उन्हें **"अज्ञेयवादी" बताया, क्योंकि वे राजनीतिक दलों या उम्मीदवारों को नहीं पहचानते** ।
- दो न्यायाधीशों वाली पीठ का नेतृत्व कर रहे न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने इस बात पर प्रकाश डाला कि **माइक्रोकंट्रोलर केवल मतदाताओं द्वारा मतपत्र इकाइयों पर दबाए गए बटनों की पहचान करते हैं, न कि उनसे जुड़े दलों या उम्मीदवारों की।**
- बटनों की अदला-बदली क्षमता पर ध्यान दिया गया, जिसका अर्थ है कि एक निर्वाचन क्षेत्र में एक बटन को सौंपा गया एक दल दूसरे निर्वाचन क्षेत्र में एक अलग बटन को सौंपा जा सकता है, प्रोग्रामिंग निर्माता स्तर पर की जा रही है।
- यह मामला उन याचिकाओं में उठाई गई चिंताओं को संबोधित करता है जिनमें दावा किया गया था कि **ईवीएम प्रणाली में पारदर्शिता की कमी है और इसमें धांधली की आशंका है।**
- अदालत ने दृढ़ता से कहा कि ईवीएम स्रोत कोड का खुलासा करने से दुरुपयोग हो सकता है और अखंडता से समझौता हो सकता है, इस बात पर जोर देते हुए कि इस तरह की कार्रवाई से महत्वपूर्ण समस्याएं पैदा होंगी।
- **न्यायमूर्ति खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता ने 18 अप्रैल को फैसला सुरक्षित रख लिया था,** लेकिन चुनाव आयोग (ईसी) के लिए अतिरिक्त प्रश्नों के साथ पुनः सुनवाई शुरू की, विशेष रूप से ईवीएम **और वीवीपीएटी (वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल) की सुरक्षा और कार्यक्षमता के संबंध में।**
- उप चुनाव आयुक्त नितेश कुमार व्यास उठाए गए विशिष्ट प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अदालत के समक्ष उपस्थित हुए, जिनकी संख्या पांच थी।
- यह घटनाक्रम 26 अप्रैल को होने वाले लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की तैयारियों के बीच हुआ।
- श्री व्यास ने पहले प्रश्न का उत्तर देते हुए बताया कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) की सभी तीन इकाइयों - **बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल्स (वीवीपीएटी) - में अपने स्वयं के माइक्रोप्रोसेसर होते हैं।**

- यह पूछे जाने पर कि क्या ये माइक्रोकंट्रोलर पुन: प्रोग्राम करने योग्य थे, श्री व्यास ने कहा कि वे **विनिर्माण के दौरान "एक बार प्रोग्राम करने योग्य" थे, यह दर्शाता है कि उन्हें बाद में बदला नहीं जा सकता था या भौतिक रूप से एक्सेस नहीं किया जा सकता था।**
- याचिकाकर्ता एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ताओं, अर्थात् प्रशांत भूषण, चेरिल डिसूजा और नेहा राठी ने माइक्रोप्रोसेसरों की गैर-रिप्रोग्राम क्षमता के बारे में चुनाव आयोग के दावे के बारे में संदेह व्यक्त किया।
- उन्होंने दावे का विरोध करते हुए सुझाव दिया कि चुनाव आयोग का बयान इस संदर्भ में संदिग्ध था कि क्या चुनाव आयोग के दावों के बावजूद माइक्रोप्रोसेसरों को वास्तव में पुन: प्रोग्राम किया जा सकता है या एक्सेस किया जा सकता है।

आगे का रास्ता क्या हो सकता है?

- पारदर्शी लोकतंत्र में नागरिकों को चुनाव प्रक्रिया को आसानी से समझने और सत्यापित करने में सक्षम होना चाहिए।
- वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी) के उपयोग से मतदाता यह सत्यापित कर सकते हैं कि उनके वोट सही ढंग से दर्ज किए गए हैं।
- हालाँकि, यह सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त कदम उठाने की आवश्यकता है कि वोटों की गिनती भी सही ढंग से की जाए।
- **प्रत्येक ईवीएम की गणना को वीवीपैट पर्चियों से मिलान करने** के स्थान पर , जो कि अव्यावहारिक होगा, मिलान के लिए नमूना आकार निर्धारित करने हेतु एक वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग किया जाना चाहिए।
- इस **नमूने का आकार** प्रत्येक राज्य को बड़े क्षेत्रों में विभाजित करके निर्धारित किया जा सकता है।
- **यदि किसी क्षेत्र में एक भी त्रुटि पाई जाती है, तो परिणाम निर्धारित करने के लिए उस क्षेत्र की सभी वीवीपैट पर्चियों की पूरी तरह से गणना की जानी चाहिए।**
- **मतदान केन्द्रों पर "टोटलाइजर" मशीनों का उपयोग करने से, उम्मीदवारों के आधार पर मतों की संख्या का खुलासा करने से पहले, कई ई.वी.एम. से मतों को एकत्रित किया जा सकता है, जिससे मतदाताओं की गोपनीयता को और अधिक सुरक्षित किया जा सकता है।**

1.2 जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अनुसार संपत्ति का प्रकटीकरण:

चर्चा में क्यों?

- हाल के घटनाक्रमों ने चुनाव कानून में उम्मीदवारों के लिए प्रकटीकरण मानदंडों पर प्रकाश डाला है।
- **तिरुवनंतपुरम लोकसभा क्षेत्र** के भाजपा उम्मीदवार राजीव चंद्रशेखर से जुड़ी है , जो कथित तौर पर अनिवार्य हलफनामे में अपनी समस्त संपत्ति की जानकारी देने में विफल रहे।
- एक अन्य घटना में **सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी (*लोक प्रहरी बनाम भारत संघ एवं अन्य* मामले, 2015) शामिल है कि उम्मीदवारों को गोपनीयता का अधिकार है और उन्हें हर छोटी-छोटी जानकारी का खुलासा करने की आवश्यकता नहीं है।**

प्रकटीकरण से संबंधित कानून क्या है?

- 2002 में, सर्वोच्च न्यायालय के एक ऐतिहासिक फैसले **(एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) बनाम भारत संघ (यूओआई)" (2002) में)** ने यह अनिवार्य कर दिया कि भावी उम्मीदवार

अपने आपराधिक इतिहास, शैक्षिक योग्यता और अपने जीवनसाथी तथा आश्रितों सहित परिसंपत्तियों और देनदारियों का खुलासा करें।

- भारतीय निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने इस निर्णय को लागू करने के लिए जून 2002 में नियम जारी किये।
- हालाँकि, केंद्र सरकार ने **अगस्त 2002 में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में संशोधन करने वाले एक अध्यादेश के माध्यम से इन खुलासों को सीमित करने का प्रयास किया।**
- इस संशोधन द्वारा **धारा 33ए (लंबित आपराधिक मामलों के प्रकटीकरण से संबंधित), धारा 33बी (जो अधिनियम में निर्धारित से अधिक प्रकटीकरण को निरस्त कर देती है) तथा धारा 125ए (प्रकटीकरण में विफलता या गलत प्रकटीकरण के लिए दंड लगाना) को शामिल किया गया।**
- अध्यादेश और उसके बाद के संशोधन को अदालत में चुनौती दी गई।
- **13 मार्च 2003 को सर्वोच्च न्यायालय ने धारा 33बी को निरस्त कर दिया तथा सम्पत्तियों, देनदारियों और शैक्षिक योग्यताओं के लिए प्रकटीकरण आवश्यकताओं को पुनः लागू कर दिया।**
- ईसीआई ने न्यायालय के निर्णय के आधार पर संशोधित निर्देश और प्रकटीकरण प्रारूप जारी किए।

किसी भी चूक के परिणाम क्या होंगे?

- **जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 125ए में** उन उम्मीदवारों के लिए दंड का प्रावधान है जो अपेक्षित जानकारी देने में विफल रहते हैं या गलत जानकारी देते हैं या प्रासंगिक विवरण छिपाते हैं।
- दंड **में छह महीने की जेल, जुर्माना या दोनों शामिल हैं** ।
- विफलता या गलत जानकारी प्रदान करने पर किसी उम्मीदवार के चुनाव को उच्च न्यायालय में **कानूनी चुनौती भी दी जा सकती है ।**
- ऐसी चुनौतियों से संबंधित दो आधार **अधिनियम की धारा 100 में उल्लिखित हैं** ।
- यदि **"किसी नामांकन की अनुचित स्वीकृति"** या " **संविधान या इस अधिनियम के प्रावधानों या इस अधिनियम के तहत बनाए गए किसी भी नियम या आदेश का अनुपालन न किया गया हो तो** चुनाव को **शून्य घोषित किया जा सकता है** ।"
- असफल उम्मीदवार छुपाने या गलत जानकारी के आधार पर विजयी उम्मीदवार के नामांकन की स्वीकृति का विरोध कर सकते हैं और वैधानिक प्रकटीकरण आवश्यकताओं के संभावित उल्लंघन के बारे में चिंता जता सकते हैं।

नवीनतम अदालती फैसला क्या है?

- **करिखो क्री ने** 2019 में एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में अरुणाचल प्रदेश विधानसभा में एक सीट जीती।
- उनका चुनाव कांग्रेस उम्मीदवार नुने तायांग ने लड़ा था।
- तयांग ने दावा किया कि क्रि ने अपनी चल संपत्तियों, विशेषकर अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर पंजीकृत वाहनों का पूर्ण विवरण नहीं दिया है।
- **नुने तैयांग बनाम करिखो क्रि" (2019) मामले** में , असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय ने क्रि के चुनाव को शून्य घोषित करते हुए तैयांग के पक्ष में फैसला सुनाया।
- **सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के निर्णय को पलटते हुए कहा कि संपत्ति का खुलासा न करने से चुनाव परिणाम पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा।**
- यह पाया गया कि संबंधित वाहन चुनाव से पहले बेचे गए थे या उपहार में दिए गए थे, तथा क्री पर सरकारी आवास से संबंधित कोई बकाया नहीं था।
- क्रि ने पिछला चुनाव लड़ते समय 2014 में "नो ड्यूज़" प्रमाणपत्र प्रदान किया था, और 2019 की नामांकन प्रक्रिया के दौरान भी इसी तरह का प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया गया था।

फैसले से क्या निष्कर्ष निकला?

- **सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उम्मीदवारों को मतदाताओं को अपने जीवन के हर विवरण का खुलासा करने की आवश्यकता नहीं है।**
- **इसमें जोर दिया गया कि उम्मीदवारों को केवल महत्वपूर्ण चल संपत्ति या वस्तुओं का खुलासा करने की आवश्यकता है जो उनकी जीवनशैली को दर्शाती हैं और मतदाताओं के लिए रुचिकर हो सकती हैं।**
- **हालाँकि, अदालत ने स्पष्ट किया कि पर्याप्त चूक के लिए कोई निश्चित नियम नहीं है, और यह प्रत्येक मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करता है।**
- निर्णय में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि मतदाता के जानने के अधिकार की सीमाएँ हैं और यह उम्मीदवार के जीवन के हर छोटे विवरण तक विस्तारित नहीं होता है।

1.3. भारत में डाक मतपत्र प्रणाली:

- **पात्रता** : कुछ श्रेणियों के मतदाता डाक मतपत्रों के माध्यम से अपना वोट डालने के पात्र हैं। इनमें सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य पुलिस कर्मियों के सदस्य शामिल हैं जो चुनाव के दौरान अपने निर्वाचन क्षेत्रों से बाहर तैनात होते हैं। इसके अतिरिक्त, 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता, विकलांग व्यक्ति और आवश्यक सेवाओं में कार्यरत लोग भी डाक मतपत्रों के लिए पात्र हो सकते हैं।
- **डाक मतपत्र के लिए अनुरोध करना** : डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान करने के इच्छुक पात्र मतदाताओं को संबंधित चुनाव अधिकारियों को इसके लिए आवेदन करना होगा। आवेदन प्रक्रिया में आमतौर पर पात्रता साबित करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों के साथ एक अनुरोध फ़ॉर्म जमा करना शामिल है।
- **मतपत्रों का प्रेषण और प्राप्ति** : एक बार डाक मतपत्र के लिए आवेदन स्वीकृत हो जाने के बाद, चुनाव अधिकारी मतपत्रों को मतदाता के पंजीकृत पते पर भेज देते हैं। मतदाता को मतपत्र दिए गए पते पर डाक द्वारा प्राप्त होता है।
- **मतपत्रों को चिह्नित करना और वापस करना** : डाक मतपत्र प्राप्त होने पर, मतदाता दिए गए मतदान निर्देशों के अनुसार मतपत्रों पर अपनी पसंद को चिह्नित करते हैं। चिह्नित मतपत्रों को दिए गए लिफाफे में सील कर दिया जाता है और निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर मेल द्वारा चुनाव अधिकारियों को वापस कर दिया जाता है।
- **सत्यापन और गिनती** : चुनाव अधिकारी लौटाए गए डाक मतपत्रों की वैधता की पुष्टि करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे निर्धारित प्रक्रियाओं और समय सीमा का अनुपालन करते हैं। डाक मतपत्रों की गिनती आम तौर पर चुनाव के दिन व्यक्तिगत रूप से डाले गए वोटों की गिनती के साथ-साथ होती है।
- **सुरक्षा उपाय** : भारत में डाक मतपत्र प्रणाली की सुरक्षा के लिए कई सुरक्षा उपाय किए गए हैं। इनमें मतदाता की पहचान का सत्यापन, मतपत्रों का प्रमाणीकरण और छेड़छाड़ या धोखाधड़ी को रोकने के लिए वापस किए गए मतपत्रों की सुरक्षित हैंडलिंग शामिल हो सकती है।
- **कानून और विनियमन** : भारत में डाक मतपत्र प्रणाली जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और चुनाव संचालन नियम, 1961 के प्रावधानों द्वारा शासित है। ये कानून डाक मतदान से संबंधित पात्रता मानदंड, आवेदन प्रक्रिया, समय सीमा और सुरक्षा प्रोटोकॉल की रूपरेखा तैयार करते हैं

1.4. चुनावी बांड:

चर्चा में क्यों?

- सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय स्टेट बैंक को राजनीतिक दलों को चुनावी बांड के माध्यम से दिए गए दान की जानकारी बताने के लिए बाध्य किया था।

Patriotic IAS

- द हिंदू सहित जांच परिणामों से पता चला कि **2016-17 से 2022-23 तक कुल घाटे में ₹1 लाख करोड़ से अधिक वाली 33 कंपनियों ने ₹582 करोड़ के करीब दान दिया, जिसमें से 75% सत्तारूढ़ भाजपा को दिया गया।**
- **चिंताएँ उत्पन्न होती हैं क्योंकि घाटे में चल रही कंपनियों ने महत्वपूर्ण रकम दान की** , लाभ कमाने वाली कंपनियों ने दान में अपने कुल मुनाफे को पार कर लिया, और कुछ दाता कंपनियों ने शुद्ध लाभ या प्रत्यक्ष करों पर डेटा की रिपोर्ट नहीं की ।
- **नई निगमित फर्मों ने निर्धारित तीन साल की अवधि से पहले दान दिया, जिससे नियम तोड़ने और संदिग्ध फंडिंग स्रोतों का संदेह पैदा हुआ।**
- इस बारे में प्रश्न बने हुए हैं कि क्या घाटे में चल रही ये कंपनियाँ **मनी लॉन्ड्रिंग का मुखौटा थीं, क्या लाभ/नुकसान की रिपोर्ट नहीं करने वाली कंपनियाँ शेल कंपनियाँ थीं, और क्या लाभदायक दाता फर्मों ने करों की चोरी की थी।**
- **भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय चुनाव आयोग के अधिकारियों ने मनी लॉन्ड्रिंग और कर चोरी के लिए इस्तेमाल की जाने वाली बांड योजना के बारे में चिंता व्यक्त की, जिसके बावजूद केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने इसे आगे बढ़ाया।**
- साढ़े पांच वर्षों में, राजनीतिक दलों ने चुनावी बांड के माध्यम से हजारों करोड़ रुपये नकद कमाए, जिसमें भाजपा को बहुमत मिला।
- जबकि अपारदर्शी योजना को समाप्त करने का सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय सराहनीय है, प्रत्येक चुनाव से पहले संदिग्ध स्रोतों से महत्वपूर्ण दान अभियान वित्तपोषण के मुद्दों को उजागर करते हैं।
- **संसद और नियामक संस्थानों के लिए चुनाव के बाद दाताओं और प्राप्तकर्ताओं द्वारा दान और संभावित कानून-तोड़ने की गहन जांच करना महत्वपूर्ण है।**
- न्यायपालिका **को इन संस्थानों से कार्रवाई करने का आग्रह करना चाहिए, और स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अभियान और चुनावी वित्तपोषण की सफाई आवश्यक है।**

Money Laundering

- Money laundering is the process of concealing the illegal origins of money (profits from crime, corruption, etc.) and making it appear as though it came from legitimate sources.
- It involves a series of transactions to disguise the money trail and obscure its true ownership.

Key Stages of Money Laundering:

1. **Placement:** Illicit money is introduced into the financial system (e.g., deposited into a bank account or used to purchase assets).
2. **Layering:** The funds are moved through complex transactions (often across borders) to distance them from their illegal origins. This can involve multiple accounts, shell companies, and financial instruments.
3. **Integration:** The laundered funds are re-introduced into the legitimate economy, appearing as though they came from a legal source (e.g., invested in real estate or businesses).

चुनावी बांड क्या हैं?

- चुनावी बांड वचन पत्र की तरह धन उपकरण हैं, जिन्हें भारत में कंपनियों और व्यक्तियों द्वारा भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) से खरीदा जा सकता है और एक राजनीतिक दल को दान दिया जा सकता है, जो बाद में इन बांडों को भुना सकता है।
- **पात्रता: केवल जन प्रतिनिधित्व अधिनियम (आरपीए, 1951)** की धारा 29 ए के तहत पंजीकृत राजनीतिक दल जिन्होंने लोकसभा या

राज्य विधान सभा के पिछले आम चुनाव में कम से कम 1% वोट हासिल किए थे, वे चुनावी वोट पाने के पात्र हैं। बांड.

नाम भर की कंपनियां

- शेल कंपनियां निगम या अन्य व्यावसायिक संस्थाएं हैं जो कागज पर मौजूद हैं लेकिन उनके पास कोई वास्तविक कार्यालय स्थान, महत्वपूर्ण संपत्ति या सक्रिय व्यवसाय संचालन नहीं है।
- इन्हें प्रायः गुप्त क्षेत्राधिकारों में ढीले नियमों और निरीक्षण के साथ बनाया जाता है।

शेल कंपनियां कैसे मनी लॉन्ड्रिंग को बढ़ावा देती हैं

- **स्वामित्व को छिपाना:** मुखौटा कंपनियां अवैध धन के वास्तविक मालिकों (लाभकारी मालिकों) की पहचान छिपाती हैं।
- **लेनदेन को छिपाना:** इनका उपयोग लेनदेन का एक जटिल जाल बनाने के लिए किया जाता है, जिससे धन के स्रोत का पता लगाना मुश्किल हो जाता है।
- **अंतर्राष्ट्रीय स्थानान्तरण:** विभिन्न देशों की फर्जी कम्पनियां सीमाओं के पार धन का स्थानांतरण कर सकती हैं, जिससे उसका पता लगाना और भी कठिन हो जाता है।

2. न्यायपालिका:

2.1 उपचारात्मक याचिका:

- **चर्चा में क्यों?** - सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थ न्यायाधिकरण के उस फैसले को पलट दिया, जिसके तहत दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) को दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड को ₹7,687 करोड़ का भुगतान करना था। इस फैसले को DMRC ने क्यूरेटिव पिटीशन के ज़रिए चुनौती दी थी।
- तीन न्यायाधीशों वाली पीठ का नेतृत्व कर रहे मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा कि डीएमआरसी को 2017 के मध्यस्थता पुरस्कार से "न्याय की गंभीर विफलता" का सामना करना पड़ा है।
- सर्वोच्च न्यायालय ने अपने स्वयं के 2021 के फैसले को भी पलट दिया, जिसमें दिल्ली उच्च न्यायालय की खंडपीठ से असहमति जताते हुए मध्यस्थता पुरस्कार को बरकरार रखा गया था।
- मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने 2021 में अदालत के हस्तक्षेप की आलोचना करते हुए कहा कि इसने एक अवैध पुरस्कार को बहाल कर दिया, जिससे एक सार्वजनिक उपयोगिता पर अत्यधिक दायित्व का बोझ पड़ गया।
- डीएमआरसी के तर्क में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि न्यायाधिकरण ने समझौते की समाप्ति का आकलन करते समय आयुक्त मेट्रो रेल सुरक्षा (सीएमआरएस) प्रमाणन से महत्वपूर्ण सबूतों की उपेक्षा की।
- पीठ ने पिछले निर्णयों में सीएमआरएस प्रमाणपत्र की प्रासंगिकता की गलत व्याख्या को ध्यान में रखते हुए डीएमआरसी के रुख से सहमति व्यक्त की।
- नतीजतन, सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थ पुरस्कार को लागू करने के लिए निष्पादन कार्यवाही को रोकने का आदेश दिया और 2021 के फैसले के बाद डीएमआरसी द्वारा जमा की गई किसी भी राशि की वापसी को अनिवार्य कर दिया।

क्यूरेटिव पिटीशन क्या है?

- भारतीय संविधान के किसी भी विशिष्ट अनुच्छेद में उपचारात्मक याचिका की अवधारणा का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है। इसके बजाय, इसे भारतीय न्यायपालिका द्वारा न्यायिक घोषणाओं के माध्यम से स्थापित किया गया है, विशेषकर भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा।
- सुप्रीम कोर्ट ने **रूपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा एवं अन्य (2002) के ऐतिहासिक मामले में उपचारात्मक याचिका की अवधारणा को मान्यता दी।**
- यह न्याय में भारी गड़बड़ी को ठीक करने या प्राकृतिक न्याय के मूल सिद्धांत को संबोधित करने के लिए उपलब्ध एक असाधारण कानूनी उपाय है।

- उपचारात्मक याचिका का कानूनी आधार मुख्य रूप से भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 142 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों में निहित है** , जो अदालत को ऐसे आदेश पारित करने का अधिकार देता है जो उसके समक्ष लंबित किसी भी कारण या मामले में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक हो सकते हैं।

समीक्षा याचिका :	**उपचारात्मक याचिका** :
• **लेख सम्बंधित:** भारत के संविधान का **अनुच्छेद 137 .** • **भारत के सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के** फैसले या आदेश से पीड़ित पक्षों के लिए उपलब्ध एक कानूनी उपाय है । • समीक्षा याचिका का उद्देश्य **नए और महत्वपूर्ण सबूतों की खोज** या रिकॉर्ड पर स्पष्ट त्रुटि के आधार पर अदालत द्वारा पारित अंतिम निर्णय या आदेश की **पुन: जांच की मांग करना है।** • समीक्षा याचिका **केवल मूल मामले के पक्षकारों द्वारा ही दायर की जा सकती है** , और यह कानून या तथ्य की त्रुटि, न्याय की विफलता, या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन जैसे आधारों पर आधारित होनी चाहिए। • समीक्षा याचिका की **सुनवाई आम तौर पर न्यायाधीशों की उसी पीठ द्वारा की जाती है** जिसने मूल निर्णय दिया था, **और अदालत के लिए यह विवेकाधीन है कि वह याचिका की योग्यता पर विचार करने के बाद उसे स्वीकार या अस्वीकार कर दे।**	• **संबंधित अनुच्छेद:** संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन उपचारात्मक याचिका की अवधारणा सुप्रीम कोर्ट द्वारा **रूपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा और अन्य (2002) के मामले में विकसित की गई थी।** • सुधारात्मक याचिका **असाधारण मामलों में न्याय की भारी गड़बड़ी को दूर करने** और न्यायिक प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए उपलब्ध एक कानूनी उपाय है। • समीक्षा याचिका के विपरीत, सुधारात्मक **याचिका समीक्षा याचिका के खारिज होने के बाद दायर की जा सकती है,** और यह मौलिक अधिकारों या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन के परिणामस्वरूप हुई स्पष्ट त्रुटि को सुधारने के लिए उपलब्ध अंतिम उपाय है। • सुधारात्मक याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय के **तीन वरिष्ठतम न्यायाधीशों की पीठ द्वारा सुनवाई की जाती है** , साथ ही मूल निर्णय देने वाले न्यायाधीश भी इसमें शामिल होते हैं। • याचिकाकर्ता को यह प्रदर्शित करना होगा कि मामला **संवैधानिक महत्व के मुद्दे उठाता है तथा** अंतिम निर्णय तक पहुंचने वाली कार्यवाही में **प्राकृतिक न्याय की विफलता** हुई । • न्यायालय **के पास उपचारात्मक याचिका को स्वीकार करने या अस्वीकार करने का विवेकाधिकार है** , और यदि स्वीकार किया जाता है, तो वह न्याय की गंभीर हानि को रोकने के लिए फैसले की समीक्षा कर सकता है।

2.2 भारतीय न्याय संहिता के इन अनुभागों को दोबारा देखें:

घातक दुर्घटना, छोटे संगठित अपराध, चोरी और मानव तस्करी की रिपोर्टिंग संबंधी धाराओं में खामियां हैं

- नए आपराधिक कानून **1 जुलाई, 2024 से प्रभावी** ।
- **बीएनएस की धारा 106(2) , जिसमें घातक दुर्घटनाओं की रिपोर्ट न करने पर 10 साल की कैद शामिल है** , फिलहाल रोक दी गई है।
- गृह मंत्रालय (एमएचए) ने ट्रक ड्राइवरों के विरोध के कारण कार्यान्वयन रोक दिया।
- धारा 106(2) पर निर्णय लेने से पहले गृह मंत्रालय ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से परामर्श करेगा।
- समीक्षाधीन अन्य **बीएनएस प्रावधान :**
  - "छोटा संगठित अपराध" (धारा 112)।
  - "चोरी" (धारा 303(2))।

- मानव तस्करी (धारा 143)।

घातक दुर्घटना, छोटे अपराध की रिपोर्टिंग

- **धारा 106(2) पर पुनर्विचार:**
  - **दुर्घटना की सूचना दिए बिना भागने पर कारावास की सजा 5 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष करना** अनुचित प्रतीत होता है।
  - कोई भी अन्य कानून इस अपराध के लिए इतनी कठोर सजा नहीं देता।
  - **यह घायल पीड़ितों की सहायता को प्राथमिकता नहीं देता है; यह केवल मृत्यु का कारण बनने वाली दुर्घटनाओं पर लागू होता है।**
  - संभावित लाभ: यदि वाहन का विवरण ज्ञात हो तो मोटर दुर्घटना दावों में मदद मिलती है।
  - **यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20(3) के साथ टकराव पैदा कर सकता है, जो आत्म-दोषी ठहराए जाने से सुरक्षा प्रदान करता है।**
- **नंदिनी सत्पथी बनाम पीएल दानी मामले** में सर्वोच्च न्यायालय की व्याख्या से पता चलता है कि मजबूरी में दी गई गवाही केवल शारीरिक धमकियों या हिंसा से प्राप्त साक्ष्य से परे है, बल्कि मानसिक यातना, दबंगई और धमकाने वाले तरीकों और इसी तरह के अन्य तरीकों से भी प्राप्त साक्ष्य है।
- **छोटे संगठित अपराध "** का परिचय :
  - **बीएनएस की धारा 112** में नया अपराध ।
  - इसमें किसी समूह या गिरोह के हिस्से के रूप में विभिन्न अपराध करना शामिल है।
  - अपराधों में चोरी, छीनाझपटी, धोखाधड़ी, टिकटों की अनाधिकृत बिक्री, जुआ, सार्वजनिक परीक्षा के प्रश्नपत्र बेचना या इसी तरह के अन्य कृत्य शामिल हैं।
  - इसका उद्देश्य समूह गतिविधियों को शामिल करने के लिए कानूनी कवरेज का विस्तार करके संगठित अपराध को संबोधित करना है।
- जैसे अपराध **बीएनएस में परिभाषित नहीं हैं और किसी विशेष अधिनियम से जुड़े नहीं हैं।**
- वाक्यांश **'कोई अन्य समान आपराधिक कृत्य' अस्पष्ट और खुला है** , जिससे व्याख्या अनिश्चित हो गई है।
- चोरी और स्नैचिंग के लिए तीन साल तक की कैद हो सकती है (बीएनएस की धारा 303), जबकि किसी घर या परिवहन के साधन में चोरी के लिए सात साल तक की सजा हो सकती है (बीएनएस की धारा 305)।
- नुकसान पहुंचाने की तैयारी के बाद चोरी करने पर 10 साल तक की कैद हो सकती है (बीएनएस की धारा 307)।
- धोखाधड़ी के लिए तीन से सात साल तक की कैद हो सकती है (बीएनएस की धारा 318)।
- **'किसी भी अन्य समान आपराधिक कृत्यों' की सीमा अनिर्दिष्ट है, जिसमें संभावित रूप से आपराधिक विश्वासघात, संपत्ति का दुरुपयोग, या चोरी की संपत्ति प्राप्त करना जैसे अपराध शामिल हैं।**
- **हालाँकि, इन अपराधों के लिए सज़ा दो से 10 साल तक होती है, जिससे यह स्पष्ट नहीं होता है कि 'छोटे संगठित अपराध' के अंतर्गत क्या आता है, जिसमें अधिकतम सात साल की सज़ा है।**
- विशिष्ट अधिकतम सजा के बिना, यह प्रावधान सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66ए के समान, सुप्रीम कोर्ट की जांच का सामना नहीं कर सकता है, **जिसे सुप्रीम कोर्ट ने श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ (2015) में खारिज कर दिया था क्योंकि यह पाया गया था अभिव्यक्ति "अत्यधिक आक्रामक " का प्रयोग अनुभाग में खुला, स्पष्ट और अस्पष्ट होने के लिए किया गया है ।**

संपत्ति की चोरी, एक विशिष्ट मूल्य

- चोरी का अपराध, जैसा कि **बीएनएस की धारा 303 की उप-धारा (2) के प्रावधान में बताया गया है** , पर पुनर्विचार की आवश्यकता है।
- प्रावधान के अनुसार, यदि चोरी की गई संपत्ति का मूल्य पांच हजार रुपये से कम है और यह व्यक्ति की पहली सजा है, तो चोरी की संपत्ति वापस करने या बहाल करने पर उन्हें सामुदायिक सेवा से दंडित किया जाएगा।
- इस अपराध को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की पहली अनुसूची में गैर-संज्ञेय अपराध के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की पहली अनुसूची इस श्रेणी के तहत अपराध को गैर-संज्ञेय अपराध के रूप में वर्गीकृत करती है ।
- ₹5,000 से कम मूल्य की संपत्ति की चोरी को गैर-संज्ञेय अपराध बनाने से पुलिस का कार्यभार कम हो सकता है लेकिन इससे कानूनी और व्यावहारिक चिंताएँ पैदा होती हैं।
- हालाँकि ₹5,000 का अमीर व्यक्तियों पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन कम आय वालों के लिए यह महत्वपूर्ण है; चोरी हुई साइकिल हो सकती है बड़ा नुकसान
- उदाहरण के लिए, किसी छात्र की चोरी हुई साइकिल अज्ञात होने पर पुलिस कार्रवाई नहीं कर सकती, जिससे वे असहाय महसूस करेंगे।
- शिक्षा का समर्थन करने के लिए सरकारों द्वारा अक्सर छात्रों को साइकिलें प्रदान की जाती हैं, जिससे ऐसी चोरी प्रभावशाली हो जाती है।
- ₹5,000 से कम के संपत्ति अपराधों को दर्ज न करने से अपराधियों को पुलिस निगरानी से तब तक हटाया जा सकता है जब तक वे कोई दूसरा अपराध नहीं करते।
- यदि चोरी की गई संपत्ति को अन्य चोरी के सामान के साथ बरामद किया जाता है तो उसे वापस करने के संबंध में कानूनी मुद्दे उत्पन्न हो सकते हैं।
- यदि ₹5,000 से कम की चुराई गई संपत्ति दोषी द्वारा वापस नहीं की जाती है, तो अदालत के पास तीन साल तक की कैद ही एकमात्र विकल्प हो सकता है।
- यह उच्च-मूल्य की चोरी के विपरीत है, जिसे संज्ञेय अपराध के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जहां वैकल्पिक दंड संभव है।
- परिभाषाओं में बदलाव और वैकल्पिक दंड प्रदान करने से कानून स्पष्ट हो सकता है और व्यावहारिक और कानूनी चिंताओं का समाधान हो सकता है।
- किसी भी मूल्य की संपत्ति की चोरी को संज्ञेय अपराध बनाने के लिए बीएनएसएस की पहली अनुसूची में मामूली बदलाव की आवश्यकता होगी और विभिन्न मुद्दों का समाधान करना होगा।

न्यायपालिका को कोई विवेकाधिकार नहीं:

- **मिठू बनाम पंजाब राज्य (1983) मामले** में आजीवन कारावास की सजा के संबंध में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 303 को शून्य और असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था।
  - **धारा 303** "किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की गई हत्या के लिए सज़ा से संबंधित है जो पहले से ही पिछले अपराध के लिए आजीवन कारावास की सजा काट रहा था"।
  - यदि कोई व्यक्ति जो पहले से ही आजीवन कारावास में था, अपनी सज़ा काटते समय हत्या कर देता है, तो धारा 303 इस प्रावधान के तहत दोषी पाए गए किसी भी व्यक्ति के लिए मृत्युदंड अनिवार्य करती है।
  - यदि आजीवन कारावास की सजा काट रहा कोई व्यक्ति हत्या करता है, तो उसे स्वचालित रूप से मौत की सजा दी जाएगी।
- सर्वोच्च **न्यायालय ने इसे असंवैधानिक करार दिया क्योंकि इसने न्यायिक विवेक की अनुमति नहीं दी, जिससे संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन हुआ, जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है।**

- आईपीसी की धारा 303 को बीएनएस की धारा 104 के रूप में फिर से पेश किया गया है, अब या तो मौत की सजा या आजीवन कारावास (अर्थात् किसी के प्राकृतिक जीवन का शेष) का प्रावधान है।
- हालाँकि, **बीएनएस की धारा 143 की उप-धारा (6) और (7)** , कई अवसरों पर बाल तस्करी और लोक सेवकों या पुलिस अधिकारियों द्वारा तस्करी को दंडित करने में भी न्यायिक विवेक का अभाव है, संभावित रूप से समान वैधता के मुद्दों का सामना करना पड़ता है।
- बीएनएस की इन धाराओं, जिनमें धारा 106 की उप-धारा (2), धारा 112, धारा 303 की उप-धारा (2) और धारा 143 की उप-धारा (6) और (7) शामिल हैं, को उनके कानूनी, संवैधानिक और व्यावहारिक निहितार्थों के कारण लागू करने से पहले फिर से विचार करने की आवश्यकता है।

2.3. एफएमसीजी मार्केटिंग, विज्ञापन पर कार्रवाई:

- **चर्चा में क्यों? - सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ का नेतृत्व कर रही** न्यायमूर्ति हिमा कोहली ने **पतंजलि आयुर्वेद के खिलाफ अप्रमाणित COVID-19 इलाज और अन्य छद्म वैज्ञानिक उपचारों के विज्ञापन के लिए सरकार की निष्क्रियता की आलोचना की।**
- न्यायालय **ने अपनी जांच का विस्तार करते हुए भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने वाली सभी फास्ट-मूविंग कंज्यूमर गुड्स (एफ.एम.सी.जी.) कम्पनियों को भी इसमें शामिल कर लिया।**
- भारत में अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों की उपलब्धता और गतिहीन जीवन शैली के कारण गैर-संचारी रोगों में वृद्धि हो रही है।
- **निर्माता कभी-कभी जांच से बचने के लिए अपने उत्पादों में विटामिन मिलाते हैं** , बावजूद इसके कि उनके उत्पाद अभी भी अस्वास्थ्यकर माने जाते हैं।
- शीर्ष **अदालत ने** पहले भ्रामक विज्ञापनों के लिए **पतंजलि आयुर्वेद से सार्वजनिक माफी मांगी थी** , नवीनतम माफी की स्वीकृति को लेकर अनिश्चितता है।
- अदालत की यह अपेक्षा कि उसे शिकायत-आधारित प्रणाली और निष्क्रिय नियामक निकायों सहित अप्रभावी विनियमन तंत्रों के कारण हस्तक्षेप करना चाहिए, चिंता पैदा करती है।
- **भारतीय विज्ञापन मानक परिषद के** पास अनुपालन लागू करने का अधिकार नहीं है, और **भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण** कर्मचारियों की कमी और संसाधनों की कमी के कारण दोषी निर्माताओं को दंडित करने में संकोच कर रहा है।
- प्रभावशाली व्यक्तियों और चिकित्सकों सहित **नागरिक समाज के सदस्य अक्सर अवैज्ञानिक दावों की आलोचना करते हैं, लेकिन पर्याप्त सुरक्षा के अभाव में उन्हें कानूनी खतरों का सामना करना पड़ता है।**
- **गैर-संचारी रोगों के बारे में भारत की चिंताओं** और उपलब्ध खाद्य विकल्पों के बीच विसंगति को दूर करने के लिए FMCG विपणन उल्लंघनों के विरुद्ध त्वरित प्रवर्तन और समय पर कार्रवाई आवश्यक है।
- न्यायपालिका की भूमिका कानून बनाने के बजाय उसकी समीक्षा करने पर केंद्रित होनी चाहिए, तथा विधायी और कार्यकारी क्षेत्रों में अतिक्रमण करने के बजाय उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ त्वरित और अनुकरणीय कार्रवाई पर जोर देना चाहिए।

3. <u>संवैधानिक/मौलिक/कानूनी अधिकार:</u>

3.1 <u>जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध अधिकार मौलिक अधिकार हैं</u>

- सुप्रीम कोर्ट ने जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के खिलाफ पहले से कम स्पष्ट अधिकार को संविधान में एक विशिष्ट मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकार किया है।
- न्यायालय **ने कहा कि स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार को मान्यता दी गई है, लेकिन जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के खिलाफ अधिकार भी उतना ही महत्वपूर्ण और परस्पर जुड़ा हुआ है** ।
- मान्यता **भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) और 21 (जीवन का अधिकार) पर आधारित है।**
- यह फैसला लुप्तप्राय ग्रेट इंडियन बस्टर्ड प्रजाति के अस्तित्व से संबंधित एक मामले में आया है, जो अपने प्राकृतिक आवास और उड़ान मार्गों को काटने वाली बिजली पारेषण लाइनों के कारण खतरों का सामना कर रही है।
- प्रजातियों के सामने आने वाली चुनौतियों की जांच के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था, मामले की आगे की सुनवाई अगस्त में निर्धारित की गई थी।
- हालाँकि, न्यायालय ने अप्रत्याशित रूप से सप्ताहांत के दौरान जलवायु परिवर्तन और इसकी प्रतिकूलताओं को संबोधित करते हुए एक निर्णय जारी किया, जिसमें जलवायु परिवर्तन के खिलाफ अधिकार को **अनुच्छेद 21 और 14 से जोड़ा गया।**
- मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने इस बात पर जोर दिया कि जीवन और समानता के अधिकारों को स्वच्छ और स्थिर वातावरण के बिना पूरी तरह से महसूस नहीं किया जा सकता है।
- सुप्रीम **कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि स्वास्थ्य का अधिकार, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का एक हिस्सा है** , जलवायु परिवर्तन से संबंधित विभिन्न कारकों से प्रभावित होता है।
- इन कारकों में वायु प्रदूषण, रोगवाहकों (जैसे मच्छरों) द्वारा फैलने वाली बीमारियों में बदलाव, बढ़ता तापमान, सूखा, फसल की विफलता के कारण भोजन की कमी, तूफान और बाढ़ शामिल हैं।
- जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने या अनुकूलन करने में वंचित समुदायों की असमर्थता उनके जीवन और समानता के अधिकारों का उल्लंघन करती है।
- जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय क्षरण से गरीब समुदाय असमान रूप से प्रभावित होते हैं, विशेषकर तब जब इससे भोजन और पानी की कमी हो जाती है।
- निर्णय में जलवायु परिवर्तन और कई मानवाधिकारों के बीच अंतर्संबंध पर प्रकाश डाला गया, जिनमें स्वास्थ्य का अधिकार, स्वदेशी अधिकार, लैंगिक समानता और विकास का अधिकार शामिल हैं।
- इसमें इस बात पर जोर दिया गया कि जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से मुक्त स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार एक मौलिक मानव अधिकार माना जाता है ।

3.2 <u>सूचना का अधिकार:</u>

- **समाचार में क्यों?** - राष्ट्रपति भवन ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए किसी निर्णय को पुनर्विचार के लिए लौटाने के संबंध में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।
- यह प्रतिक्रिया तमिलनाडु के राज कपिल द्वारा सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 के तहत दायर याचिका के संबंध में दी गई।
- याचिकाकर्ता ने यह जानना चाहा कि राष्ट्रपति मुर्मू ने कितनी बार प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, कैबिनेट, संसद, कैबिनेट की नियुक्ति समिति (एसीसी), केंद्रीय मंत्रालयों, केंद्रीय एजेंसियों, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभाओं सहित विभिन्न निकायों द्वारा लिए गए निर्णयों को वापस किया है।
- राष्ट्रपति भवन के निदेशक शिवेन्द्र चतुर्वेदी ने उत्तर दिया कि उल्लिखित संस्थाओं द्वारा लिए गए निर्णयों को पुनर्विचार के लिए लौटाए जाने के संबंध में ऐसी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।

Patriotic IAS

- जवाब से पता चलता है कि राष्ट्रपति मुर्मू द्वारा निर्दिष्ट प्राधिकारियों द्वारा लिए गए निर्णयों को पुनर्विचार के लिए लौटाने का कोई उदाहरण नहीं है।
- राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र के मामलों से संबंधित आरटीआई आवेदन गृह मंत्रालय को भेजा गया, जो इस संबंध में नोडल मंत्रालय और अभिलेखों का संरक्षक है।
- याचिकाकर्ता को बताया गया कि यदि वह जवाब से असंतुष्ट है तो वह एक महीने के भीतर आरटीआई अधिनियम की धारा 19(1) के तहत अपील दायर कर सकता है।
- अपराध विज्ञान के व्याख्याता श्री कपिल ने राष्ट्रपति भवन की प्रतिक्रिया पर आश्चर्य व्यक्त किया, क्योंकि इसमें न तो इस बात की पुष्टि की गई और न ही खंडन किया गया कि राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद के किसी निर्णय को पुनर्विचार के लिए लौटाया था।
- उन्होंने सवाल उठाया कि राष्ट्रपति सचिवालय ने आरटीआई अधिनियम के तहत मांगी गई जानकारी साझा क्यों नहीं की, जबकि केंद्रीय गृह मंत्रालय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित फाइलों और निर्णयों का संरक्षक था।
- श्री कपिल ने राष्ट्रपति भवन के जवाब को अधूरा और भ्रामक बताते हुए इसकी आलोचना की।
- उन्होंने सवाल किया कि राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति के संवैधानिक कामकाज के लिए महत्वपूर्ण डेटा की कमी कैसे हो सकती है, जो प्रणाली में जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है।
- यह आलोचना तब उठी जब चेन्नई के एक छात्र को इसी तरह की प्रतिक्रिया दी गई, जिसने आरटीआई अधिनियम के तहत यह जानकारी मांगी थी कि पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने कितनी बार प्रधान मंत्री और मंत्रिपरिषद के फैसले को वापस कर दिया था।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

- 2005 में भारतीय संसद द्वारा पारित।
- नागरिकों को सशक्त बनाना, सरकार के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना तथा भ्रष्टाचार से लड़ना।
- **क्षेत्र:** सभी केन्द्रीय, राज्य और स्थानीय सरकारी निकायों तथा पर्याप्त रूप से वित्तपोषित गैर सरकारी संगठनों पर लागू होता है।

आरटीआई अधिनियम के प्रमुख प्रावधान

- **सूचना प्राप्त करने का अधिकार:** भारत का कोई भी नागरिक किसी सार्वजनिक प्राधिकरण से सूचना प्राप्त करने का अनुरोध कर सकता है।
- **प्रक्रिया:** नागरिक न्यूनतम शुल्क के साथ नामित लोक सूचना अधिकारी (पीआईओ) के पास आरटीआई आवेदन दायर कर सकते हैं।
- **शामिल जानकारी:** इसमें निम्नलिखित शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं:
  - रिकॉर्ड, दस्तावेज़ और फ़ाइलें
  - सरकार के निर्णय और नीतियाँ
  - प्रशासनिक कार्रवाई के कारण
  - सार्वजनिक धन का उपयोग
- **प्रतिक्रिया के लिए समय सीमा:** पीआईओ को आमतौर पर 30 दिनों के भीतर जानकारी देनी होगी।
- **छूट:** राष्ट्रीय सुरक्षा, संवेदनशील वाणिज्यिक जानकारी आदि के लिए सीमित छूट। कुछ मामलों में आंशिक खुलासा संभव है।
- **अपील:** पीआईओ के फैसले के खिलाफ अपील प्रथम अपीलीय प्राधिकारी और आगे केंद्रीय/राज्य सूचना आयोग में की जा सकती है।

आरटीआई अधिनियम का महत्व:

- **शक्तिशाली उपकरण:** आरटीआई अधिनियम नागरिकों को सरकार को जवाबदेह बनाने और सूचित विकल्प चुनने का अधिकार देता है।
- **पारदर्शिता:** सार्वजनिक संस्थानों में पारदर्शिता को बढ़ावा देता है और भ्रष्टाचार को रोकता है।
- **सहभागी लोकतंत्र:** शासन में नागरिकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करता है ।

4. संवैधानिक, गैर-संवैधानिक निकाय और नियामक निकाय:

4. 1 राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू)

- **वैधानिक निकाय:** राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 के तहत 1992 में स्थापित, NCW भारत सरकार का एक वैधानिक निकाय है। यह देश में महिलाओं के अधिकारों की रक्षा और उन्हें बढ़ावा देने के लिए सर्वोच्च राष्ट्रीय निकाय के रूप में काम करता है।

शासनादेश

राष्ट्रीय महिला आयोग का व्यापक अधिदेश है जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- **कानूनों की समीक्षा:** महिलाओं के लिए मौजूदा संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा उपायों की जांच करना, संशोधन की सिफारिश करना और नए कानून का सुझाव देना।
- **शिकायत और जांच:** महिलाओं के विरुद्ध अधिकारों के उल्लंघन और अत्याचार के मामलों को संबोधित करना, जांच करना और निवारण प्रक्रियाओं को सुगम बनाना।
- **नीति सिफ़ारिशें:** महिलाओं को प्रभावित करने वाले नीतिगत मामलों पर सरकार को सलाह देना।
- **जागरूकता और संवेदनशीलता:** कार्यशालाओं, सेमिनारों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और अभियानों के माध्यम से महिलाओं के अधिकारों के बारे में सामाजिक जागरूकता को बढ़ावा देना।

संघटन

- **अध्यक्ष:** एक प्रतिष्ठित महिला, महिलाओं के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध, केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त।
- **सदस्य:** केंद्र सरकार द्वारा नामांकित, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के महिलाओं के मुद्दों के विशेषज्ञों के साथ-साथ सामाजिक कल्याण संगठनों के प्रतिनिधि भी शामिल हैं।
- **सदस्य सचिव:** एक अधिकारी जो आयोग के प्रशासनिक कार्यों का प्रमुख होता है।

मुख्य फोकस क्षेत्र

- **कानूनी सुधार**
- **महिला के विरुद्ध क्रूरता**
- **आर्थिक सशक्तिकरण**
- **राजनीतिक भागीदारी**
- **शिक्षण और प्रशिक्षण**
- **स्वास्थ्य और पोषण**

एनसीडब्ल्यू से कैसे संपर्क करें

- **शिकायतें:** अधिकारों के उल्लंघन का सामना करने वाली महिलाएं पोस्ट, ईमेल या एनसीडब्ल्यू वेबसाइट पर ऑनलाइन फॉर्म के माध्यम से सीधे एनसीडब्ल्यू में शिकायत दर्ज कर सकती हैं।

PatriotIAS

- **अनुसंधान और संसाधन:** एनसीडब्ल्यू वेबसाइट महिलाओं के मुद्दों से संबंधित विभिन्न कानूनों, योजनाओं और रिपोर्टों पर जानकारी प्रदान करती है।

4.2 चुनाव आयोग:

- भारत का चुनाव आयोग भारत के **संविधान द्वारा स्थापित एक स्वतंत्र निकाय है।**
- **प्राथमिक अधिदेश** : भारत में सभी स्तरों पर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार:
- लोकसभा (संसद का निचला सदन), राज्य विधानसभाएं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्यालय

संरचना:

- मुख्य चुनाव आयुक्त
- अन्य चुनाव आयुक्त (वर्तमान में दो)

ईसीआई के प्रमुख कार्य:

- **परिसीमन:** जनसंख्या के आंकड़ों के आधार पर चुनाव के लिए निर्वाचन क्षेत्रों को परिभाषित करना।
- **मतदाता पंजीकरण:** मतदाता सूची तैयार करना और संशोधित करना, पात्र मतदाताओं का पंजीकरण करना।
- **चुनाव कार्यक्रम:** चुनाव की तारीखों और कार्यक्रमों की घोषणा।
- **आदर्श आचार संहिता:** अभियानों के दौरान निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता जारी करना और लागू करना
- **मतदान और गिनती:** सुरक्षित मतदान प्रक्रियाओं की निगरानी करना, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) का उपयोग करना और वोटों की सटीक गिनती करना।
- **चुनावी विवाद समाधान:** चुनावी प्रक्रियाओं से संबंधित याचिकाओं और शिकायतों का समाधान करना।

स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना

- **निष्पक्षता:** ईसीआई सख्त तटस्थता और स्वतंत्रता बनाए रखता है
- **चुनावी सुधार:** ECI पारदर्शिता बढ़ाने के लिए वोटर वेरिफ़िएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) एकीकरण जैसे सुधारों को आगे बढ़ाता है।
- **प्रौद्योगिकी:** चुनाव दक्षता में सुधार के लिए ईवीएम और मतदाता पंजीकरण सॉफ्टवेयर जैसी प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है।
- **मतदाता शिक्षा:** सूचित भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए आउटरीच और जागरूकता अभियान संचालित करता है

4.3. बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI):

- **वैधानिक निकाय: बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999** द्वारा स्थापित , IRDAI भारत में बीमा और पुनर्बीमा उद्योग के लिए जिम्मेदार स्वायत्त नियामक एजेंसी है।
- **मुख्यालय:** हैदराबाद, तेलंगाना, भारत
- **संरचना:** IRDAI एक 10 सदस्यीय निकाय है जिसमें एक अध्यक्ष, पांच पूर्णकालिक सदस्य और भारत सरकार द्वारा नियुक्त चार अंशकालिक सदस्य शामिल हैं ।

जनादेश और उद्देश्य

- **पॉलिसीधारकों की सुरक्षा:** पॉलिसीधारकों के साथ उचित व्यवहार सुनिश्चित करना और उनके हितों की रक्षा करना।
- **उद्योग को विनियमित करना:** लाइसेंसिंग, विनियमन सेटिंग और पर्यवेक्षण के माध्यम से बीमा क्षेत्र की देखरेख करना।
- **विकास को बढ़ावा देना:** बीमा बाजार की व्यवस्थित वृद्धि और विकास के लिए माहौल बनाना।
- **प्रतिस्पर्धा:** ग्राहकों की पसंद बढ़ाने और उचित प्रीमियम प्रदान करने के लिए निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करना

महत्वपूर्ण कार्यों

- **नियम जारी करना:** IRDAI बीमा क्षेत्र के विभिन्न पहलुओं के लिए नियम बनाता है, जिसमें बीमाकर्ता, मध्यस्थ, उत्पाद डिजाइन और बहुत कुछ शामिल होता है **।**
- बीमाकर्ताओं को लाइसेंस प्रदान करता है और एजेंटों और दलालों जैसे मध्यस्थों को पंजीकृत करता है।
- यह सुनिश्चित करता है कि बीमाकर्ता नियमों का अनुपालन करें, उनका वित्तीय स्वास्थ्य अच्छा हो और ईमानदारी के साथ व्यवसाय करें।
- पॉलिसीधारकों की शिकायतों का समाधान करता है और शिकायतों के समाधान के लिए तंत्र विकसित करता है।
- **उल्लंघनों की जांच करना:** नियमों का उल्लंघन करने वाले बीमाकर्ताओं या मध्यस्थों के खिलाफ जांच करना और कार्रवाई करना।
- **बाज़ार विकास:** अनुसंधान करता है, डेटा एकत्र करता है, और बीमा जागरूकता और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देता है।

4.4 भारतीय विज्ञापन मानक परिषद (एएससीआई):

- **उद्देश्य:** एएससीआई एक स्व-नियामक, गैर-लाभकारी संगठन है जो भारत के भीतर जिम्मेदार और नैतिक विज्ञापन प्रथाओं को सुनिश्चित करने के लिए समर्पित है।
- **स्थापित:** 1985
- **मुख्यालय:** मुंबई, महाराष्ट्र, भारत
- **अध्यक्ष: सुभाष कामथ (2023 तक)**

एएससीआई का मिशन

- एएससीआई का लक्ष्य विज्ञापन में जनता के विश्वास को बनाए रखने और बढ़ाकर उपभोक्ता हितों की रक्षा करना है।
- यह एएससीआई संहिता, दिशानिर्देशों और विनियमों को लागू करके ऐसा करता है।

एएससीआई कोड

- एएससीआई के काम का आधार स्व-नियमन के लिए उसका कोड है, जो यह सुनिश्चित करता है कि विज्ञापन हों:
- कोई भ्रामक दावा या भ्रामक व्यवहार नहीं।
- भारतीय कानूनों और विनियमों का पालन करना।
- सार्वजनिक भावना के लिए अपमानजनक या हानिकारक नहीं।
- विशेष रूप से बच्चों की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया।

- प्रतिस्पर्धा में निष्पक्ष: अन्य व्यवसायों का सम्मान।

एएससीआई की प्रक्रिया

- उपभोक्ता, प्रतिस्पर्धी या अन्य पक्ष उन विज्ञापनों के बारे में शिकायत दर्ज कर सकते हैं जिनके बारे में उनका मानना है कि वे एएससीआई संहिता का उल्लंघन करते हैं।
- विभिन्न पृष्ठभूमि के सदस्यों से बनी सीसीसी शिकायतों की वैधता का आकलन करती है।
- यदि कोई विज्ञापन उल्लंघन में पाया जाता है, तो एएससीआई विज्ञापनदाता से इसे संशोधित करने या वापस लेने का अनुरोध कर सकता है। वे उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए सार्वजनिक सलाह का भी उपयोग कर सकते हैं।

5. संसद:

5.1 संसद का प्रदर्शन:

- **17वीं लोकसभा** , जो 2019 से 2024 तक संचालित रही, शनिवार को अपनी कार्यवाही समाप्त करके अपने सामान्य पांच-दिवसीय कार्य कार्यक्रम से विदा हो गई ।
- इस प्रस्थान ने अप्रत्याशित मोड़ों **से भरी यात्रा का अंत कर दिया ।**
- भारत के नागरिक के रूप में, यह **हमें हाल के वर्षों में हमारी संसद के प्रदर्शन पर विचार करने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि हम 18वीं लोकसभा** के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं ।

मंत्रालयों का प्रदर्शन कैसा रहा?

- हाल के समय में विधायी गतिविधियां यह संकेत देती हैं कि देश का राजनीतिक परिदृश्य महत्वपूर्ण परिवर्तनों से गुजर रहा है।
- कार्यालय **को राज्य सभा में सांसदों से 1,146 प्रश्नों की वृद्धि का सामना करना पड़ा, लेकिन केवल 28 का ही उत्तर दिया गया।**
- दिलचस्प बात यह है कि राज्यसभा **और लोकसभा दोनों में प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजे गए नोटिसों की संख्या में कमी आई है , जो शीर्ष कार्यकारी कार्यालय से जवाब मांगने में कम रुचि को दर्शाता है** ।
- **संसदीय फोकस में उल्लेखनीय बदलाव आया है, स्वास्थ्य और परिवार तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय केंद्र में आ गए हैं।**
- **इन दोनों पोर्टफोलियो पर ध्यान बढ़ा है और यह सबसे अधिक प्रश्नों वाले शीर्ष दो मंत्रालय बन गए हैं, जो निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा बढ़ी हुई जांच का सुझाव देते हैं।**
- देश की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली की जांच COVID-19 महामारी से पहले हुई, जो सांसदों द्वारा लगातार निगरानी का संकेत देती है।
- **लोकसभा में प्रश्नों की संख्या में थोड़ी गिरावट** आई है , जो इन मुद्दों पर संसदीय भागीदारी में मामूली कमी का संकेत देता है।
- **राष्ट्रीय सुरक्षा और आंतरिक मामलों के मामलों में रुचि कम हो रही है, विशेष रूप से गृह मंत्रालय पर कम ध्यान दिए जाने से परिलक्षित होता है।**

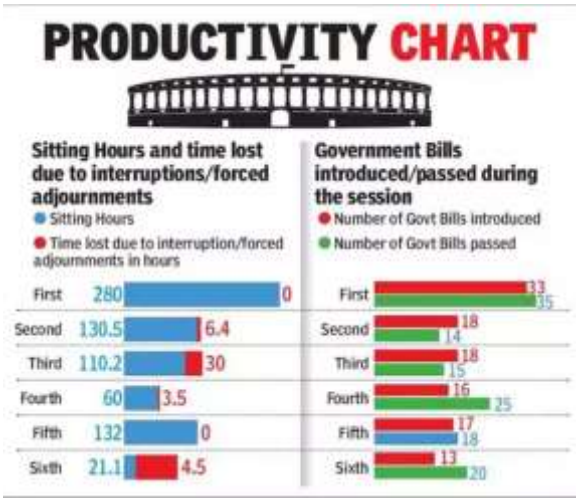

- देश के राजकोषीय भाग्य को दिशा देने के लिए जिम्मेदार **वित्त मंत्रालय ने** भी आर्थिक पुनरुत्थान के लिए महत्वपूर्ण होने के बावजूद **संसदीय रुचि में धीरे-धीरे गिरावट का अनुभव किया है।**
- **तथापि, वित्त मंत्रालय के भीतर विचार-विमर्श के लिए स्वीकार किए जाने वाले प्रश्नों की दर में वृद्धि का सकारात्मक रुझान है, जो वित्तीय मामलों में पारदर्शिता और जवाबदेही के प्रति नई प्रतिबद्धता का संकेत देता है।**
- कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न व्यवधानों के बावजूद, संसदीय चर्चा में शिक्षा एक महत्वपूर्ण विषय बना हुआ है, तथा **शिक्षा मंत्रालय लगातार उन शीर्ष पांच मंत्रालयों में शामिल है, जिन पर कठोर प्रश्न पूछे जाते हैं।**
- हालाँकि, **शिक्षा क्षेत्र में अस्वीकृत प्रश्नों की संख्या में वृद्धि हुई है, जिससे इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में निरीक्षण प्रभावशीलता के बारे में चिंताएं बढ़ गई हैं।**
- **लोकसभा में, पिछले विभिन्न सत्रों में अस्वीकृत प्रश्नों के प्रतिशत में गिरावट आई है।**
- **इसके विपरीत, उच्च सदन में अस्वीकृत प्रश्नों के प्रतिशत में लगातार वृद्धि देखी गई है, जो संसदीय निगरानी में प्रणालीगत चुनौतियों का संकेत है।**
- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गृह, रक्षा, कृषि एवं किसान कल्याण, तथा वित्त जैसे मंत्रालयों से कुल अस्वीकृत प्रश्नों का एक बड़ा हिस्सा आया, जिससे संसदीय निगरानी में इन चुनौतियों से निपटने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया ।

5.2. संसदीय कार्यवाही:

शून्यकाल

- **लोकसभा और राज्यसभा दोनों में** अनौपचारिक सत्र होता है , जो लगभग **दोपहर 12 बजे से 1 बजे के बीच होता है।** इसे "शून्य काल" इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह संसदीय कार्य के आधिकारिक एजेंडे में नहीं आता है।
- सदस्य बिना किसी पूर्व सूचना के अत्यावश्यक सार्वजनिक महत्व के मामले उठा सकते हैं, तथा महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रकाश डाल सकते हैं।

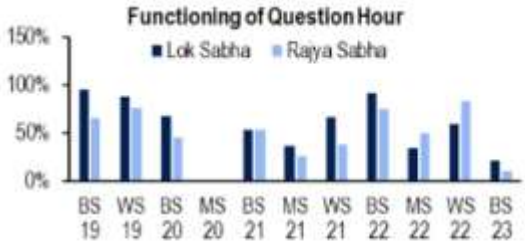

Note: Question Hour was cancelled in the Monsoon Session of 2020; BS – Budget Session; MS – Monsoon Session; WS – Winter Session.

स्वाभाविक हद

संरचना और व्यवस्था का अभाव:

- चूंकि शून्यकाल औपचारिक रूप से निर्धारित नहीं है, इसलिए व्यवधान उत्पन्न हो सकता है, जिससे अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।
- अध्यक्ष या सभापति के पास यह विवेकाधिकार होता है कि कौन बोलेगा और कितनी देर तक बोलेगा, जिससे असंतुलन की स्थिति पैदा हो सकती है और कुछ सदस्यों की बात नहीं सुनी जा सकती।

सीमित समय:

- चूंकि शून्यकाल लगभग एक घंटे का होता है, इसलिए इसमें जिन मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की जा सकती है उनकी संख्या सीमित होती है।
- उठाए गए कई मुद्दों पर शायद केवल संक्षिप्त ध्यान दिया जाएगा या उन पर विचार ही नहीं किया जाएगा।

सरकार पर कोई बंधन नहीं:

- **शून्यकाल के दौरान मंत्रियों को विस्तार से जवाब देने की बाध्यता नहीं है।** हालांकि वे संक्षिप्त स्पष्टीकरण दे सकते हैं, लेकिन सरकार तत्काल कार्रवाई करने के लिए बाध्य नहीं है ।

दुरुपयोग की संभावना:

- **कुछ लोगों का तर्क है कि शून्यकाल का उपयोग राजनीतिक** उद्देश्यों के लिए या केवल प्रचार के लिए मुद्दों को उठाने के लिए किया जा सकता है, न कि सार्वजनिक महत्व के महत्वपूर्ण मामलों पर वास्तव में ध्यान केंद्रित करने के लिए।

अन्य संसदीय कार्यवाहियाँ:

1. आधे घंटे की चर्चा
- **यह क्या है:** तत्काल सार्वजनिक महत्व के एक मामले पर चर्चा जो हाल ही में संसद में प्रश्नों का विषय रहा है ।
- **यह कैसे काम करता है:** संसद का कोई सदस्य किसी प्रश्न का उत्तर दिए जाने के बाद इस चर्चा को उठा सकता है। आगे की चर्चा (लगभग 30 मिनट तक चलने वाली) है, और संबंधित मंत्री से इस मामले पर स्पष्टीकरण और विवरण प्रदान करने की उम्मीद की जाती है ।
- **यह महत्वपूर्ण क्यों है:** प्रश्नकाल के बाद भी विशिष्ट मुद्दों पर गहराई से ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देता है।

2. अल्प सूचना प्रश्न
- **यह क्या है:** अत्यावश्यक सार्वजनिक महत्व के मामले से संबंधित एक प्रश्न जिसे अल्प सूचना पर पूछा जा सकता है।
- **यह कैसे काम करता है:** एक सदस्य को सुबह 10 बजे से पहले अध्यक्ष को एक नोटिस देना होता है, और प्रश्न का उत्तर संबंधित मंत्री द्वारा मौखिक रूप से दिया जाता है ।
- **यह महत्वपूर्ण क्यों है:** संसद को नियमित एजेंडे में सूचीबद्ध न होने पर भी किसी महत्वपूर्ण मामले को संबोधित करने की अनुमति देता है।

3. ध्यान आकर्षित करना
- **यह क्या है:** एक विधि जिसके द्वारा कोई सदस्य किसी मंत्री का ध्यान सार्वजनिक महत्व के किसी विशिष्ट, अत्यावश्यक मामले की ओर आकर्षित कर सकता है ।
- **यह कैसे काम करता है:** सदस्य मुद्दा चुनता है, और अध्यक्ष तय करता है कि इसे उठाया जा सकता है या नहीं। फिर, मंत्री उस मामले पर एक संक्षिप्त बयान देते हैं।
- **यह महत्वपूर्ण क्यों है: यह** महत्वपूर्ण मामलों को तत्काल सरकार के ध्यान में लाता है ।

4. लघु अवधि की चर्चाएँ
- **यह क्या है:** एक चर्चा जिसके लिए सदन महत्वपूर्ण सार्वजनिक हित के मामले पर दो घंटे से अधिक समय निर्धारित नहीं करता है ।
- **यह कैसे काम करता है:** कोई सदस्य अध्यक्ष से इस चर्चा के लिए अनुरोध करता है, और अनुमोदन के साथ, चर्चा की तारीख और समय तय किया जाता है।
- **यह क्यों महत्वपूर्ण है:** इससे प्रश्नकाल या ध्यानाकर्षण की तुलना में मुद्दों पर गहन बहस की अनुमति मिलती है।

5. विशेष उल्लेख
- **यह क्या है:** राज्य सभा (उच्च सदन) के सदस्यों के लिए सार्वजनिक महत्व के लेकिन अन्य चर्चाओं के लिए अपर्याप्त तात्कालिकता वाले मामलों को उठाने की एक प्रक्रिया ।
- **यह कैसे काम करता है:** कोई सदस्य मुद्दा उठाने के लिए अध्यक्ष की अनुमति प्राप्त करता है, और फिर एक संक्षिप्त बयान देता है ।
- **यह क्यों महत्वपूर्ण है: यह** उन महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाने के लिए एक मंच तैयार करता है जिन पर अन्यथा ध्यान नहीं दिया जाता।

अंतरराष्ट्रीय संबंध

1. चीन-भारत संबंध:

- वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर तनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टिप्पणियों को भारतीय विदेश मामलों के विशेषज्ञ बेहद महत्वपूर्ण मानते हैं।
- चीन के विदेश मंत्रालय (एमएफए) ने मोदी की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भारत से द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने के लिए चीन के साथ काम करने का आह्वान किया।
- न्यूजवीक के साथ एक साक्षात्कार में, मोदी ने चीन के साथ भारत के संबंधों और अप्रैल 2020 से एलएसी पर गतिरोध पर अपनी चुप्पी तोड़ी।
- मोदी ने सीमा स्थिति के तत्काल समाधान और दोनों देशों के बीच राजनयिक और सैन्य स्तर पर रचनात्मक जुड़ाव की आवश्यकता पर जोर दिया।
- चीनी एमएफए के प्रवक्ता माओ निंग ने मोदी की टिप्पणियों को स्वीकार करते हुए कहा कि मजबूत और स्थिर चीन-भारत संबंध दोनों देशों के सामान्य हित में हैं।

1.2. दक्षिण चीन सागर में भारत का सूक्ष्म दृष्टिकोण:

- मार्च 2024 में, **भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने** मनीला की अपनी यात्रा के दौरान अपनी राष्ट्रीय संप्रभुता की रक्षा में फिलीपींस के लिए पूर्ण समर्थन व्यक्त किया।
- **मनीला और बीजिंग के बीच दक्षिण चीन या पश्चिम फिलीपीन सागर** पर चल रहे विवाद के बीच आया है , जिसमें 2023 में तनाव और राजनयिक घर्षण बढ़ गया था।
- 2023 में, **नई दिल्ली और मनीला के बीच एक संयुक्त बयान में चीन से नियम-आधारित समुद्री व्यवस्था का पालन करने और 2016 में मनीला के पक्ष में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के फैसले का सम्मान करने का भी आग्रह किया गया था।**
- ये बयान दक्षिण चीन सागर मुद्दे पर भारत के पिछले सतर्क और तटस्थ रुख में बदलाव का संकेत देते हैं।
- भारत का विकसित होता दृष्टिकोण इसकी पिछली स्थिति से विचलन को दर्शाता है तथा दक्षिण चीन सागर में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून, संप्रभुता और संप्रभु अधिकारों के समर्थन के साथ अधिक निकटता से जुड़ा हुआ है।
- दक्षिण चीन सागर पर भारत के रुख में यह बदलाव वैश्विक मंच पर उसकी व्यापक सामरिक और आर्थिक आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करता है।

यूएनसीएलओएस

- अक्सर "महासागरों के लिए संविधान" कहा जाने वाला यूएनसीएलओएस एक व्यापक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो सभी समुद्री और सामुद्रिक गतिविधियों के लिए कानूनी ढांचा स्थापित करता है।
- इस अभिसमय पर हस्ताक्षर 1982 में किये गये तथा यह 1994 में लागू हुआ।
- **व्यापक भागीदारी:** वर्तमान में, 168 पक्षों (167 राज्य तथा यूरोपीय संघ) ने कन्वेंशन का अनुसमर्थन किया है।

यूएनसीएलओएस के प्रमुख प्रावधान

- **समुद्री क्षेत्र:** किसी देश के समुद्र तट से लेकर विभिन्न क्षेत्रों को परिभाषित करता है तथा प्रत्येक क्षेत्र के भीतर अधिकार और कर्तव्य स्थापित करता है:
  - प्रादेशिक समुद्र (12 समुद्री मील तक): तटीय राज्य की संप्रभुता।
  - सन्निहित क्षेत्र (24 समुद्री मील तक): सीमा शुल्क, आव्रजन और अन्य कानूनों के प्रवर्तन के लिए सीमित क्षेत्राधिकार
  - विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) (200 समुद्री मील तक): प्राकृतिक संसाधनों की खोज, दोहन और प्रबंधन का अधिकार

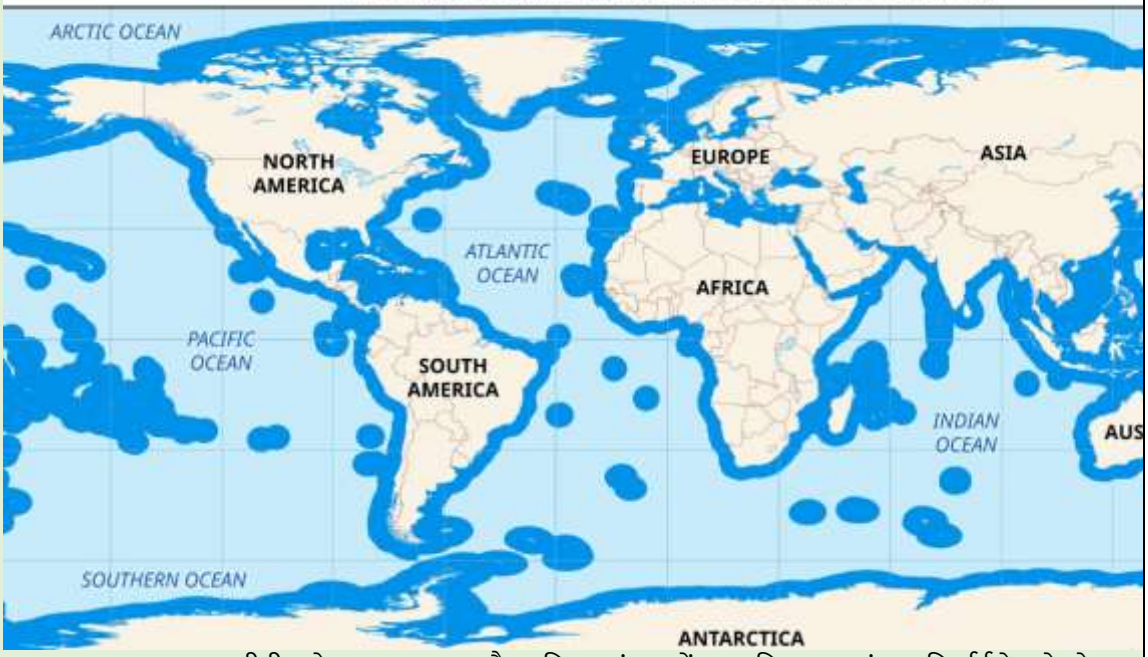

- महाद्वीपीय शेल्फ: समुद्र तल और भूमिगत संसाधनों पर अधिकार, यहां तक कि ईईजेड से परे भी, यदि कुछ निश्चित मानदंड पूरे किए जाएं।
- उच्च सागर: सभी राज्यों के लिए खुला, जिसमें नौवहन, उड़ान, मछली पकड़ने आदि की स्वतंत्रता है।
- क्षेत्र (गहरा समुद्र तल): इसे और इसके संसाधनों को "मानव जाति की साझी विरासत" घोषित किया गया है।

- **पर्यावरण संरक्षण:** इसमें समुद्री पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण के दायित्व शामिल हैं।
- **समुद्री वैज्ञानिक अनुसंधान:** नियम स्थापित करता है और समुद्री अनुसंधान सहयोग को बढ़ावा देता है।

विवाद निपटान: विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए तंत्र प्रदान करता है, जिसमें **समुद्री कानून के लिए एक समर्पित अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण (आईटीएलओएस) भी शामिल है।**

एक नीति विकास

- **प्रारंभ में, इस क्षेत्र के साथ नई दिल्ली का जुड़ाव मुख्य रूप से आर्थिक था, जो उसकी पूर्व की ओर देखो नीति से प्रेरित था।**
- पूर्व की ओर देखो नीति का **उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशिया के साथ आर्थिक एकीकरण को बढ़ाना और भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए ऊर्जा संसाधनों को सुरक्षित करना है।**
- जैसे भारतीय सरकारी स्वामित्व वाले उद्यमों ने **वियतनाम के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्रों में तेल और गैस अन्वेषण परियोजनाओं में भाग लिया,** जिससे इस क्षेत्र में भारत की आर्थिक भागीदारी का संकेत मिलता है।
- भारत ने अंतर्राष्ट्रीय कानून , विशेषकर यूएनसीएलओएस **की सीमाओं के भीतर समुद्री संसाधनों के अन्वेषण और दोहन की स्वतंत्रता के सिद्धांत का समर्थन किया।**
- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रशासन के तहत भारत की नीति का रुख **लुक ईस्ट से एक्ट ईस्ट की ओर स्थानांतरित हो गया है** , जिससे हिंद-प्रशांत क्षेत्र के साथ **अधिक रणनीतिक और सक्रिय जुड़ाव का संकेत मिलता है।**

- एक्ट ईस्ट नीति न केवल आर्थिक एकीकरण पर बल देती है , बल्कि वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर और फिलीपींस सहित हिंद-प्रशांत क्षेत्र के देशों के साथ **रणनीतिक साझेदारी और विस्तारित सुरक्षा सहयोग पर भी जोर देती है।**
- **अग्रिम मोर्चे पर तैनाती, मिशन आधारित तैनाती, समुद्री क्षेत्र में जागरूकता बढ़ाने तथा गहरे पानी में समुद्री सुविधाओं के विकास** जैसे उपायों के माध्यम से अपनी क्षमताओं को मजबूत किया है ।

चीन के साथ भारत के जटिल संबंध

- **चीन के आक्रामक क्षेत्रीय दावों और सैन्यीकरण प्रयासों** के कारण दक्षिण चीन सागर में भू-राजनीतिक तनाव बढ़ गया है ।
- दक्षिण चीन सागर मुद्दे पर भारत का रुख समय के साथ अधिक सूक्ष्म और कम सतर्क होता गया है।
- भारत की स्थिति **चीन के साथ उसके जटिल संबंधों से प्रभावित है, जिसका सीमा विवादों और क्षेत्रीय घुसपैठ का इतिहास रहा है।**
- के बाद तनाव बढ़ गया **, जिसके कारण भारत ने दक्षिण चीन सागर में एक अग्रिम पंक्ति का युद्धपोत भेजकर अपनी सैन्य क्षमताओं का प्रदर्शन किया।**
- दक्षिण चीन सागर तथा भारत की स्थल सीमा पर चीन के आक्रामक रुख और क्षेत्रीय दावों से क्षेत्रीय स्थिरता पर विनाशकारी प्रभाव पड़ सकता है।
- **भारत ने दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के साथ नियमित नौसैनिक अभ्यास और सैन्य सहयोग सहित रणनीतिक साझेदारी करके प्रतिक्रिया व्यक्त की है।**
- इन गतिविधियों से दो उद्देश्य पूरे होते हैं: ये **क्षेत्रीय सुरक्षा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हैं तथा क्षेत्र में चीन के गैरकानूनी दावों के जवाब में कार्य करते हैं।**

आसियान फैक्टर

- नई दिल्ली का रणनीतिक बदलाव क्षेत्रीय सुरक्षा और वैश्विक समुद्री व्यवस्था के लिए दक्षिण चीन सागर के महत्वपूर्ण महत्व को पहचानने से प्रेरित है।
- दक्षिण चीन सागर में विवादों में चीन और आसियान देश शामिल हैं, **जो नेविगेशन और निरीक्षण की स्वतंत्रता को प्रभावित करते हैं, जो भारत के व्यापार और ऊर्जा परिवहन मार्गों और वैश्विक देशों के लिए महत्वपूर्ण है।**
- एक जिम्मेदार इंडो-पैसिफिक हितधारक के रूप में भारत को ऐसे महत्वपूर्ण मामलों पर स्पष्ट रुख अपनाना चाहिए, क्योंकि इसकी परिधि हिंद महासागर से परे व्यापक समुद्री क्षेत्र तक फैली हुई है, जिसे चीन के उदय से चुनौती मिली है।
- क्षेत्रीय समूह के भीतर चुनौतियों का सामना करने वाले आंतरिक मतभेदों के बावजूद, **भारत की इंडो-पैसिफिक रणनीति में आसियान केंद्रीयता को कायम रखना आवश्यक है।**
- **क्षेत्रीय स्थिरता को खतरे में डालने वाली एकतरफा कार्रवाइयों का विरोध करते हुए,** नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यवस्था की वकालत करता है।
- भारत का रुख अप्रत्यक्ष रूप से दक्षिण चीन सागर में **चीन के विस्तृत क्षेत्रीय दावों और गतिविधियों को चुनौती देता है , जो भारत को क्षेत्रीय स्थिरता के लिए प्रतिबद्ध एक जिम्मेदार हितधारक के रूप में स्थापित करता है।**
- दक्षिण चीन सागर में भारत का सूक्ष्म दृष्टिकोण **भारत-प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और अंतरराष्ट्रीय कानून के सम्मान में योगदान करते हुए अपने हितों की रक्षा करने की व्यापक रणनीति के अनुरूप है।**

Patriotic IAS

आसियान

- **क्षेत्रीय संगठन:** 1967 में बैंकॉक घोषणा के साथ स्थापित, आसियान एक राजनीतिक और आर्थिक संगठन है जिसका उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशिया में स्थिरता, शांति और समृद्धि को बढ़ावा देना है।
- **मुख्यालय:** जकार्ता, इंडोनेशिया।
- **वर्तमान सदस्यता:** 10 दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र:
    - ब्रूनेइ दारएस्सलाम
    - कंबोडिया
    - इंडोनेशिया
    - लाओ पीडीआर
    - मलेशिया
    - म्यांमार
    - फिलिपींस
    - सिंगापुर
    - थाईलैंड
    - वियतनाम

मुख्य उद्देश्य

- **क्षेत्रीय शांति और स्थिरता:** संघर्ष को रोकने और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान को बढ़ावा देने के लिए विश्वास और सहयोग का निर्माण करना।
- **आर्थिक समृद्धि:** मुक्त व्यापार, निवेश और आर्थिक एकीकरण के माध्यम से एकल बाजार और उत्पादन आधार का निर्माण करना।
- **सामाजिक-सांस्कृतिक विकास:** मानव विकास, सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना और अपने नागरिकों के लिए जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना।

प्रमुख तंत्र

- **आसियान शिखर सम्मेलन:** व्यापक दिशा-निर्देश तय करने के लिए राष्ट्राध्यक्ष साल में दो बार मिलते हैं।
- **क्षेत्रीय निकाय:** व्यापार, सुरक्षा, पर्यावरण और अन्य क्षेत्रों में सहयोग के लिए जिम्मेदार विभिन्न मंत्रिस्तरीय और तकनीकी निकाय।
- **आसियान समुदाय:** 2015 में स्थापित, इसमें तीन स्तंभ शामिल हैं:
    - आर्थिक स्तंभ (एईसी)
    - सुरक्षा स्तंभ (एपीएससी)
    - सामाजिक-सांस्कृतिक स्तंभ (एएससीसी)

हाल के फोकस क्षेत्र

- **इंडो-पैसिफिक आउटलुक:** बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के बीच क्षेत्र में आसियान केंद्रीयता को बढ़ावा देना।
- **सतत विकास:** जलवायु परिवर्तन, पर्यावरणीय चिंताओं और आपदा लचीलेपन को संबोधित करना।
- **प्रौद्योगिकी और नवाचार:** आर्थिक विकास और समावेशिता के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकियों का उपयोग करना।
- **क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी):** आसियान सदस्यों और अन्य एशिया-प्रशांत देशों सहित व्यापक मुक्त व्यापार समझौता ।

1.3. पाकिस्तान फैक्टर:

- **खबरों में क्यों? - पाकिस्तान के लिए निर्मित हैंगर श्रेणी की उन्नत पनडुब्बियाँ**
- **चीन ने पाकिस्तान के लिए आठ हैंगर श्रेणी की पनडुब्बियों** में से पहली का निर्माण शुरू कर दिया है , एक ऐसा कदम जो दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सैन्य सहयोग को बढ़ाता है।
- लॉन्च समारोह **वुचांग शिपबिल्डिंग इंडस्ट्री ग्रुप (डब्ल्यूएसआईजी) शुआंगलिउ बेस पर हुआ** और इसमें पाकिस्तान नौसेना प्रमुख एडमिरल नवीद अशरफ ने भाग लिया।
- यह पहल **इस्लामाबाद और बीजिंग के बीच एक समझौते का हिस्सा है** , जिसमें चीन पाकिस्तान को आठ उन्नत पनडुब्बियां प्रदान करने पर सहमत हुआ।

- चार पनडुब्बियों का निर्माण WSIG द्वारा किया जाएगा, जबकि शेष **चार का निर्माण प्रौद्योगिकी हस्तांतरण (ToT)** समझौते के तहत KS&EW (कराची शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग वर्क्स) में किया जाएगा।
- पनडुब्बियों में उन्नत स्टील्थ क्षमताएं होंगी और वे बहु-खतरे वाले वातावरण में प्रभावी ढंग से काम करने और लंबी दूरी पर लक्ष्य को भेदने के लिए अत्याधुनिक हथियारों और सेंसर से लैस होंगी।
- एडमिरल अशरफ ने वर्तमान भू-रणनीतिक संदर्भ में समुद्री सुरक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला और क्षेत्रीय शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए नौसेना की प्रतिबद्धता की पुष्टि की।
- उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि **हैंगर-क्लास एस/एम परियोजना पाकिस्तान और चीन के बीच स्थायी दोस्ती को मजबूत करेगी** , जो दोनों देशों के बीच मजबूत सैन्य सहयोग को प्रदर्शित करेगी।
- यह लॉन्च समारोह पाकिस्तान द्वारा इस साल की शुरुआत में फरवरी में केएस एंड ईडब्ल्यू में छठी हैंगर श्रेणी की पनडुब्बी का निर्माण शुरू करने के बाद हुआ है।

2. भारत-श्रीलंका संबंध:

खबरों में क्यों? - कच्चाथीवू बॉक्स के बाहर सोचने की मांग करता है

- **मामला क्या है?** - मुख्य समस्या: **श्रीलंकाई तमिल मछुआरों को अपने जल में मछली पकड़ने का अधिकार।**
- तमिलनाडु के परिप्रेक्ष्य से इस मुद्दे का मूल कारण कच्चाथीवू मामले को फिर से खोलने की अनिच्छुक सरकारों और अपनी आजीविका छोड़ने के अनिच्छुक भारतीय मछुआरों के बीच हितों का टकराव है।
- द्विपक्षीय समझौतों को एकतरफा रद्द करने से भारत-श्रीलंका संबंधों और अन्य पड़ोसी देशों के साथ संबंधों में तनाव आ सकता है, क्योंकि ऐसे समझौते महत्व रखते हैं और इन्हें मनमाने ढंग से रद्द नहीं किया जा सकता है।
- केंद्र को **बाधाएं पैदा करने के बजाय पाक जलडमरूमध्य के दोनों किनारों पर मछुआरों की आजीविका सुनिश्चित करने को प्राथमिकता देनी चाहिए** , क्योंकि भारत और श्रीलंका की भलाई आपस में जुड़ी हुई है।

क्या था विवाद?

- विवाद **1921 में मद्रास और सीलोन की ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकारों के बीच शुरू हुआ।**
- 1974 और 1976 में समझौता होने तक दोनों पक्षों के बीच बातचीत पांच दशकों तक चली।
-
- इस दौरान भारत की प्रधानमंत्रियों इंदिरा गांधी और श्रीलंका की प्रधानमंत्रियों सिरिमावो भंडारनायके ने द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किये।
- इन समझौतों ने कच्चातिवु को श्रीलंका के क्षेत्र का हिस्सा घोषित किया।
- **दोनों देशों के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्रों को परिभाषित करने के लिए मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी में एक समुद्री सीमा** भी स्थापित की।
- समझौतों के तहत, भारत और श्रीलंका को अपने-अपने विशिष्ट आर्थिक क्षेत्रों में संसाधनों पर संप्रभु अधिकार प्राप्त है।

- क्षेत्रीय विवाद के बावजूद, तमिलनाडु के मछुआरे हर साल मार्च में सेंट एंथोनी उत्सव के लिए कच्चाथीवू आते हैं।
- के **समझौते के तहत भारतीय मछुआरों को आराम करने, जाल सुखाने और त्यौहार मनाने के लिए द्वीप पर जाने की अनुमति है, लेकिन मछली पकड़ने की गतिविधि प्रतिबंधित है।**

भारत को क्या मिला?

- अतीत में यह माना जाता था कि श्रीलंका के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखने से नई दिल्ली को कूटनीतिक लाभ होता है।
- यह कूटनीतिक संबंध महत्वपूर्ण था क्योंकि उस समय श्रीलंका का झुकाव चीन की ओर था।

- **बांग्लादेश की मुक्ति के बाद, भारत ने श्रीलंका के साथ संबंधों को मजबूत करने का लक्ष्य रखा, विशेष रूप से श्रीलंका में राज्यविहीन भारतीय मूल के तमिलों के लिए नागरिकता के मुद्दे पर विचार करते हुए।**
- कूटनीतिक वार्ता के एक भाग के रूप में, नई दिल्ली को कन्याकुमारी के निकट समुद्री संसाधनों से समृद्ध स्थान वेड्ज बैंक पर संप्रभु अधिकार प्राप्त हुआ।
- हाल ही में, केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने वेड्ज बैंक सहित भारत में तेल एवं गैस अन्वेषण के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं।
- हालाँकि, इस कदम को कन्याकुमारी के स्थानीय निवासियों और पर्यावरणविदों की ओर से आलोचना का सामना करना पड़ा, क्योंकि उन्हें समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र पर इसके संभावित नकारात्मक प्रभाव की चिंता थी।

क्या मछुआरों की गिरफ्तारी द्वीप से संबंधित है?

- **तमिलनाडु के भारतीय मछुआरों को श्रीलंका के जलक्षेत्र में अवैध रूप से मछली पकड़ने के कारण श्रीलंकाई नौसेना द्वारा अक्सर गिरफ्तार किया जाता है।**
- **ये गिरफ्तारियां अक्सर श्रीलंका के उत्तरी तट के निकट कच्चातीवु से आगे होती हैं।**
- उत्तरी श्रीलंका के मछुआरे, जो तमिल भाषी भी हैं, 2009 में गृहयुद्ध की समाप्ति के बाद से अपने मछली पकड़ने के अधिकार की मांग कर रहे हैं।
- वे **भारतीय मछुआरों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली समुद्रतल से मछली पकड़ने की विधि का विरोध करते हैं,** जो समुद्री संसाधनों को नष्ट करती है और युद्ध के बाद के पुनरुद्धार प्रयासों में बाधा उत्पन्न करती है।
- **भारत ने मशीनीकृत ट्रॉलर मछली पकड़ने को बढ़ावा दिया है, जिसके कारण** तमिलनाडु के तट पर संसाधनों का ह्रास हो रहा है और भारतीय मछुआरे श्रीलंकाई जलक्षेत्र की ओर जा रहे हैं।
- दोनों सरकारों के बीच 2016 में हुए समझौते के बावजूद, भारतीय मछुआरे यह प्रथा जारी रखे हुए हैं।
- **भारतीय और श्रीलंकाई मछुआरों के बीच संघर्ष मुख्य रूप से मछली पकड़ने के तरीकों और क्षेत्रीय अधिकारों को लेकर है, कच्चातीवू को लेकर नहीं** ।
- कच्चातीवु को पुनः प्राप्त करना इस जारी संघर्ष का समाधान नहीं है।

प्रतिक्रिया क्या रही?

- विपक्षी दलों, विशेष रूप से कांग्रेस ने, 2015 में सरकार के रुख का हवाला देते हुए कच्चाथीवु के बारे में पीएम मोदी की टिप्पणी की आलोचना की कि पिछले समझौतों में क्षेत्रीय अधिग्रहण या अधिग्रहण शामिल नहीं था।
- तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने प्रधान मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान कच्चातिवु पर पीएम मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाया।
- **पूर्व भारतीय राजनयिकों ने चेतावनी दी कि पिछले समझौतों को चुनौती देने से भारत की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंच सकता है और श्रीलंका के साथ संबंधों में तनाव आ सकता है।**
- **पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिव शंकर मेनन ने** 50 साल पुराने समझौते को फिर से खोलने के प्रति आगाह किया और **इसे संभावित "आत्म-लक्ष्य" बताया।**
- श्रीलंका के विदेश मंत्री अली साबरी ने कहा कि पांच दशक पहले सुलझाए गए मुद्दे पर दोबारा विचार करने की जरूरत नहीं है।
- श्रीलंका के मत्स्य पालन मंत्री डगलस देवानंद ने भारत पर कच्चातिवू के आसपास श्रीलंकाई मछुआरों की पहुंच को सीमित करने के लिए अपने स्वार्थ में काम करने का आरोप लगाया।
- दोनों देशों के मछुआरों ने टिप्पणियों पर चिंता व्यक्त की और चल रहे मत्स्य पालन संघर्ष को संबोधित करने की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया, जिससे समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र और आजीविका को खतरा है।

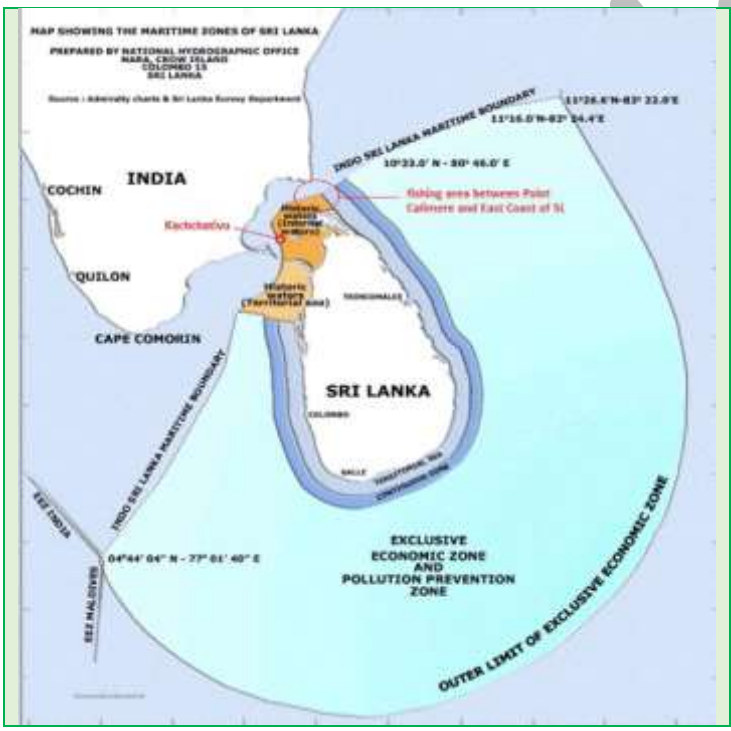

कच्चातिवू कहाँ है?

- कच्चाथीवू एक छोटा, निर्जन द्वीप है।
- इसका क्षेत्रफल लगभग 285 एकड़ है।
- यह द्वीप पाक जलडमरूमध्य में स्थित है।
- यह **डेल्फ़्ट द्वीप से लगभग 14.5 किमी दक्षिण में स्थित है।**
- कच्चाथीवू रामेश्वरम से लगभग 16 किमी उत्तर पूर्व में स्थित है।
- यह द्वीप बंजर है और इसमें पीने के पानी या बुनियादी ढांचे का अभाव है।
- द्वीप पर एकमात्र संरचना सेंट एंथोनी को समर्पित एक कैथोलिक **मंदिर है।**

साहसिक निर्णयों की आवश्यकता:

- पाक खाड़ी क्षेत्र में चुनौतियाँ नवीन समाधानों के अवसर प्रस्तुत करती हैं।
- **पाक खाड़ी को एक बाधा के रूप में देखने के बजाय इसे भारत और श्रीलंका के बीच एक पुल के रूप में देखा जाना चाहिए।**
- **पाक खाड़ी को परिवर्तित करने का प्रस्ताव एक साझा विरासत क्षेत्र में, भारतीय और श्रीलंकाई मछुआरों दोनों के लिए समुद्री संसाधनों तक समान पहुंच की अनुमति।**

- भारत सरकार को निष्पक्ष मछली पकड़ने की प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए श्रीलंका में प्रतिबंधित मछली पकड़ने के उपकरणों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए।
- **प्रस्तावित फॉर्मूला: श्रीलंकाई मछुआरे तीन दिन, भारतीय मछुआरे तीन दिन मछली पकड़ेंगे, जिसमें एक दिन छुट्टी होगी।**
- **दोनों देशों के तमिल मछुआरों को सहकारी समितियां बनाने तथा गहरे समुद्र में एक साथ मछली पकड़ने के कार्य में संलग्न होने के लिए प्रोत्साहित करना।**
- मातृ जहाज की सहायता के लिए ट्रॉलरों को जहाजों में परिवर्तित करना, संयुक्त उद्यमों को बढ़ावा देना तथा भारतीय समकक्षों द्वारा तमिल मछुआरों की आजीविका को पहुंचाई गई क्षति की मरम्मत करना।
- क्षेत्र में जीत-जीत परिणाम के लिए साहसिक पहल पर जोर।

3. भारत-मालदीव संबंध:

- पीपुल्स **नेशनल कांग्रेस (पीएनसी) ने** संसदीय चुनावों में "सुपर-बहुमत" हासिल किया, जिससे कानून पारित करने और संवैधानिक संशोधन करने का रास्ता आसान हो गया।
- **मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी (एमडीपी)** के नेतृत्व वाले विपक्ष ने केवल 12 सीटें जीतीं, जबकि **पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन और मोहम्मद नशीद से जुड़ी पार्टियां कोई भी सीट जीतने में विफल रहीं।**
- राष्ट्रपति मुइज्जू के नेतृत्व की जांच की जाएगी क्योंकि सत्तावादी शासन के इतिहास वाले देश में उनके पास लगभग पूर्ण शक्ति है।
- चुनाव परिणाम नवंबर 2023 में पदभार ग्रहण करने के बाद से राष्ट्रपति मुइज़ू के निर्णयों की व्यापक स्वीकृति को दर्शाते हैं **, जिसमें चीन के साथ संबंधों को मजबूत करना और भारत से दूरी बनाना शामिल है।**
- भारतीय पर्यटकों की संख्या में गिरावट के साथ-साथ मालदीव के मंत्रियों द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में अपमानजनक टिप्पणियों को लेकर भारत में चिंताएं बढ़ गई हैं।
- ये परिणाम नई दिल्ली और माले के लिए अपने तनावपूर्ण संबंधों को सुधारने का अवसर प्रदान करते हैं, जो पिछले दशक में प्रत्येक सरकार के परिवर्तन के साथ उतार-चढ़ाव भरे रहे हैं।
- राष्ट्रपति मुइज्जू ने "मालदीव समर्थक" नीति अपनाने की अपनी मंशा जाहिर की है, जिसका परीक्षण ऐसे कार्यों के आधार पर किया जाना चाहिए, जिनसे भारत की सुरक्षा या क्षेत्रीय शांति को खतरा न हो।
- मालदीव को आर्थिक चुनौतियों, जलवायु परिवर्तन के मुद्दों तथा अमेरिका और चीन की ओर से रणनीतिक हितों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे भारत के साथ मजबूत संबंध तथा उसकी टिकाऊ वित्तपोषण नीतियां और भी महत्वपूर्ण हो गई हैं।
- एक सफल "पड़ोसी पहले" नीति के लिए भारत और मालदीव के बीच आपसी विश्वास और हितों पर आधारित स्वैच्छिक सहयोग की आवश्यकता है।

4. इजराइल-ईरान संकट:

4.1. खबरों में क्यों? - वर्षों से, ईरान ने इज़राइल के साथ अपने छाया युद्ध में रणनीतिक धैर्य दिखाया है, लेकिन दमिश्क में तेल अवीव की बमबारी ने तेहरान की सोच को बदल दिया है

- इज़राइल के प्रधान मंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने **मार्च 2018 के एक साक्षात्कार में ईरान को इज़राइल के लिए सबसे बड़े खतरे के रूप में पहचाना।**
- नेतन्याहू ओबामा प्रशासन द्वारा मध्यस्थ 2015 ईरान परमाणु समझौते के विरोध में मुखर रहे हैं।

- **नेतन्याहू के कार्यकाल के दौरान 14 अप्रैल को ईरान ने इज़राइल पर एक महत्वपूर्ण हमला किया, जो तीन दशकों में किसी राज्य अभिनेता द्वारा किया गया पहला ऐसा हमला था।**
- हमले ने इज़राइल की प्रतिरोधक क्षमता को चुनौती दी और सुरक्षा के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका पर उसकी निर्भरता को उजागर किया।
- हमले के बावजूद, संयुक्त राज्य अमेरिका ने इज़राइल की प्रतिक्रिया पर रोक लगा दी, जिससे इज़राइल की कथित कमजोर प्रतिक्रिया की आलोचना हुई।
- यह घटना ईरान की बढ़ती जोखिम उठाने की इच्छा और अस्थिर पश्चिम एशिया क्षेत्र में जटिल गतिशीलता को रेखांकित करती है।

बिडेन सिद्धांत

- बिडेन प्रशासन का उद्देश्य इज़राइल-हमास संघर्ष को एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध में बढ़ने से रोकना था।
- **राष्ट्रपति बिडेन ने गाजा में इजरायल के सैन्य अभियान का समर्थन किया लेकिन इजरायल और उसके पड़ोसियों के बीच तनाव कम करने के लिए कूटनीतिक रूप से भी काम किया।**
- चुनौतियाँ उत्पन्न हुईं क्योंकि अमेरिका का ईरान पर सीमित प्रभाव था, और इज़राइल गाजा में हमास और क्षेत्र में ईरानी प्रभाव दोनों का मुकाबला कर रहा था।
- इज़राइल द्वारा दमिश्क में ईरानी दूतावास परिसर पर बमबारी से इज़राइल-ईरान टकराव का खतरा बढ़ गया।
- अमेरिका ने ईरान की जवाबी कार्रवाई का अनुमान लगा लिया था और स्थिति को बढ़ने से रोकने के लिए ईरानी प्रक्षेपास्त्रों को रोकने के लिए कदम उठाए थे।
- **राष्ट्रपति बिडेन ने प्रधानमंत्री नेतन्याहू को सूचित किया कि अमेरिका ईरान के विरुद्ध किसी भी इजरायली जवाबी कार्रवाई में भाग नहीं लेगा, जिससे तनाव कम करने की इच्छा का संकेत मिलता है।**

नेतन्याहू की दुविधा

- इजराइल और ईरान वर्षों से **छाया युद्ध में लगे हुए हैं, जिसमें इजराइल ने ईरानी हितों को निशाना बनाकर कई हवाई हमले किए हैं।**
- **इजराइल ने ईरान के अंदर भी कई अभियान चलाए हैं, जिनमें नवंबर 2020 में एक वरिष्ठ परमाणु वैज्ञानिक की हत्या भी शामिल है।**
- इजरायल की इन कार्रवाइयों को ईरान द्वारा अपेक्षाकृत चुनौती नहीं दी गई है, जिससे इजरायल को अपनी गतिविधियां जारी रखने का साहस मिला है।
- 7 अक्टूबर को तनाव बढ़ने के बाद, इज़राइल ने सीरिया में वरिष्ठ ईरानी हस्तियों को निशाना बनाकर अपना छाया युद्ध तेज कर दिया, जिसके बाद ईरान की ओर से धीमी प्रतिक्रिया आई।
- ईरान के ख़िलाफ़ ज़बरदस्त जवाबी कार्रवाई के आह्वान के बावजूद, इज़रायली प्रतिशोध के लिए अमेरिकी समर्थन की कमी के कारण इज़रायली प्रधान मंत्री नेतन्याहू को सीमाओं का सामना करना पड़ा।
- नेतन्याहू ने ईरान के अंदर एक प्रतीकात्मक हमले का विकल्प चुना, जिसमें एक रडार प्रणाली को निशाना बनाया गया, जिसे इजरायली दृष्टिकोण से एक कमजोर प्रतिक्रिया के रूप में देखा गया लेकिन ईरान के साथ आगे बढ़ने से बचा लिया गया।
- इज़राइल के प्रतिशोध प्रयासों में शामिल नहीं होने के बिडेन प्रशासन के रुख ने क्षेत्रीय युद्ध को रोकने में मदद की लेकिन इज़राइल द्वारा इसे एक बाधा के रूप में माना गया।

अयातुल्ला की गणना

- **ईरान-इज़राइल छाया युद्ध** :
    - ईरान और इज़राइल वर्षों से एक छाया युद्ध में लगे हुए हैं, जिसमें गुप्त अभियान और हवाई हमले एक-दूसरे के हितों को लक्षित करते हैं।
    - इज़राइल ने सीरिया में ईरानी संपत्तियों को निशाना बनाकर 400 से अधिक हवाई हमले किए हैं, जिनमें ईरान के अंदर किए गए ऑपरेशन भी शामिल हैं।
    - वरिष्ठ अधिकारियों और वैज्ञानिकों को खोने के बावजूद, क्षेत्र और उसके परमाणु कार्यक्रम में ईरान का प्रभाव काफी हद तक बरकरार है।
- **ईरान की रणनीति में बदलाव** :
    - ऐसा प्रतीत होता है कि दमिश्क में ईरानी दूतावास परिसर पर इज़राइल की बमबारी ने ईरान की रणनीति में बदलाव को प्रेरित किया है।
    - ईरान ने ईरानी अधिकारियों पर लगातार हमलों की कीमत इजराइल पर थोपने का फैसला किया है।
- **ईरान की रणनीति में बदलाव को प्रभावित करने वाले कारक** :
    - **रूस और चीन के साथ रणनीतिक संबंधों में सुधार, यूक्रेन में संघर्ष के लिए ईरान रूस को ड्रोन की आपूर्ति कर रहा है।**
    - आकलन है कि अमेरिका को मध्य पूर्व में लंबे समय तक युद्ध करने की इच्छा कम है, खासकर चीन और रूस से मिल रही चुनौतियों के बीच।
- **इज़राइल के गाजा आक्रमण का प्रभाव:**
    - गाजा में हमास के खिलाफ छह महीने तक चला इजराइल का आक्रमण अपने उद्देश्यों को पूरा करने में विफल रहा है।

- इस हमले के कारण अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निंदा हुई और इजराइल के खिलाफ नरसंहार के आरोप लगे।

- **ईरान का परिकलित जोखिम** :
  - इजराइल पर खुले तौर पर हमला करने का ईरान का निर्णय बदलती क्षेत्रीय गतिशीलता और कमजोर इजराइली स्थिति के उसके आकलन को दर्शाता है।
  - अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जॉर्डन और इजरायल के सामूहिक रक्षा प्रयासों के बावजूद, कुछ ईरानी मिसाइलों ने अभी भी इजरायल को निशाना बनाया, जो ईरान के बढ़ते दुस्साहस को दर्शाता है।

- **ईरानी हमलों का पैटर्न** :
  - ईरान ने पहले इराक में सऊदी तेल सुविधाओं और अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है, जिसके न्यूनतम परिणाम भुगतने पड़े हैं।
  - इज़राइल पर हालिया हमला ईरान की महत्वपूर्ण नतीजों के बिना तनाव बढ़ाने की इच्छा को दर्शाता है।

- **पश्चिम एशिया पर प्रभाव** :
  - ईरान की कार्रवाई क्षेत्रीय स्थिरता और सुरक्षा पर संभावित प्रभाव के साथ क्षेत्र के रणनीतिक परिदृश्य में बदलाव का संकेत देती है।

संघर्ष का इतिहास - संघर्ष, नबूकदनेस्सर से नेतन्याहू तक

- ईरान और इज़राइल के बीच हालिया प्रत्यक्ष प्रक्षेप्य आदान-प्रदान प्राचीन काल से चली आ रही ऐतिहासिक दुश्मनी को प्रतिबिंबित करता है।
- असीरियन राजा नबूकदनेस्सर, जो 642 से 562 ईसा पूर्व तक जीवित रहे, ने इस शत्रुता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- 586 ईसा पूर्व में, नबूकदनेस्सर ने पहले यहूदी मंदिर को नष्ट कर दिया और यहूदिया के यहूदी राज्य को लूट लिया।
- उन्होंने यहूदिया के नागरिकों को भी बेबीलोनिया में बंदी बना लिया, जिससे यहूदी लोगों और उनके पड़ोसियों के बीच लम्बे समय तक संघर्ष चलता रहा।
- यहूदी धर्मग्रंथों में नबूकदनेस्सर को "राष्ट्रों का विनाशक" बताया गया है, जो इतिहास पर उसके कार्यों के प्रभाव को उजागर करता है।

एक लंबी दुश्मनी

- **ऐतिहासिक जड़ें** : इजरायल और ईरान के बीच दुश्मनी प्राचीन काल से चली आ रही है, जो असीरियन राजा नबूकदनेस्सर के युग से शुरू हुई, जिसने 586 ईसा पूर्व में यहूदी मंदिर को नष्ट कर दिया था।
- **दीर्घकालिक संघर्ष** : यह शत्रुता 26 शताब्दियों से अधिक समय से जारी है, तथा पिछली शताब्दी में ईरान में पहलवी युग के दौरान कुछ समय के लिए गठबंधन भी हुआ था।
- **इस्लामी क्रांति का प्रभाव** : 1979 में इस्लामी गणराज्य की स्थापना ने ऐतिहासिक दुश्मनी को पुनः स्थापित कर दिया, जिसमें ईरान लगातार इजरायल को "छोटा शैतान" कहकर उसकी निंदा करता रहा तथा उसके विनाश की वकालत करता रहा।
- **हथियारों की खोज** : ईरान ने ड्रोन, मिसाइलों और परमाणु हथियारों सहित सामूहिक विनाश के हथियारों की खोज की है, जबकि इजरायल ईरान को अपने अस्तित्व के लिए खतरा मानता है और उसे परमाणु क्षमता हासिल करने से रोकने की कसम खाता है।

- **प्रॉक्सी संघर्ष** : दोनों देश हिजबुल्लाह, हौथिस और हमास जैसे गैर-राज्य अभिनेताओं के माध्यम से प्रॉक्सी संघर्षों में लगे हुए हैं, जिसमें ईरान उन्हें इजरायल के खिलाफ समर्थन देता है जबकि इजरायल सैन्य अभियानों के साथ जवाबी कार्रवाई करता है।
- **सामरिक गतिशीलता** : हाल तक, संघर्ष ज्यादातर गुप्त रहा, जिसमें इज़राइल सीरिया में ईरानी और हिज़्बुल्लाह की मौजूदगी को निशाना बना रहा था, और ईरान इज़राइल के खिलाफ़ प्रॉक्सी का समर्थन कर रहा था। हालाँकि, हाल ही में हुए प्रत्यक्ष टकराव इस गतिशीलता में बदलाव का संकेत देते हैं।
- **हाल ही में तनाव में वृद्धि** : हाल ही में तनाव की शुरुआत दमिश्क में हवाई हमले से हुई, जिसके बारे में संदेह है कि यह हमला इजरायल द्वारा किया गया था, इसके बाद ईरान ने इजरायली ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइलों से जवाबी कार्रवाई की। इसके बाद इजरायल ने इस्फ़हान में ईरानी एयरबेस पर हवाई हमला करके जवाब दिया।
- **नई सामान्य स्थिति** : इस वृद्धि ने एक नई मिसाल कायम की है, जो दो दुश्मनों के बीच पहली प्रत्यक्ष मुठभेड़ है और संघर्ष में संभावित रूप से खतरनाक वृद्धि का संकेत देती है।
- **ऐतिहासिक कारक** : ज़ायोनी आंदोलन और बाल्फोर घोषणा सहित ऐतिहासिक, धार्मिक और भू-राजनीतिक कारकों ने इजरायल और ईरान के बीच तनाव को और बढ़ा दिया है।
- **प्रवासन और संघर्ष** : यहूदियों, विशेषकर सेफर्डिम, का फिलिस्तीन की ओर प्रवासन, तथा यहूदी गिरोहों द्वारा आतंकवादी गतिविधियों के कारण स्थानीय अरबों के साथ तनाव बढ़ गया।

ईरान और इजरायल की योजनाएँ

- ईरान फिलिस्तीन मुद्दे को आगे बढ़ाकर तथा स्वयं को फिलिस्तीनी अधिकारों के रक्षक के रूप में स्थापित करके वैश्विक मुस्लिम समर्थन प्राप्त करना चाहता है।
- तेहरान का उद्देश्य फिलिस्तीन के प्रति सहानुभूति रखने वाली मुस्लिम आबादी और कूटनीतिक समाधान चाहने वाली उदारवादी अरब सरकारों के बीच दरार पैदा करना है।
- उदारवादी अरब देश ईरान की मुखरता और गैर-सरकारी तत्वों को समर्थन से नाराज हैं तथा इसे विघटनकारी मानते हैं।
- अमेरिका ने कुछ उदारवादी अरब राज्यों और इज़राइल को शामिल करते हुए एक ईरान-विरोधी गठबंधन बनाने की कोशिश की है, जिसे " **अब्राहम समझौते** " के रूप में जाना जाता है।
- कुछ लोगों का अनुमान है कि अक्टूबर में हमास के हमले का उद्देश्य इस गठबंधन में सऊदी अरब के संभावित प्रवेश को विफल करना था।
- **ईरान के पास परमाणु हथियार क्षमता का अभाव है** , वह प्रत्यक्ष संघर्ष से बचते हुए परोक्ष रूप से इजरायल को युद्ध में उलझाकर देरी करना चाहता है।
- बेहतर सैन्य प्रौद्योगिकी के साथ इज़राइल का लक्ष्य क्षेत्रीय प्रभुत्व बनाए रखने के लिए त्वरित, निर्णायक कार्रवाई करना है।
- **इज़राइल के पास वेस्ट बैंक, येरुशलम और गोलान हाइट्स जैसे क्षेत्रों पर क्षेत्रीय दावे हैं,** लेकिन आगे कोई महत्वाकांक्षा नहीं है।
- हाल की घटनाओं ने क्षेत्रीय स्थिरता, संभावित तेल व्यवधान और सुरक्षा के बारे में **अरब और मुस्लिम शासनों के बीच चिंताएँ बढ़ा दी हैं।**
- गठबंधनों को सुरक्षित करने और जोखिमों को कम करने के प्रयास चल रहे हैं, जैसे सुरक्षा के लिए सऊदी अरब का पाकिस्तान के साथ जुड़ाव और ईरान की पाकिस्तान तक राजनयिक पहुंच।
- इज़राइल और ईरान के बीच संघर्ष भारत के हितों को प्रभावित कर सकता है, जिसमें आर्थिक संबंध, मध्य पूर्व में प्रवासी समुदाय और क्षेत्रीय स्थिरता शामिल हैं।

- ऐसा संघर्ष भारत की "एक्ट वेस्ट" नीति और भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे जैसी बहुपक्षीय पहल को बाधित कर सकता है।

4.2. फ़िलिस्तीन को स्थायी दर्जा:

- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) ने फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र में पूर्ण सदस्य का दर्जा देने के एक प्रस्ताव पर विचार किया।
- यह प्रस्ताव **अल्जीरिया द्वारा प्रस्तावित किया गया था।**
- इसका उद्देश्य **1947 में किए गए वादे को पूरा करना था जब संयुक्त राष्ट्र महासभा ने फिलिस्तीन को दो राज्यों में विभाजित किया था: एक यहूदी और एक अरब।**
- 1949 में केवल इज़राइल ही संयुक्त राष्ट्र का पूर्ण सदस्य बना।
- फ़िलिस्तीन वर्षों से पूर्ण सदस्यता की मांग कर रहा है, जिसे 2012 में स्थायी पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त हुआ था।
- इस प्रस्ताव को यूएनएससी के 15 में से 12 सदस्यों ने समर्थन दिया।
- हालाँकि, **संयुक्त राज्य अमेरिका ने प्रस्ताव पर वीटो कर दिया।**
- अमेरिका ने तर्क दिया कि फ़िलिस्तीन की सदस्यता पार्टियों के बीच सीधी बातचीत के माध्यम से हासिल की जानी चाहिए।
- इजरायली **राजदूत ने** इस प्रस्ताव की आलोचना की, विशेष रूप से हमास द्वारा हाल के आतंकवादी हमलों के बाद, यह कहते हुए कि यह अपराधों को पुरस्कृत करेगा।
- फ़िलिस्तीनियों के ख़िलाफ़ इज़रायल की सैन्य कार्रवाइयों से जुड़ी हालिया घटनाएं फ़िलिस्तीन के अधिकारों को मान्यता देने की तात्कालिकता को उजागर करती हैं।
- संयुक्त राष्ट्र के युद्धविराम प्रस्ताव के बावजूद, इज़राइल ने सैन्य अभियान जारी रखा, जिससे फिलिस्तीन को वैश्विक मंच पर एक मजबूत आवाज की आवश्यकता का संकेत मिलता है।
- **इज़राइल के लिए अमेरिका के अटूट समर्थन पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए** , क्योंकि यह निष्पक्ष समाधान की दिशा में प्रगति में बाधा डालता है।
- यह तर्क कि फिलिस्तीन केवल बातचीत के माध्यम से राज्य का दर्जा प्राप्त कर सकता है, त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि इजरायली नेतृत्व ने फिलिस्तीनी राज्य के विचार को खारिज कर दिया है।
- **फिलिस्तीन के लिए संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता इसे अन्य देशों के समान मानकों पर रखेगी, जवाबदेही और शांति को बढ़ावा देगी।**
- निर्दोष नागरिकों की पीड़ा को नज़रअंदाज़ करते हुए, सभी फ़िलिस्तीनियों को आतंकवादी कृत्यों से जोड़ना अनुचित है।
- एक वैश्विक नेता के रूप में, अमेरिका को संयुक्त राष्ट्र के संप्रभु समानता के सिद्धांत के अनुरूप, किसी एक देश का पक्ष लेने के बजाय आम सहमति बनाने को प्राथमिकता देनी चाहिए।

4.3 गाजा युद्ध से बाहर निकलने के लिए एक स्मार्ट रणनीति की आवश्यकता है:

- 25 मार्च, 2024 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) ने एक प्रस्ताव पारित कर रमजान के दौरान गाजा में तत्काल युद्धविराम और सभी बंधकों की बिना शर्त रिहाई का आह्वान किया।
- यह प्रस्ताव पिछले अक्टूबर में दक्षिणी इजराइल में हमास द्वारा किये गए आतंकवादी हमले के बाद गाजा में संघर्ष शुरू होने के बाद पहला सफल युद्धविराम प्रस्ताव है।

- युद्ध विराम प्रस्ताव के पिछले प्रयास संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका द्वारा अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग करने के कारण विफल हो गए थे। हालाँकि, इस बार, अमेरिका ने मतदान से परहेज किया, जिससे प्रस्ताव पारित हो गया।
- **इज़राइल ने प्रस्ताव पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की, प्रधान मंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका पर अपनी नीति छोड़ने और युद्ध के प्रयासों को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया। इज़राइल ने प्रतिक्रिया में वाशिंगटन की एक नियोजित मंत्रिस्तरीय प्रतिनिधिमंडल यात्रा रद्द कर दी।**
- **इज़रायली दबाव के तहत, अमेरिका ने बाद में कहा कि संयुक्त राष्ट्र का प्रस्ताव गैर-बाध्यकारी था, जिससे प्रभावी रूप से इज़रायल को युद्धविराम के आह्वान के बावजूद गाजा में अपनी कार्रवाई जारी रखने की अनुमति मिल गई।**
- प्रारंभ में युद्धविराम प्रस्ताव का स्वागत करते हुए, **हमास ने बाद में स्थायी युद्धविराम और गाजा से इजरायली बलों की पूर्ण वापसी की अपनी मांग दोहराई।**
- प्रारंभिक **आशावाद जल्द ही फीका पड़ गया क्योंकि दोनों पक्षों ने अपनी स्थिति बरकरार रखी, जिससे यथास्थिति वापस आ गई।**

युद्ध जारी है

- युद्ध विराम को लेकर अनिश्चितता के बावजूद, **मिस्र और कतर युद्ध** विराम को सुविधाजनक बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं।
- **गाजा में अल शिफा अस्पताल पर पुनः** हमला करके अपनी कार्रवाई को तेज कर दिया , जिसके परिणामस्वरूप नागरिक हताहत हुए।
- हाल ही में गाजा के राफा में हवाई हमले और बमबारी तेज हो गई है।
- रिपोर्टों से पता चलता है कि **इज़रायल ने दक्षिणी लेबनान को भी निशाना बनाया** , जिसके परिणामस्वरूप नागरिक हताहत हुए।
- **जवाब में, हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल में मिसाइल हमले बढ़ा दिए** , जिससे सैन्य संपत्तियों को नुकसान पहुंचा और जानमाल की हानि हुई।

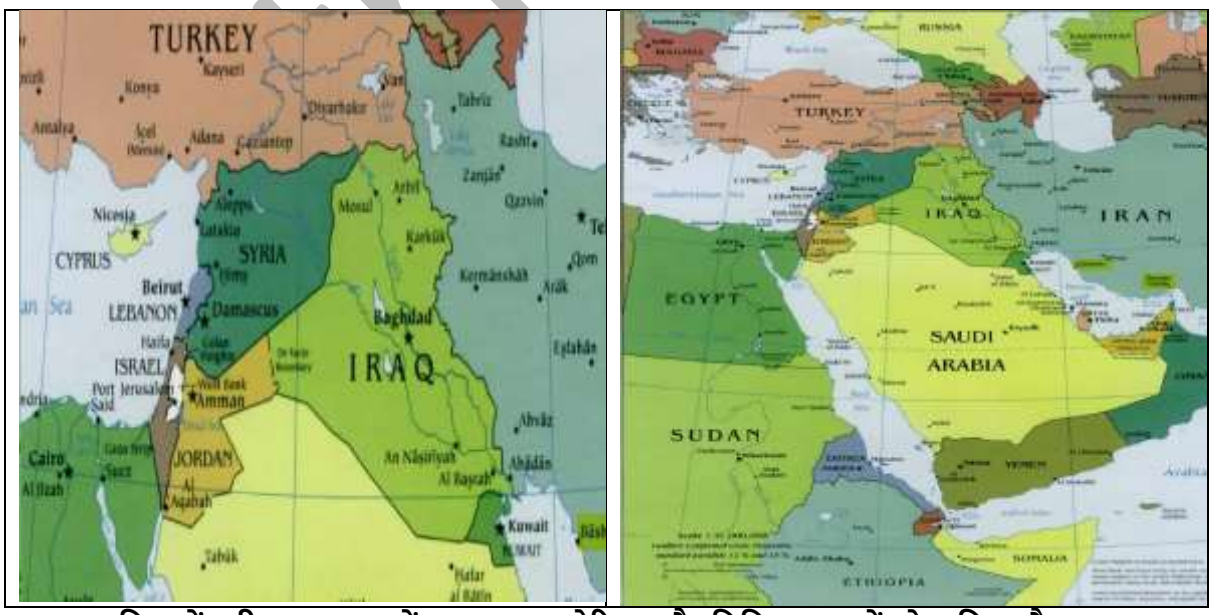

- **दक्षिण में हूथी लाल सागर में इजरायल, अमेरिका और ब्रिटिश जहाजों को बाधित और अवरुद्ध कर रहे हैं** , जिससे आर्थिक नुकसान हो रहा है।
- हालिया अनुमानों के अनुसार, गाजा में युद्ध के कारण 32,000 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है।

- **सीरिया में इजरायली हमले में दमिश्क स्थित ईरानी वाणिज्य दूतावास को निशाना बनाया गया** , जिसमें अल कुद्स के एक वरिष्ठ नेता की मौत हो गई, जिससे व्यापक संघर्ष का खतरा बढ़ गया है।

युद्ध के उद्देश्य, उनकी स्थिति

1. **इजराइल ने 7 अक्टूबर को गाजा पर जवाबी हमला किया जिसके तीन उद्देश्य थे:**
    - गाजा को समतल करो।
    - हमास को ख़त्म करो.
    - सभी बंधकों को वापस लाओ।
2. **इजराइल के उद्देश्यों की समीक्षा:**
    - गाजा को भारी क्षति पहुंची है, जिससे वह कई वर्षों तक रहने लायक नहीं रह गया है।
    - इजराइल ने गाजा सीमा पर एक किलोमीटर चौड़ा क्षेत्र समतल कर दिया है।
    - अनुमान है कि केवल 30% हमास लड़ाकों का ही सफाया किया जा सका है।
    - **हमास की लड़ने की क्षमता बनी हुई है और उसके रॉकेटों की आपूर्ति कम नहीं हुई है।**
    - हमास **नेता याह्या सिनवार** इजरायली सेना से बच निकले हैं।
    - इज़राइल **अपने बंधकों को सफलतापूर्वक छुड़ाने में विफल रहा है** , कुछ की गोलीबारी में मौत की खबर है।
3. **हमास के उद्देश्य:**
    - इज़राइल और अरब राज्यों के बीच **सामान्यीकरण की बातचीत के बीच दुनिया को फिलिस्तीनी राज्य के मुद्दे की याद दिलाएं ।**
    - **इज़रायली सेना की कथित अजेयता को** उसके समर्थन आधार पर उजागर करें।
    - संघर्ष के माध्यम से **दोनों उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल रहा ।**
4. **युद्ध शुरू करना आसान है, लेकिन उसे ख़त्म करना चुनौतीपूर्ण है:**
    - सैन्य या राजनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के बजाय **गतिरोध या अंतरराष्ट्रीय दबाव के कारण होता है ।**
    - उदाहरणों में **अफगानिस्तान और इराक में लंबे समय तक चलने वाले अमेरिकी युद्ध** और चल रहे रूस-यूक्रेन संघर्ष शामिल हैं।
    - **स्पष्ट रूप से परिभाषित निकास रणनीतियों का अभाव** प्रारंभिक सैन्य जीत के बावजूद संघर्ष को लम्बा खींच सकता है।

इजराइल पर प्रभाव

- गाजा में लंबे समय से चल रहे संघर्ष के कारण इजराइल को बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है
- इजराइली सेना को नुकसान और चोटें झेलनी पड़ी हैं
- **अर्थव्यवस्था तेजी से सिकुड़ रही है, अनुमान है कि लगभग 20% की गिरावट होगी**
- **प्रधान मंत्री नेतन्याहू को घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी स्थिति बनाए रखने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है**

Patriotic IAS

- इजरायल के सहयोगी अमेरिका ने संकेत दिया है कि इजरायल को गाजा में अपनी कार्रवाई में संयम दिखाने की जरूरत है।
- इजरायल को स्पष्ट और प्राप्त करने योग्य अंतिम स्थिति के लिए अपनी युद्ध रणनीति और उद्देश्यों पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है।
- **यद्यपि गाजा को सैन्य रूप से पराजित कर दिया गया है, परन्तु हमास का पूर्णतः सफाया होना सम्भव नहीं है।**
- इजरायल के लिए सबसे व्यावहारिक विकल्प गाजा के साथ संघर्ष में **शीघ्र युद्ध विराम लागू करना हो सकता है।**
- **इजराइल गाजा पट्टी से अपनी सेनाएं हटा सकता है तथा हाल ही में समतल की गई एक किलोमीटर की पट्टी का उपयोग करते हुए गाजा सीमा पर निगरानी सह बफर क्षेत्र स्थापित कर सकता है** ।
- निरंतर निगरानी में रहने वाला यह बफर जोन 7 अक्टूबर जैसी स्थिति को और बढ़ने से रोकने में सहायक हो सकता है।
- **बंधकों के संबंध में, इजरायल द्वारा प्रस्तावित युद्धविराम और बफर जोन पर सहमति जताने के बाद हमास आदान-प्रदान के लिए सहमत हो सकता है।**
- भविष्य और संभावित **दो-राज्य समाधान को देखते हुए** , इसमें शामिल सभी पक्षों को अपनी स्थिति पर फिर से विचार करने और समयबद्ध और स्वीकार्य समाधान पर बातचीत करने की आवश्यकता होगी।
- इज़राइल और फ़िलिस्तीन दोनों एक भौगोलिक और नियति संबंध साझा करते हैं, और **शांतिपूर्ण भविष्य के लिए दोनों पक्षों से महत्वपूर्ण समझौते की आवश्यकता होगी।**
- यदि सहमति हो जाती है, तो इन उपायों से गाजा में वर्तमान अजेय युद्ध से चेहरा बचाने और स्मार्ट तरीके से बाहर निकलने में मदद मिल सकती है।

4.4 भारत यूएनएचआरसी के उस मतदान से दूर रहा जिसमें इजराइल से गाजा में तत्काल युद्धविराम का आह्वान किया गया था:

- भारत ने गाजा में संघर्ष के संबंध में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (यूएनएचआरसी) में एक प्रस्ताव पर मतदान से परहेज किया।
- प्रस्ताव में गाजा में तत्काल युद्धविराम और सदस्य देशों से हथियार प्रतिबंध लागू करने का आह्वान किया गया।
- माना जाता है कि भारत का अनुपस्थित रहना एचआरसी प्रस्तावों पर उसके पिछले वोटों के अनुरूप है जो "जवाबदेही" की मांग करते हैं।
- हालाँकि, भारत ने फिलिस्तीनियों के खिलाफ मानवाधिकारों के उल्लंघन और सीरियाई गोलान पर इजरायल के कब्जे के लिए इजरायल की आलोचना करने वाले तीन अन्य प्रस्तावों के पक्ष में मतदान किया।
- इन प्रस्तावों में फिलिस्तीनी को आत्मनिर्णय का अधिकार देने का भी आह्वान किया गया।
- ये **प्रस्ताव पाकिस्तान ने इस्लामिक सहयोग संगठन की ओर से पेश किए थे।**
- भारत के विदेश मंत्रालय ने वोट के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया, लेकिन यह इसी तरह के प्रस्तावों पर पिछले परहेजों के अनुरूप है।
- यह निर्णय अक्टूबर 2023 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत के मतदान के अनुरूप भी है, क्योंकि एचआरसी प्रस्ताव में हमास की निंदा नहीं की गई थी, बल्कि गाजा में इजरायल की कार्रवाई की आलोचना की गई थी।

- संयुक्त **राज्य अमेरिका, जर्मनी और चार अन्य देशों ने "पूर्वी येरुशलम सहित कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्र में मानवाधिकार की स्थिति तथा जवाबदेही और न्याय सुनिश्चित करने का दायित्व" शीर्षक वाले प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया।**
- भारत, फ्रांस और जापान ने इस प्रस्ताव पर मतदान से परहेज किया।
- हालाँकि, बांग्लादेश, चीन, मालदीव, संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया सहित **28 सदस्यों ने** प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया।
- भारत ने तीन अन्य प्रस्तावों के पक्ष में मतदान किया:
    1. "फिलिस्तीनी लोगों का आत्मनिर्णय का अधिकार"
    2. "कब्जे वाले सीरियाई गोलान में मानवाधिकार"
    3. "पूर्वी येरुशलम सहित कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्र और कब्जे वाले सीरियाई गोलान में इजरायली बस्तियां"

5. भारत-पाकिस्तान संबंध:

चर्चा में क्यों- ऑपरेशन मेघदूत के 40 वर्ष पूरे

- सियाचिन **ग्लेशियर 15,632 फीट की ऊंचाई पर स्थित है** और यहां मौसम की स्थिति बहुत खराब रहती है।
- ग्लेशियर पर संघर्ष में भारत और पाकिस्तान शामिल हैं, जिसमें भारत ने **काराकोरम पर्वतमाला में नुब्रा घाटी के ऊपर साल्टोरो रिज पर ग्लेशियर पर पहले से ही कब्जा कर रखा है।**
- 13 अप्रैल, 2024 को भारतीय सेना की अग्रिम कार्रवाई के चालीस वर्ष पूरे हो जाएंगे।
- ग्लेशियर पर सबसे बड़ी चुनौती चरम मौसम है, जिसके कारण लगभग 1,150 सैनिकों की जान चली गई, जिनमें से अधिकांश की मृत्यु कठोर परिस्थितियों के कारण हुई।

परस्पर विरोधी दावे

- **"सियाचिन" शब्द बाल्टी भाषा से आया है** , जिसका अर्थ है " **गुलाबों की भूमि** ", जिसमें "सिया" गुलाब की प्रजाति का प्रतिनिधित्व करता है और "चेन" का अर्थ है "बहुतायत में।"
- अपने पुष्प नाम के बावजूद, सियाचिन **दुनिया के सबसे ऊंचे और सबसे ठंडे युद्धक्षेत्र के रूप में कुख्यात है।**
- यह सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बायीं ओर पाकिस्तान और दायीं ओर चीन के बीच स्थित है।
- सियाचिन की उत्पत्ति भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन से जुड़ी है।
- **1972 के शिमला समझौते में एनजे-9842** तक **नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर सहमति हुई थी,** लेकिन सियाचिन को चिन्हित नहीं किया गया।
- भारत अपना दावा 1947 और 1949 के समझौतों पर आधारित करता है, जिसमें संघर्ष विराम रेखा को "ग्लेशियरों के उत्तर की ओर" विस्तार के रूप में परिभाषित किया गया है।

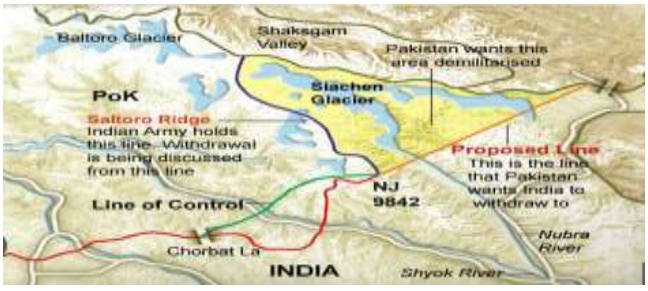

- पाकिस्तान समझौतों की अलग-अलग व्याख्या करता है, और साल्टोरो रिज और सियाचिन से परे "उत्तर-पूर्व की ओर" क्षेत्र पर दावा करता है।
- पाकिस्तान का दावा चीन को सीधी कनेक्टिविटी और लद्दाख और लेह-श्रीनगर राजमार्ग पर रणनीतिक निगरानी प्रदान कर सकता है, जिससे भारत के लिए खतरा पैदा हो सकता है।

ऑपरेशन मेघदूत की उत्पत्ति

- में , **पाकिस्तान ने अपने क्षेत्रीय दावों का समर्थन करने के लिए सियाचिन में विदेशी पर्वतारोहण अभियानों की अनुमति दी थी।**
- भारत को 1984 में पाकिस्तान की आसन्न सैन्य कार्रवाई की खुफिया जानकारी मिली और उसने पहले से कार्रवाई करने का फैसला किया।
- 1980 के दशक की शुरुआत में कर्नल नरिंदर 'बुल' कुमार के पर्वतारोहण अभियानों ने ऑपरेशन मेघदूत की योजना बनाने में सहायता की।
- ऑपरेशन मेघदूत 13 अप्रैल 1984 को 76.4 किलोमीटर लंबे सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा करने के लिए शुरू किया गया था।
- **कैप्टन संजय कुलकर्णी के नेतृत्व में 4 कुमाऊं की एक प्लाटून द्वारा 18,000 फीट की ऊंचाई पर बिलाफोंड ला** पर भारतीय ध्वज फहराया गया ।
- ऑपरेशन के दौरान भारतीय वायु सेना (आईएएफ) द्वारा चीता हेलीकॉप्टरों के माध्यम से लद्दाख स्काउट्स को तैनात किया गया था।
- भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर अक्टूबर 1978 से ग्लेशियर में काम कर रहे थे, तथा सामरिक विमानवाहक पोत सैनिकों और रसद का परिवहन कर रहे थे।
- ग्लेशियर की प्रमुख चोटियों और दर्रों पर लगभग 300 सैनिक तैनात किये गये थे।
- जून 1987 में भारतीय सैनिकों ने **ऑपरेशन राजीव के तहत 21,153 फीट की ऊंचाई पर स्थित कायद पोस्ट पर कब्जा कर लिया** , जिसे बाद में नायब सूबेदार बाना सिंह के सम्मान में बाना टॉप नाम दिया गया।
- 1984 से 2003 तक दोनों पक्षों के बीच नियमित गोलीबारी होती रही।
- **सियाचिन में वास्तविक स्थल स्थिति रेखा (एजीपीएल)** पर युद्ध विराम समझौते के बाद बंदूकें शांत हो गईं ।
- ऑपरेशन मेघदूत आज भी जारी है, जिससे यह विश्व स्तर पर सबसे लंबे समय तक चलने वाला ऑपरेशन बन गया है।

धीरज की परीक्षा

- **सियाचिन ग्लेशियर पर सेना की चौकियां 18,000 फीट और उससे अधिक ऊंचाई पर स्थित हैं,** जिनमें बाना पोस्ट सबसे ऊंची और इंदिरा कोल सबसे ऊंची जगह है।
- 18,000 से 19,000 फीट की ऊंचाई के बीच भारतीय और पाकिस्तानी चौकियां एक-दूसरे के आमने-सामने हैं, लेकिन 20,000 फीट से आगे केवल भारत ही अपनी चौकियां बनाए रखता है।
- सियाचिन पर ऑपरेशनों में चरम स्थितियों के कारण मानव की सहनशक्ति और कौशल की परीक्षा होती है, विशेषकर ऑपरेशन मेघदूत के शुरुआती दिनों में।
- प्रारंभ में, भारतीय वायु सेना (आईएएफ) के अभियान हेलीकॉप्टरों और परिवहन विमानों पर निर्भर थे, बाद में लड़ाकू विमानों को भी इसमें शामिल किया गया।
- सितम्बर 1984 में, नं. 27 स्क्वाड्रन से हंटर विमानों की एक टुकड़ी ने लेह के उच्च ऊंचाई वाले हवाई क्षेत्र से परिचालन शुरू किया।
- अगले वर्षों में हंटर्स ने लेह से 700 से अधिक उड़ानें भरीं, जिनमें लड़ाकू विमान उड़ाना और कृत्रिम हमले शामिल थे।
- बाद में लेह के दक्षिण में कार त्सो के उच्च ऊंचाई वाले फायरिंग रेंज में लाइव हथियार उड़ानें भरी गईं।

- भारतीय वायुसेना ने 2009 में ग्लेशियर में चीतल हेलीकॉप्टर उतारे थे, जिनमें उच्च ऊंचाई पर बेहतर विश्वसनीयता और भार वहन क्षमता के लिए पुनः इंजीनियर इंजन लगाए गए थे।

ग्लेशियर पर हालिया घटनाक्रम

- पिछले चार दशकों में सियाचिन ग्लेशियर पर प्रौद्योगिकी, सुविधाओं और सैन्य सहायता में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।
- आवास, संचार, गतिशीलता, रसद, चिकित्सा सहायता और हरित पहल में बड़े सुधार किए गए हैं।
- जलवायु परिवर्तन के कारण ग्लेशियर पर असर पड़ रहा है, जिसके कारण इसका शिखर 1984 में अपनी मूल स्थिति से **एक किलोमीटर से अधिक पीछे चला गया है ।**
- वीसैट प्रौद्योगिकी के आने से संचार में क्रांति आई है, जिससे सैनिकों को डेटा और इंटरनेट कनेक्टिविटी मिली है, स्थितिजन्य जागरूकता और टेलीमेडिसिन क्षमताओं में वृद्धि हुई है।
- चिनूक हेवी-लिफ्ट हेलीकॉप्टरों और लॉजिस्टिक ड्रोनों के साथ-साथ ऑल-टेरेन व्हीकल्स (एटीवी) और एटीवी पुलों ने कठोर सर्दियों के दौरान भी दूरस्थ चौकियों तक आवश्यक प्रावधानों की आपूर्ति और गतिशीलता में सुधार किया है।
- नई रसद श्रृंखलाएं अग्रिम चौकियों के लिए ताजा राशन और सब्जियों के साथ-साथ विशेष कपड़े, पर्वतारोहण उपकरण और अत्यधिक तापमान का सामना करने के लिए उन्नत राशन सुनिश्चित करती हैं।
- भारतीय वायु सेना (IAF) के विभिन्न विमान, जिनमें राफेल, Su-30MKI, चिनूक, अपाचे और अन्य शामिल हैं, ऑपरेशन मेघदूत का समर्थन करते हैं, हेलीकॉप्टर दूरदराज के क्षेत्रों में सैनिकों के लिए जीवन रेखा के रूप में काम करते हैं।
- परतापुर और बेस कैंप में चिकित्सा सुविधाओं में टेलीमेडिसिन नोड्स, उच्च ऊंचाई वाले फुफ्फुसीय एडिमा (एचएपीओ) कक्ष, ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र और जीवन समर्थन प्रणाली शामिल हैं, जिनमें देश के शीर्ष चिकित्सा विशेषज्ञ शामिल हैं।

आगे क्या?

- भारत और पाकिस्तान के बीच जटिल कश्मीर संघर्ष की तुलना में **सियाचिन और सर क्रीक को हल करना अपेक्षाकृत आसान मुद्दा माना गया है ।**
- **भारत और पाकिस्तान के बीच रक्षा सचिवों** के स्तर पर सियाचिन पर बातचीत हुई है ।
- **ने ग्लेशियर के विसैन्यीकरण** की इच्छा व्यक्त की है, लेकिन पहले कदम के रूप में 110 किलोमीटर की वास्तविक ग्राउंड पोजिशन लाइन (एजीपीएल) को प्रमाणित करने पर जोर दिया है, जिसे पाकिस्तान ने अस्वीकार कर दिया है।
- पूर्व **सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने चीन और पाकिस्तान से मिलीभगत वाले खतरे के कारण सियाचिन के रणनीतिक महत्व पर जोर दिया और क्षेत्र पर नियंत्रण बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया।**
- सियाचिन से शक्सगाम घाटी नज़र आती है, जिसे पाकिस्तान ने 1963 में चीन को सौंप दिया था, जिससे स्थिति और भी जटिल हो गई थी।
- पूर्वी लद्दाख और वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत और चीन के बीच हालिया तनाव ने सियाचिन मुद्दे के किसी भी संभावित समाधान में जटिलताएं बढ़ा दी हैं।
- नतीजतन, भारत-पाकिस्तान संघर्षों को सुलझाने के संदर्भ में सियाचिन को अब एक आसान या "कम लटकते फल" के रूप में नहीं देखा जाता है।

6. <u>अंतर्राष्ट्रीय संगठन/निकाय/संस्थान:</u>

6.1. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ)

- **स्थापित:** 1944 (1945 में परिचालन शुरू हुआ)
- **उद्देश्य:** आईएमएफ वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देने, वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने, उच्च रोजगार और सतत आर्थिक विकास की सुविधा प्रदान करने और दुनिया भर में गरीबी को कम करने के लिए काम करता है।
- **सदस्यता:** 190 सदस्य देश
- **मुख्यालय:** वाशिंगटन डीसी, संयुक्त राज्य अमेरिका
- **महत्वपूर्ण कार्यों**
    - **निगरानी:** आईएमएफ अपने सदस्य देशों और वैश्विक अर्थव्यवस्था के आर्थिक और वित्तीय स्वास्थ्य की निगरानी करता है, संभावित जोखिमों को उजागर करता है और नीतियों पर सलाह देता है।
    - **उधार:** भुगतान संतुलन की समस्याओं का सामना कर रहे सदस्य देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जिससे उन्हें स्थिरता और आर्थिक विकास बहाल करने में मदद मिलती है।
    - **क्षमता विकास:** सदस्य देशों को उनकी संस्थागत क्षमता और आर्थिक प्रबंधन को मजबूत करने के लिए प्रशिक्षण, तकनीकी सहायता और नीति सलाह प्रदान करता है।
- **महत्वपूर्ण कार्यों:**
    - **व्यापार समझौतों पर बातचीत:** डब्ल्यूटीओ सदस्यों के लिए बहुपक्षीय व्यापार नियमों और समझौतों पर बातचीत करने और स्थापित करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है।
    - **व्यापार विवादों का निपटान:** सदस्य देशों को व्यापार विवादों को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से सुलझाने में मदद करने के लिए एक विवाद निपटान तंत्र प्रदान करता है।
    - **व्यापार नीतियों की निगरानी:** यह सुनिश्चित करने के लिए सदस्य देशों की व्यापार नीतियों की समीक्षा करता है कि वे डब्ल्यूटीओ के नियमों और सिद्धांतों का पालन करते हैं।
    - **क्षमता निर्माण:** विकासशील और अल्प-विकसित देशों को वैश्विक व्यापार प्रणाली में भाग लेने की उनकी क्षमता को मजबूत करने में सहायता करता है ।

6.2. विश्व आर्थिक मंच

- विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) एक अंतरराष्ट्रीय गैर-सरकारी संगठन है जो सरकार, व्यापार और नागरिक समाज के शीर्ष लोगों के बीच संवाद की सुविधा प्रदान करता है। इसका मिशन सार्वजनिक-निजी सहयोग के माध्यम से दुनिया को बेहतर बनाना है।
- **स्थापित:** 1971 में क्लॉस श्वाब द्वारा कोलोनी, स्विट्जरलैंड में
- **मुख्यालय:** कोलोनी, स्विट्जरलैंड
- **नेतृत्व:**
    - क्लॉस श्वाब, संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष
    - बोर्गे ब्रेंडे, राष्ट्रपति

Patriotic IAS

प्रमुख गतिविधियां

- **दावोस में वार्षिक बैठक:** स्विट्जरलैंड के दावोस में होने वाली हाई-प्रोफाइल वार्षिक बैठक संगठन का प्रमुख कार्यक्रम है। यह वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए राजनीति, व्यवसाय, शिक्षा और नागरिक समाज के विश्व नेताओं का एक जमावड़ा है।
- **क्षेत्रीय और उद्योग बैठकें:** WEF पूरे वर्ष विशिष्ट क्षेत्रों या उद्योगों पर केंद्रित कई कार्यक्रम आयोजित करता है।
- **पहल और मंच:** फोरम निम्नलिखित मुद्दों पर केंद्रित विभिन्न पहल और मंचों को लॉन्च और प्रबंधित करता है:
    - जलवायु परिवर्तन
    - चौथी औद्योगिक क्रांति (एआई जैसी प्रौद्योगिकियां)
    - वैश्विक स्वास्थ्य
    - आर्थिक विकास

यह काम किस प्रकार करता है

- **सदस्यता मॉडल:** कंपनियां WEF की सदस्य बनती हैं, जो इसकी गतिविधियों के लिए धन का प्राथमिक स्रोत प्रदान करती हैं।
- **साझेदारी:** WEF सरकारों, अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और नागरिक समाज समूहों के साथ सक्रिय रूप से सहयोग करता है।
- **"दावोस की भावना":** फोरम एक सहयोगात्मक, बहु-हितधारक दृष्टिकोण पर जोर देता है जिसे वे "दावोस की भावना" कहते हैं, जहां विविध कलाकार समाधान खोजने के लिए मिलकर काम करते हैं

6.3 . जी7

- **सात का समूह:** दुनिया की सात सबसे बड़ी उन्नत अर्थव्यवस्थाओं का एक अंतरसरकारी मंच। ये हैं **कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका।**
- **यूरोपीय संघ** भी "गैर-प्रगणित सदस्य" के रूप में भाग लेता है।
- **उद्देश्य:** जी-7 राष्ट्र प्रमुख आर्थिक, राजनीतिक, सुरक्षा और वैश्विक विकास चुनौतियों पर चर्चा करने तथा जहां उपयुक्त हो, नीतियों का समन्वय करने के लिए प्रतिवर्ष मिलते हैं।
- **उत्पत्ति:** जी-7 का गठन 1970 के दशक में उस समय की आर्थिक उथल-पुथल के जवाब में किया गया था, जिसमें तेल संकट और निश्चित विनिमय दरों का पतन भी शामिल था।

फोकस के प्रमुख क्षेत्र

- **आर्थिक सहयोग:** वैश्विक आर्थिक विकास, व्यापार, वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देना और आम चुनौतियों पर काम करना।
- **वैश्विक स्वास्थ्य:** सार्वजनिक स्वास्थ्य संकटों का समाधान करना और विश्व भर में स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करना।

Patriotic IAS

- **जलवायु एवं पर्यावरण:** जलवायु परिवर्तन से निपटना, जैव विविधता की रक्षा करना, हरित ऊर्जा को अपनाना तथा टिकाऊ नीतियों को बढ़ावा देना।
- **विदेश नीति एवं सुरक्षा:** शांति, सुरक्षा पर सहयोग करना तथा आतंकवाद और सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार जैसे खतरों से निपटना।
- **लोकतंत्र और मानवाधिकार:** वैश्विक स्तर पर लोकतांत्रिक मूल्यों, मानवाधिकारों और कानून के शासन को कायम रखना।

6.4. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद

- अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने का दायित्व इसे **संयुक्त राष्ट्र का एक केंद्रीय अंग बनाता है।**
- **प्राधिकरण की शक्ति:** संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद शांति स्थापना मिशनों को अधिकृत कर सकती है , प्रतिबंध लगा सकती है, और यहां तक कि शांति के लिए खतरों से निपटने के लिए **सैन्य बल के उपयोग को भी अधिकृत कर सकती है।**

संघटन:

- **15 सदस्य:**
  - पांच स्थायी सदस्य:
    - चीन
    - फ्रांस
    - रूस
    - यूनाइटेड किंगडम
    - संयुक्त राज्य
  - **दस अस्थायी सदस्य:** क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के आधार पर संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा दो वर्ष के कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं।

महत्वपूर्ण कार्यों

- **विवादों की जांच:** उन स्थितियों की जांच करना जो अंतर्राष्ट्रीय अशांति का कारण बन सकती हैं।
- **शांति स्थापना मिशन:** संघर्ष क्षेत्रों में शांति बनाए रखने या बहाल करने में सहायता के लिए शांति स्थापना अभियानों की स्थापना और देखरेख करता है।
- **प्रतिबंध:** अपने प्रस्तावों को लागू करने के लिए आर्थिक, कूटनीतिक या सैन्य प्रतिबंध लगा सकता है।
- **बल का प्रयोग: यह** विधेयक संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों को आक्रमण या शांति के लिए खतरे का सामना करने के लिए बल के प्रयोग को अधिकृत करता है।
- **सुरक्षा परिषद सुधार:** परिषद की सदस्यता संरचना और निर्णय लेने की प्रक्रिया में सुधार के बारे में चल रही चर्चा।

निर्णय लेना

- **प्रस्ताव:** महत्वपूर्ण मामलों पर निर्णय के लिए नौ सकारात्मक मतों की आवश्यकता होती है।

Patriotic IAS

वीटो शक्ति: प्रत्येक स्थायी सदस्य के पास वीटो शक्ति होती है, जिसका अर्थ है कि एक भी "नहीं" वोट महत्वपूर्ण मामलों पर प्रस्ताव को अवरुद्ध कर सकता है, भले ही उसे बहुमत का समर्थन प्राप्त हो।

7. मिश्रित:

7.1 परमाणु निरस्त्रीकरण:

सत्तर साल पहले, लोकसभा में एक भाषण के साथ, नेहरू ने नेतृत्व के लिए भारत के दावे को पुख्ता किया, उन आह्वानों को प्रोत्साहन दिया जिसके परिणामस्वरूप अंततः आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि हुई, और संभवतः क्षैतिज परमाणु प्रसार को सीमित किया गया।

- 2 अप्रैल 1954 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने लोकसभा में एक महत्वपूर्ण भाषण दिया।
- यह भाषण पिछले महीने अमेरिका द्वारा किए गए 'कैसल ब्रावो' थर्मोन्यूक्लियर परीक्षण के मद्देनजर दिया गया था।
- **'कैसल ब्रावो' एक अत्यंत शक्तिशाली परीक्षण था** , जिसने मापने वाले उपकरणों को भी प्रभावित कर दिया।
- **'कैसल ब्रावो' के जवाब में परमाणु परीक्षण पर "स्थिर समझौते"** का आह्वान किया ।
- यद्यपि भारत एक नव-उपनिवेशित राष्ट्र था, तथा राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों का सामना कर रहा था और उसके पास शक्ति के पारंपरिक चिह्नों का अभाव था, फिर भी नेहरू ने भारत की वैश्विक स्थिति पर जोर दिया।
- नेहरू के भाषण में व्यावहारिकता, दूरदर्शिता और आत्म-विश्वास झलकता था।
- उन्होंने विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मंचों पर परमाणु परीक्षण पर रोक लगाने की लगातार वकालत की।
- **नेहरू के नेतृत्व ने अंततः आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि (पीटीबीटी) के निर्माण में योगदान दिया।**
- पीटीबीटी **का उद्देश्य परमाणु हथियारों को अस्वीकार्य श्रेणी में रखकर क्षैतिज परमाणु प्रसार को सीमित करना था।**

आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि (पीटीबीटी)

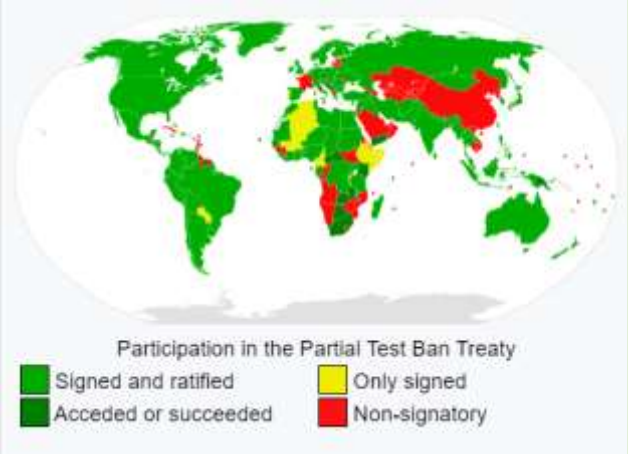

- इसे **1963 संधि के नाम से भी जाना जाता है वायुमंडल, बाह्य अंतरिक्ष और जल के नीचे परमाणु हथियार परीक्षणों पर प्रतिबंध लगाने से देशों को हवा, पानी के नीचे या अंतरिक्ष में परमाणु हथियारों का परीक्षण करने से रोक दिया गया।**
- इससे **भूमिगत परीक्षण जारी रखने की अनुमति मिल गई, क्योंकि इसका पता लगाना कठिन था और इससे पर्यावरण को कम नुकसान होता था।**
- यद्यपि इसने देशों को परमाणु हथियार बनाने या उनका परीक्षण करने से पूरी तरह नहीं रोका, फिर भी संधि से हवा में खतरनाक विकिरण की मात्रा में कमी आई।
- पीटीबीटी **पर पहली बार सोवियत संघ, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1963 में हस्ताक्षर किये थे** , और यह उसी वर्ष बाद में प्रभावी हुआ।
- समय के साथ, **123 अन्य देश इस संधि में शामिल हो गए** तथा हवा, पानी के नीचे या अंतरिक्ष में परमाणु हथियारों का परीक्षण न करने पर सहमत हुए।
- हालाँकि, अभी भी कुछ ऐसे देश हैं जिन्होंने संधि पर हस्ताक्षर तो किए हैं, लेकिन अभी तक आधिकारिक तौर पर इसका पालन करने पर सहमति नहीं जताई है।

गतिरोध समझौता

- नेहरू के स्थिर समझौते में शीत युद्ध के दौरान परमाणु निरस्त्रीकरण के लिए वृद्धिशील दृष्टिकोण का प्रस्ताव रखा गया था।
- प्रस्ताव के चार मुख्य तत्व थे:

1. परमाणु परीक्षण पर **तत्काल रोक लगाई जाए ।**
2. **संयुक्त राष्ट्र निरस्त्रीकरण आयोग से** निरस्त्रीकरण के अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों लक्ष्यों पर ध्यान देने का आग्रह किया गया ।
3. **परमाणु हथियारों के प्रभावों के बारे में अधिक से अधिक जानकारी देने की** वकालत करना ताकि परमाणु राज्यों पर सार्वजनिक दबाव बनाया जा सके।
4. **सभी देशों से परमाणु हथियारों से उत्पन्न वैश्विक खतरे को पहचानने का आह्वान किया गया।**
    - नेहरू की पहल का उद्देश्य निरस्त्रीकरण को संयुक्त राष्ट्र निरस्त्रीकरण आयोग तक सीमित रखने के बजाय इसे **एक वैश्विक मुद्दा बनाना था।**
    - भारत के प्रस्ताव ने परमाणु-सशस्त्र संपन्न राज्यों को प्रभावी रूप से सचेत कर दिया है, तथा उनसे अपने परीक्षणों से उत्पन्न खतरे को स्वीकार करने तथा पारदर्शिता का आह्वान किया है।
    - भारत ने संयुक्त राष्ट्र में अपने प्रयास जारी रखे, जिसमें 1955 में परीक्षण रोकने के लिए एक प्रस्ताव तैयार करना और **निरस्त्रीकरण आयोग को प्रगति रिपोर्ट भेजना शामिल था** ।
    - **नेहरू ने 1954 में परमाणु ऊर्जा और परमाणु विस्फोट प्रभावों का अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिकों का एक सम्मेलन भी आयोजित किया था।**
    - 1956 में दिल्ली में **पहली पगवॉश बैठक** की योजनाएँ चल रही थीं, लेकिन **स्वेज़ संकट** और हंगेरियन क्रांति जैसी भू-राजनीतिक घटनाओं ने हस्तक्षेप किया।

नैतिक बल:

- 1954 में भारत ने गरीब और कमजोर होते हुए भी परमाणु निरस्त्रीकरण में सक्रिय भूमिका निभाई।
- भारत को गुटनिरपेक्ष देशों से समर्थन की कमी थी क्योंकि **बांडुंग सम्मेलन** अभी तक नहीं हुआ था।
- नेहरू ने सैन्य सीमाओं के बावजूद इसके महत्व पर प्रकाश डालते हुए वैश्विक मामलों में भारत की नैतिक शक्ति पर जोर दिया।
- निरस्त्रीकरण पर भारत का रुख हथियारों की दौड़ पर विकास को प्राथमिकता देने की आवश्यकता से प्रेरित था।
- **1948 के परमाणु ऊर्जा अधिनियम ने** संभावित हथियारों के विकास के लिए योजना बी प्रदान करते हुए, भारत के परमाणु कार्यक्रम को जब्त करने की अनुमति दी।
- हालाँकि नेहरू ने परमाणु हथियारों के विकास का स्पष्ट समर्थन नहीं किया, लेकिन उन्होंने इसे हतोत्साहित भी नहीं किया, जैसा कि होमी भाभा की भागीदारी से पता चलता है।
- लोकसभा में नेहरू के भाषण ने **1963 में भारत द्वारा हस्ताक्षरित आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि (पीटीबीटी) में भारत की भूमिका के लिए आधार तैयार किया।**
- परमाणु विकिरण के प्रभावों और परमाणु हथियारों के खिलाफ लामबंदी पर अधिक जानकारी के लिए भारत के आह्वान ने परमाणु उपयोग के खिलाफ वैश्विक मानदंडों में योगदान दिया।
- इस भाषण ने तर्क और नैतिकता की आवाज के रूप में भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा को बढ़ाया, जो नेहरू के "शांति और विश्व की भलाई के लिए एक शक्ति" बनने के दृष्टिकोण के अनुरूप था।

PatrioticIAS

7.2 आईआरजीसी | क्रांति के संरक्षक:

ईरान की कुलीन सैन्य शाखा, जिसने इस्लामी गणराज्य को मिलिशिया के नेटवर्क के माध्यम से पश्चिम एशिया में अपना प्रभाव फैलाने में मदद की है, दबाव में है क्योंकि हाल के महीनों में सीरिया में कथित इजरायली हवाई हमलों में इसके कई शीर्ष कमांडर मारे गए हैं।

- जनरल मोहम्मद रजा जहेदी कुद्स फोर्स के उच्च पदस्थ कमांडर थे **, जो इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) की एक शाखा थी, जो ईरान के बाहर संचालन पर केंद्रित थी।**
- वह सैन्य मामलों में अनुभवी थे, उन्होंने ईरान-इराक युद्ध में सेवा की थी, और कुद्स फोर्स के पूर्व प्रमुख कासिम सुलेमानी के करीबी थे, जिन्हें जनवरी 2020 में बगदाद में अमेरिका ने मार दिया था।
- जनरल ज़ाहेदी ने लेबनान और सीरिया में आईआरजीसी के संचालन का निरीक्षण किया, जहां शिया मिलिशिया को समर्थन के माध्यम से ईरान का महत्वपूर्ण प्रभाव है।
- 1 अप्रैल को, जनरल ज़ाहेदी और आईआरजीसी के अन्य लोग दमिश्क, सीरिया में ईरान के दूतावास में फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद के सदस्यों के साथ बैठक कर रहे थे।
- **उनकी गतिविधियों पर इज़राइल द्वारा नज़र रखी गई, जिसके कारण दूतावास परिसर पर हवाई हमला हुआ जिसमें जनरल ज़ाहेदी और उनके सहयोगी मारे गए।**
- ईरान और सीरिया दोनों ने हमले के लिए इज़राइल को दोषी ठहराया, हालाँकि इज़राइल ने न तो अपनी संलिप्तता की पुष्टि की और न ही इनकार किया।
- जनरल ज़ाहेदी की मृत्यु ईरान के लिए एक महत्वपूर्ण क्षति थी, जो जनरल सुलेमानी की हत्या के बाद दुश्मन की गोलीबारी में मारे गए सर्वोच्च रैंक वाले सैन्य व्यक्ति को चिह्नित करती है।
- हाल ही में सीरिया में इजरायली हमलों में कई अन्य आईआरजीसी कमांडर मारे गए हैं, जिससे ईरान और इजरायल के बीच तनाव बढ़ गया है।
- ईरान द्वारा कथित मोसाद ठिकानों पर जवाबी मिसाइल हमलों के बावजूद, इजरायल ने आईआरजीसी कमांडरों को निशाना बनाना जारी रखा, जिससे ईरान पर जवाब देने का दबाव बना।

चढ़ाव

- **आईआरजीसी या इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की स्थापना ईरान में 1979 की क्रांति के बाद हुई थी।**
- **इसका मुख्य लक्ष्य अयातुल्ला खुमैनी के नेतृत्व वाली क्रांतिकारी शासन और उसकी धर्मतंत्रात्मक-संवैधानिक प्रणाली की रक्षा करना था।**
- प्रारंभ में ईरान की नियमित सेना की वफादारी के बारे में चिंताओं के कारण गठित आईआरजीसी, बाद में 1980 से 1988 तक ईरान-इराक युद्ध के दौरान एक दुर्जेय शक्ति बन गयी।
- खोमैनी ने आईआरजीसी को "इस्लाम के सैनिक" कहा, तथा पादरी वर्ग और क्रांति के प्रति उनकी निष्ठा पर प्रकाश डाला।
- ईरान की नियमित सेना के साथ-साथ, आईआरजीसी क्रांतिकारी शासन की सुरक्षा और विदेश एवं सुरक्षा नीतियों को प्रभावित करने के लिए कार्य करती है।
- सर्वोच्च नेता के प्रत्यक्ष नियंत्रण में, **आईआरजीसी में एक सैन्य शाखा, कुद्स फोर्स नामक एक विदेशी परिचालन इकाई और बसीज नामक एक नागरिक स्वैच्छिक संगठन शामिल है।**
- अंतर्राष्ट्रीय सामरिक अध्ययन संस्थान के अनुसार, आईआरजीसी के पास लगभग 190,000 प्रशिक्षित सैनिक हैं, जो ईरान के नियमित बलों के आकार का लगभग आधा है।

- इसमें थलसेना, वायुसेना और नौसेना शामिल हैं, नौसेना को विशेष रूप से शक्तिशाली माना जाता है क्योंकि इसका ईरान की समुद्री सीमाओं पर नियंत्रण है, जिसमें महत्वपूर्ण **होर्मुज जलडमरूमध्य भी शामिल है।**
- मार्च 2007 में, आईआरजीसी नौसेना की कार्रवाई के कारण ईरान और ब्रिटेन के बीच कूटनीतिक संकट पैदा हो गया था, जब उन्होंने 15 ब्रिटिश नाविकों को हिरासत में ले लिया था।
- कुद्स फोर्स का ध्यान मुस्लिम पवित्र स्थलों को कब्जे से मुक्त कराने तथा पश्चिम एशिया में शिया प्रभाव वाले नेटवर्क बनाने पर केंद्रित है।
- इस क्षेत्र में ईरान का शक्तिशाली सहयोगी हिजबुल्लाह, आईआरजीसी के समर्थन से, 1982 में इजरायली आक्रमण के बाद लेबनान में गठित एक इस्लामी प्रतिरोध समूह से उत्पन्न हुआ था।

प्रतिरोध की धुरी

- 2020 में अपनी मृत्यु तक जनरल कासिम सुलेमानी के नेतृत्व में कुद्स फोर्स ने 2003 के आक्रमण के बाद अमेरिकी सैनिकों के खिलाफ इराक में शिया प्रतिरोध का समर्थन करने में अपनी भूमिका के लिए प्रसिद्धि प्राप्त की।
- सीरियाई गृहयुद्ध के दौरान, कुद्स फोर्स ने शिया पवित्र स्थलों की रक्षा के लिए हस्तक्षेप किया और बाद में राष्ट्रपति असद के शासन को मजबूत करने के लिए रूस और हिजबुल्लाह के साथ सीरियाई शासन बलों के साथ लड़ाई लड़ी।
- **ईरान इस क्षेत्र में विभिन्न इस्लामी मिलिशिया समूहों का समर्थन करता है, जो "प्रतिरोध की धुरी" के रूप में जाना जाता है, जिसमें हमास, इस्लामिक जिहाद, हौथिस, हिजबुल्लाह और इराक और सीरिया में शिया लामबंदी ब्रिगेड शामिल हैं।**
- मेजर जनरल होसैन सलामी वर्तमान में कुद्स फोर्स का नेतृत्व कर रहे हैं, जो आईआरजीसी की कमान के तहत काम करती है, जिसे अमेरिका द्वारा आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है।
- इजराइल ईरान के क्षेत्रीय प्रभाव को अपनी सुरक्षा के लिए खतरा मानता है तथा इसका मुकाबला करना चाहता है, जिसके परिणामस्वरूप दोनों देशों के बीच तनाव और छाया युद्ध बढ़ रहे हैं।
- **आईआरजीसी स्वयं को प्रतिद्वंद्वियों से घिरा हुआ देखता है, जिनमें खाड़ी के सुन्नी राजतंत्र, इजरायल और अमेरिका शामिल हैं, जिन्हें वह "महान शैतान" कहता है।**
- ईरान की क्रांति की रक्षा करने तथा सुरक्षा चुनौतियों पर काबू पाने के लिए, आईआरजीसी छद्म युद्धों के माध्यम से असममित युद्ध में संलग्न है, जिससे इजरायल के साथ तनाव बढ़ गया है तथा क्षेत्र खुले संघर्ष के करीब पहुंच गया है।

Patriotic IAS

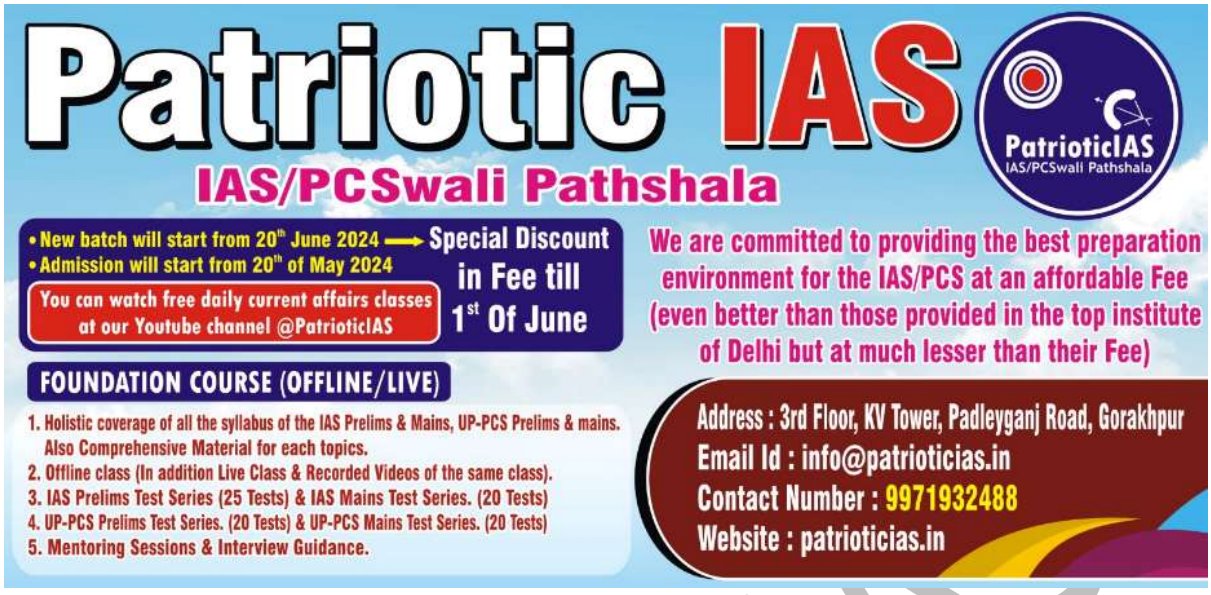

अर्थव्यवस्था

1. <u>कर लगाना:</u>

1.1 जीएसटी राजस्व में वृद्धि से इसके सुधार को प्राथमिकता देने का अवसर मिला

- **वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह मार्च के मध्य तक 19.9% बढ़ गया, जो संशोधित बजट लक्ष्य का 97% तक पहुंच गया** ।
- वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह ₹20.18 लाख करोड़ रहा , **मार्च में सकल जीएसटी राजस्व ₹1.78 लाख करोड़ से अधिक रहा** ।
- **साढ़े छह साल पहले कर लागू होने के बाद से** मार्च का जीएसटी संग्रह दूसरा सबसे बड़ा था , जिसे अप्रैल 2023 तक ही पार किया जा सका।
- 2023-24 के लिए औसत मासिक जीएसटी संग्रह 11.6% बढ़कर ₹1.68 लाख करोड़ से अधिक हो गया, जो एक नए राजस्व मानदंड का संकेत देता है।
- 2023-24 के लिए केंद्रीय जीएसटी संग्रह संशोधित अनुमान से अधिक हो गया, जिससे 2024-25 के लक्ष्यों में संशोधन की आवश्यकता हुई।
- **बढ़ा हुआ संग्रह आंशिक रूप से पिछली कर मांगों और नकली चालान जैसे उपायों के माध्यम से चोरी को रोकने के प्रयासों का परिणाम हो सकता है।**
- शुद्ध जीएसटी राजस्व और घरेलू लेनदेन संग्रह में वृद्धि 2023-24 की अंतिम तिमाही में व्यस्त आर्थिक गतिविधि का संकेत देती है।
- मार्च में माल आयात पर जीएसटी में मामूली गिरावट **विवेकाधीन खर्च में कमी का संकेत दे सकती है।**
- कुल मिलाकर, **जीएसटी प्रक्षेपवक्र सरकार को कर सुधारों पर ध्यान केंद्रित करने का विश्वास प्रदान करता है, जिसमें कई कर दरों को तर्कसंगत बनाना और आवश्यक उत्पादों पर शुल्क कम करना शामिल है।**
- **महामारी-युग के उधारों को चुकाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला जीएसटी मुआवजा उपकर** , संभावित रूप से मार्च 2026 की मौजूदा समय सीमा से पहले समाप्त किया जा सकता है।

- हालाँकि, **भारत के हरित लक्ष्यों और आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न होने से बचने के लिए, किसी भी नए शुल्क को वास्तव में हानिकारक वस्तुओं, जैसे तंबाकू तक सीमित किया जाना चाहिए।**

1.2. इस चुनावी मौसम में एमएसएमई जीएसटी सुधार की मांग को लेकर उम्मीदवारों के पीछे पड़े हैं

- विभिन्न क्षेत्रों में लगभग सात करोड़ इकाइयों के साथ भारत की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा प्रतिनिधित्व करने वाले एमएसएमई, माल और सेवा कर (जीएसटी) दरों में कमी की मांग कर रहे हैं।
- देश में लोकसभा चुनाव की तैयारी के बीच जीएसटी दरों में कमी एमएसएमई प्रतिनिधियों की प्राथमिक मांग है।
- अखिल भारतीय निर्माता संगठन के राष्ट्रीय संयोजक और एमएसएमई विकास मंच के उपाध्यक्ष सुधीर झा एमएसएमई के महत्व पर प्रकाश डालते हैं, क्योंकि लगभग 12 करोड़ लोग उन पर निर्भर हैं।
- जीएसटी स्लैब की जटिलता के कारण कई एमएसएमई प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए हैं, जिससे पिछले कई वर्षों से उनका परिचालन ठप्प पड़ा है।
- अधिकांश एमएसएमई के पास अपने छोटे पैमाने के संचालन के कारण जीएसटी के संसाधनों और समझ की कमी है, जिससे अनुपालन में चुनौतियाँ आती हैं।
- सूक्ष्म और लघु स्तर की इकाइयां, हालांकि कम टर्नओवर के कारण तकनीकी रूप से जीएसटी से छूट प्राप्त हैं, बड़े जीएसटी-पंजीकृत उद्योगों के आपूर्तिकर्ताओं के रूप में अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होती हैं, जिसके परिणामस्वरूप दस्तावेज़ीकरण आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ होने पर व्यावसायिक अवसरों का नुकसान होता है।
- कोयंबटूर और लुधियाना में एमएसएमई समूहों ने चुनाव उम्मीदवारों को अपनी मांगें सौंपी हैं।
- कोयंबटूर में, मुख्य मांग सूक्ष्म और लघु-स्तरीय इकाइयों द्वारा किए जाने वाले श्रम शुल्क पर जीएसटी को मौजूदा 12% से घटाकर 5% या शून्य करना है।
- लुधियाना में, ऑटो कंपोनेंट इकाइयों पर कुछ घटकों पर 28% कर का बोझ है, जो विशिष्ट क्षेत्रों में जीएसटी दर में कटौती की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।

2. <u>बैंकिंग क्षेत्र:</u>

2.1. RBI ने कोटक बैंक को ऑनलाइन ग्राहक जोड़ना बंद करने का आदेश दिया।

- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कोटक महिंद्रा बैंक को **अपने ऑनलाइन और मोबाइल बैंकिंग चैनलों के माध्यम से नए ग्राहकों को जोड़ना बंद करने का निर्देश दिया है।**
- निर्देश **कोटक बैंक को नए क्रेडिट कार्ड जारी करने से भी रोकता है।**
- क्रेडिट कार्ड धारकों सहित कोटक बैंक के मौजूदा ग्राहक अभी भी हमेशा की तरह सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं।
- आरबीआई की कार्रवाई वर्ष 2022 और 2023 के लिए बैंक की आईटी जांच से उत्पन्न महत्वपूर्ण चिंताओं पर आधारित है।
- केंद्रीय बैंक इन चिंताओं को व्यापक और तुरंत संबोधित करने में कोटक बैंक की विफलता को उजागर करता है।
- **आईटी इन्वेंट्री प्रबंधन, उपयोगकर्ता पहुंच प्रबंधन, डेटा सुरक्षा, और व्यापार निरंतरता और आपदा वसूली उपायों सहित विभिन्न क्षेत्रों में गंभीर कमियां और गैर-अनुपालन देखे गए।**
- आरबीआई ने कोटक महिंद्रा बैंक को लगातार दो वर्षों तक आईटी जोखिम और सूचना सुरक्षा प्रशासन में कमी पाई।

- **कोटक बैंक 2022 और 2023 के लिए आरबीआई द्वारा जारी सुधारात्मक कार्य योजनाओं का अनुपालन नहीं कर रहा था।**
- पिछले दो वर्षों में कोटक बैंक के कोर बैंकिंग सिस्टम (सीबीएस) और डिजिटल बैंकिंग चैनलों में बार-बार और महत्वपूर्ण रुकावटें देखी गईं।
- **15 अप्रैल, 2024 को सेवा में व्यवधान उत्पन्न हुआ, जिससे ग्राहकों को गंभीर असुविधा हुई।**
- अपनी वृद्धि के अनुरूप आईटी सिस्टम और नियंत्रण बनाने में विफलता के कारण बैंक में आवश्यक परिचालन लचीलेपन का अभाव था।
- चिंताओं के समाधान के लिए आरबीआई के साथ निरंतर संपर्क के बावजूद परिणाम असंतोषजनक रहे।
- क्रेडिट कार्ड लेनदेन सहित डिजिटल लेनदेन में तीव्र वृद्धि ने कोटक बैंक की आईटी प्रणालियों पर दबाव बढ़ा दिया।
- आरबीआई ने लंबे समय तक व्यवधान को रोकने के लिए कोटक बैंक पर प्रतिबंध लगा दिया।
- कोटक बैंक ने कहा कि वह अपनी आईटी प्रणालियों को मजबूत करने के लिए नई प्रौद्योगिकियों को अपना रहा है और मुद्दों को शीघ्रता से हल करने के लिए आरबीआई के साथ मिलकर काम करेगा।
- बैंक ने मौजूदा ग्राहकों को क्रेडिट कार्ड, मोबाइल और नेट बैंकिंग सहित निर्बाध सेवाएं देने का आश्वासन दिया।

2.2 खाद्य पदार्थों की कीमतें ऊंची रहने के कारण आरबीआई ने रेपो दर को स्थिर रखा

- भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) समग्र मुद्रास्फीति में कमी के बावजूद खाद्य कीमतों में वृद्धि को लेकर चिंतित है।
- मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने **नीति रेपो दर को 6.50% पर अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया,** यह **लगातार सातवीं बार दरों को स्थिर रखा गया है** ।
- आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि महंगाई कम करने की दिशा में प्रगति हुई है, लेकिन काम अभी पूरा नहीं हुआ है।
- एमपीसी का लक्ष्य आर्थिक विकास को समर्थन देते हुए मुद्रास्फीति को लक्ष्य के अनुरूप लाने के लिए धीरे-धीरे समायोजन वापस लेना है।

रेपो दर

- रेपो दर **वह ब्याज दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) अल्पकालिक** जरूरतों के लिए वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देता है। जब बैंकों को तरलता की आवश्यकता होती है, तो वे **सरकारी प्रतिभूतियों को बेचकर** आरबीआई से उधार ले सकते हैं , **बाद में उन्हें थोड़ी अधिक कीमत पर पुनर्खरीद करने के समझौते के साथ** ।
- **नीति उपकरण:** रेपो दर एक प्राथमिक उपकरण है जिसका उपयोग आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) द्वारा बैंकिंग प्रणाली में मुद्रास्फीति, आर्थिक विकास और तरलता का प्रबंधन करने के लिए किया जाता है।

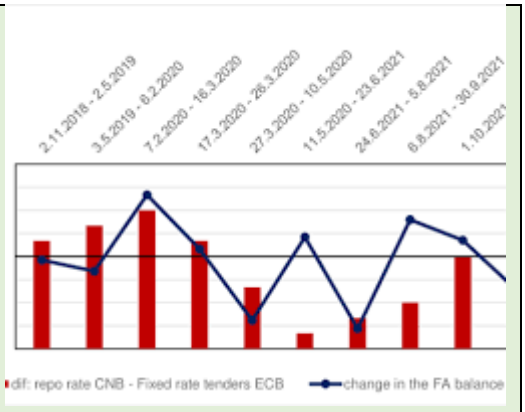

रेपो रेट कैसे काम करता है

- **रेपो दर में वृद्धि:**
  - वाणिज्यिक बैंकों के लिए उधार लेना अधिक महंगा हो गया है।
  - बैंकों को आरबीआई से ऋण लेने से हतोत्साहित करता है।
  - इससे उपभोक्ताओं और व्यवसायों के लिए ऋण पर ब्याज दरें बढ़ सकती हैं।
  - अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति को कम करके मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में मदद करता है।

3. <u>बुनियादी ढांचा और विनिर्माण क्षेत्र:</u>

3.1 विनिर्माण क्षेत्र पर भारत के सतत दृष्टिकोण की आलोचनात्मक जांच

- 77 वर्षों से अधिक समय से भारत के राजनीतिक, आर्थिक और व्यापारिक अभिजात वर्ग ने विनिर्माण को देश की सर्वोच्च प्राथमिकता के रूप में महत्व दिया है।
- इसके कारणों में अधिक उत्पादकता, रोजगार सृजन और तीव्र सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि की उम्मीदें शामिल हैं।
- लुईस दो-क्षेत्रीय मॉडल जैसे आर्थिक मॉडल सुझाव देते हैं कि कृषि से अधिशेष श्रम को अधिक उत्पादक कार्य के लिए विनिर्माण क्षेत्र में ले जाना चाहिए।
- आधुनिक क्षेत्र की विशेषता पूंजी-गहन प्रौद्योगिकियां और उच्च स्तर का पूंजी निवेश है।
- भारत में विनिर्माण क्षेत्र में वृद्धि के पक्षधरों का तर्क है कि कृषि क्षेत्र कम उत्पादक है, विभिन्न क्षेत्रों के बीच श्रम गतिशीलता संभव है, तथा विनिर्माण क्षेत्र में भारत की स्थिति तुलनात्मक रूप से बेहतर है।
- कुछ लोगों का सुझाव है कि विनिर्माण क्षेत्र में वृद्धि को सुविधाजनक बनाने के लिए श्रमिक अधिकारों और भूमि अधिग्रहण पर नियमों को आसान बनाया जाना चाहिए।
- हालाँकि, इन दावों की सत्यता की पुष्टि के लिए इनकी आलोचनात्मक जांच आवश्यक है।
- कृषि उत्पादकता के संबंध में पहला दावा जटिल है और इसके लिए विशेष जांच की आवश्यकता है।
- 2012 से 2022 तक प्रति हेक्टेयर अनाज की पैदावार में 20% से अधिक की वृद्धि हुई।
- इसके बावजूद, इसी अवधि के दौरान कृषि में कार्यरत व्यक्तियों की कुल संख्या में 10 मिलियन से अधिक की वृद्धि हुई, जबकि श्रम बल में उनकी हिस्सेदारी घट रही है।

मूल्य वर्धित वृद्धि

- भारत के कृषि, वानिकी और मछली पकड़ने के क्षेत्र में प्रति श्रमिक जोड़ा गया मूल्य 2012 और 2022 के बीच 1,557 डॉलर से बढ़कर 2,400 डॉलर हो गया, जो अधिक श्रम को अवशोषित करने के बावजूद उत्पादकता में वृद्धि का संकेत देता है।
- यह दावा कि कृषि क्षेत्र पूरी तरह से कम उत्पादक है, गलत हो सकता है क्योंकि इसने प्रति श्रमिक बेहतर उत्पादन दिखाया है।
- उत्पादकता पर बाधाएं केवल श्रमिकों की अधिकता से ही नहीं, बल्कि पूंजी और तकनीकी सीमाओं से भी उत्पन्न होती हैं।
- सेक्टरों के बीच श्रम गतिशीलता की आसानी पर विवाद हुआ है, आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन सहित कुछ अर्थशास्त्रियों ने कहा है कि भारतीय विनिर्माण श्रमिक अपने वैश्विक समकक्षों की तरह योग्य नहीं हो सकते हैं।
- **तुलनात्मक लाभ के रिकार्डियन सिद्धांत से** पता चलता है कि निर्यात में सफल विशेषज्ञता के लिए, किसी देश को अन्य देशों की तुलना में अच्छे उत्पादन की अवसर लागत कम करनी चाहिए।

Patriotic IAS

- **"मेक इन इंडिया" पहल** के तहत , सरकार ने व्यापार करने में आसानी सूचकांक रैंकिंग में सुधार करके और **उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना जैसी योजनाओं और सब्सिडी की पेशकश करके विदेशी उद्यमों को आकर्षित करने के प्रयास किए हैं** ।
- इन प्रयासों के बावजूद, **सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण का योगदान स्थिर बना हुआ है, 1960 के दशक में 13-16% की तुलना में 2022 में 13%** और 1979 में 18% पर पहुंच गया।
- **भारत में विनिर्माण को** खराब बुनियादी ढांचे, कुशल श्रमिकों की कमी और न्यूनतम अनुसंधान एवं विकास जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जो इसके तुलनात्मक लाभ में बाधा बन सकती हैं।
- विनिर्माण में विनियमन हटाने और आपूर्ति पक्ष की बाधाओं को दूर करने पर ध्यान देते समय भारत में निर्मित वस्तुओं की मांग में कमी को भी ध्यान में रखना होगा।
- इसके विपरीत, भारत के सेवा क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में सेवा मूल्य **1960 के दशक के 38% से बढ़कर 2022 में 48% से अधिक हो गया है** ।
- भारत ने सेवाओं के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मकता दर्शाई है, विशेषकर अपनी शिक्षित जनसंख्या के कारण।
- डॉ. राजन जैसे अर्थशास्त्री तर्क देते हैं कि उच्च शिक्षा के लिए बजट का एक बड़ा हिस्सा एक चिप फैक्ट्री स्थापित करने के लिए आवंटित करना संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग नहीं हो सकता है।
- इसके बजाय, साक्षरता दर बढ़ाने और स्वास्थ्य सेवा में सुधार जैसी पहलों के माध्यम से मानव पूंजी को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।
- विनिर्माण क्षेत्र में अधिकांश मूल्यवर्धन, जैसे कि मोबाइल फोन, मालिकाना डिज़ाइन तकनीक से आता है, जिसका स्वामित्व अक्सर विदेशी कंपनियों के पास होता है।
- असेंबली के बजाय डिज़ाइन के माध्यम से मूल्यवर्धन का अधिक हिस्सा हासिल करने पर ध्यान केंद्रित करना अधिक फायदेमंद हो सकता है।
- चिप्स जैसे उत्पादों में डिजाइन में भारत की हिस्सेदारी तेजी से बढ़ रही है, जो डिजाइन में तुलनात्मक लाभ का संकेत देती है।
- विनिर्माण क्षेत्र से सेवाओं और शिक्षा में मानव पूंजी को बढ़ाने के लिए निवेश को पुनर्निर्देशित करने से विनिर्माण प्रोत्साहन के साथ शुरू में की गई कल्पना की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण आर्थिक लाभ मिल सकता है।

3.2 इस चुनावी मौसम में, एमएसएमई जीएसटी सुधार की मांग वाले उम्मीदवारों का पीछा कर रहे हैं

- विभिन्न क्षेत्रों में **लगभग सात करोड़ इकाइयों** के साथ भारत की अर्थव्यवस्था के एक महत्वपूर्ण हिस्से का प्रतिनिधित्व करने वाले एमएसएमई, **माल और सेवा कर (जीएसटी) दरों में कटौती की मांग कर रहे हैं** ।
- **जीएसटी दरों में कटौती एमएसएमई प्रतिनिधियों की प्राथमिक मांग है** क्योंकि देश लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहा है।
- **ऑल इंडिया मैन्युफैक्चरर्स ऑर्गनाइजेशन** के राष्ट्रीय संयोजक और एमएसएमई डेवलपमेंट फोरम के उपाध्यक्ष सुधीर झा एमएसएमई के महत्व पर प्रकाश डालते हैं, क्योंकि **लगभग 12 करोड़ लोग इन पर निर्भर हैं** ।
- कई एमएसएमई **जीएसटी स्लैब की जटिलता से प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए हैं** , जिसने वर्षों से उनके संचालन को पंगु बना दिया है।
- अधिकांश एमएसएमई के पास अपने छोटे पैमाने के संचालन के कारण **जीएसटी के संसाधनों और समझ की कमी है** , जिससे अनुपालन में चुनौतियाँ आती हैं।

- सूक्ष्म और लघु स्तर की इकाइयां, हालांकि कम टर्नओवर के कारण तकनीकी रूप से जीएसटी से छूट प्राप्त हैं, **बड़े जीएसटी-पंजीकृत उद्योगों के आपूर्तिकर्ताओं के रूप में अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होती हैं** , जिसके परिणामस्वरूप दस्तावेज़ीकरण आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ होने पर व्यावसायिक अवसरों का नुकसान होता है।
- कोयंबटूर और लुधियाना में एमएसएमई समूहों ने चुनाव उम्मीदवारों को अपनी मांगें सौंपी हैं।
- कोयंबटूर में, मुख्य मांग सूक्ष्म और लघु-स्तरीय इकाइयों द्वारा किए जाने वाले श्रम शुल्क पर जीएसटी को **मौजूदा 12% से घटाकर 5% या शून्य करना है** ।
- लुधियाना में ऑटो कम्पोनेंट इकाइयों पर कुछ कम्पोनेंट पर 28% कर का बोझ है, जिससे विशिष्ट क्षेत्रों में जीएसटी दर में कमी की आवश्यकता पर प्रकाश पड़ता है।

3.3 क्या नये सौर ऊर्जा नियमों से उत्पादन में वृद्धि होगी?

सौर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल ऑर्डर के अनुमोदित मॉडल और निर्माता क्या हैं?

- **भारत में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने एक नया कार्यकारी आदेश जारी किया है** ।
- इस आदेश को " **सौर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल के अनुमोदित मॉडल और निर्माता (अनिवार्य पंजीकरण के लिए आवश्यकताएं) आदेश, 2019** " कहा जाता है।
- यह 1 अप्रैल से लागू हुआ।
- इस आदेश का उद्देश्य **भारत के सौर मॉड्यूल विनिर्माण उद्योग को प्रोत्साहित और समर्थन देना है।**
- इस **आदेश का उद्देश्य सौर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल के उत्पादन और बिक्री को विनियमित करना है।**
- इसमें **इन मॉड्यूलों का उत्पादन करने वाले निर्माताओं के लिए अनिवार्य पंजीकरण का प्रावधान किया गया है।**
- इस पंजीकरण आवश्यकता का **उद्देश्य गुणवत्ता नियंत्रण और मानकों का पालन सुनिश्चित करना है।**
- इस आदेश को लागू करके **सरकार का उद्देश्य घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना और सौर ऊर्जा क्षेत्र में आयात पर निर्भरता कम करना है।**

कार्यकारी आदेश का संदर्भ क्या है?

- एमएनआरई ने 2019 में आदेश जारी किया था।
- इसमें सौर मॉड्यूल निर्माताओं के लिए **राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान** द्वारा **निरीक्षण कराना अनिवार्य किया गया है।**
- इस निरीक्षण से अनुमोदन प्राप्त होने पर कंपनी को सौर पैनलों के वास्तविक निर्माता के रूप में प्रमाणित किया जाता है।
- **यह सच्चे निर्माताओं और मात्र आयातकों या असेंबलरों के बीच अंतर करना है।**
- स्वदेशी उत्पादन के दावों के बावजूद भारत का सौर उद्योग चीन से आयात पर बहुत अधिक निर्भर है।
- **सौर मॉड्यूल महत्वपूर्ण घटक हैं, जो कई सौर पैनलों से बने होते हैं।**
- **सौर पैनल, बदले में, सौर कोशिकाओं की असेंबली हैं।**
- भारत का लक्ष्य 2030 तक सौर स्थापनाओं में उल्लेखनीय वृद्धि करना है।
- हालाँकि, सौर सेल और मॉड्यूल का स्थानीय उत्पादन मांग से कम है।

- **भारत में इनगॉट और वेफर्स जैसे कच्चे माल का उत्पादन करने की क्षमता का भी अभाव है, जो इन घटकों के लिए आयात पर निर्भर है।**

भारत आयात पर निर्भर क्यों है?

- भारत का लक्ष्य **2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से 500 गीगावॉट बिजली प्राप्त करके जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करना है।**
- इस योजना में **अकेले सौर ऊर्जा से कम से कम 280 गीगावाट बिजली पैदा करना शामिल है** ।
- इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 2030 तक प्रतिवर्ष लगभग 40 गीगावाट सौर क्षमता जोड़ने की आवश्यकता है।
- हालाँकि, पिछले पांच वर्षों में भारत **केवल 13 गीगावाट सौर क्षमता ही जोड़ पाया है।**
- कोविड-19 महामारी को इन लक्ष्यों की प्रगति को प्रभावित करने वाले कारक के रूप में उद्धृत किया गया है।
- भारत के सौर उद्योग को घरेलू स्तर पर सौर पैनलों और घटक कोशिकाओं की मांग को पूरा करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।
- **चीन** सौर ऊर्जा उपकरणों की वैश्विक आपूर्ति पर हावी है तथा **लगभग 80% बाजार पर उसका नियंत्रण है।**
- अनुमोदित सौर मॉड्यूल निर्माताओं की सूची बनाने का उद्देश्य आयात को विनियमित करना और घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना है।
- **भारत और चीन के बीच तनाव ने** चीनी आयात पर निर्भरता कम करने के फैसले को भी प्रभावित किया है।
- सीमित घरेलू उत्पादन क्षमता के कारण सौर ऊर्जा लक्ष्यों को पूरा करना भारत के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती बनी हुई है।

यदि सूची स्वैच्छिक है तो उसमें शामिल होने के लिए भुगतान क्यों करें?

- स्वीकृत मॉडल और निर्माता (एएमएम) सूची में होने से कंपनियों को **सौर ऊर्जा कार्यक्रमों में सरकारी निविदाओं के लिए प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति मिलती है।**
- इन निविदाओं में **पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जैसे प्रमुख कार्यक्रम शामिल हैं** , जिसका उद्देश्य लगभग एक करोड़ घरों में छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करने के लिए सब्सिडी देना है।
- के लिए पात्रता के लिए **एएमएम सूची में घरेलू निर्माता के रूप में प्रमाणीकरण की आवश्यकता होती है।**
- एक अन्य योजना, **पीएम कुसुम** , सौर पंप सेट और ग्रामीण विद्युतीकरण प्रदान करने पर केंद्रित है, जिसमें निर्माताओं की पात्रता वास्तविक स्थानीय निर्माताओं के रूप में प्रमाणित होने से जुड़ी है।
- उत्पादन -**लिंक्ड प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य सौर पैनलों और घटकों के घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करना है।**
- इस योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन पाने के लिए कम्पनियों को वास्तविक स्थानीय निर्माता के रूप में मान्यता प्राप्त होनी चाहिए।
- वर्तमान में, 14 प्रमुख कंपनियां कुल 48 गीगावाट क्षमता के सौर मॉड्यूल विनिर्माण हेतु प्रोत्साहन हेतु पात्र हो गई हैं।
- हालाँकि, ये प्रतिबंध केवल नई परियोजनाओं पर लागू होते हैं, और मार्च 2024 से पहले चालू की गई सुविधाएं अभी भी आयातित मॉड्यूल का उपयोग कर सकती हैं।

Patriotic IAS

क्या भारत की विनिर्माण क्षमता पर्याप्त है?

- पिछले वर्ष भारतीय सौर ऊर्जा कारोबार के लिए लाभप्रद रहा, क्योंकि इस दौरान अमेरिका और यूरोप से चीन को मिलने वाले ऑर्डर कम हो गए, जो विश्व स्तर पर सौर ऊर्जा घटकों का प्रमुख आपूर्तिकर्ता है।
- **शिनजियांग में उइगर मुसलमानों द्वारा "जबरन श्रम" का उपयोग करने के आरोपों के कारण चीन को प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा** , जिससे यूरोप और अमेरिका से आयात में कमी आई
- **भारत को लाभ हुआ, उसने 2023-24 के पहले छह महीनों में लगभग 1 बिलियन डॉलर मूल्य के सौर मॉड्यूल निर्यात किए।**
- हालाँकि, ऐसी चिंताएं हैं कि अमेरिका चीन पर शुल्क हटा सकता है, जिससे भविष्य में भारतीय निर्यात पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
- **भारत में लगभग आधे सौर मॉड्यूल चीन से आयात किए जाते हैं, जिसके कारण मांग-आपूर्ति में अंतर पैदा हो रहा है।**
- सरकार का लक्ष्य घरेलू विनिर्माण क्षमता बढ़ाना है, लेकिन चुनौतियां बनी हुई हैं।
- नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने 82 प्रमाणित सौर मॉड्यूल निर्माताओं की सूची बनाई है, लेकिन **सौर सेल निर्माताओं के लिए कोई समतुल्य सूची नहीं है।**
- सौर ऊर्जा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए भारत को अभी भी लंबा सफर तय करना है।

4. <u>असमानता और बेरोजगारी:</u>

4.1 महिलाओं के रोजगार पर क्या दृष्टिकोण है?

अब तक कहानी:

- भारत **रोजगार रिपोर्ट, 2024, मानव विकास संस्थान और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा जारी की गई।**
- रिपोर्ट के अनुसार, हाल के वर्षों में प्रमुख श्रम बाजार संकेतकों में सुधार दिखा है।
- संकेतकों **में श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर), कार्यबल भागीदारी दर (डब्ल्यूपीआर) और बेरोजगारी दर (यूआर) शामिल हैं।**
- के बीच **इन संकेतकों में दीर्घकालिक गिरावट देखी गई।**
- हालाँकि, उसके बाद उनमें सुधार हुआ, जो कि आर्थिक संकट की अवधि के साथ-साथ, जिसमें COVID-19 महामारी भी शामिल थी, सुधार हुआ।
- दो चरम महामारी वाली तिमाहियों को छोड़कर सुधार देखा गया।

महिलाओं की भागीदारी के बारे में क्या?

- भारत में महिला श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) पुरुषों की तुलना में काफी कम है।
- 2023 में, **पुरुष एलएफपीआर 78.5 था, जबकि महिला एलएफपीआर केवल 37 थी।**
- **विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार** वैश्विक स्तर पर औसत महिला एलएफपीआर 49 है ।
- महिला **एलएफपीआर में 2000 के बाद से लगातार गिरावट आ रही थी, जो 2019 में 24.5 तक पहुंच गई, लेकिन थोड़ा बढ़ने से पहले, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में।**
- **इन मामूली सुधारों के बावजूद, महिलाओं के लिए रोज़गार की स्थितियाँ ख़राब बनी हुई हैं।**
- अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर अमित बसोले का सुझाव है कि **महिला एलएफपीआर में वृद्धि ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों और स्व-रोज़गार में हुई है, जिसमें अक्सर अवैतनिक कार्य शामिल होते हैं।**

Patriotic IAS

- **वह बताते हैं कि यह प्रवृत्ति संभवतः कोविड-19 और महामारी से पहले की आर्थिक मंदी से उपजी है, जिसके कारण अधिक महिलाएं श्रम बल में प्रवेश कर रही हैं।**
- कुछ परिकल्पनाएँ महिलाओं के काम को मापने में सुधार और पुरुषों के लिए गैर-कृषि रोजगार में वृद्धि का सुझाव देती हैं, जिससे महिलाएं कृषि में पुरुषों का विकल्प चुनती हैं।
- हालाँकि, कारणों के संबंध में निर्णायक साक्ष्य का अभी भी अभाव है।

महिलाएँ कहाँ कार्यरत हैं?

- भारत **रोजगार रिपोर्ट इस बात पर प्रकाश डालती है कि स्व-रोजगार और अवैतनिक पारिवारिक कार्यों में वृद्धि के लिए महिलाएं मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं।**
- **2019 के बाद सृजित अतिरिक्त रोजगार का लगभग दो-तिहाई हिस्सा स्व-रोजगार वाले व्यक्तियों का है, जिसमें महिलाएं मुख्य रूप से अवैतनिक पारिवारिक श्रमिकों के रूप में काम कर रही हैं।**
- नियमित रोजगार का अनुपात, जो 2000 से लगातार बढ़ रहा था, 2018 के बाद घटने लगा।
- वैश्विक स्तर पर, भारत सहित दक्षिण एशिया में रोजगार, शिक्षा या प्रशिक्षण (NEET) से वंचित युवाओं की दर सबसे अधिक है, जो 2010 और 2019 के बीच औसतन 29.2% है।
- भारत में विशेष रूप से युवा लोगों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा एनईईटी के रूप में वर्गीकृत है, जिसमें महिलाओं की तुलना में यह दर अधिक है

श्रम बल में महिलाओं की कम भागीदारी के कुछ कारण क्या हैं?

- अर्थशास्त्री और महिला अधिकार विशेषज्ञ महिलाओं के करियर या नौकरी के अवसरों में बाधा डालने वाली अनेक बाधाओं की पहचान करते हैं।
- इन बाधाओं में **नौकरी की उपलब्धता की कमी, महिलाओं पर देखभाल संबंधी जिम्मेदारियों का बोझ, कम वेतन, पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण और सुरक्षा संबंधी चिंताएं शामिल हैं।**
- जयति घोष ने अपनी पुस्तक "द मेकिंग ऑफ ए कैटास्ट्रोफ" में 2004 और 2018 के बीच महिलाओं की श्रम बल भागीदारी दर में उल्लेखनीय गिरावट का उल्लेख किया है।
- घोष इस गिरावट का एक कारण **15 से 19 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाओं के बीच शिक्षा में बढ़ती भागीदारी को मानते हैं, लेकिन वे इस व्यापक प्रवृत्ति पर भी प्रकाश डालते हैं कि वेतनभोगी काम की कमी के कारण महिलाएं रोजगार से बाहर हो रही हैं।**
- अमित बसोले का सुझाव है कि आपूर्ति और मांग दोनों ही कारक महिलाओं की एलएफपीआर में गिरावट के लिए जिम्मेदार हैं।
- **भारत के विकास पैटर्न में रोजगार-प्रधान क्षेत्रों का अभाव है, तथा महिलाओं की गतिशीलता और देखभाल करने वाली भूमिकाओं को प्रतिबंधित करने वाले सामाजिक मानदंड** रोजगार के अवसर तलाशने की उनकी क्षमता को सीमित करते हैं।
- घोष ने कहा कि **सार्वजनिक सुरक्षा और परिवहन संबंधी चिंताओं के कारण महिलाओं के लिए नौकरी के विकल्प और भी सीमित हो जाते हैं।**
- क्लाउडिया गोल्डिन के शोध, जिसे 2023 के अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, में महिला श्रम की आपूर्ति और मांग को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों पर प्रकाश डाला गया है।
- इन कारकों में कार्य और परिवार के बीच संतुलन बनाने के अवसर, शिक्षा और बच्चों के पालन-पोषण से संबंधित निर्णय, तकनीकी प्रगति, कानूनी रूपरेखा, अर्थव्यवस्था और सामाजिक मानदंडों का संरचनात्मक परिवर्तन शामिल हैं।
- गोल्डिन इस बात पर जोर देती हैं कि महिलाओं की पसंद अक्सर **विवाह और घरेलू जिम्मेदारियों से बाधित होती है** , यह घटना न केवल अमेरिका में बल्कि भारत जैसे देशों में भी देखी जाती है।

क्या परिवर्तन की जरूरत है?

- चुनौतियों **से निपटने के लिए श्रम बाजार के** मांग और आपूर्ति दोनों पक्षों में हस्तक्षेप की आवश्यकता पर बल देते हैं ।
- मांग पक्ष की ओर, विनिर्माण और उच्च उत्पादकता वाली सेवाओं में श्रम-प्रधान क्षेत्रों को बढ़ावा देने वाली नीतियां महत्वपूर्ण हैं।
- महिलाओं के लिए घर से बाहर काम करने हेतु अनुकूल वातावरण सृजित करने हेतु सुरक्षा और परिवहन अवसंरचना में सार्वजनिक निवेश आवश्यक है।
- **किफायती बाल एवं वृद्ध देखभाल सुविधाओं** में सार्वजनिक निवेश, रोजगार के साथ देखभाल संबंधी जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाने में महिलाओं की सहायता के लिए महत्वपूर्ण है।
- इन हस्तक्षेपों का उद्देश्य महिलाओं को बेहतर वेतन वाली नौकरियों के अवसर उपलब्ध कराना तथा श्रम बल में अधिक सक्रिय रूप से भाग लेने में सक्षम बनाना है।

4.2. असमानता को अब और नजरअंदाज नहीं किया जा सकता:

असमानता को संबोधित करने का अर्थ विकास की प्रकृति पर भी सवाल उठाना है - जो अब असमान है - और यह सुनिश्चित करना है कि नौकरियां पैदा हों

- कांग्रेस पार्टी के चुनाव घोषणापत्र, न्याय पत्र ने असमानता और धन संकेन्द्रण पर बहस छेड़ दी है।
- घोषणापत्र पर प्रधानमंत्री की टिप्पणियों ने धन पुनर्वितरण पर भी चर्चा छेड़ दी है।
- विश्व असमानता डेटाबेस ने पाया कि भारत में असमानता बढ़ रही है, साक्ष्य दर्शाते हैं कि **2022-23 में राष्ट्रीय आय का 22.6% शीर्ष 1% के पास चला गया, जो 1922 के बाद से सबसे अधिक है।**
- **धन असमानता और भी अधिक स्पष्ट है, जहां देश के शीर्ष 1% लोगों के पास देश की 40.1% संपत्ति है।**
- यह स्पष्ट है कि असमानता को अब आर्थिक विकास के उपोत्पाद के रूप में नजरअंदाज या उचित नहीं ठहराया जा सकता।
- इस तरह के असमान विकास की लागत की जांच और समाधान की आवश्यकता है।

चुनावी मुद्दे के रूप में स्वागत योग्य है

- **इस अन्याय के बारे में जागरूकता बढ़ रही है, जहां कुछ व्यक्ति और निगम फल-फूल रहे हैं, जबकि अधिकांश आबादी अच्छे रोजगार के लिए संघर्ष कर रही है।**
- रोजगार सृजन और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए 'धन सृजनकर्ताओं' को समर्थन देने का विचार बार-बार विफल रहा है, न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में।
- लोगों के जीवन में सुधार के लिए केवल आर्थिक विकास पर निर्भर रहना, भले ही इससे असमानता बढ़े, विश्व स्तर पर सवाल उठाए जा रहे हैं।
- 2024 में चुनाव परिणाम चाहे जो भी हो, भारत में चुनावी विषय के रूप में इस मुद्दे का उभरना उल्लेखनीय है।
- सार्वजनिक चर्चा, विशेष रूप से सोशल मीडिया पर, मुख्य रूप से **अमीरों पर कर लगाने और गरीबों को सब्सिडी देने जैसे प्रत्यक्ष पुनर्वितरण उपायों पर केंद्रित रही है** , जो भारत में प्रासंगिक हैं।
- **अन्य मध्यम आय वाले देशों की तुलना में भारत में कर-जीडीपी अनुपात कम है , तथा कर राजस्व में अधिकांश योगदान अप्रत्यक्ष करों का है।**
- यहां तक कि भारत में प्रत्यक्ष कर भी बहुत प्रगतिशील नहीं है, कर-पूर्व 500 करोड़ रुपये से अधिक लाभ कमाने वाली कंपनियों को छोटी कंपनियों की तुलना में कम प्रभावी कर दर का सामना करना पड़ता है।

कल्याणकारी व्यय कम है

- **भारत में कल्याण और सामाजिक क्षेत्रों पर सार्वजनिक व्यय अन्य देशों की तुलना में काफी कम है।**
- उदाहरण के लिए, **स्वास्थ्य पर व्यय सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 1.3% बना हुआ है, जो 2025 तक सकल घरेलू उत्पाद के 2.5% के राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति लक्ष्य से कम है।**
- COVID-19 के प्रभाव के बावजूद, स्वास्थ्य व्यय में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है, जिससे NHP लक्ष्य को प्राप्त करना असंभव है।
- **अन्य प्रमुख बजट आबंटन, जैसे मनरेगा और शिक्षा के लिए, कुल व्यय या सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में गिरावट दर्शाते हैं।**
- है, **साथ ही गरीबों के जीवन को सीधे प्रभावित करने वाले क्षेत्रों पर व्यय बढ़ाने की भी आवश्यकता है।**
- असमानता को दूर करने में विकास की प्रकृति, विशेषकर रोजगार सृजन की उसकी क्षमता पर प्रश्न उठाना भी शामिल है।
- भारत में हालिया विकास के साथ-साथ बेरोजगारी, **रोजगार लोच में गिरावट, लाभ में वृद्धि, तथा वास्तविक मजदूरी में स्थिरता भी देखी गई है।**
- ध्यान **केवल स्वरोजगार को बढ़ावा देने के बजाय पर्याप्त पारिश्रमिक के साथ अच्छे रोजगार के अवसर पैदा करने पर होना चाहिए।**
- न्यायसंगत विकास, जहां लोगों की क्रय शक्ति बढ़ती है, नरेगा और सार्वजनिक वितरण प्रणाली जैसे कार्यक्रमों पर सरकारी खर्च के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है।
- कांग्रेस घोषणापत्र में प्रस्तावित महालक्ष्मी योजना जैसी नकद हस्तांतरण योजनाएं भी समान विकास में योगदान दे सकती हैं।

रोज़गार निर्माण

- **सरकारें मौजूदा रिक्तियों को भरकर और स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण और सामाजिक सुरक्षा में सार्वजनिक सेवाओं का विस्तार करके नौकरियां पैदा कर सकती हैं।**
- **आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं जैसे फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं के लिए नौकरियों की गुणवत्ता में सुधार करना आवश्यक है, जिसमें बेहतर वेतन और काम करने की स्थिति भी शामिल है।**
- प्रत्यक्ष रोजगार सृजन प्रयास रोजगार के अवसरों को बढ़ा सकते हैं, खासकर महिलाओं के लिए, और मानव विकास परिणामों में सुधार कर सकते हैं।
- **सार्वजनिक सेवाओं में निवेश करने से महिलाओं पर अवैतनिक देखभाल कार्य का बोझ कम हो सकता है तथा उन्हें अन्य रोजगार अवसरों की तलाश करने में सक्षम बनाया जा सकता है।**
- **अवसरों में असमानता और अंतर-पीढ़ीगत असमानता को दूर करने के लिए** बचपन के दौरान पूर्व-विद्यालय शिक्षा और पोषण जैसी सेवाओं तक समान पहुंच की आवश्यकता है।
- **रोजगार-केंद्रित विकास रणनीति को श्रम-प्रधान लघु एवं मध्यम उद्यमों को समर्थन देना चाहिए तथा कौशल प्रशिक्षण एवं मानव पूंजी विकास को बढ़ावा देना चाहिए।**
- **मातृत्व अधिकार, बाल देखभाल सहायता, परिवहन और किफायती आवास जैसे उपाय श्रम बाजार में महिलाओं की भागीदारी को सुगम बना सकते हैं।**

Patriotic IAS

- असमानता से निपटने के लिए रोजगार के मुद्दे का समाधान करना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक विकास में कुछ लोगों के मुनाफे को प्राथमिकता दी जाती रहेगी, तब तक रोजगार संबंधी चुनौतियां बनी रहेंगी।

5. मिश्रित:

5.1 मितव्ययिता का विरोधाभास: क्या बचत में वृद्धि से निवेश में कमी आती है?

- बचत का विरोधाभास यह बताता है कि व्यक्तिगत बचत बढ़ाना भले ही लाभदायक प्रतीत हो, लेकिन वास्तव में इससे समग्र अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं।
- आम धारणा के विपरीत, व्यक्तिगत बचत दरों में वृद्धि से अर्थव्यवस्था की कुल बचत में वृद्धि के बजाय कमी हो सकती है।
- यह अवधारणा इस धारणा को चुनौती देती है कि उच्च व्यक्तिगत बचत सीधे अर्थव्यवस्था के लिए अधिक समग्र बचत में परिवर्तित हो जाती है।
- यह व्यापार चक्र के अल्प-उपभोग सिद्धांतों से जुड़ा है, जो सुझाव देते हैं कि आर्थिक मंदी का परिणाम कम उपभोक्ता व्यय और अत्यधिक बचत है।
- संक्षेप में, बचत का विरोधाभास व्यक्तिगत वित्तीय व्यवहार और व्यापक आर्थिक परिणामों के बीच जटिल संबंध को उजागर करता है।

सिद्धांत की उत्पत्ति

- बचत के विरोधाभास को ब्रिटिश अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड कीन्स ने अपनी 1936 की पुस्तक "द जनरल थ्योरी ऑफ़ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी" में लोकप्रिय बनाया था।
- कीन्स से पहले, अर्थशास्त्री विलियम टी. फोस्टर और वाडिल कैचिंग्स ने "बिजनेस विदआउट ए बायर" और "द डिलेमा ऑफ थ्रिफ्ट" जैसे कार्यों में समान विचारों पर चर्चा की।
- कीनेसियन अर्थशास्त्रियों का तर्क है कि अधिक बचत अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक हो सकती है क्योंकि इससे उपभोक्ता खर्च कम हो जाता है।
- उनका मानना है कि उपभोक्ता खर्च निवेश और उत्पादन को प्रोत्साहित करके आर्थिक विकास को गति देता है।
- कीनेसियन सिद्धांत के अनुसार, यदि उपभोक्ता अधिक बचत करते हैं और कम खर्च करते हैं, तो इससे व्यवसायों के लिए मुनाफा कम हो सकता है और आगे के निवेश को हतोत्साहित किया जा सकता है।
- उपभोक्ता खर्च में इस कमी के परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था में समग्र बचत और निवेश में कमी आ सकती है।
- कीनेसियन अर्थशास्त्री आर्थिक मंदी के दौरान उपभोक्ता मांग को प्रोत्साहित करने के लिए सरकारी हस्तक्षेप जैसे सरकारी खर्च बढ़ाने की सलाह देते हैं।
- उनका मानना है कि उपभोक्ता खर्च में उतार-चढ़ाव व्यापार चक्र का प्राथमिक चालक है, और सरकारी नीतियों का लक्ष्य आर्थिक विकास का समर्थन करने के लिए उपभोक्ता खर्च को स्थिर और प्रोत्साहित करना होना चाहिए।

विचार की आलोचना

- बचत के विरोधाभास के आलोचकों का तर्क है कि अधिक बचत करना अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक नहीं है।
- उनका तर्क है कि उपभोक्ता खर्च में कमी से जरूरी नहीं कि निवेश में कमी आए।

Patriotic IAS

- आलोचकों के अनुसार, उपभोक्ता वस्तुओं पर खर्च नहीं किया गया पैसा आम तौर पर बचाया जाता है और फिर निवेश किया जाता है, जिससे निवेश में वृद्धि होती है।
- अधिक बचत पूंजीपतियों की ओर से उत्पादन के कारकों की मांग बढ़ा सकती है, जिससे उपभोक्ता मांग में किसी भी कमी की भरपाई हो सकती है।
- आलोचकों का सुझाव है कि कम उपभोक्ता खर्च पूंजीपतियों को लंबी अवधि की परियोजनाओं में अधिक निवेश करने के लिए प्रेरित करता है जिन्हें पहले अव्यवहार्य माना जाता था।
- भविष्य-उन्मुख निवेशों के लिए बचत का यह पुनः आवंटन लंबे समय में उच्च आर्थिक उत्पादन का कारण बन सकता है।
- एक मुक्त अर्थव्यवस्था में, पूंजीपति दूर के भविष्य में वस्तुओं के लिए उपभोक्ता की प्राथमिकताओं के आधार पर निवेश निर्णयों को समायोजित करते हैं।
- आलोचकों का तर्क है कि बचत का विरोधाभास उपभोक्ता व्यवहार में बदलाव के जवाब में निवेश आवंटन की गतिशील प्रकृति को नजरअंदाज करता है।

5.2 व्यापारी संयुक्त अरब अमीरात को कम कीमत पर प्याज निर्यात करने से नाराज हैं

- भारत सरकार ने संभावित घरेलू कमी की चिंता के कारण **प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया ।**
- प्रतिबंध के बावजूद, सरकार ने राजनयिक अनुरोधों के जवाब में संयुक्त अरब अमीरात जैसे बाजारों में कुछ शिपमेंट की अनुमति दी।
- भारतीय किसान और व्यापारी चिंतित हैं, क्योंकि इनमें से कुछ अनुमत शिपमेंट्स को संयुक्त अरब अमीरात के स्टोरों में बहुत अधिक कीमत पर बेचा गया।
- भारत में किसानों को कथित तौर पर निर्यात के लिए **प्याज के लिए बहुत कम कीमत, लगभग 12 से 15 रुपये प्रति किलोग्राम का भुगतान किया जा रहा है।**
- हालाँकि, यही प्याज यूएई की दुकानों में 120 रुपये प्रति किलोग्राम से अधिक की दर पर बेचा जा रहा है, जिससे चयनित आयातकों को काफी मुनाफा हो रहा है।
- **भारत सरकार ने यूएई को 14,400 टन प्याज निर्यात करने की अनुमति दी है** , जिसकी तिमाही सीमा 3,600 टन है। इस कोटे से अधिक निर्यात को भी मंजूरी दी गई है।
- **भारत, पाकिस्तान और मिस्र जैसे देशों द्वारा निर्यात प्रतिबंध लगाए जाने** के कारण वैश्विक स्तर पर प्याज की कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। संयुक्त अरब अमीरात जैसे प्रमुख बाजारों में कीमतें 1500 डॉलर प्रति टन तक पहुंच गई हैं।
- इन **निर्यातों का प्रबंधन विशेष रूप से राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (एनसीईएल) के माध्यम से किया जाता है। सहकारिता मंत्रालय के तहत एक सरकारी स्वामित्व वाली संस्था** ।
- निर्यातकों को बताया गया कि निर्यात सरकार-से-सरकार के आधार पर किया जाता है, जिसमें आयातक देश नामित आयातकों को कोटा आवंटित करता है। खरीददारी एग्रीबाज़ार पोर्टल पर ई-टेंडरिंग के ज़रिए की जाती है।
- यूएई की ओर से, निजी व्यापारी और सुपरमार्केट श्रृंखलाएं, न कि सरकारी एजेंसियां, कथित तौर पर ये शिपमेंट प्राप्त कर रही हैं।
- आमतौर पर, व्यापार सौदों में, आपूर्तिकर्ता सबसे कम कीमत के लिए बोली लगाते हैं, और खरीदारों को उच्चतम प्रस्तावित कीमत के आधार पर चुना जाता है। हालाँकि, निर्यातकों का दावा है कि यहाँ ऐसा नहीं है।
- हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ने निर्यात प्रक्रिया और मूल्य निर्धारण के बारे में चिंता जताई है, यह देखते हुए कि विदेशों में बेची जाने वाली प्याज की कीमतें अंतरराष्ट्रीय कीमतों से कम हैं, जो उस समय लगभग 1,450 डॉलर प्रति टन थीं।

- निर्यात मूल्य निर्धारण प्रक्रिया और निर्यातकों और आयातकों की पहचान के संबंध में वाणिज्य, उपभोक्ता मामले और सहयोग मंत्रालयों द्वारा प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया गया है।
- कृषि **मंत्रालय ने कहा कि उसका ध्यान केवल फसल अनुमान प्रदान करने पर है और वह निर्यात मूल्य निर्धारित करने** या निर्यातकों और आयातकों की पहचान करने में शामिल नहीं है।

पर्यावरण

1. जलवायु परिवर्तन और उसका प्रभाव:

1.1 जी-7 के मंत्री 2030 तक कोयला आधारित बिजली संयंत्रों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने पर सहमत हुए

- जी-7 ऊर्जा मंत्रियों ने कोयला आधारित बिजली संयंत्रों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की समयसीमा पर सहमति व्यक्त की है।
- यह समझौता दिसंबर में संयुक्त राष्ट्र के सीओपी-28 जलवायु शिखर सम्मेलन में दुनिया द्वारा कोयला, तेल और गैस से दूर जाने का संकल्प लेने के बाद हुआ है।
- ट्यूरिन में ग्रुप ऑफ सेवन की बैठक के दौरान यह समझौता हुआ।
- ब्रिटिश परमाणु एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री एंड्रयू बोवी के अनुसार, 2030 के पूर्वार्द्ध में कोयले को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने पर सहमति बनी है।
- एक यूरोपीय सूत्र ने पुष्टि की कि जी-7 2030 की पहली छमाही तक संयंत्रों को बंद करने के लिए प्रतिबद्ध हो सकता है।
- नवीनतम जी-7 मसौदा 2030 के दशक की पहली छमाही के दौरान या पहुंच के भीतर 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान वृद्धि की सीमा को बनाए रखते हुए मौजूदा निर्बाध कोयला बिजली उत्पादन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है।
- इतालवी पर्यावरण और ऊर्जा सुरक्षा मंत्री गिल्बर्टो पिचेटो फ्रैटिन ने समयरेखा को एक परिकल्पना के रूप में वर्णित किया, जो चल रही राजनीतिक चर्चाओं का संकेत देती है।
- एक फ्रांसीसी राजनीतिक सूत्र ने कहा कि एक महत्वाकांक्षी समझौते की दिशा में प्रगति हो रही है, विशेष रूप से कोयले के प्रभावी चरणबद्ध समापन पर।
- संयुक्त राष्ट्र के जलवायु प्रमुख साइमन स्टिल ने अत्यधिक औद्योगिक देशों से जीवाश्म ईंधन के उपयोग को समाप्त करने के लिए अपने राजनीतिक प्रभाव, धन और प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाने का आग्रह किया।
- स्टील ने इस धारणा की आलोचना की कि जी-7 जलवायु परिवर्तन से निपटने में उनके नेतृत्व के महत्व पर जोर देते हुए साहसिक जलवायु कार्रवाई का नेतृत्व नहीं कर सकता है।

1.2. चरम जलवायु घटनाएँ एशिया को कैसे प्रभावित करती हैं?

2023 'एशिया में जलवायु की स्थिति' रिपोर्ट क्या कहती है? भारत के लिए इसका क्या मतलब है?

- विश्व **मौसम विज्ञान संगठन की 2023 की रिपोर्ट, 'एशिया में जलवायु की स्थिति' में** इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि एशिया में 1960 के बाद से वैश्विक औसत की तुलना में तेजी से गर्मी बढ़ रही है।
- 2023 को दुनिया भर में सबसे गर्म वर्ष के रूप में पहचाना गया।
- रिपोर्ट **में जलवायु अनुमानों और एशियाई देशों की जलवायु परिवर्तन और उसके परिणामों को अनुकूलित करने और संबोधित करने की क्षमता के बीच "खतरनाक अंतर" पर जोर दिया गया है।**

हीट एक्ज़ैक्ट ने एशिया पर क्या प्रभाव डाला?

- 2023 में, **एशिया में चरम जलवायु घटनाओं के कारण 2,000 से अधिक लोगों की जान चली जाएगी** , जबकि नौ मिलियन से अधिक लोग प्रभावित होंगे।
- इनमें से 80% से अधिक घटनाएँ **तूफान और बाढ़ के कारण हुईं** ।
- रिपोर्ट में विभिन्न क्षेत्रों में भीषण गर्मी की लहरों पर भी प्रकाश डाला गया है, जिसके कारण अनेक मौतें हुई हैं।
- भारत में अप्रैल और जून में भीषण गर्मी पड़ी, जिसके परिणामस्वरूप लगभग 110 लोगों की मृत्यु हो गई।
- अप्रैल और मई में दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया के बड़े हिस्से में लंबे समय तक गर्मी की लहर चली, जिसका असर बांग्लादेश और पूर्वी भारत से लेकर दक्षिणी चीन तक पड़ा।

बाढ़ और तूफानों ने एशिया को कैसे प्रभावित किया?

- **उष्णकटिबंधीय चक्रवात मोचा मई 2023 में म्यांमार और बांग्लादेश में आएगा** ।
- इसे **पिछले दशक में बंगाल की खाड़ी में सबसे शक्तिशाली चक्रवात के रूप में पहचाना गया था** ।
- चक्रवात के बाद **जून और जुलाई 2023 में भारत, पाकिस्तान और नेपाल में बाढ़, भूस्खलन और बिजली गिरने की घटनाएं हुईं।**
- इन घटनाओं के कारण लगभग 600 लोगों की जान चली गयी।
- अगस्त 2023 में, भारत के हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बाढ़ और भूस्खलन के कारण कम से कम 25 मौतें हुईं।
- **पूरे भारत में बिजली गिरने से पूरे वर्ष में लगभग 1,200 मौतें हुईं।**

एशिया आने वाली आपदा को कितनी अच्छी तरह पहचान सकता है?

- पूर्व -**चेतावनी प्रणाली** एक व्यापक प्रक्रिया है जो **खतरों की निगरानी, भविष्यवाणी और पूर्वानुमान करती है** ।
- **जोखिम मूल्यांकन, संचार और तैयारियों से** संबंधित गतिविधियाँ शामिल हैं ।
- ये प्रणालियाँ व्यक्तियों, समुदायों, सरकारों और व्यवसायों को जोखिमों को कम करने के लिए समय पर कार्रवाई करने की अनुमति देती हैं।
- उदाहरण के लिए, बांग्लादेश में अधिकारियों को चक्रवात मोचा की तैयारी के लिए एक दिन का नोटिस दिया गया था, जिससे उन्हें **कॉक्स बाजार में अग्रिम कार्रवाई करने** और स्थानीय समुदायों के बीच जीवित रहने की दर में सुधार करने में मदद मिली।
- इक्कीस एशियाई देशों ने संयुक्त राष्ट्र को अपनी प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों की स्थिति की सूचना दी।
- **आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय** के अनुसार :
    - एशिया में बहु-खतरा प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों की उपलब्धता और पहुंच के लिए औसत समग्र स्कोर **1 में से 0.46 था** ।
    - प्रतिक्रिया देने की तैयारी का **औसत स्कोर 0.58 रहा** ।
    - अवलोकन और पूर्वानुमान ने **औसतन 0.50 अंक प्राप्त किये** ।
- इसकी तुलना में, विश्व ने इन मामलों में क्रमशः **0.35, 0.78, और 0.33 अंक प्राप्त किये।**
- चेतावनी और प्रसार एशिया के लिए ढांचे के तहत सबसे मजबूत क्षेत्र के रूप में उभरा, जबकि जोखिम ज्ञान सबसे कमजोर था।
- रिपोर्ट इस बात पर प्रकाश डालती है कि सभी एशियाई देशों में से आधे से भी कम के पास जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को **कम करने के लिए आवश्यक उपकरण हैं ।**

भारत के लिए इन निष्कर्षों का क्या मतलब है ?

- भारत सहित वैश्विक स्तर पर चरम जलवायु घटनाएं बढ़ रही हैं, लेकिन बेहतर तैयारी से नुकसान को कम किया जा सकता है।
- बंगाल की खाड़ी में सबसे शक्तिशाली चक्रवातों में से एक, **चक्रवात मोचा के दौरान प्रारंभिक चेतावनियों का प्रभावी ढंग से उपयोग किया गया था ।**
- चक्रवातों के लिए भारत की प्रारंभिक तैयारी मजबूत है लेकिन बिजली गिरने से होने वाली मौतों और विनाश के बेहतर प्रबंधन की आवश्यकता है।
- उन्होंने विशेष रूप से हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए बिजली हमलों का जवाब देने में चुनौतियों पर प्रकाश डाला।
- कुछ समूह, जैसे खेतों में काम करने वाले किसान, सूचना के स्रोतों से दूर होने के कारण समय पर अलर्ट प्राप्त नहीं कर पाते हैं।
- जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों के प्रति भारत की तैयारी अपर्याप्त है।
- **अभूतपूर्व गर्मी की लहरें, ग्लेशियरों का पीछे हटना और समुद्र के बढ़ते स्तर** जैसे उभरते खतरों पर तत्काल ध्यान देने और नीति में सुधार की आवश्यकता है।
- सिंह ने जलवायु संबंधी प्रतिकूलताओं से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए संसाधनों और नीतियों के साथ समुदायों को सशक्त बनाने के महत्व पर जोर दिया।

1.3. पृथ्वी के 'अच्छे स्वास्थ्य' के अधिकार को बहाल करना:

- यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय ने स्विट्जरलैंड को क्लिमा सीनियरिनेन में वरिष्ठ महिलाओं के अधिकारों के उल्लंघन का दोषी पाया।
- उत्सर्जन पर अंकुश लगाने के लिए सरकार के कदम अपर्याप्त माने गए।
- जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से महिलाओं की रक्षा करने में विफलता।
- जलवायु संकट को मानवाधिकार संकट के रूप में उजागर करता है।
- भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि लोगों को जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से मुक्त होने का अधिकार है।
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का हवाला दिया।
- विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा वैश्विक जलवायु रिपोर्ट की स्थिति।
- 2023 रिकॉर्ड पर सबसे गर्म वर्ष के रूप में दर्ज किया गया।
- समुद्र की गर्मी, समुद्र के स्तर में वृद्धि, अंटार्कटिक समुद्री बर्फ की कमी और ग्लेशियर के पीछे हटने का रिकॉर्ड स्तर।

तनाव में एक ग्रह

- संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस 2024 पर ग्रह की गंभीर स्थिति पर जोर दिया।
- मानवता के कृत्य प्रकृति और मानवता को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं।
- प्रकृति के साथ सद्भाव बहाल करने का आग्रह।
- भारत ने अपने दो राष्ट्रीय निर्धारित योगदान (एनडीसी) लक्ष्य तय समय से पहले हासिल कर लिए हैं।
- हालाँकि, भारत जलवायु परिवर्तन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील बना हुआ है, जहाँ 80% से अधिक आबादी आपदा-प्रवण क्षेत्रों में रहती है।

Patriotic IAS

- जलवायु परिवर्तन के प्रभाव आजीविका, खाद्य सुरक्षा और सामाजिक-आर्थिक असमानताओं को प्रभावित करते हैं।
- न्यायालय की टिप्पणी अधिकारों के नजरिए से जलवायु परिवर्तन के प्रभावों पर विचार करते हुए एक मिसाल कायम करती है।
- स्वास्थ्य, जीवन और स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को मान्यता देता है।
- जलवायु कार्रवाई की कानूनी जवाबदेही का मार्ग प्रशस्त करता है।
- अधिकार-आधारित दृष्टिकोण अपनाकर और सरकार, निजी क्षेत्र और नागरिक समाज के बीच प्रयासों को एकीकृत करके जलवायु कार्रवाई में तेजी लाने के अवसर प्रदान करता है।
- राज्य की क्षमताओं को बढ़ाने और धन, कार्यों और पदाधिकारियों के आवंटन को बढ़ावा देने के लिए भारत में जलवायु परिवर्तन पर एक व्यापक विनियमन का प्रस्ताव।
- लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस की एक रिपोर्ट 60 देशों में जलवायु परिवर्तन रूपरेखा कानूनों की प्रभावशीलता पर प्रकाश डालती है।
- ये कानून वैश्विक पर्यावरणीय लक्ष्यों को पूरा करने से परे राष्ट्रीय नीतियों के लिए रणनीतिक दिशा स्थापित करते हैं।
- उदाहरणों में वैश्विक उत्तर (जर्मनी, आयरलैंड, आदि) और वैश्विक दक्षिण (दक्षिण अफ्रीका, फिलीपींस, आदि) दोनों देश शामिल हैं।
- जलवायु रूपरेखा कानूनों से सार्वजनिक क्षेत्र में स्टाफिंग और जलवायु कार्रवाई की क्षमता में वृद्धि होती है।
- भारत में जलवायु परिवर्तन से संबंधित कई कानून हैं, लेकिन एक रूपरेखा कानून जलवायु शासन को मजबूत कर सकता है तथा अधिक महत्वाकांक्षी कार्रवाई को सक्षम कर सकता है।
- एक रूपरेखा कानून कठोर जवाबदेही प्रदान कर सकता है तथा ज्ञान के आदान-प्रदान को बढ़ावा दे सकता है।
- भारत के 18 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जलवायु परिवर्तन के प्रति मध्यम से लेकर अत्यधिक संवेदनशील हैं।
- सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए एक मंच राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच जलवायु नीतियों और कार्यों में सामंजस्य स्थापित कर सकता है।

एसडीजी और स्थानीयकरण मॉडल

- सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के लिए भारत का स्थानीयकरण मॉडल एसडीजी को स्थानीय स्तर की योजना में एकीकृत करता है।
- राज्य और क्षेत्र अपने स्वयं के एसडीजी रोडमैप और निगरानी प्रणाली बनाते हैं।
- राज्यों के बीच मैत्रीपूर्ण प्रतिस्पर्धा नवाचार और प्रगति को बढ़ावा देती है।
- स्थानीय सरकारों के लिए क्षमता निर्माण प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करता है।
- व्यवसायों, गैर सरकारी संगठनों और नागरिकों की व्यापक भागीदारी सहयोग को बढ़ावा देती है।
- प्रभावी कार्रवाई के लिए अंतर-मंत्रालयी और अंतर-क्षेत्रीय दृष्टिकोण महत्वपूर्ण हैं।
- वन हेल्थ पहल में रोग नियंत्रण और महामारी की तैयारी के लिए 13 मंत्रालय शामिल हैं।
- जलवायु कार्रवाई के लिए अधिकार-आधारित दृष्टिकोण को एकीकृत करने के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी आवश्यक है।
- सर्कुलर इकोनॉमी दृष्टिकोण को मानवाधिकारों के अनुरूप आपूर्ति श्रृंखलाओं के साथ जोड़ा जाना चाहिए।
- रिवर्स लॉजिस्टिक्स सहित यह दृष्टिकोण परिवर्तनकारी प्रभाव डाल सकता है।

अधिकार आधारित संवाद

- न्यायालय की यह टिप्पणी नागरिक समूहों और नागरिक समाज संगठनों को पर्यावरण, जैव विविधता और जलवायु कार्रवाई पर अधिकार-आधारित संवाद को बढ़ावा देने में सशक्त बना सकती है।
- यह जलवायु शमन और पर्यावरण नीति के अंतर्गत कार्रवाई के बीच संभावित तनाव पर काबू पाने के लिए आम सहमति बनाने में मदद कर सकता है।
- सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण और नवीकरणीय ऊर्जा विकास के बीच संतुलन पर केंद्रित थी।
- इसमें समग्र समाधान तक पहुंचने के लिए संवाद के महत्व पर बल दिया गया।
- अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस प्रतिवर्ष 22 अप्रैल को मनाया जाता है।
- 'माता' पृथ्वी की अवधारणा भारतीय संस्कृति में गहराई से समायी हुई है, जिसमें प्रकृति को एक जीवित इकाई के रूप में देखा जाता है।
- 2022 में, मद्रास उच्च न्यायालय ने 'माँ प्रकृति' को एक 'जीवित प्राणी' घोषित किया, जिसे संरक्षित और संरक्षित करने के लिए कानूनी व्यक्तित्व दिया गया।
- इन निर्णयों और टिप्पणियों का उपयोग धरती माता के अच्छे स्वास्थ्य के अधिकार को बहाल करने और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से मुक्त भविष्य के लोगों के अधिकार की रक्षा के लिए किया जा सकता है।

1.4. लद्दाख और पूरी मानवता को बचाने की लड़ाई:

सोनम वांगचुक जलवायु उपवास ने हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र की नाजुकता के बड़े मुद्दे को उजागर किया है

- जलवायु कार्यकर्ता और **2018 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के विजेता सोनम वांगचुक ने** 6 मार्च, 2024 को लेह, लद्दाख में 30,000 लोगों की भीड़ से बात की।
- उन्होंने अपने संबोधन के दौरान 21 दिनों के जलवायु उपवास की घोषणा की.

Patriotic IAS

- पाकिस्तान और चीन के बीच स्थित लद्दाख 11,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और यहां **97% मूल जनजातियां निवास करती हैं।**
- यह क्षेत्र **आजीविका के लिए खेती और पशुपालन पर बहुत अधिक निर्भर है** ।
- **जलवायु परिवर्तन के कारण लद्दाख को बाढ़, सूखा, भूस्खलन, ग्रीनहाउस गैसों और अन्य प्रदूषकों सहित विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।**
- हिमालय **क्षेत्र, जहां लद्दाख स्थित है, लगभग 15,000 ग्लेशियरों का घर है, जिन्हें अक्सर तीसरा ध्रुव कहा जाता है।**
- **ये ग्लेशियर वसंत और गर्मियों के दौरान सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी प्रमुख नदियों में पिघला हुआ पानी छोड़ कर जल विज्ञान चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।**
- हालाँकि, ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के कारण हिमालय के ग्लेशियरों के पिघलने का खतरा है, जो पर्वतीय क्षेत्र के निवासियों और निचले इलाकों के समुदायों दोनों को प्रभावित करेगा।

इंफ्रास्ट्रक्चर बूम

- 2008 में, भारत सरकार ने **जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPCC) के हिस्से के रूप में आठ मिशन शुरू किए।**
- इनमें से एक मिशन, **हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन (एनएमएसएचई)** , विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है।
- मुख्य **उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के प्रति हिमालयी क्षेत्र की संवेदनशीलता का वैज्ञानिक आकलन करना तथा पारिस्थितिकी तंत्र की स्वास्थ्य स्थिति की निगरानी करना है।**
- हालाँकि, अपने अधिदेश के बावजूद, एनएमएसएचई ने हिमालयी क्षेत्र की सुरक्षा में अपनी भूमिका की उपेक्षा की है।
- केंद्र शासित प्रदेश के रूप में लद्दाख की स्थापना के बाद, कई बड़े पैमाने की बुनियादी ढांचा परियोजनाएं तेजी से शुरू की गईं।
- **इन परियोजनाओं में पुलों का निर्माण, सड़क चौड़ीकरण, सुरंगें, रेलवे लाइनें, सौर**

National Action Plan on Climate Change (NAPCC) is a key initiative of the Government of India to combat climate change.

Origin and Vision:

- Launched in 2008 by the Prime Minister's Council on Climate Change (PMCCC).
- Aims to promote sustainable development strategies that address both climate mitigation (reducing greenhouse gas emissions) and adaptation (preparing for the impacts of climate change).

Eight National Missions:

The NAPCC comprises eight National Missions, each focusing on specific sectors and goals:

1. **National Solar Mission (NSM):** Promotes large-scale adoption of solar energy.
2. **National Mission for Enhanced Energy Efficiency (NMEEE):** Aims to improve energy efficiency across various sectors.
3. **National Mission on Sustainable Habitat (NMSH):** Focuses on promoting sustainable practices in urban development.
4. **National Mission for Sustainable Agriculture (NMSA):** Aims to enhance agricultural productivity while adapting to climate change.
5. **National Mission on Green India (GIM):** Large-scale afforestation program to increase forest cover.
6. **National Mission for Sustainable Water Management (NMSWM):** Encourages water conservation and efficient water use practices.
7. **National Mission for Sustaining the Himalayan Ecosystem (NMSHE):** Focuses on protecting the fragile Himalayan ecosystem.

National Mission on Strategic Knowledge for Climate Change (NMSKCC): Supports research and capacity building on climate change issues.

परियोजनाएं और एक नया हवाई अड्डा टर्मिनल शामिल हैं, जिनका उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना है।

- उल्लेखनीय परियोजनाओं में **ज़ोजिला सुरंग, कारगिल-ज़ंस्कर राष्ट्रीय राजमार्ग और चांगथांग क्षेत्र में हजारों एकड़ को कवर करने वाली एक विशाल सौर ऊर्जा परियोजना शामिल है।**
- लद्दाख **(यूटी) औद्योगिक भूमि आवंटन नीति का** उद्देश्य क्षेत्र में निवेश आकर्षित करना है।
- सीमा **सड़क संगठन (बीआरओ) और राष्ट्रीय राजमार्ग और बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड (एनएचआईडीसीएल)** इनमें से कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का नेतृत्व कर रहे हैं।
- एनएचआईडीसीएल के दृष्टिकोण में जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में तेजी से राजमार्ग निर्माण शामिल है, जो सभी जलवायु परिवर्तन से संबंधित आपदाओं के प्रति संवेदनशील हैं।

एक ऐसा क्षेत्र जिसने आपदाएँ देखी हैं

- हिमालयी क्षेत्र में पूर्व में हुई आपदाओं के बावजूद, सरकारी निकाय चेतावनियों पर ध्यान दिए बिना तीव्र गति से बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मंजूरी दे रहे हैं और उनका क्रियान्वयन कर रहे हैं।
- 2010 के बाद से हिमालय में कई आपदाएं आई हैं, जिसके परिणामस्वरूप जान-माल की हानि हुई है।
- **2013 में केदारनाथ में बादल फटने से अचानक बाढ़ आ गई** , जिससे हजारों लोगों की जान चली गई।
- **जनवरी 2023 में जोशीमठ में एक पहाड़ी ढलान से पानी बह निकला** , जिससे शहर के कुछ हिस्से जलमग्न हो गए।
- में , हिमालय में **एक ध्वस्त सुरंग परियोजना से 41 श्रमिकों को बचाया गया , जिसने अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया।**
- **उत्तराखंड, जहां कई त्रासदियां घटित हुईं, वहां विशेषज्ञों की चेतावनियों के बावजूद अनेक बुनियादी ढांचा परियोजनाएं चल रही हैं।**
- उच्चतम **न्यायालय द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ समिति ने पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा के लिए चार धाम तीर्थस्थलों पर जाने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या सीमित करने की सिफारिश की** , लेकिन तीर्थयात्रियों की संख्या में वृद्धि जारी है।
- कुछ विशेषज्ञ **पर्यावरणीय क्षति को रोकने के लिए पैरा-ग्लेशियल क्षेत्र में जलविद्युत परियोजनाओं से बचने का सुझाव देते हैं।**
- जब आपदाएँ आती हैं, तो प्रवासी श्रमिक और निवासी, पर्यटक और तीर्थयात्री मानवीय लागत वहन करते हैं, जबकि सरकारी निकाय और डेवलपर्स जवाबदेही से बचते हैं।

अल्प समीक्षा

- **जलवायु परिवर्तन कार्यकर्ता निराश हैं क्योंकि अदालतों का दरवाजा खटखटाने और विशेषज्ञ समितियों के गठन के बावजूद उनकी सिफारिशों को लागू नहीं किया जा रहा है।**
- पहाड़ों में मेगा परियोजनाओं में जोखिम मूल्यांकन, सुरक्षा उपायों और भूवैज्ञानिक और भूकंपीय विश्लेषण सहित उचित परिश्रम का अभाव है।
- **विकास हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र और इसकी जैव विविधता में नाजुक संतुलन को बिगाड़ने की कीमत पर नहीं होना चाहिए।**
- हिमालय और क्षेत्र में रहने वाले लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना सभी की जिम्मेदारी है।
- पर्यावरण संरक्षण के लिए सोनम वांगचुक की लड़ाई लद्दाख से भी आगे तक फैली हुई है; यह मानवता और उसकी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के लिए एक लड़ाई है।

Patriotic IAS

चमकता बाढ़

- **तीव्र बाढ़:** अचानक आने वाली बाढ़ तब होती है जब बहुत ही कम समय में (आमतौर पर 6 घंटे के भीतर, अक्सर बहुत पहले) किसी क्षेत्र में अचानक पानी की मात्रा भर जाती है।
- **कारण:**
  - तूफ़ान या उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से तीव्र वर्षा।
  - बांध या तटबंध की विफलता.
  - हिमानी झील के फटने या बर्फ जमने से अचानक पानी का निकलना।
- **उच्च जोखिम वाले क्षेत्र:**
  - खराब जल निकासी वाला शहरी वातावरण।
  - पर्वतीय क्षेत्र एवं घाटियाँ।
  - बांधों से नीचे की ओर के क्षेत्र।
  - जलने के निशान और वनों की कटाई वाले क्षेत्र (पानी को अवशोषित करने के लिए वनस्पति की कमी)।

आकस्मिक बाढ़ खतरनाक क्यों हैं?

- **गति और बल:** वे न्यूनतम चेतावनी समय के साथ तेजी से घटित होते हैं। पानी मलबा ले जा सकता है और तेज़ गति तक पहुँच सकता है, जिससे विनाशकारी प्रभाव पड़ सकते हैं।
- **अप्रत्याशितता:** तत्काल क्षेत्र में भारी वर्षा के बिना भी अचानक बाढ़ आ सकती है, विशेष रूप से कहीं और होने वाले उच्च तीव्रता वाले तूफानों से नीचे की ओर।

आकस्मिक बाढ़ के दौरान सुरक्षा

- **चेतावनियों पर ध्यान दें:** मौसम की चेतावनियों पर ध्यान दें और अधिकारियों द्वारा सलाह दिए जाने पर खाली कर दें।
- **ऊंची जगह पर चले जाएं:** इंतजार न करें, तुरंत ऊंची जगह की तलाश करें।
- **बाढ़ के पानी में वाहन चलाने या चलने से बचें:** बहते पानी का कुछ इंच भी खतरनाक हो सकता है और वाहनों को बहा ले जा सकता है।
- **मुड़ जाएं, डूबें नहीं:** यदि सड़क पर पानी भरा हो तो उसे पार करने का प्रयास न करें।

1.5. भारत में चुनाव अभियानों में जलवायु संबंधी मुद्दे प्रतिबिंबित होने चाहिए:

- विश्व **मौसम विज्ञान संगठन (डब्ल्यूएमओ) ने वैश्विक जलवायु स्थिति रिपोर्ट जारी की।**
- रिपोर्ट बताती है कि **2023 विश्व स्तर पर सबसे गर्म वर्ष होगा।**
- औसत **तापमान वृद्धि 1.45 °C है, जो 1.5 °C की स्वीकृत सीमा के करीब है।**
- यह तापमान वृद्धि, जिसे ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है, चिंता का कारण है।
- 2023 में विभिन्न जलवायु संकेतकों के रिकॉर्ड टूटते देखे जाएंगे, जिनमें **समुद्र का तापमान, ग्लेशियर का पीछे हटना और अंटार्कटिक बर्फ कवर में कमी शामिल है।**
- **विश्व स्तर पर समुद्र का स्तर बढ़ रहा है, और चरम मौसम की घटनाएं जैसे गर्म लहरें, भारी वर्षा और उष्णकटिबंधीय चक्रवात अधिक लगातार हो रहे हैं** ।
- इन चरम मौसम की घटनाओं ने **कृषि सहित विभिन्न गतिविधियों को बाधित किया है, तथा दुनिया भर में सामाजिक-आर्थिक विकास को प्रभावित कर रही हैं।**
- रिपोर्ट में **कोविड-19 महामारी के दौरान देखी गई प्रतिक्रियाओं के समान सामूहिक सार्वजनिक कार्रवाई की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया गया है।**

प्रगति और शमनकारी कदम

- 18वीं शताब्दी के मध्य से औद्योगिक प्रगति ने **जीवन की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार किया है।**
- मशीनीकरण और तकनीकी नवाचार इस प्रगति के प्राथमिक चालक रहे हैं।

- हालाँकि, इस प्रगति के कारण **प्राकृतिक संसाधनों का दोहन बढ़ गया है,** जिससे पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है।
- **ऊर्जा के लिए जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता के परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन हुआ है, जो वैश्विक तापमान में वृद्धि में योगदान दे रहा है।**
- **4 नवंबर, 2016 को लागू हुए पेरिस समझौते का** उद्देश्य वैश्विक तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे सीमित करना और इसे 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के प्रयासों को आगे बढ़ाना है।
- **ने कार्बन उत्सर्जन को सीमित करने और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में परिवर्तन** के लिए कदम उठाए हैं ।
- जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भारत ने **राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना (एनएपीसीसी) और राष्ट्रीय सौर मिशन** जैसी पहल की हैं ।
- इन प्रयासों के बावजूद, विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) की नवीनतम रिपोर्ट **वैश्विक कार्रवाई की प्रभावशीलता पर सवाल उठाती है।**

चुनावी मौसम एक अवसर

- भारत में चुनाव का मौसम उत्सव, जोशीली बहस और बदलाव की उम्मीद लेकर आता है।
- **चुनावी मौसम के दौरान जारी की गई वैश्विक जलवायु स्थिति रिपोर्ट ने राजनीतिक स्पेक्ट्रम में चर्चा को बढ़ावा दिया है** ।
- यह रिपोर्ट जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर **सभी राजनीतिक दलों के लिए एक चेतावनी है।**
- **पक्षों को जलवायु परिवर्तन के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने तथा वैश्विक तापमान में कमी लाने के लिए कदमों की रूपरेखा तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए।**
- राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जलवायु परिवर्तन से निपटना व्यापक जनहित में है।
- सभी पक्षों को **भारत पर ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को कम करने के उपायों पर जोर देना चाहिए।**
- **जलवायु परिवर्तन संबंधी कार्रवाइयों में भारत का नेतृत्व उसकी वैश्विक स्थिति के लिए महत्वपूर्ण है।**
- **आर्थिक समृद्धि और लोगों की भलाई के एजेंडे का अभिन्न अंग** होना चाहिए ।

2. संरक्षण के प्रयासों:

2.1 वन (संरक्षण) अधिनियम संशोधन (FCAA) 2023

- 19 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया।
- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) ने इस आदेश का अनुपालन किया।
- **आदेश में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को विभिन्न राज्य विशेषज्ञ समितियों (एसईसी) की रिपोर्ट अपनी वेबसाइट पर अपलोड करने को कहा गया है** ।
- यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद अप्रैल में की गई थी।
- यह आदेश वन (संरक्षण) संशोधन अधिनियम (एफसीएए) 2023 की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका से संबंधित था।
- याचिका में उठाई गई मुख्य चिंताओं में से एक **अवर्गीकृत वनों की स्थिति के संबंध में थी।**
- एसईसी **रिपोर्ट से इन अवर्गीकृत वनों की पहचान करने की अपेक्षा थी** , लेकिन इस बात पर संदेह था कि उनकी पहचान की गई है या नहीं।

एफसीएए क्या निर्धारित करता है?

- वन (संरक्षण) संशोधन (एफसीएए) अधिनियम पारित किया गया।
- अवर्गीकृत वन, जो पहले **टीएन गोदावर्मन थिरुमलपाद मामले (1996) के तहत संरक्षित थे,** एफसीएए के तहत अपनी सुरक्षा खो देंगे।
- सुरक्षा के इस नुकसान के कारण इन वनों को अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग में लाया जा सकता है।
- सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार राज्य विशेषज्ञ समिति (एसईसी) की रिपोर्ट तैयार की जानी आवश्यक थी।
- **इन रिपोर्टों का उद्देश्य स्वामित्व या अधिसूचना स्थिति की परवाह किए बिना जंगलों को उनके शब्दकोश अर्थ के अनुसार पहचानना है।**
- **अवर्गीकृत या डीम्ड वनों सहित वनों की सभी श्रेणियां, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के दायरे में आएंगी।**
- यदि कोई परियोजना प्रस्तावक गैर-वन उद्देश्यों के लिए अवर्गीकृत वनों का उपयोग करना चाहता है, तो उन्हें केंद्र सरकार से अनुमोदन की आवश्यकता होगी।
- अवर्गीकृत वन सरकारी निकायों, समुदायों या निजी मालिकों सहित विभिन्न संस्थाओं से संबंधित हो सकते हैं, लेकिन उन्हें औपचारिक रूप से वनों के रूप में अधिसूचित नहीं किया गया था।

क्या इन वनों की पहचान कर ली गई है?

- अवर्गीकृत वनों के संबंध में राज्य विशेषज्ञ समिति (एसईसी) की रिपोर्ट की स्थिति 1996 से तब तक अस्पष्ट थी जब तक कि उन्होंने फिर से ध्यान आकर्षित नहीं किया।
- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) ने एक संयुक्त संसदीय समिति को सूचित किया कि एसईसी ने अवर्गीकृत वनों की पहचान की है, जिन्हें दर्ज किया गया है।
- यह प्रतिक्रिया उन चिंताओं के बीच आई है कि प्रस्तावित वन (संरक्षण) अधिनियम संशोधन गोदावर्मन फैसले को कमजोर कर सकता है और अवर्गीकृत वन भूमि को इसके दायरे से बाहर कर सकता है।
- MoEFCC ने समिति को आश्वासन दिया कि संशोधित अधिनियम SEC-पहचान वाले अवर्गीकृत वनों पर लागू होगा।
- हालाँकि, 17 जनवरी को दायर एक आरटीआई आवेदन के जवाब में, MoEFCC ने कहा कि उसके पास आवश्यक रिपोर्ट नहीं थी।
- MoEFCC ने अब अपनी वेबसाइट पर SEC रिपोर्ट अपलोड की है, जिससे पता चलता है कि किसी भी राज्य ने अवर्गीकृत वनों की पहचान, स्थिति और स्थान पर सत्यापन योग्य डेटा प्रदान नहीं किया है।
- **ऐसा प्रतीत होता है कि गोवा, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल सहित सात राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने एसईसी का गठन ही नहीं किया है।**
- जिन राज्यों ने अपनी रिपोर्ट साझा की है, उनमें से केवल 17 ही न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप हैं।
- **कई राज्यों ने भौतिक कैडस्ट्राल सर्वेक्षण या अवर्गीकृत वन भूमि का सीमांकन नहीं करने के कारणों के रूप में सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रदान की गई छोटी अवधि और काम की भारी प्रकृति का हवाला दिया।**

रिपोर्ट्स क्या कहती हैं?

- केवल नौ राज्यों ने अवर्गीकृत वनों की सीमा के बारे में जानकारी प्रदान की है, जबकि अधिकांश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) ने आदेश में निर्दिष्ट विभिन्न प्रकार के वन क्षेत्रों पर डेटा साझा किया है।
- **आमतौर पर राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अपनी एसईसी रिपोर्ट में वनों के भौगोलिक स्थानों का उल्लेख नहीं किया जाता था। जब भौगोलिक जानकारी प्रदान की जाती थी, तो वह अक्सर आरक्षित या संरक्षित वनों तक ही सीमित होती थी, जो कि अनावश्यक है क्योंकि यह जानकारी पहले से ही वन विभागों के पास उपलब्ध है।**

- **एसईसी रिपोर्ट भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों की सटीकता पर सवाल उठाती है, जो वनों के सर्वेक्षण और मूल्यांकन के लिए जिम्मेदार एकमात्र सरकारी एजेंसी है। उदाहरण के लिए, गुजरात की एसईसी रिपोर्ट सर्वेक्षण द्वारा बताए गए आंकड़ों की तुलना में अवर्गीकृत वनों के बहुत छोटे क्षेत्र को इंगित करती है।**
- एसईसी द्वारा जमीनी सत्यापन की कमी के कारण महत्वपूर्ण रूप से वनों की कटाई हो सकती है, क्योंकि जिन वनों की पहचान, सीमांकन और संरक्षण 27 साल पहले किया जाना चाहिए था, वे खतरे में बने हुए हैं।
- **1996-1997 के आधारभूत डेटा के बिना, पिछले कुछ वर्षों में अवर्गीकृत वनों के नुकसान की सीमा निर्धारित करना असंभव है।** उदाहरण के लिए, केरल के एसईसी में पल्लीवासल अनारक्षित क्षेत्र शामिल नहीं है, जो मुन्नार का एक पारिस्थितिक रूप से नाजुक क्षेत्र है, जो 2018 की बाढ़ के दौरान भी प्रभावित हुआ था।

एफसीएए के प्रभाव क्या होंगे?

- अवर्गीकृत वनों का नुकसान सभी राज्यों में व्यापक रूप से होने की संभावना है और इसकी जांच की आवश्यकता है।
- एसईसी **रिपोर्टें सुप्रीम कोर्ट के प्रति अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए आसानी से उपलब्ध रिकॉर्ड से अधूरे और असत्यापित डेटा पर भरोसा करते हुए, जल्दबाजी में संकलित की गई प्रतीत होती हैं।**
- सर्वोच्च न्यायालय के गोदावर्मन आदेश को लागू करने में विफलता **भारतीय वन नीति द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने का एक अवसर चूकना है, जिसका लक्ष्य मैदानी इलाकों में 33.3% और पहाड़ियों में 66.6% वन क्षेत्र का लक्ष्य है।**
- **एसईसी रिपोर्टों की उचित जांच के बिना एफसीएए का अधिनियमन पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) की ओर से परिश्रम की कमी को दर्शाता है और इसके भारत के पारिस्थितिक तंत्र और पारिस्थितिक सुरक्षा पर प्रतिकूल परिणाम हो सकते हैं।**
- अधूरी एसईसी रिपोर्टों के लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए, और राष्ट्रीय सरकार को 1996 के फैसले के अनुरूप वन क्षेत्रों की फिर से पहचान, पुनर्प्राप्ति और सुरक्षा के लिए सुधारात्मक कार्रवाई करनी चाहिए।

2.2. एक मृत धारा 30 वर्षों के बाद फिर से जीवित हो उठी:

- केरल के इडुक्की जिले के मरयूर सैंडल डिवीजन में एक आदिवासी बस्ती में एक जलधारा 30 साल बाद फिर से प्रकट हो गई है।
- इस परिवर्तन का **श्रेय 2021 से 2024 तक क्षेत्र में वन विभाग के नेतृत्व में की जाने वाली पारिस्थितिकी-पुनर्स्थापना पहल को दिया जाता है।**
- कम्मलमकुडी थोडू नामक यह जलधारा विदेशी प्रजातियों के प्रवेश के कारण लुप्त हो गई थी।
- 1990 से पहले, कम्मलमकुडी वन प्रभाग की पहाड़ियों में घास के मैदान और सक्रिय जल धाराएँ थीं।
- वन विभाग ने 2021-22 में **संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा समर्थित एक पारिस्थितिकी-पुनर्स्थापन परियोजना शुरू की।**
- पारिस्थितिकी-पुनर्स्थापना पहल के तहत **विदेशी प्रजातियों को व्यवस्थित तरीके से हटाया गया।**
- क्षेत्र में प्राकृतिक घास को पनपने दिया गया।
- परिणामस्वरूप, जलधारा पुनर्जीवित हो गई है और अब गर्म तापमान के दौरान भी **प्रति मिनट 6.5 लीटर पानी छोड़ती है।**

- **जल-योजन के लिए विभिन्न वन्यजीव प्रजातियों को आकर्षित करने के लिए नदी के किनारे** एक ब्रशवुड चेक-डैम बनाया गया था।
- पहाड़ियों के घास के मैदान में तब्दील होने के बाद से इस क्षेत्र में विविध वन्य जीवन की आमद देखी गई है

2.3 केंद्र ने ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम के मानदंडों में बदलाव किया; पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा:

- ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम (जीसीपी) हरित ऋण के लिए अवक्रमित वन भूमि पर वनरोपण परियोजनाओं में निवेश को प्रोत्साहित करता है।
- केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि वित्तीय लाभ के लिए सिर्फ पेड़ लगाने के बजाय पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।
- **13 राज्यों के वन विभागों ने निम्नीकृत वन भूमि के 387 भूमि पार्सल की पेशकश की है, जो कुल मिलाकर लगभग 10,983 हेक्टेयर है।**
- **व्यक्ति और कंपनियां इन वनों की बहाली के लिए भुगतान करने के लिए भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद (ICFRE) में आवेदन कर सकते हैं** ।
- वास्तविक वनीकरण राज्य वन विभागों द्वारा किया जाएगा।
- **दो वर्षों के बाद, प्रत्येक लगाए गए पेड़ का मूल्यांकन ICFRE द्वारा किया जाएगा,** और सफल होने पर, यह एक 'ग्रीन क्रेडिट' के लायक होगा।
- इन ग्रीन क्रेडिट का उपयोग वित्तपोषण संगठनों द्वारा दो तरीकों से किया जा सकता है:

1. वन कानूनों का अनुपालन करने के लिए संगठनों को वन भूमि डायवर्जन के लिए कहीं और उतनी ही भूमि प्रदान करके मुआवजा देना आवश्यक है।
2. पर्यावरण, सामाजिक और शासन मानदंडों के तहत रिपोर्ट करना या कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) आवश्यकताओं को पूरा करना।

2.4. राज्य हरित ऋण के लिए हजारों हेक्टेयर 'अपघटित' वन भूमि की पेशकश करते हैं:

हरित ऋण कार्यक्रम के लिए दस राज्यों द्वारा पहचानी गई 3,853 हेक्टेयर निम्नीकृत वन भूमि में से 40% हिस्सेदारी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश की है; क्रेडिट का उपयोग प्रतिपूरक वनीकरण दायित्वों की भरपाई के लिए किया जा सकता है

- केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने विशिष्ट नियमों के साथ **ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम (जीसीपी) की शुरुआत की।**
- दस राज्यों ने जीसीपी के लिए लगभग 3,853 हेक्टेयर कुल निम्नीकृत वन भूमि की पहचान की है।
- **उपलब्ध वन भूमि का लगभग 40% हिस्सा छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का महत्वपूर्ण योगदान है।**
- **जीसीपी के तहत, पंजीकृत संस्थाएं निम्नीकृत वन क्षेत्रों में वनीकरण परियोजनाओं को वित्तपोषित कर सकती हैं।**
- राज्य के वन विभाग वास्तविक वनीकरण कार्य का संचालन करेंगे।
- **दो वर्षों के बाद, अंतर्राष्ट्रीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद (आईसीएफआरई) द्वारा मूल्यांकन के बाद प्रत्येक रोपित पेड़ एक 'हरित क्रेडिट' के लायक हो सकता है।**
- **इन हरित क्रेडिट का उपयोग उन कंपनियों द्वारा किया जा सकता है जिन्होंने प्रतिपूरक वनीकरण दायित्वों को पूरा करने के लिए गैर-वन उद्देश्यों के लिए वन भूमि का उपयोग किया है।**

प्रतिपूरक वनरोपण

- **कानून उद्योगों या संस्थानों को गैर-वन उद्देश्यों के लिए वन भूमि को साफ़ करने की अनुमति देते हुए वन अधिकारियों को समकक्ष गैर-वन भूमि प्रदान करना अनिवार्य करते हैं।**
- उन्हें प्रदान की गई भूमि पर वनीकरण के लिए भी भुगतान करना होगा।
- गैर-वनीय भूमि आदर्श रूप से नष्ट किये गये वन्य क्षेत्रों के निकट होनी चाहिए; अन्यथा, अवक्रमित वन भूमि का उपयोग किया जा सकता है।
- **कम्पनियों को वन पारिस्थितिकी तंत्र के खोए हुए मूल्य की भरपाई करनी होगी, जिसे 'शुद्ध वर्तमान मूल्य' के रूप में जाना जाता है।**
- प्रतिपूरक वनरोपण के लिए समीपवर्ती गैर-वनीय भूमि प्राप्त करना चुनौतीपूर्ण है, विशेषकर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में।
- इन राज्यों ने ऐतिहासिक रूप से वन भूमि के बड़े हिस्से को खनन के लिए उपयोग में लाया है, जिससे आस-पास उपयुक्त गैर-वन भूमि ढूंढना कठिन हो गया है।
- कोष **, वनरोपण के लिए उपयुक्त भूमि की अनुपलब्धता के कारण अधिकांशतः खर्च नहीं हो पाता है।**

नये भूमि बैंक बनाना

- **हरित ऋण वृक्षारोपण में निजी निवेश को प्रोत्साहित करते हैं, जो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के टिकाऊ जीवन शैली के आह्वान के अनुरूप है।**
- हालांकि, विशेषज्ञों के अनुसार, हरित क्रेडिट को मौद्रिक मूल्य प्रदान करना एक चुनौती है।
- हरित ऋण को प्रतिपूरक वनरोपण गतिविधियों से जोड़ना और भी जटिल है।
- **इस कार्यक्रम से अनजाने में भूमि बैंक का निर्माण हो सकता है, जिसे वाणिज्यिक संस्थाओं को हस्तांतरित किया जा सकता है, जिससे वन भूमि का हस्तांतरण बढ़ सकता है।**
- **प्रतिपूरक वनरोपण कानूनों का उद्देश्य वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए वन भूमि के विनियोजन को हतोत्साहित करना है, लेकिन हरित ऋण योजना इस लक्ष्य का प्रतिकार कर सकती है।**

' इससे जिम्मेदारी से मुक्ति नहीं मिलती '

- आईसीएफआरई में कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे भानुदास पिंगले ने बताया कि यह योजना अभी पायलट चरण में है, तथा राज्य और केंद्र सरकार की संस्थाएं वर्तमान आवेदक हैं।
- हरित **ऋण योजना, संस्थाओं को मुआवजे के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध कराने के दायित्व से छूट नहीं देती है।**
- इस योजना का उद्देश्य केवल प्रतिपूरक वनरोपण ही नहीं, बल्कि कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यों और पुनर्जनन को प्रोत्साहित करना है।
- जैसे-जैसे कार्यक्रम आगे बढ़ेगा, ऋण-उत्पादक के रूप में भूमि को मंजूरी देने के लिए दो वर्ष की समय-सीमा जैसे प्रावधानों में संशोधन हो सकता है।

2.5. वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972

उद्देश्य:

- जंगली जानवरों, पक्षियों और पौधों की सुरक्षा के लिए एक मजबूत ढांचा प्रदान करता है।
- भारत के लिए पारिस्थितिकी और पर्यावरण सुरक्षा हासिल करने में मदद करता है।
- वन्य जीव-जंतुओं और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन (सीआईटीईएस) के तहत भारत के दायित्वों को कार्यान्वित करता है।

प्रमुख विशेषताऐं:

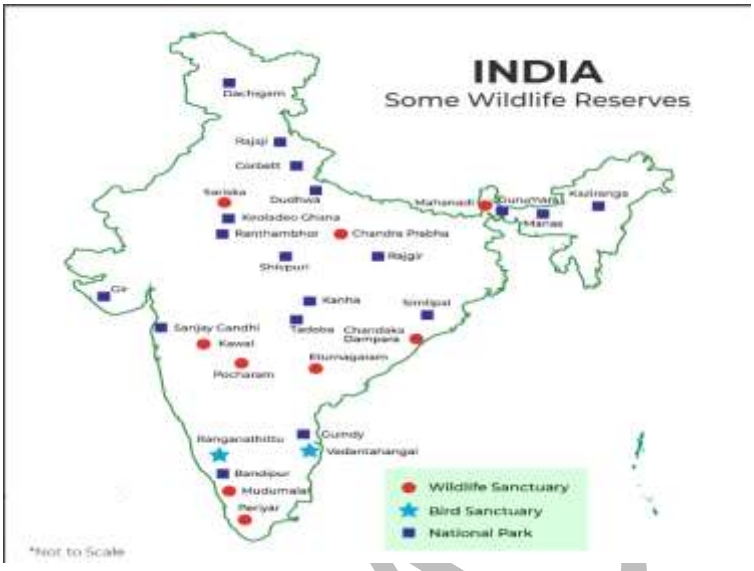

- **संरक्षित प्रजातियों की अनुसूचियां:** अधिनियम में प्रजातियों को उनके खतरे के स्तर के आधार पर विभिन्न अनुसूचियों (I से VI) में सूचीबद्ध किया गया है, तथा उन्हें अलग-अलग स्तर की सुरक्षा प्रदान की गई है:
    - **अनुसूची I: पूर्ण संरक्षण (जैसे, बाघ, शेर, हाथी, गैंडे)**
    - **अनुसूची V: कृमि (शिकार किया जा सकता है)**
    - **अनुसूची VI: निर्दिष्ट पौधों का संरक्षण**
- **शिकार निषेध:** विशिष्ट, सुपरिभाषित परिस्थितियों को छोड़कर सूचीबद्ध प्रजातियों के शिकार पर सख्त प्रतिबंध।
- **संरक्षित क्षेत्र:** विभिन्न संरक्षित क्षेत्रों के निर्माण की सुविधा प्रदान करता है:
    - राष्ट्रीय उद्यान: उच्च पारिस्थितिक मूल्य वाले क्षेत्र, अधिकांश मानवीय गतिविधियों के लिए प्रतिबंधित।
    - वन्यजीव अभयारण्य: महत्वपूर्ण वन्यजीव वाले क्षेत्र, जहां कुछ मानवीय गतिविधियों की अनुमति हो सकती है।
    - संरक्षण रिजर्व और सामुदायिक रिजर्व: टिकाऊ उपयोग और सामुदायिक भागीदारी के साथ संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करें।
- **व्यापार का विनियमन:** जंगली जानवरों, पशु वस्तुओं और ट्राफियों के व्यापार और वाणिज्य को नियंत्रित करता है।
- **दंड:** उल्लंघन के लिए कारावास और जुर्माने सहित दंड का प्रावधान है।
- **प्रमुख प्राधिकरण:** राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड, राज्य वन्यजीव बोर्ड और वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो जैसे प्राधिकरणों की स्थापना करता है।

हालिया संशोधन (जैसे, 2022):

- सीआईटीईएस के बेहतर कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित करना
- अपराधों के लिए दंड में वृद्धि
- आक्रामक विदेशी प्रजातियों का प्रबंधन
- प्रजातियों के स्वामित्व प्रमाणपत्रों पर अधिक स्पष्टता

Patriotic IAS

2.6. <u>प्रोजेक्ट टाइगर</u>

- **वन्यजीव संरक्षण पहल:** विश्व की सबसे सफल वन्यजीव संरक्षण पहलों में से एक।
- **शुभारंभ:** 1973 में भारत सरकार द्वारा बंगाल टाइगर को बचाने पर प्रारंभिक ध्यान देने के साथ शुरू किया गया।

उद्देश्य:

- अपने प्राकृतिक आवासों में बाघों की व्यवहार्य आबादी को बनाए रखना।
- बाघों को अवैध शिकार और आवास क्षति से बचाना।
- मानव-बाघ संघर्ष पर ध्यान दें।

प्रमुख विशेषताऐं

- **बाघ अभयारण्य:** समर्पित बाघ अभयारण्यों का नेटवर्क अब पूरे भारत में एक महत्वपूर्ण क्षेत्र को कवर करता है।
- इन रिजर्वों का प्रबंधन कठोर सुरक्षा, आवास पुनर्स्थापन और सामुदायिक सहभागिता के साथ किया जाता है।
- **वैज्ञानिक निगरानी:** कैमरा ट्रैप और अन्य वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग करके जनसंख्या का अनुमान लगाने से नियमित निगरानी संभव हो जाती है।

- **वित्तपोषण एवं प्रबंधन:** राष्ट्रीय **बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए)** वित्तपोषण एवं निगरानी प्रदान करता है।
- **पुनर्वास कार्यक्रम:** स्थानांतरण कार्यक्रमों के माध्यम से कम बाघ घनत्व वाले क्षेत्रों को पुनः आबाद करना।
- **सामुदायिक भागीदारी:** रिजर्वों के निकट मानव-बाघ संघर्ष को कम करने के लिए जागरूकता अभियान और पहल।

उपलब्धियां:

- **बाघों की संख्या में वृद्धि:** विश्व में जंगली बाघों की लगभग 75% आबादी भारत में है। परियोजना की शुरुआत के बाद से बाघों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
- **समग्र संरक्षण:** रिजर्व के भीतर विविध पारिस्थितिकी प्रणालियों की रक्षा करके जैव विविधता को लाभ पहुंचाता है

राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण

- भारत में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) की स्थापना दिसंबर 2005 में की गई थी।
- इसकी स्थापना टाइगर टास्क फोर्स की सिफारिश के बाद की गई थी।
- भारत के प्रधान मंत्री ने प्रोजेक्ट टाइगर और देश भर में कई टाइगर रिजर्वों के प्रबंधन के पुनर्गठन के उद्देश्य से एनटीसीए की स्थापना की।
- वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 को 2006 में संशोधित किया गया ताकि प्रोजेक्ट टाइगर को क्रियान्वित करने के लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) की स्थापना की जा सके, जिसका उद्देश्य लुप्तप्राय बाघों को संरक्षित करना है।
- एनटीसीए के अध्यक्ष पर्यावरण एवं वन मंत्री होते हैं तथा इसमें आठ वन्यजीव संरक्षण एवं कल्याण विशेषज्ञों के अलावा तीन संसद सदस्य शामिल होते हैं।
- प्रोजेक्ट टाइगर के प्रभारी वन महानिरीक्षक, पदेन सदस्य सचिव के रूप में कार्य करते हैं।
- यह एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करता है, जिसे ऑडिट रिपोर्ट के साथ संसद में प्रस्तुत किया जाता है।
- मुख्यमंत्रियों की अध्यक्षता में राज्य-स्तरीय संचालन समितियाँ बाघों का समन्वय, निगरानी और सुरक्षा सुनिश्चित करती हैं।
- राज्यों को कर्मचारियों के विकास, बाघ अभयारण्यों की सुरक्षा, संगत वानिकी संचालन और स्थानीय हितों की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हुए बाघ संरक्षण योजनाएँ तैयार करने की आवश्यकता है।
- कुछ अभ्यारण्यों की अच्छी प्रथाओं, पर्यावरण-पर्यटन, पर्यावरण-विकास को बढ़ावा देने और फंड सृजन के माध्यम से स्थानीय भागीदारी के आधार पर राज्यों द्वारा बाघ संरक्षण फाउंडेशन की स्थापना की जा सकती है।

3. समाचार में प्रजातियाँ:

3.1 नीलगिरि तहर (नीलगिरिट्रैगस हिलोक्रियस)

- **तमिलनाडु का राज्य पशु:** नीलगिरि तहर एक स्थानिक पर्वतीय खुर वाला जानवर है, जिसका अर्थ है कि यह विशेष रूप से एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में पाया जाता है।
- **निवास स्थान:** इसका प्राकृतिक निवास स्थान भारत के दक्षिण पश्चिमी घाट का पर्वतीय शोला-घास का मैदान पारिस्थितिकी तंत्र है। वे आम तौर पर उच्च ऊंचाई वाले, ऊबड़-खाबड़ इलाकों में पाए जाते हैं।

उपस्थिति:

- गठीले शरीर वाला, छोटा, मोटा फर
- नरों में एक प्रमुख अयाल.

- नर और मादा दोनों के सींग छोटे और घुमावदार होते हैं ।
- **संरक्षण स्थिति:** नीलगिरि तहर को इसके सीमित क्षेत्र और इसके आवास पर खतरे के कारण **IUCN रेड लिस्ट में "लुप्तप्राय" के रूप में वर्गीकृत किया गया है।**
- **खतरे:** आवास हानि और विखंडन, अवैध शिकार, पशुधन से प्रतिस्पर्धा, आक्रामक प्रजातियाँ
- **संरक्षण के प्रयास:** संरक्षित क्षेत्र: वन्यजीव अभयारण्यों और मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान और एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान जैसे राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना।

3.2 ओलिव रिडले कछुआ:

- **ऑलिव रिडले समुद्री कछुआ** (लेपिडोचिल्स ओलिवेसिया) **चेलोनीडे परिवार से संबंधित है** ।
- इसे **पैसिफिक रिडले समुद्री कछुए के नाम से भी जाना जाता है** ।
- यह प्रजाति दुनिया भर के सभी समुद्री कछुओं में **दूसरी सबसे छोटी और सबसे प्रचुर प्रजाति है।**
- **केम्प का रिडले समुद्री कछुआ** (लेपिडोचिल्स केम्पी) दुनिया भर के सभी समुद्री कछुओं में **सबसे छोटा है ।**
- प्रशांत और हिंद महासागरों के **गर्म और उष्णकटिबंधीय जल में और कभी-कभी अटलांटिक महासागर में पाया जाता है ।**
- **अरिबाडा नामक अद्वितीय समकालिक सामूहिक घोंसले** के लिए जाना जाता है ।
- **अरिबाडास** के दौरान , हजारों मादाएं अंडे देने के लिए एक ही समुद्र तट पर इकट्ठा होती हैं।

3.3 ग्रेट इंडियन बस्टर्ड:

- ग्रेट **इंडियन बस्टर्ड** (***आर्डियोटिस नाइग्रिसेप्स)*** , **राज्य पक्षी राजस्थान** , भारत का सबसे **गंभीर रूप से लुप्तप्राय पक्षी माना जाता है।**
- इसे प्रमुख घासभूमि प्रजाति माना जाता है, जो घासभूमि पारिस्थितिकी के स्वास्थ्य का प्रतिनिधित्व करती है।
- इसकी जनसंख्या अधिकतर राजस्थान और गुजरात तक ही सीमित है। छोटी आबादी महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में होती है।
- जीआईबी धीमी गति से प्रजनन करने वाली प्रजाति है। वे कुछ अंडे देते हैं और लगभग एक वर्ष तक माता-पिता द्वारा चूजों की देखभाल की जाती है। जीआईबी लगभग 3-4 वर्षों में परिपक्वता प्राप्त करता है।

सुरक्षा की स्थिति:

- IUCN लाल सूची: **गंभीर रूप से लुप्तप्राय**
- वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन (CITES): परिशिष्ट 1
- प्रवासी प्रजातियों पर कन्वेंशन (सीएमएस): परिशिष्ट।
- वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972: अनुसूची।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी

1. जीआई टैग:

अशरिकांडी टेराकोटा शिल्प:	पानी मेटेका शिल्प:	सारथेबारी धातु शिल्प:

विवरण: विशिष्ट टेराकोटा मिट्टी के बर्तन, अक्सर अद्वितीय जानवरों की आकृतियों, पट्टिकाओं और लोक रूपांकनों वाली टाइलों के साथ। 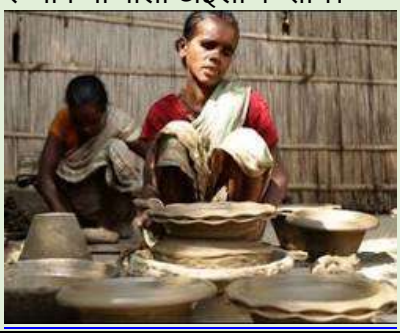	चावल के पेस्ट के साथ मिश्रित विशेष मिट्टी से बनी सजावटी आकृतियाँ । जटिल विवरण और जीवंत रंगों पर ध्यान दें । 	स्टैंड के साथ ट्रे) और "बोटा" (एक प्रकार का कटोरा) देखें ।
बोडो थोरखा (संगीत वाद्ययंत्र): विवरण: छोटा, बेलनाकार बांस का वाद्ययंत्र, एक छोटी बांसुरी की तरह, लंबवत रूप से बजाया जाने वाला। 	**मिशिंग हथकरघा उत्पाद:** विवरण: ज्यामितीय पैटर्न और प्रकृति रूपांकनों के साथ जीवंत वस्त्र। 	**बोडो ज्वमग्रा (पारंपरिक स्कार्फ):** विवरण: रंगीन पैटर्न वाला आयताकार स्कार्फ, जिसे अक्सर डोखोना के साथ प्रयोग किया जाता है।
बिहू ढोल: विवरण: लकड़ी और बकरी की खाल से बना दो तरफा, बेलनाकार ढोल, जिसे बिहू त्योहार के दौरान बजाया जाता है। 	**बोडो एरी सिल्क (शांति का कपड़ा):** विवरण: चिकने शहतूत रेशम की तुलना में गर्म, बनावट वाला रेशम। शॉल, स्टोल और कपड़े की लंबाई देखें। 	**जापी (बांस की टोपी):** विवरण: सुंदर पैटर्न वाली प्रतिष्ठित शंकाकार टोपी। आपको रोज़मर्रा और सजावटी संस्करण मिलेंगे।
बनारस तबला विवरण: हाथ से बजाया जाने वाला यह ढोल हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की परंपराओं का केंद्र है। बनारस उच्च गुणवत्ता वाले तबलों के निर्माण का एक प्रसिद्ध केंद्र है, जो अपनी स्वर गुणवत्ता के लिए जाना जाता है।	**बनारस की शहनाई विवरण:** एक डबल-रीड वुडविंड वाद्य यंत्र, जो भारतीय शादियों और शुभ अवसरों के लिए आवश्यक है। बनारस की शहनाइयां अपनी शिल्प कौशल और गूंजती ध्वनि के लिए बेशकीमती हैं ।	**बनारस लाल भरवामिर्च विवरण:** लाल मिर्च की एक विशिष्ट किस्म की खेती बनारस (वाराणसी) क्षेत्र में की जाती है। यह अपनी मध्यम गर्मी, जीवंत लाल रंग और अद्वितीय स्वाद प्रोफ़ाइल के लिए जाना जाता है।

- **त्रिपुरा ने दो जीआई टैग हासिल किए:** एक **पचरा-रिगनाई के लिए** , जो विशेष अवसरों पर पहनी जाने वाली एक पारंपरिक पोशाक है, और दूसरा **माताबारी पेड़ा के लिए** , जो एक मीठी तैयारी है।
- **गारो टेक्सटाइल बुनाई, लिरनाई पॉटरी और चुबिची** सहित कई उत्पादों के लिए **जीआई टैग भी हासिल किया ,** जो सभी क्षेत्र के सामाजिक-सांस्कृतिक और धार्मिक अनुष्ठानों से जुड़े हैं।

2. ऊर्जा:

2.1. भारत इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादन को बढ़ावा देने की योजना कैसे बना रहा है?

- 15 मार्च को केंद्र सरकार ने भारत को इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के विनिर्माण केंद्र के रूप में बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक नीति को मंजूरी दी।
- नीति में भारत में इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण में रुचि रखने वाली कंपनियों के लिए न्यूनतम 4,150 करोड़ रुपये की निवेश आवश्यकता शामिल है।

नीति में क्या प्रावधान है?

- केंद्र सरकार की नई नीति का उद्देश्य टेस्ला और बीवाईडी जैसी वैश्विक इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) निर्माताओं को भारतीय बाजार में प्रवेश के लिए प्रोत्साहित करना है।
- नीति का मुख्य लक्ष्य स्थानीय बाजार की स्थितियों और मांग के अनुरूप, आर्थिक रूप से व्यवहार्य तरीके से इलेक्ट्रिक वाहनों के स्थानीय उत्पादन की ओर बदलाव को सुविधाजनक बनाना है।
- नीति का एक महत्वपूर्ण प्रावधान 35,000 डॉलर की न्यूनतम लागत, बीमा और माल ढुलाई (सीआईएफ) मूल्य के साथ पूर्णतः निर्मित इकाइयों (सीबीयू) के रूप में आयातित इलेक्ट्रिक वाहनों पर आयात शुल्क को मौजूदा 70%-100% से घटाकर पांच वर्ष की अवधि के लिए 15% करना है, जो तीन वर्षों के भीतर विनिर्माण इकाई की स्थापना पर निर्भर है।
- नीति में यह भी रेखांकित किया गया है कि आयातित इलेक्ट्रिक वाहनों की कुल संख्या पर 6,484 करोड़ रुपये की कुल शुल्क छूट या किए गए निवेश के आधार पर आनुपातिक राशि - जो भी कम हो - प्रदान की जाएगी, जिसमें पांच वर्षों में अधिकतम आयात सीमा 40,000 इलेक्ट्रिक वाहन होगी।
- इस योजना के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए निर्माताओं को न्यूनतम 800 मिलियन डॉलर का निवेश करना होगा तथा स्थानीयकरण लक्ष्यों का पालन करना होगा।
- निर्माताओं के पास भारत में अपनी विनिर्माण सुविधाएं स्थापित करने के लिए तीन साल हैं और तीसरे वर्ष तक 25% और पांचवें वर्ष तक 50% स्थानीयकरण हासिल करने की उम्मीद है।
- स्थानीयकरण लक्ष्यों या योजना में उल्लिखित न्यूनतम निवेश मानदंडों को पूरा करने में विफलता के परिणामस्वरूप निर्माताओं की बैंक गारंटी रद्द की जा सकती है।

घरेलू खिलाड़ियों के बारे में क्या?

Patriotic IAS

- **टाटा मोटर्स ने आयात शुल्क कम करने के टेस्ला के** प्रस्ताव का विरोध करते हुए कहा कि इससे घरेलू उद्योग पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और निवेश माहौल को नुकसान होगा।
- डेलॉइट इंडिया के पार्टनर रजत महाजन के अनुसार, अधिकांश भारतीय खिलाड़ी वर्तमान में **ईवी बाजार में ₹29 लाख से नीचे के सेगमेंट पर हावी हैं** ।
- नीति के लाभ, विशेष रूप से आयात शुल्क में 15% की कमी , मुख्य रूप से उच्च-अंत बाजार खंड में उपभोक्ताओं को लक्षित करने वाले **मूल उपकरण निर्माताओं (ओईएम) के पक्ष में होने की उम्मीद है।**
- महाजन ने कहा कि यह नीति वैश्विक ईवी खिलाड़ियों और ऐसे खिलाड़ियों के साथ भारतीय संयुक्त उद्यमों (जेवी) के लिए भारत में बिक्री और विनिर्माण गतिविधियों को बढ़ाने के लिए एक आकर्षक अवसर पैदा करती है।

यह भारतीय बाज़ारों की जरूरतों को कैसे पूरा करता है?

- टेरी के प्रतिष्ठित फेलो आईवी राव भारतीय बाजार में प्रवेश करने वाले वैश्विक खिलाड़ियों के लिए पर्यावरण, सड़कों और उपयोग पैटर्न जैसी स्थानीय स्थितियों पर विचार करने के महत्व पर जोर देते हैं।
- डेलॉइट के रजत महाजन का कहना है कि दोपहिया और तिपहिया वाहनों के क्षेत्र में इलेक्ट्रिक वाहनों की पहुंच काफी महत्वपूर्ण रही है, लेकिन **यात्री वाहनों में इसकी हिस्सेदारी केवल 10 फीसदी ही रही है।** अपर्याप्त चार्जिंग बुनियादी ढांचे, रेंज की चिंता और सीमित किफायती उत्पाद विकल्प जैसी चुनौतियों के कारण अब तक **2.2% का योगदान दिया गया है ।**
- **भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) का सुझाव है** कि इलेक्ट्रिक वाहनों के आक्रामक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत को 2030 तक लगभग **13 लाख चार्जिंग स्टेशनों की आवश्यकता हो सकती है।**
- **उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना का** लाभ उठाने के लिए उपयुक्त डिजाइनों के महत्व पर बल देना ।

2.2 भारत के आर्थिक विकास का सर्वोत्तम परिदृश्य परमाणु ऊर्जा पर निर्भर है:

आईआईएम-ए के अध्ययन में कहा गया है कि अगर भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने और 2070 तक शुद्ध शून्य हासिल करने की राह पर चलना है तो उसे इस ऊर्जा क्षेत्र में निवेश को प्राथमिकता देनी होगी और संबंधित बुनियादी ढांचे का विस्तार करना होगा।

- प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय और भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम द्वारा वित्त पोषित भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद के शिक्षाविदों द्वारा किया गया एक अध्ययन, 2047 तक विकसित स्थिति और शुद्ध शून्य हासिल करने के लिए भारत के लिए परमाणु ऊर्जा और संबंधित बुनियादी ढांचे में निवेश को प्राथमिकता देने का सुझाव देता है। 2070 तक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन।
- वर्तमान में, परमाणु ऊर्जा में भारत के ऊर्जा मिश्रण का केवल 1.6% हिस्सा शामिल है।
- अध्ययन उच्च, मध्यम और निम्न आर्थिक विकास सहित विभिन्न परिदृश्यों की पड़ताल करता है, और ऊर्जा स्रोतों पर अलग-अलग ध्यान केंद्रित करता है: परमाणु ऊर्जा, कार्बन कैप्चर और भंडारण के साथ जीवाश्म ईंधन, नवीकरणीय ऊर्जा (सौर, पवन), और इन सभी का संयोजन।
- 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए 2030 और 2050 तक आवश्यक ऊर्जा मिश्रण का अनुमान लगाने के लिए गणितीय मॉडल का उपयोग किया गया था, जिसमें भारत की जनसंख्या द्वारा पश्चिमी यूरोपीय देशों के बराबर मानव विकास सूचकांक प्राप्त करने और ऊर्जा पहुंच की घटती लागत जैसे कारकों पर विचार किया गया था।
- सबसे अनुकूल परिदृश्य में उत्सर्जन 2070 तक शुद्ध शून्य तक पहुंचने का अनुमान है, परमाणु ऊर्जा मौजूदा स्तर से पांच गुना बढ़कर 2030 तक 30 गीगावॉट और 2050 तक 265 गीगावॉट हो जाएगी।

- इस परिदृश्य में, **भारत की कुल ऊर्जा में परमाणु ऊर्जा का योगदान 2030 में 4% से बढ़कर 2050 तक 30% होने का अनुमान है, जबकि सौर ऊर्जा की हिस्सेदारी 2030 में 42% से घटकर 2050 में 30% हो जाएगी।**

यूरेनियम उपलब्धता

- **सौर ऊर्जा वर्तमान में भारत की स्थापित उत्पादन क्षमता का 16% प्रतिनिधित्व करती है, जबकि कोयले की हिस्सेदारी 49% है।**
- परमाणु ऊर्जा के लिए प्रस्तावित आदर्शवादी आंकड़ों को प्राप्त करने के लिए निवेश को दोगुना करने और अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध द्वारा प्रतिबंधित महत्वपूर्ण ईंधन यूरेनियम की आवश्यक मात्रा में **उपलब्धता की आवश्यकता होगी।**
- आईआईएम अहमदाबाद के प्रोफेसर और अध्ययन के मुख्य लेखक अमित गर्ग के अनुसार, भारत के ऊर्जा मिश्रण में विभिन्न प्रौद्योगिकियों की आवश्यकता पर बल देते हुए, शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए कोई एकल समाधान ("सिल्वर बुलेट") नहीं है।
- **कोयले के भारत की ऊर्जा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण घटक ("रीढ़") बने रहने की उम्मीद है।** यदि देश अगले तीन दशकों में कोयले को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना चाहता है, तो उसे नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण का समर्थन करने के लिए लचीले ग्रिड बुनियादी ढांचे और भंडारण के साथ-साथ परमाणु ऊर्जा जैसे वैकल्पिक स्रोतों में निवेश करने की आवश्यकता होगी।
- **रिपोर्ट के निष्कर्षों के अनुसार, शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने की दिशा में परिवर्तन के लिए 2020-2070 के बीच 150-200 लाख करोड़ रुपये के अनुमानित निवेश की आवश्यकता होगी** ।

2.3 सौर उछाल: आयातित सौर पैनलों से दूर जाना:

भारत के सौर उद्योग को गुणवत्ता से समझौता किए बिना आगे बढ़ना होगा

- भारत **सरकार ने नये वित्तीय वर्ष की शुरुआत में आयातित सौर पैनलों पर निर्भरता को हतोत्साहित करने के लिए एक नीति लागू की है।**
- **सौर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल के अनुमोदित मॉडल और निर्माता (अनिवार्य पंजीकरण की आवश्यकता) आदेश, 2019** नामक नीति के तहत मॉड्यूल निर्माताओं को 'अनुमोदित' निर्माताओं के रूप में सूचीबद्ध होने के लिए **राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान** द्वारा निरीक्षण से गुजरना अनिवार्य है।
- अनुमोदित सूची में शामिल होने से कंपनियों को अपने परिसर में वैध रूप से सौर पैनल बनाने का प्रमाण मिल जाता है, जिससे वे **पीएम सौर रूफटॉप योजना सहित सरकारी निविदाओं के लिए प्रतिस्पर्धा करने के योग्य हो जाती हैं** ।
- इस सूची के निर्माण का **उद्देश्य चीन से आयात को प्रतिबंधित करना है** , जो तनावपूर्ण राजनयिक संबंधों के बीच वैश्विक आपूर्ति के लगभग 80% को नियंत्रित करता है।
- भारत का लक्ष्य 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से लगभग 500 गीगावाट, जो उसकी बिजली आवश्यकता का लगभग आधा है, प्राप्त करना है, जिसमें कम से कम 280 गीगावाट सौर ऊर्जा से प्राप्त करना है।
- हालाँकि, **देश की सौर क्षमता में वृद्धि धीमी रही है, COVID-19 महामारी जैसे कारकों के कारण पिछले पांच वर्षों में केवल लगभग 13 गीगावाट की वृद्धि हुई है** ।
- **लक्ष्यों को पूरा करने के लिए, भारत को अपने घरेलू उद्योग की आपूर्ति से अधिक पैनलों और घटक कोशिकाओं की आवश्यकता है, जिससे आयात पर महत्वपूर्ण निर्भरता हो जाती है** ।

Patriotic IAS

- घरेलू पैनल निर्माता, जो प्रमाणन के लिए सरकार को भुगतान करते हैं, सस्ते चीनी पैनलों के आगे पिछड़ जाते हैं।
- सरकार ने अनुमोदित सूची के कार्यान्वयन को स्थगित कर दिया है, लेकिन अब यह निर्णय लिया है कि यह 1 अप्रैल से प्रभावी होगा।
- सफलता का मापदंड यह होगा कि भारत 2030 तक अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करेगा तथा यह सुनिश्चित करेगा कि सौर ऊर्जा सस्ती बनी रहे।
- **घरेलू निर्माताओं को कठोर गुणवत्ता जांच से गुजरना चाहिए और केवल राष्ट्रवादी कारणों से लागत और गुणवत्ता से समझौता नहीं करना चाहिए** ।
- यद्यपि भारतीय सौर उद्योग को विकसित होना चाहिए तथा गुणवत्ता के लिए प्रतिष्ठा प्राप्त करनी चाहिए, लेकिन इस प्रयास में कोई आसान शॉर्टकट नहीं है।

3. सूचना संचार और प्रौद्योगिकी (आईटीसी):

3.1 लोग फोन पर नियंत्रण खो रहे हैं:

ऐप वह तरीका नहीं है जिसे उपयोगकर्ताओं को इंटरनेट सेवाओं तक पहुंचने के लिए चुनना चाहिए। "इमर्सिव" अनुभव पहले उपयोगकर्ताओं को डुबो रहा था और अब व्यवसायों को डुबो रहा है

- इंटरनेट को इस प्रकार डिजाइन किया गया था कि व्यक्तिगत मशीनें बिना किसी केन्द्रीय नियंत्रण के एक दूसरे से जुड़ सकें और संवाद कर सकें।
- प्रत्येक जुड़ी हुई मशीन को यह निर्णय लेने की शक्ति थी कि वांछित सेवाओं के लिए किससे संवाद करना है।
- **नेटवर्क परत में न्यूनतम गेटकीपर थे, जो मुख्य रूप से आईपी पते आवंटित करने और .com और .org जैसे डोमेन नामों के लिए रूट सर्वर प्रबंधित करने जैसे कार्यों के लिए थे।**
- इस विकेन्द्रीकृत डिजाइन के कारण 1990 और 2000 के दशक में इंटरनेट का तेजी से विकास हुआ।
- **ईमेल, वेबसाइट और चैट** जैसी विभिन्न सेवाएं सामने आईं, जिससे सूचना साझा करने और ई-कॉमर्स को बढ़ावा मिला।
- मानकीकृत प्रोटोकॉल और भाषाओं की बदौलत वेब ब्राउज़रों के साथ वेबसाइटों तक पहुंचना आसान हो गया।
- प्रारंभ में, **याहू ने विषय के आधार पर वर्गीकृत वेबसाइटों की एक निर्देशिका उपलब्ध कराई थी।**
- वेबसाइटों की संख्या में वृद्धि के साथ, **गूगल ने उपयोगकर्ता के प्रश्नों के आधार पर प्रासंगिक वेब पेजों को शीघ्रता से खोजने के लिए एक खोज इंजन प्रस्तुत किया।**

नियंत्रण सौंपना

- आईफोन जैसे मोबाइल उपकरणों के आगमन के साथ, वेबसाइटों को छोटे स्क्रीन पर देखने के लिए अनुकूलित किया जाने लगा।
- एप्पल ने डेवलपर्स को मोबाइल उपकरणों पर अपने सफारी ब्राउज़र के लिए वेब एप्लिकेशन (ऐप्स) बनाने के लिए प्रोत्साहित किया।
- डेवलपर्स इन उपकरणों के लिए अधिक नियंत्रण और मूल एप्लिकेशन बनाने की क्षमता चाहते थे, जिसके कारण एप्पल ने 2008 में तीसरे पक्ष के मूल कोड के लिए ऐप स्टोर खोल दिया।
- **ऐप्स ऐसे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होते हैं जो सीधे मोबाइल फोन पर चलते हैं, तथा सुरक्षा जोखिम पैदा करते हैं, क्योंकि वे कमजोरियों का फायदा उठाकर डिवाइस पर नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं।**

- **गूगल की सुरक्षा टीम ने इन जोखिमों को कम करने के लिए 2009 में नेटिव क्लाइंट नामक एक सैंडबॉक्स विकसित किया था, लेकिन इसे व्यापक रूप से अपनाया नहीं गया, और ऐप स्टोर्स ने ऐप्स को सामान्य रूप से अनुमति देना जारी रखा।**
- **वेब मानकों का विकास क्लाइंट-साइड कंप्यूटिंग के लिए जावास्क्रिप्ट को एक सुरक्षित भाषा के रूप में स्वीकार करने के लिए हुआ, जो ब्राउज़रों द्वारा समर्थित है, तथा अविश्वसनीय सॉफ्टवेयर चलाने के लिए एक सुरक्षित सैंडबॉक्स प्रदान करता है।**
- समय के साथ जावास्क्रिप्ट परिपक्व हो गई, जिससे उपयोगकर्ताओं की मशीनों पर अविश्वसनीय कोड चलाने का एक सुरक्षित तरीका उपलब्ध हो गया, जिससे कम जोखिम के साथ अविश्वसनीय वेबसाइटों को ब्राउज़ करना संभव हो गया।
- व्यवसायों ने ऐप्स को प्राथमिकता दी क्योंकि वे बिना किसी प्रतिबंध के लाखों डिवाइसों पर मूल कोड चला सकते थे।
- **उपयोगकर्ताओं को अधिक मनोरंजक अनुभव के लिए ऐप्स इंस्टॉल करने के लिए प्रोत्साहित किया गया, लेकिन इसके लिए उन्हें एसएमएस, फोटो, वीडियो और स्थान पर नियंत्रण छोड़ना पड़ा, तथा विज्ञापन अवरोधन जैसी ब्राउज़र सुविधाओं को भी खोना पड़ा।**
- **गेटकीपर के रूप में कार्य करते हुए ऐप स्टोर्स ने उपयोगकर्ताओं को ऐप सुरक्षा का आश्वासन दिया, लेकिन मैलवेयर, धोखाधड़ी और डेटा चोरी की घटनाओं ने चिंता बढ़ा दी।**
- डेवलपर्स एप्स को सुरक्षित बताकर एप स्टोर पर प्रकाशित कर सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप बेईमान एप्स द्वारा उपयोगकर्ताओं का शोषण करने की घटनाएं बढ़ सकती हैं।
- एक दशक पहले उठाई गई सुरक्षा चिंताओं के बावजूद, उपयोगकर्ताओं और व्यावसायिक प्राथमिकताओं के कारण ऐप्स की लोकप्रियता बनी रही, ऐप स्टोर्स को 15% से 30% तक के ऐप टैक्स से लाभ हुआ।
- **व्यवसाय, जो शुरू में उपयोगकर्ता नियंत्रण के लिए ऐप्स की ओर आकर्षित हुए थे, अब राजस्व बंटवारे का विरोध करते हैं, जिससे Google जैसी कंपनियों के खिलाफ अविश्वास के मामले सामने आ रहे हैं।**
- **एपिक गेम्स ने ऐप्पल के खिलाफ मुकदमा जीता, लेकिन ऐप स्टोर से हटाने जैसे नतीजों का सामना करना पड़ा, जबकि Google को अपनी प्रमुख स्थिति का दुरुपयोग करने के लिए जुर्माना का सामना करना पड़ा, लेकिन यूजर चॉइस बिलिंग जैसे वैकल्पिक बिलिंग तरीकों की शुरुआत की।**

एक उग्र लड़ाई

- संघर्ष **जारी है, ऐप स्टोर ऐप टैक्स से उत्पन्न राजस्व को छोड़ने के लिए अनिच्छुक हैं।**
- **व्यवसाय बिना किसी ऐप टैक्स के ऐप स्टोर की वकालत कर रहे हैं या यहां तक कि भारतीय ऐप स्टोर जैसे राष्ट्रीय ऐप स्टोर की स्थापना का प्रस्ताव भी दे रहे हैं।**
- ऐप स्टोर, व्यवसायों और अदालतों से जुड़ी इस लड़ाई के परिणाम के बावजूद, उपयोगकर्ताओं को यह समझना चाहिए कि ऐप्स के माध्यम से इंटरनेट सेवाओं तक पहुंच आदर्श विकल्प नहीं हो सकता है।
- आकर्षण **उपयोगकर्ताओं और व्यवसायों दोनों के लिए हानिकारक साबित हुआ है, जिसका नियंत्रण अंततः ऐप्पल और Google जैसे ऐप स्टोर दिग्गजों के हाथों में है।**

3.2. चुनावों में एआई, अच्छा, बुरा और बदसूरत:

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के व्यापक अनुप्रयोग से चुनाव के लगभग हर पहलू में बदलाव आने की संभावना है

- भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का लक्ष्य प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के भाषणों का आठ विभिन्न भाषाओं में अनुवाद करके उनके श्रोताओं की संख्या बढ़ाना है।
- यह प्रयास आगामी लोकसभा चुनावों की तैयारियों का हिस्सा है, जिसे संभवतः भारत का "पहला एआई चुनाव" माना जा रहा है।
- इस कार्य के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) का उपयोग किया जा रहा है, जिससे चुनावी प्रक्रिया में क्रांतिकारी बदलाव लाने की इसकी क्षमता पर प्रकाश डाला गया है।
- एआई प्रौद्योगिकी भाषणों के कुशल अनुवाद की अनुमति देती है, जिससे मोदी का संदेश व्यापक भाषाई दर्शकों तक पहुंच सकता है।
- चुनावों में एआई के व्यापक अनुप्रयोग से महत्वपूर्ण परिवर्तन आने की उम्मीद है, जो चुनावी प्रचार में एक आदर्श बदलाव को चिह्नित करेगा।
- यह पहल चुनावों के दौरान प्रभावी संचार और पहुंच के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने की भाजपा की रणनीति को दर्शाती है।

सोशल मीडिया और अभियान

- उभरती प्रौद्योगिकियों के साथ एकीकरण के कारण पिछले तीन दशकों में भारत की चुनावी रणनीति विकसित हुई है।
- फ़ोन कॉल का उपयोग 1990 के दशक में व्यापक हो गया, जिसके बाद 2007 में उत्तर प्रदेश में पहला "सामूहिक मोबाइल फोन" चुनाव हुआ।
- 2014 के चुनावों में होलोग्राम का उपयोग किया गया, जो एक महत्वपूर्ण तकनीकी प्रगति को दर्शाता है।
- वर्तमान युग की विशेषता चुनावी अभियानों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का एकीकरण है।
- **"सोशल मीडिया चुनाव" या "फेसबुक चुनाव"** का खिताब मिला ।
- भाजपा ने भारत की युवा आबादी से जुड़ने के लिए सोशल मीडिया का भरपूर उपयोग किया, जिससे महत्वपूर्ण डिजिटल खर्च हुआ।
- **एशियन जर्नल ऑफ पॉलिटिकल साइंस में प्रकाशित शोध से पता चला है कि 2014 में फेसबुक लाइक्स और चुनाव परिणामों के बीच सकारात्मक संबंध था।**
- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोशल मीडिया पर महत्वपूर्ण लोकप्रियता हासिल की है और **ट्विटर तथा फेसबुक जैसे मंचों पर वे शीर्ष वैश्विक नेताओं में शुमार हो गए** हैं।
- आम **चुनाव को भारत में "पहला व्हाट्सएप चुनाव" करार दिया गया** , जिससे राजनीतिक संदेशों को फैलाने में इस प्लेटफॉर्म की भूमिका पर प्रकाश डाला गया।
- **सूचना प्रसारित करने और पार्टी कार्यकर्ताओं को संगठित करने के लिए** किया गया है, जिसमें नाइजीरिया, ब्राजील और कई भारतीय राज्य भी शामिल हैं।
- व्हाट्सएप की प्रभावशीलता मतदाताओं को लक्षित जानकारी देने और पार्टी कार्यकर्ताओं को संगठित करने की क्षमता में निहित है, जैसा कि शिवम शंकर सिंह की पुस्तक, "हाउ टू विन एन इंडियन इलेक्शन" (2019) में बताया गया है।

वैश्विक चुनाव, एआई, खतरे

- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के व्यापक उपयोग के कारण 2024 के वैश्विक चुनावों को "एआई चुनाव" करार दिया गया है।
- जनवरी में **, न्यू हैम्पशायर में मतदाताओं को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन का रूप धारण करके रोबोकॉल प्राप्त हुए, जिसका उद्देश्य डेमोक्रेटिक मतदाताओं को मतदान केंद्रों पर जाने से रोकना था।**

- इसी तरह, **सितंबर 2023 में स्लोवाकिया के संसदीय चुनावों में एक बातचीत की फर्जी रिकॉर्डिंग फेसबुक पर साझा की गई थी, जिसमें कथित तौर पर चुनाव में हेरफेर के तरीकों पर चर्चा की गई थी।**
- अक्टूबर-नवंबर 2023 में **अर्जेंटीना के चुनावों में डीपफेक जैसी एआई-जनरेटेड सामग्री** का उपयोग देखा गया।
- **मध्य प्रदेश और तेलंगाना के विधानसभा चुनावों में भी डीपफेक का इस्तेमाल किया गया था** , जहां गेम शो "कौन बनेगा करोड़पति" के संपादित क्लिप और नेताओं के फर्जी वीडियो प्रसारित किए गए थे।
- एआई बॉट्स द्वारा संचालित फर्जी खातों का उपयोग **विशिष्ट संदेशों को बढ़ाने और सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर कृत्रिम रुझान उत्पन्न करने के लिए किया जाता है** ।
- इस हेरफेर से **किसी विशेष राजनेता या विषय के प्रति व्यापक समर्थन की झूठी धारणा बनती है, जिससे जनमत प्रभावित होता है।**
- एआई प्रौद्योगिकी अब सोशल मीडिया के साथ गहराई से एकीकृत हो गई है, जिससे यह चुनावों में राजनीतिक प्रभाव के लिए एक शक्तिशाली साधन बन गया है।

राजनीतिक परिदृश्य बदल रहा है

- **चुनावों में एआई की भूमिका दुष्प्रचार फैलाने से लेकर विभिन्न अभियान रणनीतियों तक फैली हुई है।**
- यह मतदाता पहचान, सामग्री विकास, वितरण और अभियान प्रदर्शन पर वास्तविक समय विश्लेषण में सहायता करता है।
- एआई की डेटा-संचालित और सूक्ष्म-लक्ष्यीकरण रणनीति राजनीतिक अभियानों में क्रांति ला रही है।
- उद्भव **2024 के चुनावों के लिए क्षमता और चुनौतियाँ दोनों प्रस्तुत करता है** ।
- अमेरिकी सरकार ने बिडेन रोबोकॉल जैसी घटनाओं के जवाब में एआई-जनरेटेड रोबोकॉल पर प्रतिबंध लगा दिया है।
- **माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ओपनएआई और मेटा** जैसे तकनीकी दिग्गज मतदाताओं को धोखा देने के उद्देश्य से एआई सामग्री का मुकाबला करने के लिए प्रतिबद्ध हैं ।
- मतदाताओं को रोकने या उम्मीदवारों के चित्रण में हेरफेर करने के लिए अंतिम समय में किए जाने वाले प्रयासों को आकार देने वाली एआई-जनित सामग्री के संबंध में चिंताएं मौजूद हैं।
- **डोनाल्ड ट्रम्प की गिरफ्तारी की** एक एआई-निर्मित छवि हाल ही में वायरल हुई, जो चुनावों पर एआई हेरफेर के संभावित प्रभाव को उजागर करती है।
- 2029 तक एआई के और अधिक कुशल होने की उम्मीद है, लेकिन इसके भ्रामक प्रभावों और उनसे निपटने के लिए दुनिया की तैयारियों के बारे में अनिश्चितताएं बनी हुई हैं।

3.3. तकनीकी नहीं, श्रमिक राज्य की प्राथमिकता होनी चाहिए:

एमजीएनआरईजीएस का उद्देश्य तकनीकी हस्तक्षेप के लिए एक खेल का मैदान प्रदान करना नहीं है, बल्कि डिजिटल प्रौद्योगिकी द्वारा वंचित परिवारों को कार्य सुरक्षा की भावना प्रदान करना है।

- आधार -**आधारित भुगतान प्रणाली (एबीपीएस)** से जुड़े विभिन्न मुद्दों के कारण इस पर काफी ध्यान दिया जा रहा है।
- एबीपीएस विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह **महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) से जुड़ा हुआ है** , जो ग्रामीण परिवारों को 100 दिनों की गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान करता है।

- मनरेगा के लिए बढ़े हुए बजटीय आवंटन के बावजूद, ग्रामीण रोजगार गारंटी को डिजिटलीकृत पहचान प्रणालियों से जोड़ने में चुनौतियाँ बनी हुई हैं।
- **चुनौतियों में शामिल हैं:**
    1. इंटरनेट कनेक्टिविटी समस्याएँ.
    2. फ़िंगरप्रिंट पहचान में समस्याएँ.
    3. विकलांग व्यक्तियों द्वारा सामना की जाने वाली कठिनाइयाँ।
    4. अलिखित कार्य दिवस.
    5. नाम दोहराव और विसंगतियाँ।
    6. लाभार्थियों में जागरूकता की कमी.
    7. नामों को जोड़ने, प्रमाणीकरण और हटाने में त्रुटियाँ।
    8. सीडिंग मुद्दे, विशेषकर जहां श्रमिकों की कोई गलती नहीं है।
- शोध से पता चलता है कि **26 करोड़ से अधिक श्रमिक मनरेगा के साथ पंजीकृत हैं, 2022-23 में 5.2 करोड़ श्रमिकों को डेटाबेस से हटा दिया गया है** ।
- जॉब कार्ड धारकों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा (34.8%) एबीपीएस के लिए अयोग्य है।
- आलोचक भुगतान प्रणाली में कई खामियों को उजागर करते हैं, जिससे नामांकित व्यक्तियों के लिए सुचारू रूप से भुगतान प्राप्त करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है।

लाभार्थियों को

- एमजीएनआरईजीएस जैसी योजनाओं में श्रमिक **प्रौद्योगिकी पर बहुत अधिक निर्भर हैं** , जो प्रौद्योगिकी से उन्हें लाभ पहुंचाने के विचार का खंडन करता है।
- रोजगार **सुरक्षा पीछे चली जाती है** , श्रमिकों को लाभार्थियों के बजाय तकनीकी प्रणाली के घटकों के रूप में अधिक माना जाता है।
- डिजाइन **और कार्यान्वयन में श्रमिकों के कल्याण की तुलना में प्रौद्योगिकी को प्राथमिकता दी गई है।**
- प्रौद्योगिकी पर अधिक ध्यान देने से सरकारी प्रक्रियाओं में जटिलता और सुस्ती आई है, जो अब डिजिटल संदर्भ में है।
- इस बात पर चिंता व्यक्त की जा रही है कि राज्य श्रमिकों को सशक्त बनाने के बजाय अपने हित के लिए प्रौद्योगिकी को प्राथमिकता दे रहा है।
- मनरेगा जैसी रोजगार गारंटी योजनाओं का प्राथमिक लक्ष्य डिजिटल प्रौद्योगिकी के माध्यम से वंचित परिवारों को सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना होना चाहिए।
- **इन योजनाओं का उद्देश्य समावेशिता को बढ़ावा देना, असमानता को कम करना और सामाजिक-आर्थिक संकट को दूर करना है, जिन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक उत्पादक और समतामूलक समाज के निर्माण में योगदानकर्ता के रूप में मान्यता प्राप्त है।**
- तकनीकी समाधानों को इन योजनाओं के मूल उद्देश्यों पर हावी नहीं होना चाहिए, जिनके लाभ **बेहतर पोषण, लैंगिक समानता, सामाजिक बीमा और राजनीतिक पारदर्शिता जैसे सिद्ध हुए हैं।**
- कोविड-19 महामारी से मिले सबक से वंचित समुदायों के लिए प्रौद्योगिकी पर अत्यधिक निर्भरता के जोखिम उजागर होते हैं।

प्रौद्योगिकी की क्षमता

- प्रौद्योगिकी ने ऐतिहासिक रूप से प्रगतिशील सिद्धांतों को समर्थन देने की क्षमता दर्शाई है तथा यह सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करने में केन्द्रीय भूमिका निभाती है।

Patriotic IAS

- **भारत में ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनाएं, जैसे कि एमजीएनआरईजीएस, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सतत विकास लक्ष्यों में योगदान करती हैं** ।
- मनरेगा के लिए आवंटित महत्वपूर्ण बजट का उपयोग मौजूदा तकनीकी मुद्दों के समाधान के लिए प्रौद्योगिकी-मुक्त प्रणाली के माध्यम से किया जाना चाहिए।
- **तकनीकी और गैर-तकनीकी दोनों समाधानों का** विश्लेषण किया गया है, लेकिन राज्य के तकनीकी दृष्टिकोण में मूलभूत परिवर्तन की भी आवश्यकता है।
- राज्य को विकास लक्ष्यों में एक सक्रिय भागीदार के रूप में कार्यकर्ता को प्राथमिकता देनी चाहिए और तकनीकी प्रगति के साथ-साथ देश-विशिष्ट चिंताओं का समाधान करना चाहिए।
- हालाँकि प्रौद्योगिकी फायदेमंद हो सकती है, खासकर सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों से निपटने में, इसे **श्रमिकों के कल्याण और सुरक्षा से अधिक महत्व नहीं दिया जाना चाहिए।**
- बढ़ती असमानता, कार्य अनिश्चितता और ग्रामीण संकट के बीच श्रमिकों के लिए आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करने पर प्राथमिक ध्यान हमेशा होना चाहिए।

4. अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी:

4.1. चंद्रमा के चारों ओर दूरबीन लगाने पर विचार कर रहे देशों में भारत भी शामिल:

- ब्रह्मांड का पता लगाने के लिए **चंद्रमा पर और उसके चारों ओर कक्षा में उच्च-रिज़ॉल्यूशन दूरबीन तैनात करने** की संभावना से उत्साहित हैं ।
- ऐसा ही एक प्रस्ताव है **प्रत्युष, जो भारत द्वारा शुरू किया गया है** ।
- **पृथ्वी पर ऑप्टिकल टेलीस्कोप दृश्य प्रकाश एकत्र करते हैं लेकिन वायुमंडलीय हस्तक्षेप के कारण चुनौतियों का सामना करते हैं, जिसमें आकाश को अस्पष्ट करने वाला प्रदूषण भी शामिल है।**
- **रेडियो टेलीस्कोप, जो रेडियो तरंगों का पता लगाते हैं, रेडियो और टीवी सिग्नलों के हस्तक्षेप के साथ-साथ रडार सिस्टम, विमान और उपग्रहों से विद्युत चुम्बकीय 'हिस' जैसी कठिनाइयों का भी सामना करते हैं।**
- इसके अतिरिक्त, **पृथ्वी का आयनमंडल बाहरी अंतरिक्ष से आने वाली रेडियो तरंगों को रोकता है** , जिससे अवलोकन और भी जटिल हो जाता है।

एक प्राचीन वीरानी

- संपूर्ण ग्रह से बढ़ते रेडियो शोर के कारण वैज्ञानिकों को पृथ्वी की कक्षा में रेडियो दूरबीनों के साथ चुनौतियों का सामना करना पड़ा।
- **पृथ्वी से दूर, चंद्रमा के सुदूर भाग पर दूरबीन लगाने पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है।**
- **चंद्रमा का दूरवर्ती भाग स्वच्छ, वायुहीन स्थिति प्रदान करता है, जिससे दो सप्ताह तक चलने वाली चंद्र रात्रि के दौरान ऑप्टिकल दूरबीनों के लिए क्रिस्टल-सा स्पष्ट दृश्य उपलब्ध होता है।**
- चंद्रमा के सुदूरवर्ती भाग पर स्थित रेडियो दूरबीनों को पृथ्वी के रेडियो प्रसारणों तथा सूर्य से आने वाली विद्युत आवेशित प्लाज्मा हवाओं से चंद्रमा द्वारा ही सुरक्षित रखा जाएगा।
- अतीत में, उच्च लागत के कारण चंद्र दूरबीनों की स्थापना में बाधा उत्पन्न हुई थी, लेकिन चंद्र अन्वेषण में नए सिरे से बढ़ती रुचि के कारण यह संभव हो गया है।
- रॉयल सोसाइटी के अनुसार, इस कदम से खगोलविदों को "सौरमंडल के सबसे शांत रेडियो स्थान" तक पहुंच मिल सकेगी।

Patriotic IAS

ब्रह्मांड में सबसे पुराना प्रकाश

- ब्रह्माण्ड विज्ञानियों का मानना है कि ब्रह्माण्ड की शुरुआत एक अत्यंत छोटे, घने बूँद के रूप में हुई जो एक बिग बैंग में फट गया।
- बिग बैंग के बाद, **ब्रह्मांड ठंडा और विस्तारित हुआ, इसकी चकाचौंध रोशनी अंधेरे में लुप्त हो गई।**
- लगभग **300,000 से आधा अरब वर्षों तक, ब्रह्मांड अंधेरे की स्थिति में था, केवल हाइड्रोजन और हीलियम के निशान थे।**
- यह अंधकारमय काल ब्रह्मांडीय इतिहास के इस महत्वपूर्ण चरण का प्रत्यक्ष निरीक्षण करना चुनौतीपूर्ण बना देता है।
- अंधकार **तब समाप्त हुआ जब पहले तारे प्रज्वलित हुए, प्रकाश उत्सर्जित किया और ब्रह्मांड का विस्तार जारी रखा।**
- ब्रह्मांड में सबसे पुराना प्रकाश, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड (सीएमबी), इस विस्तार के परिणामस्वरूप एक फीकी चमक है, जिसे रेडियो दूरबीनों द्वारा पता लगाया जा सकता है **।**
- **सीएमबी प्रकीर्णन के बाद, ब्रह्मांड ने एक "शांत" अवधि में प्रवेश किया, जिसे अंधकार युग के रूप में जाना जाता है** , जो लाखों वर्षों तक चलता है।
- **अंधकार युग के दौरान, गुरुत्वाकर्षण ने पहले सितारों और आकाशगंगाओं का निर्माण शुरू किया।**
- **अंधकार युग** के दौरान ब्रह्मांड में **तटस्थ हाइड्रोजन ने** कुछ सीएमबी विकिरण को अवशोषित किया, जिससे रेडियो तरंगों के फैलने की आवृत्ति में थोड़ी गिरावट आई।

चीन फिर से प्रथम हो सकता है

- पृथ्वी पर मौजूद उपकरण आवृत्ति में बहुत मामूली गिरावट का पता नहीं लगा सकते हैं, इसलिए वैज्ञानिक इसके बजाय चंद्रमा पर उपकरणों का उपयोग कर रहे हैं।
- ये चंद्रमा-आधारित उपकरण **ब्रह्मांड के "अंधकार युग" के संकेतों का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण हैं, जब कोई तारे नहीं थे, क्योंकि वे तारों के प्रकाश के हस्तक्षेप से मुक्त हैं।**
- लूनर **सरफेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्सपेरिमेंट (LuSEE नाइट) NASA और बर्कले लैब के बीच एक संयुक्त परियोजना है, जिसे दिसंबर 2025 में लॉन्च करने की तैयारी है । रेडियो फ्रीक्वेंसी शोर को कम करने के लिए यह पृथ्वी के विपरीत, भूमध्य रेखा के पास चंद्रमा के सुदूर भाग पर उतरेगा।**
- नासा और ईएसए जैसी अंतरिक्ष एजेंसियों द्वारा चंद्रमा से जुड़े अन्य उपकरणों की भी योजना बनाई जा रही है।
- नासा का लॉन्ग-बेसलाइन ऑप्टिकल इमेजिंग इंटरफेरोमीटर चंद्रमा के दूर से सितारों और आकाशगंगाओं पर चुंबकीय गतिविधि का अध्ययन करेगा।
- **ईएसए ने 2030 तक** अपने चंद्र लैंडर 'अर्गोनॉट' पर एक रेडियो टेलीस्कोप लॉन्च करने की योजना बनाई है।
- यूरोपीय परियोजनाओं में गुरुत्वाकर्षण तरंगों के लिए डिटेक्टर और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास एक छायादार क्रेटर में एक अवरक्त दूरबीन शामिल है।
- चीन 2026 में लॉन्च होने वाले चंद्रमा-परिक्रमा रेडियो टेलीस्कोप में भी शामिल है।
- **चीन का क्यूकियाओ-2 उपग्रह** , जिसमें 4.2-मीटर एंटीना शामिल है, संभवतः 24 मार्च को चंद्रमा के चारों ओर कक्षा में स्थापित किया गया था, जो संचार रिले और रेडियो टेलीस्कोप के रूप में काम करेगा।

प्रत्यूष रेडियो टेलीस्कोप

- चंद्रमा की सतह पर उपकरणों को तैनात करना मुश्किल है, इसलिए वैज्ञानिक इसके बजाय चंद्रमा के चारों ओर उपग्रहों की परिक्रमा करने पर विचार कर रहे हैं।
- डॉ. सुज़ुकी चंद्रमा की परिक्रमा करने और उपग्रह के पीछे होने पर डेटा का अध्ययन करने के लिए इस वैकल्पिक दृष्टिकोण का सुझाव देते हैं।
- चंद्रमा के दूर से ब्रह्मांड का अध्ययन करने के लिए रेडियो **टेलीस्कोप PRATUSH (हाइड्रोजन से सिग्नल का उपयोग करके ब्रह्मांड के पुनर्आयनीकरण की जांच) के साथ इस विधि का उपयोग करने की योजना बनाई है।**
- **PRATUSH का निर्माण भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के सहयोग से बेंगलुरु में रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट (RRI) द्वारा किया जा रहा है।**
- प्रारंभ में, इसरो चंद्रमा की ओर प्रक्षेपित करने से पहले प्रत्यूष को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करेगा।
- पृथ्वी की कक्षा में संचालन में रेडियो फ्रीक्वेंसी हस्तक्षेप (आरएफआई) होगा, लेकिन यह जमीन-आधारित प्रयोगों पर लाभ प्रदान करता है, जैसे कि मुक्त स्थान में संचालन और आयनमंडल से कम प्रभाव।
- एक बार चंद्रमा की कक्षा में, प्रत्यूष को न्यूनतम आरएफआई और बिना आयनमंडल के आदर्श अवलोकन स्थितियों का अनुभव होगा।
- PRATUSH अंधकार युग के रेडियो संकेतों का अध्ययन करने के लिए एक वाइडबैंड एंटीना, सेल्फ-कैलिब्रेटिंग एनालॉग रिसीवर और डिजिटल सहसंबंधक सहित विशेष उपकरण ले जाएगा।
- जैसे-जैसे खगोलविद चंद्रमा से ब्रह्मांड का अन्वेषण करते हैं, वे डार्क एनर्जी, आदिम ब्लैक होल और ब्रह्मांड की मौलिक प्रकृति के बारे में नई खोज करने की आशा करते हैं।

5. रोग:

5.1 क्षय रोग (टीबी)

- ***माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस*** नामक जीवाणु के कारण होता है । यह मुख्य रूप से फेफड़ों को प्रभावित करता है, लेकिन शरीर के अन्य भागों को भी संक्रमित कर सकता है।
- **संचरण:** टीबी हवा के माध्यम से फैलता है जब सक्रिय टीबी रोग से ग्रस्त व्यक्ति खांसता, छींकता या बात करता है, जिससे बैक्टीरिया युक्त छोटी बूंदें निकलती हैं।

टीबी रोग के लक्षण:

- लगातार खांसी (3 सप्ताह या उससे अधिक समय तक)
- खून या थूक के साथ खांसी आना
- छाती में दर्द
- अस्पष्टीकृत वजन घटना
- थकान
- बुखार
- रात का पसीना

मल्टीड्रग-प्रतिरोधी टीबी (एमडीआर-टीबी)

- एमडीआर-टीबी टीबी का एक रूप है जो कम से कम दो सबसे शक्तिशाली प्रथम-पंक्ति एंटी-टीबी दवाओं के प्रति प्रतिरोधी है : **आइसोनियाज़िड और रिफैम्पिसिन।**
- यह नियमित टीबी के अनुचित या अपूर्ण उपचार के कारण विकसित होता है, या जब कोई व्यक्ति ऐसे तनाव से संक्रमित हो जाता है जो पहले से ही दवाओं के प्रति प्रतिरोधी है।
- एमडीआर-टीबी का इलाज करना अधिक कठिन और महंगा है, इसके लिए दूसरी पंक्ति की दवाओं के साथ लंबे समय तक उपचार की आवश्यकता होती है जिसके अधिक गंभीर दुष्प्रभाव हो सकते हैं।

टीबी का वैश्विक प्रभाव

- टीबी दुनिया की सबसे घातक संक्रामक बीमारियों में से एक बनी हुई है।

Patriotic IAS

- 2021 में, अनुमानित 10.6 मिलियन लोग टीबी से बीमार पड़े, और 1.6 मिलियन लोग इस बीमारी से मर गए (डब्ल्यूएचओ)।
- एमडीआर-टीबी एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरा है, 2021 में वैश्विक स्तर पर इसके लगभग 450,000 नए मामले सामने आए (डब्ल्यूएचओ)।

टीबी का निदान

- टीबी बैक्टीरिया के प्रति प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया का पता लगाने के लिए त्वचा परीक्षण (ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट - टीएसटी) या रक्त परीक्षण (इंटरफेरॉन-गामा रिलीज परख- आईजीआरए)।
- टीबी बैक्टीरिया की उपस्थिति के लिए नमूनों की जांच के लिए बलगम परीक्षण।
- फेफड़ों में असामान्यताओं की जांच के लिए छाती का एक्स-रे।
- विशिष्ट एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति प्रतिरोध का निर्धारण करने के लिए औषधि संवेदनशीलता परीक्षण (डीएसटी)।

टीबी का उपचार

- मानक टीबी उपचार में चार एंटीबायोटिक दवाओं के संयोजन का 6 महीने का कोर्स शामिल होता है।

एमडीआर-टीबी के लिए लंबी अवधि (20 महीने या उससे अधिक तक) के लिए दूसरी पंक्ति की दवाओं के साथ उपचार की आवश्यकता होती है। कुछ मामलों में नए, छोटे उपचार उपलब्ध हैं

5.2 खुरपका-मुंहपका रोग (एफएमडी)?

- एफएमडी एक अत्यधिक संक्रामक वायरल रोग है, जो मुख्य रूप से दो खुर वाले पशुओं को प्रभावित करता है, जिनमें मवेशी, सूअर, भेड़, बकरी और अन्य पशुधन शामिल हैं।
- यह तेजी से फैलता है और पशुधन उद्योग को भारी आर्थिक नुकसान पहुंचा सकता है।
- यद्यपि वयस्क पशुओं में यह कभी-कभार ही घातक होता है, लेकिन युवा पशुओं में यह गंभीर बीमारी और उच्च मृत्यु दर का कारण बन सकता है।

एफएमडी के नैदानिक लक्षण:

- तेज़ बुखार
- मुंह, जीभ, थनों और खुरों पर छाले जैसे घाव
- अत्यधिक लार आना और लार टपकना
- लंगड़ापन और हिलने-डुलने में अनिच्छा
- दूध उत्पादन में कमी
- वजन घटना

संचरण:

- शारीरिक तरल पदार्थ (लार, नाक से स्राव, दूध) के माध्यम से संक्रमित पशुओं के साथ सीधा संपर्क।
- दूषित वस्तुओं और सतहों (कृषि उपकरण, वाहन, आदि) के साथ अप्रत्यक्ष संपर्क।
- छोटी दूरी तक हवाई संचरण संभव है।

एफएमडी का प्रभाव:

- व्यापार प्रतिबंधों, उत्पादन में कमी और पशु वध के कारण आर्थिक नुकसान।
- पशुधन उद्योग और खाद्य आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान।

रोकथाम और नियंत्रण:

- **टीकाकरण:** प्रभावी टीके उपलब्ध हैं और एफएमडी को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- **जैव सुरक्षा उपाय:** सख्त संगरोध प्रक्रियाएं, आवागमन प्रतिबंध और कीटाणुशोधन प्रोटोकॉल।

5.3 निपाह वायरस (NiV)

- निपाह वायरस एक जूनोटिक वायरस है, जिसका मतलब है कि यह जानवरों से इंसानों में फैल सकता है। टेरोपोडिडे परिवार के फल चमगादड़ इसके प्राकृतिक स्रोत हैं।
- NiV पशुओं और मनुष्यों दोनों में गंभीर बीमारी का कारण बनता है, तथा इसकी मृत्यु दर भी बहुत अधिक है (अनुमानित मृत्यु दर 40-75% के बीच है)।

- इसके लक्षण स्पर्शोन्मुख (कोई लक्षण नहीं) से लेकर तीव्र श्वसन रोग और घातक इन्सेफेलाइटिस (मस्तिष्क की सूजन) तक हो सकते हैं।

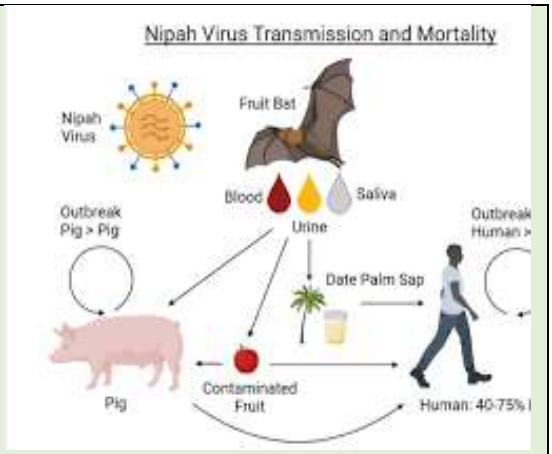

प्रकोप का इतिहास

- **प्रथम प्रकोप:** इस रोग की पहली बार पहचान 1999 में मलेशिया और सिंगापुर के सुअर पालकों में हुई थी।
- **इसके बाद के प्रकोप:** तब से, दक्षिण एशिया के कुछ हिस्सों, मुख्य रूप से बांग्लादेश और भारत में लगभग हर साल प्रकोप होता रहा है।

हालिया प्रकोप (भारत और बांग्लादेश)

- **केरल, भारत (2018, 2021, 2023):** इन वर्षों में केरल राज्य में कई मामले और मौतें दर्ज की गईं।
- **बांग्लादेश:** बांग्लादेश में लगभग हर साल इसका प्रकोप देखने को मिलता है, तथा इसके मामले चिंताजनक आवृत्ति के साथ सामने आते हैं।

हस्तांतरण

- **पशु से मनुष्य:** संक्रमित जानवरों (सूअर, चमगादड़) या उनके शारीरिक तरल पदार्थों के संपर्क में आना। चमगादड़ के मलमूत्र से दूषित खजूर के रस का सेवन बांग्लादेश में एक प्रमुख मार्ग रहा है।
- **मानव-से-मानव:** संक्रमण संक्रमित व्यक्ति के शारीरिक तरल पदार्थ के साथ निकट संपर्क के माध्यम से हो सकता है।

रोकथाम

- **कोई विशिष्ट टीका नहीं:** वर्तमान में, मनुष्यों में NiV संक्रमण के लिए कोई विशिष्ट टीका या उपचार मौजूद नहीं है। रोकथाम मुख्य रूप से निम्न पर निर्भर करती है:
  - स्थानिक क्षेत्रों में बीमार पशुओं के संपर्क से बचना।
  - अच्छी स्वच्छता का पालन करना और फलों को अच्छी तरह धोना, विशेष रूप से खजूर के रस को।

आगे संक्रमण को रोकने के लिए संक्रमित व्यक्तियों का शीघ्र पता लगाना और उन्हें अलग करना।

5.4 गांठदार त्वचा रोग

- लम्पी स्किन डिजीज (एलएसडी) एक वायरल रोग है जो मुख्य रूप से मवेशियों को प्रभावित करता है।
- यह रोग ढेलेदार त्वचा रोग वायरस (एलएसडीवी) के कारण होता है, जो कि कैप्रीपॉक्सवायरस वंश का एक पॉक्सवायरस है।
- इस रोग की विशेषता त्वचा और शरीर के अन्य भागों (त्वचा, आंतरिक अंग और श्लेष्म झिल्ली) पर कई गांठों का विकसित होना है।

एलएसडी के लक्षण:

- तेज़ बुखार
- बढ़े हुए सतही लिम्फ नोड्स
- त्वचा और श्लेष्म झिल्ली पर कई गांठें (2-5 सेमी)
- अंगों में सूजन के कारण लंगड़ापन
- दूध उत्पादन में कमी
- वजन घटना
- गंभीर मामलों में, मृत्यु (विशेषकर बिना टीकाकरण वाले या कम प्रतिरक्षा वाले जानवरों में)

एलएसडी का संचरण:

- गांठदार त्वचा रोग निम्नलिखित द्वारा प्रसारित हो सकता है:
  - खून चूसने वाले कीड़े जैसे मक्खियाँ, मच्छर और टिक

- संक्रमित और स्वस्थ जानवरों के बीच सीधा संपर्क
- दूषित फ़ोमाइट्स (वस्तुएँ या सामग्रियाँ जिनमें संक्रामक एजेंट हो सकते हैं)
- संक्रमित एरोसोल का साँस लेना
- माँ से संतान में अपरा संचरण

रोकथाम एवं नियंत्रण:

- एलएसडी को रोकने के लिए टीकाकरण सबसे प्रभावी तरीका है।
- प्रभावित क्षेत्रों में मवेशियों के लिए संगरोध उपाय और आवाजाही पर प्रतिबंध प्रसार को नियंत्रित करने में मदद कर सकते हैं।

वायरस फैलाने वाले कीड़ों की आबादी को नियंत्रित करना भी महत्वपूर्ण है।

5.5. वायरल हेपेटाइटिस पर WHO अलर्ट क्यों है?

- वैश्विक हेपेटाइटिस बोझ: **वायरल हेपेटाइटिस रोग के मामले में भारत चीन के बाद दूसरे स्थान पर है।**
- **WHO रिपोर्ट:** विश्व स्वास्थ्य संगठन ने **ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 जारी की।**
- भारत का हिस्सा: **वायरल हेपेटाइटिस रोगों के कुल वैश्विक बोझ का 11.6% है।**
- प्रमुख देश: भारत, बांग्लादेश, चीन, इथियोपिया, इंडोनेशिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान, फिलीपींस, रूस और वियतनाम के साथ, लगभग **दो-तिहाई हेपेटाइटिस बी और सी का बोझ वहन करता है।**
- यह वैश्विक स्तर पर भारत और अन्य प्रमुख देशों में वायरल हेपेटाइटिस के महत्वपूर्ण प्रभाव पर प्रकाश डालता है।

रिपोर्ट क्या उजागर करती है?

- वायरल हेपेटाइटिस **दुनिया भर में मौत का दूसरा प्रमुख संक्रामक कारण है, जिसमें हर साल 1.3 मिलियन मौतें होती हैं, जो तपेदिक के बराबर है।**
- **मौतों में वृद्धि:** 2019 से 2022 तक, वायरल हेपेटाइटिस से होने वाली मौतों की अनुमानित संख्या 1.1 मिलियन से बढ़कर 1.3 मिलियन हो गई।
- **मुख्य कारण:** 83% मौतें हेपेटाइटिस बी के कारण और 17% मौतें हेपेटाइटिस सी के कारण हुईं।

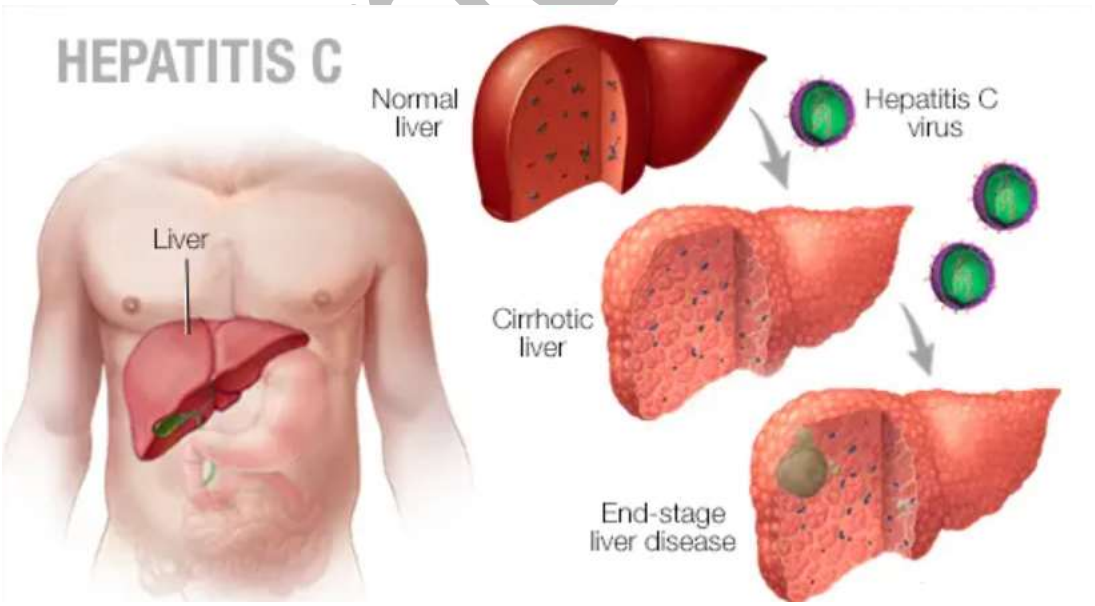

- **दैनिक मौतें:** दुनिया भर में हेपेटाइटिस बी और सी संक्रमण से प्रतिदिन लगभग 3,500 लोग मरते हैं।
- **आयु वितरण** : बोझ का आधा हिस्सा 30-54 आयु वर्ग के व्यक्तियों में है, 12% 18 साल से कम उम्र के बच्चों में है।

- लिंग असमानता: हेपेटाइटिस के सभी मामलों में 58% पुरुष होते हैं।

हेपेटाइटिस क्या है?

- यह संक्रामक वायरस और गैर-संक्रामक एजेंटों के कारण होने वाली यकृत की सूजन है।
- **प्रकार:** इसके पांच मुख्य प्रकार हैं: ए, बी, सी, डी और ई, जिनमें से **प्रत्येक संचरण, गंभीरता और वितरण में भिन्न है।**
- **दीर्घकालिक रोग:** प्रकार बी और सी दीर्घकालिक बीमारी, यकृत सिरोसिस, यकृत कैंसर और वायरल हेपेटाइटिस से संबंधित मृत्यु का कारण बन सकते हैं।
- अनुमान है कि **विश्व भर में 354 मिलियन लोग हेपेटाइटिस बी या सी से पीड़ित हैं** , जिनका उपचार प्रायः अप्राप्य है।

भारत क्यों असुरक्षित है?

- हेपेटाइटिस के मामलों की अधिक संख्या के कारण:
    - उच्च जनसंख्या घनत्व
    - लक्षणों, जांच और उपचार के बारे में जागरूकता का अभाव
    - अच्छी स्वच्छता प्रथाओं तक सीमित पहुंच
- **क्रोनिक वायरल हेपेटाइटिस बी और सी संक्रमण का उच्च प्रसार:**
    - कई दशकों तक प्रायः लक्षणविहीन
    - व्यापक जांच और जागरूकता की कमी के कारण मामलों का निदान नहीं हो पाता है
    - अज्ञात मामले संचरण को बढ़ावा देते हैं, जिससे बीमारी का बोझ बढ़ता है
- **हेपेटाइटिस के बढ़ते गैर-वायरल रूप:**
    - अल्कोहलिक लिवर रोग (एएलडी) और नॉन-अल्कोहलिक फैटी लिवर रोग (एनएएफएलडी) बढ़ रहे हैं
    - शहरी क्षेत्रों में शराब की अधिक खपत एएलडी मामलों में योगदान करती है
    - मोटापा, चयापचय संबंधी विकार, गतिहीन जीवन शैली और आहार परिवर्तन एनएएफएलडी महामारी को बढ़ावा देते हैं
- **लिंग असमानता:**
    - उच्च जोखिम वाले व्यवहार के कारण पुरुष बड़ी संख्या में मामलों की रिपोर्ट करते हैं
    - उच्च जोखिम वाले व्यवहारों में IV नशीली दवाओं का उपयोग, इंजेक्शन साझा करना, एकाधिक यौन साथी और पुरुष-से-पुरुष यौन संबंध शामिल हैं

इसकी रोकथाम कैसे की जा सकती है?

- हेपेटाइटिस बी को टीकाकरण से रोका जा सकता है।
- हेपेटाइटिस सी का इलाज दवा से संभव है।
- भारत जेनेरिक दवाओं का उत्पादन करता है, जिससे उपचार लागत कम हो जाती है।
- सरकार उच्च जोखिम वाले वयस्कों को टीके उपलब्ध कराती है।

Patriotic IAS

- हेपेटाइटिस बी और सी का इलाज राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम (एनवीएचसीपी) के तहत उपलब्ध है। इसे भारत सरकार ने 28 जुलाई, 2018 को लॉन्च किया था।
- एनवीएचसीपी का उद्देश्य मरीजों को निःशुल्क निदान और उपचार सेवाएं प्रदान करना तथा वायरल हेपेटाइटिस के बारे में जागरूकता बढ़ाना है।
- हेपेटाइटिस बी के टीके का वितरण 2002-2003 में शुरू हुआ।
- क्रोनिक हेपेटाइटिस बी वैक्सीन को 2011-12 में बाल टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल किया गया

यह रिपोर्ट महत्वपूर्ण क्यों है?

- यह रिपोर्ट वायरल हेपेटाइटिस पर विश्व स्वास्थ्य संगठन की पहली व्यापक रिपोर्ट है।
- इसमें रोग भार और सेवा कवरेज पर **187 देशों के आंकड़े शामिल हैं।**
- **वैश्विक स्तर पर क्रोनिक हेपेटाइटिस बी से पीड़ित केवल 13% लोगों का निदान किया गया था** ।
- **2022 तक** लगभग 3% (7 मिलियन) लोगों को हेपेटाइटिस बी के लिए एंटीवायरल थेरेपी प्राप्त हुई।
- हेपेटाइटिस सी के लिए, 36% का निदान किया गया, और 20% (12.5 मिलियन) को उपचारात्मक उपचार प्राप्त हुआ।
- ये आंकड़े 2030 के वैश्विक लक्ष्य से काफी नीचे हैं, जिसका लक्ष्य **हेपेटाइटिस बी और सी के 80% मामलों का इलाज करना है।**
- हालाँकि, 2019 के बाद से निदान और उपचार कवरेज में थोड़ा सुधार हुआ है।

आगे का रास्ता क्या है?

- **माँ से बच्चे में संचरण** नए हेपेटाइटिस संक्रमण का एक प्रमुख कारण है।
- भारत में हेपेटाइटिस बी को खत्म करने के लिए **व्यापक उपचार, नवजात शिशुओं के टीकाकरण और रोगियों के खिलाफ भेदभाव को समाप्त करने की आवश्यकता है।**
- **कई देश सस्ती जेनेरिक हेपेटाइटिस दवाएं खरीदने में विफल रहते हैं।**
- **मूल्य निर्धारण में असमानताएं** WHO क्षेत्रों और उसके भीतर दोनों जगह मौजूद हैं।
- हेपेटाइटिस के लिए सेवा वितरण केंद्रीकृत और लंबवत रहता है, जिससे रोगियों को अपनी जेब से खर्च करना पड़ता है।
- रिपोर्ट में हेपेटाइटिस के प्रति सार्वजनिक स्वास्थ्य दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने और 2030 तक महामारी को समाप्त करने की दिशा में प्रगति में तेजी लाने के लिए कार्यों की रूपरेखा दी गई है।
- इन कार्रवाइयों में परीक्षण और निदान तक पहुंच का विस्तार करना, न्यायसंगत उपचार के लिए नीतियों को लागू करना, रोकथाम के प्रयासों को मजबूत करना और वैश्विक और राष्ट्रीय स्तर पर वित्त पोषण में सुधार करना शामिल है।

6. रक्षा:

6.1 आईएनएस विक्रांत (IAC-1)

- **भारत का पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत**

आदर्श वाक्य: "जयेमं सम युद्धि स्पृधा" (संस्कृत: मैं उन लोगों को पराजित करता हूँ जो मेरे विरुद्ध लड़ते हैं)।

- **आईएनएस विक्रांत: स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित**
- कमीशनिंग: सितंबर 2022
- परिचालन: आईएनएस विक्रांत को पूरी तरह से परिचालन में शामिल किया गया
- संगत: अग्रिम पंक्ति के युद्धपोतों और विमानों का बेड़ा वाहकों में शामिल हो गया

आईएनएस विक्रांत का क्या महत्व है?

- स्वदेशी विमान वाहक (आईएसी)-I, जिसे बाद में विक्रांत नाम दिया गया, पर डिजाइन का काम 1999 में शुरू हुआ।
- 2005-2006, युद्धपोत और भारत के युद्धपोत निर्माण के लिए महत्वपूर्ण वर्ष थे।
- भारत में युद्धपोत-ग्रेड स्टील विकसित करने का निर्णय लिया गया, जिसे **डीएमआर-249 स्टील कहा जाता है** ।
- इस्पात विकास के लिए भारतीय इस्पात प्राधिकरण, डीआरडीओ और भारतीय नौसेना का सहयोगात्मक प्रयास।
- डीएमआर-249 स्टील का उपयोग अब भारत में सभी युद्धपोतों के निर्माण में किया जाता है।
- भारत में पहली बार 2002 में 3-डी मॉडलिंग की शुरुआत हुई।
- नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो और सीएसएल के 200 कर्मियों की संयुक्त टीम ने काम शुरू किया।
- विक्रांत की कील 2009 में रखी गई थी, जिसे 2013 में पानी में उतारा गया।
- अगस्त 2021 से जुलाई 2022 तक व्यापक उपयोगकर्ता स्वीकृति परीक्षण आयोजित किए गए।
- विक्रांत को अंततः सेवा में नियुक्त कर दिया गया।

आईएनएस विक्रांत की संरचना क्या है?

- विक्रांत एक इंजीनियरिंग चमत्कार है जिसका कुल क्षेत्रफल 12,450 वर्ग मीटर से अधिक है, जो लगभग ढाई हॉकी मैदानों के बराबर है।
- इसकी लंबाई 262 मीटर तथा चौड़ाई 62 मीटर है, तथा यह चार जनरल इलेक्ट्रिक एलएम2500 इंजनों द्वारा संचालित है, जो 88 मेगावाट बिजली उत्पन्न करते हैं।
- **विक्रांत की अधिकतम गति 28 नॉट्स तथा क्षमता 7,500 नॉटिकल मील है।**
- 76% स्वदेशी सामग्री के साथ लगभग ₹20,000 करोड़ की लागत से निर्मित।
- जहाज में लगभग 2,200 डिब्बे हैं और महिला अधिकारियों और नाविकों के लिए विशेष केबिन सहित लगभग 1,600 लोगों के चालक दल को जगह मिलती है।
- विक्रांत में दो गैलियाँ हैं जो प्रतिदिन 4,500-5,000 भोजन तैयार करती हैं, जो स्वचालित चपाती बनाने की मशीनों, बड़े खाना पकाने वाले बॉयलर, कॉम्बी-स्टीमर, डोसा मशीन और ओवन से सुसज्जित हैं।
- जहाज निर्माण में सबसे अधिक रोजगार गुणक (6.48) हैं, विक्रांत में लगभग 500 एमएसएमई, सहायक उद्योगों के 12,000 कर्मचारी और 2,000 सीएसएल कर्मचारी शामिल हैं।

इसकी क्षमताएं क्या हैं?

- **विक्रांत 30 विमानों का एक एयर विंग संचालित कर सकता है, जिसमें मिग-29K फाइटर जेट, कामोव-31 हेलीकॉप्टर, MH-60R मल्टी-रोल हेलीकॉप्टर, एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर और लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (नौसेना) शामिल हैं।**
- यह विमान को प्रक्षेपित करने और वापस लाने के लिए STOBAR (शॉर्ट टेक-ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी) विधि का उपयोग करता है, जो प्रक्षेपित करने के लिए स्की-जंप और रिकवरी के लिए तीन 'अरेस्टर वायर' से सुसज्जित है।
- लगभग 200 कार्मिक उड़ान संचालन, मलबा साफ करने और पायलटों को जानकारी देने के लिए फ्लाइट डेक तैयार करते हैं।
- उड़ान डेक में खराब मौसम और रात्रि संचालन के लिए स्वतंत्र प्रकाश व्यवस्था है।

Patriotic IAS

- विमानों को सटीक लैंडिंग के लिए सुरक्षित रूप से जहाज की ओर वापस लाया जाता है, तथा लड़ाकू विमानों को अरेस्टिंग गियर तारों का उपयोग करके 2-3 सेकंड में 90 मीटर के भीतर रोक दिया जाता है।
- विक्रमादित्य जैसे पिछले विमानवाहकों की तुलना में विक्रांत का डेक स्पेस और हॉलवे बड़ा है।
- **मिग-29के की आपूर्ति कम होने के कारण** भारत 26 राफेल-एम वाहक जेट की खरीद के लिए फ्रांस के साथ बातचीत कर रहा है , जबकि एक स्वदेशी दोहरे इंजन वाले डेक-आधारित लड़ाकू विमान का विकास किया जा रहा है।
- नौसेना प्रमुख एडमिरल आर. हरि कुमार को उम्मीद है कि 2034 तक स्वदेशी लड़ाकू विमान मिल जाएगा।
- **विक्रांत (1961) और आईएनएस विराट (1987) जैसे वाहकों की खरीद और आईएनएस विक्रमादित्य (2013) की खरीद के बाद विक्रांत भारत का पहला घरेलू स्तर पर निर्मित वाहक है।**

विक्रांत के बाद आगे क्या?

- विमान वाहक समुद्र में संचालन की कमान, नियंत्रण और समन्वय और युद्धक शक्ति प्रदर्शित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं।
- हिंद महासागर क्षेत्र (आईओआर) में भारत की नाजुक समुद्री सुरक्षा स्थिति के लिए मजबूत क्षमताओं वाली एक मजबूत नौसेना की आवश्यकता है।
- दो कैरियर बैटल ग्रुप पश्चिमी और पूर्वी दोनों समुद्री तटों पर विश्वसनीय उपस्थिति और तैयारी को सक्षम बनाते हैं।
- **विक्रांत के समान दूसरे स्वदेशी विमान वाहक (IAC-II) के प्रस्ताव को रक्षा खरीद बोर्ड द्वारा मंजूरी दे दी गई है** ।
- 45,000 टन विस्थापन वाली IAC-II में विक्रांत की तुलना में नई प्रौद्योगिकियों और संशोधनों को एकीकृत किया जाएगा।
- सीएसएल द्वारा निर्मित आईएसी-II के निर्माण में लगभग आठ से 10 वर्ष का समय लगेगा।
- तकनीकी जटिलताओं, लागत और समयसीमा के कारण 65,000 टन के बड़े विमानवाहक पोत की योजना स्थगित कर दी गई है।
- आईएसी-II भारत का तीसरा विमानवाहक पोत नहीं है, बल्कि यह आईएनएस विक्रमादित्य के प्रतिस्थापन के रूप में कार्य करता है।
- निकट भविष्य में भारतीय नौसेना दो विमानवाहक पोतों के साथ काम करेगी, जबकि तीन विमानवाहक पोतों के आसपास बल संरचना की परिकल्पना की गई है।
- निर्णय लेने में देरी से विमानवाहक पोत निर्माण और संचालन में भारत की विशेषज्ञता खतरे में पड़ सकती है, जो 1980 के दशक की पनडुब्बी दुर्घटना के समान है।
- विमानवाहक पोतों में वैश्विक रुचि बढ़ रही है, तथा अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, जापान और चीन जैसे देश अपनी वाहक क्षमताओं का विस्तार कर रहे हैं।
- मिसाइलों और ड्रोनों को लक्ष्य करने में हुई प्रगति के बावजूद, वैश्विक परिदृश्य विमानवाहक विमानन के लिए उज्ज्वल भविष्य का संकेत देता है।

Patriotic IAS

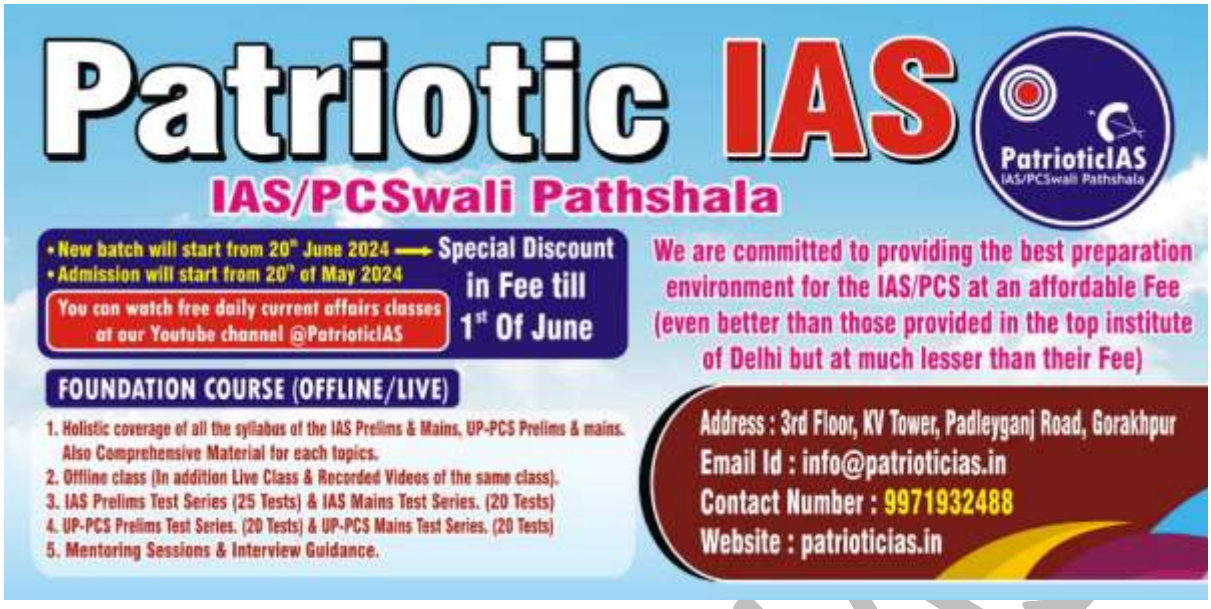

आंतरिक सुरक्षा

1. लद्दाख:

सभी मौसम में खुली रहने वाली सड़क से लद्दाख को सामरिक बढ़ावा मिलेगा: निम्मू-पदम-दारचा सड़क, 16,580 फीट की ऊंचाई पर शिंकू ला दर्रे पर दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग के माध्यम से लेह से लाहौल-स्पीति तक सतही आवाजाही की अनुमति देती है, जो वर्तमान में निर्माणाधीन है

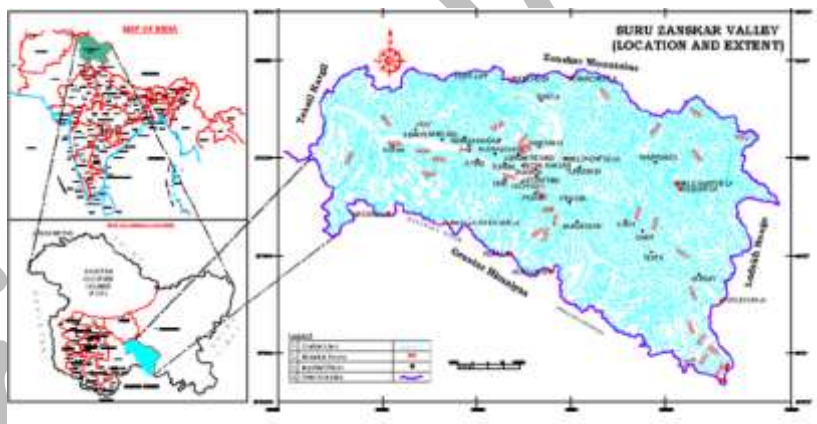

Suru-zanskar valley (location and extent extracted from survey of India toposheets)

- सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) ने **निम्मू-पदम-दारचा सड़क के माध्यम से हिमाचल प्रदेश और लेह को जोड़कर लद्दाख में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है।**
- यह उपलब्धि **क्षेत्र में तैनात सुरक्षा बलों को मजबूत करने तथा चीन और पाकिस्तान के साथ सीमा पर भारत की रणनीतिक गहराई बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है।**
- नवनिर्मित सड़क **सुदूर ज़ांस्कर घाटी को खोलती है, तथा** संभावित शत्रुओं से दूर एक सुरक्षित आयुध डिपो उपलब्ध कराती है।
- यह सड़क **शिंकू ला दर्रा सुरंग के माध्यम से लेह से लाहौल-स्पीति तक सतही आवागमन की सुविधा प्रदान करती है, जो वर्तमान में 16,580 फीट की ऊंचाई पर निर्माणाधीन है।**
- **पूरा हो जाने पर यह सुरंग दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग होगी** और लद्दाख तक सभी मौसम में संपर्क सुनिश्चित करेगी तथा कठोर सर्दियों के दौरान रसद संबंधी चुनौतियों का समाधान करेगी।
- **सुरक्षा बल वर्तमान में सभी मौसमों में काम करने योग्य सड़कों की कमी के कारण अग्रिम रूप से राशन और गोला-बारूद का भंडारण कर रहे हैं** , जबकि चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) के पास इस तरह के बुनियादी ढांचे का विकास किया है।

- निम्मू -पदम-दारचा सड़क, वर्तमान में संचालित मनाली-लेह सड़क (428 किमी) और श्रीनगर-लेह सड़क (439 किमी) **की तुलना में सबसे छोटी सड़क है।**
- लद्दाख की ज़ांस्कर घाटी में शिंकुला सुरंग के पूरा होने से पाकिस्तान और चीन सीमाओं के पास मौजूदा मार्गों की तुलना में इस क्षेत्र में सैनिकों की तीव्र और सुरक्षित आवाजाही संभव हो सकेगी।
- **कुछ स्थानीय लोग इस परियोजना के कारण ज़ांस्कर के परिदृश्य और सांस्कृतिक विरासत पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में चिंता व्यक्त करते हैं।**
- जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक इस सड़क के सामरिक महत्व को स्वीकार करते हैं, लेकिन ज़ांस्कर की समृद्ध संस्कृति और विरासत पर इसके संभावित प्रभाव के बारे में चिंता व्यक्त करते हैं।
- सामाजिक कार्यकर्ता मुस्तफा हाजी ने कारगिल-ज़ांस्कर खंड पर चार लेन के निर्माण की आवश्यकता पर सवाल उठाया और सुरु घाटी में पेड़ों की कटाई के बारे में चिंता व्यक्त की।
- कारगिल में ज़ांस्कर रेंज ज़ांस्कर घाटी को सिंधु घाटी से अलग करती है और एक अद्वितीय स्वदेशी संस्कृति का घर है।
- सुरू **नदी ज़ांस्कर रेंज से निकलकर कारगिल से होकर बहती है।**

2. **<u>संघर्षण का युद्ध:</u>**
   - **माओवादी विद्रोह** के खिलाफ संघर्ष , जो 2000 के दशक की शुरुआत से मध्य तक चरम पर था, एक पैटर्न में बस गया है।
   - अर्धसैनिक और पुलिस बलों के हालिया हमलों ने विद्रोहियों को करारा झटका दिया है, जिसमें छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में कम से कम 29 माओवादियों की हत्या भी शामिल है।
   - माओवादी मुख्य रूप से **मध्य भारत के जंगलों और विरल जनजातीय उपस्थिति वाले क्षेत्रों तक ही सीमित हैं, जहां विकासात्मक और कल्याणकारी राज्य कमजोर है।**
   - यद्यपि माओवादियों ने अपना राजनीतिक-वैचारिक प्रभाव खो दिया है, फिर भी वे सुरक्षा बलों के लिए खतरा बने हुए हैं, जैसा कि अर्धसैनिक बलों पर हाल के हमलों में देखा गया है।
   - सुरक्षा बल माओवादी कार्यकर्ताओं को निशाना बनाने के लिए अपरंपरागत सैन्य रणनीति और नए मार्गों का उपयोग कर रहे हैं।
   - हालाँकि, ये हमले अकेले माओवादी खतरे को पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकते, **क्योंकि वे कठिन इलाकों में काम करते हैं और उन्हें गृहयुद्ध से प्रभावित कुछ असंतुष्ट आदिवासी वर्गों का समर्थन प्राप्त है।**
   - भारतीय राज्य दो दशकों से माओवादियों से लड़ रहा है, विशेषकर दो नक्सली दलों के सीपीआई (माओवादी) में विलय के बाद।
   - प्रारंभ में, सलवा जुडूम जैसे अभियानों के माध्यम से आदिवासियों को हथियारबंद करने की रणनीतियां उल्टी पड़ गईं, जिससे दृष्टिकोण में बदलाव आया।
   - ध्यान **कल्याणकारी राज्य और नौकरशाही की पहुंच को पहले दुर्गम क्षेत्रों तक बढ़ाने तथा माओवादी दुष्प्रचार का मुकाबला करने पर केन्द्रित हो गया।**
   - कल्याणकारी उपायों के इस विस्तार से कुछ जनजातीय लोगों का समर्थन जीतने में मदद मिली, तथा अन्य राज्यों में माओवादी समूहों से पलायन को बढ़ावा मिला।
   - हालाँकि, छत्तीसगढ़ में लगातार युद्ध के कारण माओवादियों को आदिवासियों के बीच असंतोष का फायदा उठाने का मौका मिल गया है।
   - **नागरिक समाज और शांति कार्यकर्ताओं ने माओवादियों और सुरक्षा बलों के बीच युद्ध विराम वार्ता शुरू करने की कोशिश की है और विद्रोहियों को लोकतांत्रिक तरीकों से जनजातीय मुद्दों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया है।**

Patriotic IAS

- असफलताओं के बावजूद, **माओवादियों ने अपनी विचारधारा को छोड़ने तथा युद्ध जारी रखने से इनकार कर दिया है, वे यह स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं कि अनेक गरीब आदिवासी, हिंसक तख्तापलट के बजाय कल्याण तथा चुनावी प्रणाली से बेहतर सहभागिता तथा परिणाम चाहते हैं।**

3. पीएमएलए - एक ऐसा कानून जो अपना रास्ता खो चुका है

धन शोधन निवारण अधिनियम का सबसे गंभीर पहलू उन अपराधों को शामिल करना है जिनका मूल उद्देश्य से कोई लेना-देना नहीं है - अर्थात, मादक पदार्थों से प्राप्त धन की धुलाई से निपटना

- **धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002** एक विशिष्ट लक्ष्य को ध्यान में रखकर बनाया गया था।
- **अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थों की तस्करी से उत्पन्न काले धन** के महत्वपूर्ण मुद्दे का समाधान करना था ।
- यह काला धन विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था के लिए गंभीर खतरा बन गया है।
- यह समझ बढ़ती जा रही थी कि **नशीली दवाओं के व्यापार से अर्जित काला धन, जब वैध अर्थव्यवस्था के साथ मिल जाता है, तो वैश्विक अर्थव्यवस्था की स्थिरता को नुकसान पहुंचा सकता है।**
- इसके अतिरिक्त, यह भी माना गया कि **यह स्थिति राष्ट्रों की अखंडता और संप्रभुता को खतरे में डाल सकती है।**

कानून की पृष्ठभूमि:

- संयुक्त राष्ट्र ने नशीली दवाओं की तस्करी से उत्पन्न धन शोधन के मुद्दे को संबोधित करते हुए नशीली दवाओं **के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का आयोजन किया। 1988 में मादक दवाओं और मन:प्रभावी पदार्थों का अवैध व्यापार।**
- इसके जवाब में, सात प्रमुख औद्योगिक देशों ने धन शोधन से निपटने के लिए **1989 में वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF) का गठन किया।**
- संयुक्त **राष्ट्र महासभा ने 1990 में राजनीतिक घोषणापत्र और वैश्विक कार्य कार्यक्रम को अपनाया, सदस्य देशों से धन शोधन को रोकने के लिए कानून बनाने का आग्रह किया गया।**
- भारत ने अपना कानून बनाने के लिए FATF की सिफारिशों का उपयोग किया, जिसके परिणामस्वरूप **2002 में धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) बना।**
- पीएमएलए का लक्ष्य मुख्य रूप से मादक पदार्थों से प्राप्त धन का शोधन करना था, जो संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों और एफएटीएफ की सिफारिशों पर केन्द्रित था।
- इस **अधिनियम में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 में उल्लिखित अपराध शामिल थे।**
- पीएमएलए **समय के साथ संशोधनों के माध्यम से विकसित हुआ, तथा इसका मूल उद्देश्य मादक पदार्थों के धन शोधन से अलग हो गया।**
- धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) का लक्ष्य "अपराध आय" का शोधन करना है, जिसमें आपराधिक गतिविधियों से प्राप्त धन भी शामिल है।
- अपराध में प्रत्यक्ष रूप से शामिल व्यक्तियों के साथ-साथ बाद में धन शोधन प्रक्रिया में भाग लेने वाले व्यक्तियों को भी इस कानून के अंतर्गत जवाबदेह ठहराया जा सकता है।
- हालाँकि, **अब पीएमएलए की अनुसूची में अपराधों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है जो इसके मूल उद्देश्य से परे है, तथा इसमें मादक पदार्थों के धन शोधन से असंबंधित अपराध भी शामिल हैं।**

Patriotic IAS

- अपने विस्तारित दायरे के बावजूद, पीएमएलए का मूल उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ व्यापार से अवैध धन के शोधन से उत्पन्न महत्वपूर्ण खतरे को संबोधित करना है, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था अस्थिर हो सकती है तथा राष्ट्रीय संप्रभुता से समझौता हो सकता है।

पीएमएलए का अधिनियमन

- **धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) को भारत की संसद द्वारा अनुच्छेद 253 के तहत अधिनियमित किया गया था, जो कानूनों को अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों को लागू करने की अनुमति देता है** ।
- **अनुच्छेद 253 ऐसे कानूनों को अंतर्राष्ट्रीय निर्णय के विषय-वस्तु तक सीमित करता है, जैसा कि संविधान की संघ सूची की मद 13 में निर्दिष्ट है।**
- मूल रूप से, संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के अनुसार, पीएमएलए ने मादक पदार्थों की तस्करी से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने पर ध्यान केंद्रित किया।
- हालाँकि, पीएमएलए में संशोधन ने इसके दायरे का विस्तार किया, जिसमें नशीली दवाओं से संबंधित अपराधों से परे अपराध शामिल हैं, जैसे कि भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) में सूचीबद्ध या विशेष कानूनों द्वारा कवर किए गए अपराध।
- उदाहरण के लिए, **भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988, जिसका उद्देश्य लोक सेवकों के बीच भ्रष्टाचार को संबोधित करना था, को 2009 में पीएमएलए की अनुसूची में जोड़ा गया था।**
- **पीएमएलए के तहत, आरोपी व्यक्तियों को निर्दोष साबित होने तक दोषी माना जाता है, जो एंग्लो-सैक्सन न्यायशास्त्र के मूल सिद्धांत के विपरीत है।**
- **पीएमएलए में जमानत प्रावधान आरोपी व्यक्तियों के लिए जमानत प्राप्त करना कठिन बना देते हैं, क्योंकि न्यायाधीश केवल तभी जमानत दे सकते हैं यदि वे आरोपी की बेगुनाही के बारे में आश्वस्त हों, जिससे बिना मुकदमे के लंबे समय तक हिरासत में रखा जा सके।**

जमानत प्रावधान

- धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 45 के जमानत प्रावधान का वर्तमान भारत में महत्वपूर्ण राजनीतिक निहितार्थ है।
- **इसे शुरू में सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की बेंच ने असंवैधानिक माना था। निकेश ताराचंद शाह बनाम भारत संघ (2018) में अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया।**
- **हालाँकि, संसद ने संशोधनों के साथ इस प्रावधान को तुरंत बहाल कर दिया, जिसे बाद में न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने बरकरार रखा। विजय मदनलाल चौधरी बनाम भारत संघ (2022)।**
- सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि यह प्रावधान उचित है तथा पीएमएलए अधिनियम के उद्देश्यों के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य धन शोधन से निपटना तथा अर्थव्यवस्था को अस्थिरता से बचाना है।
- अधिनियम के मूल उद्देश्य के बावजूद, इसकी अनुसूची में कम गंभीर अपराध शामिल हैं, यह निर्णय विधायी नीति क्षेत्र के अंतर्गत माना जाता है।
- **1978 में न्यायमूर्ति वीआर कृष्णा अय्यर द्वारा** निर्धारित परिप्रेक्ष्य से अलग है।
- न्यायमूर्ति अय्यर ने संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता के महत्व पर जोर दिया और जमानत निर्णयों के संबंध में क्यूरियल शक्ति के सतर्क और न्यायिक अभ्यास का आग्रह किया।
- जस्टिस अय्यर से जस्टिस खानविलकर तक जमानत पर सुप्रीम कोर्ट के रुख का विकास एक महत्वपूर्ण यात्रा को दर्शाता है।

Patriotic IAS

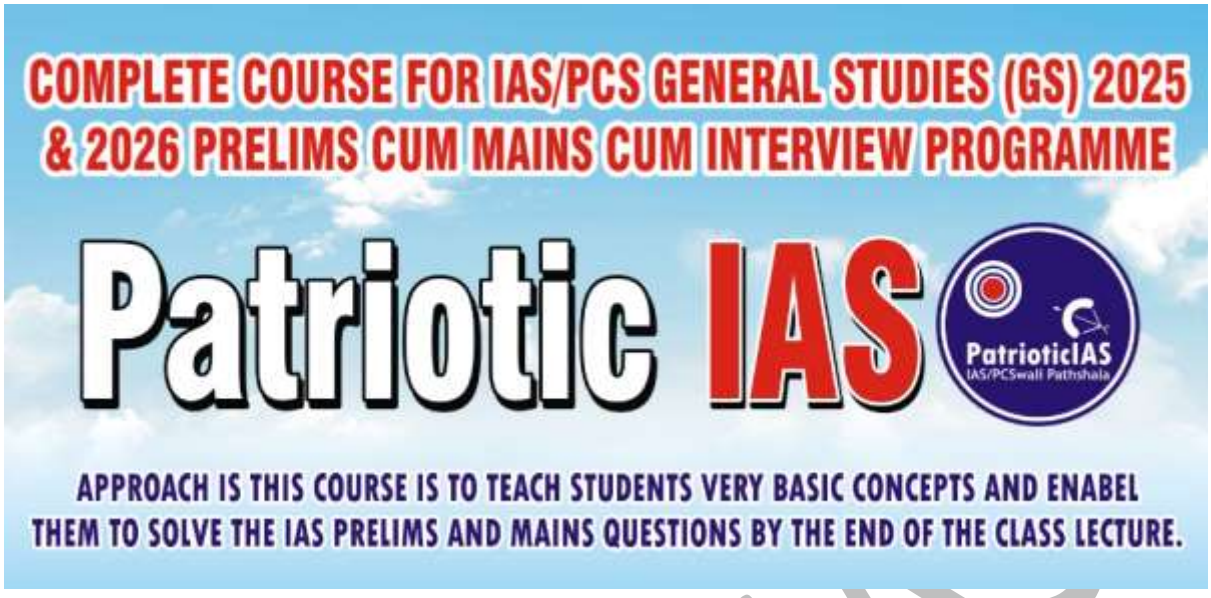

आपदा प्रबंधन

1. भूकंप:

भूकंप से निपटने की क्षमता में ताइवान से एक सबक

- पिछले दो दशकों में इंडोनेशिया, जापान, चीन, इटली, नेपाल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इक्वाडोर, मैक्सिको, मोरक्को और तुर्की-सीरिया सीमा सहित दुनिया के विभिन्न हिस्सों में बड़े भूकंप आए हैं।
- 3 अप्रैल को ताइवान में 7.4 तीव्रता का भूकंप आया था.
- ये भूकंप आकस्मिक घटनाएँ नहीं हैं बल्कि टेक्टोनिक गतिविधि से संबंधित हैं।
- भूकंप-प्रवण क्षेत्र विवर्तनिक समानताएं साझा करते हैं, और भूकंप विशिष्ट क्षेत्रीय बैंड में आते हैं।
- प्लेट टेक्टोनिक्स का सिद्धांत बताता है कि पृथ्वी का स्थलमंडल प्लेटों में विभाजित है जो लगातार एक दूसरे के सापेक्ष गतिमान रहती हैं।
- शक्तिशाली भूकंप अक्सर हिमालय जैसी अभिसरण प्लेट सीमाओं पर होते हैं, जो भारतीय और यूरेशियन प्लेटों के अभिसरण से बनते हैं।
- नेपाल में 2015 में आए भूकंप से भारी क्षति हुई, लेकिन भारत इससे बच गया, क्योंकि यह हिमालय के नीचे से आया था।
- 4 अप्रैल, 2024 को हिमाचल प्रदेश के मनाली के आसपास के क्षेत्र में 5.3 तीव्रता का भूकंप आया।
- यह तिथि 119 वर्ष पहले मनाली के निकट कांगड़ा के निकट आए भूकंप से मेल खाती है, जिसके परिणामस्वरूप क्षेत्र में भारी जनहानि और विनाश हुआ था।

दो भूकंपों की कहानी

- ताइवान चीन के तट से 160 किमी दूर स्थित है और इसका निर्माण पश्चिमी प्रशांत महासागर में फिलीपीन और यूरेशियन प्लेटों की अभिसारी सीमा पर हुआ है।
- फिलीपीन सागर प्लेट लगभग 7.8 सेमी प्रति वर्ष की गति से उत्तर-पश्चिम में यूरेशियन प्लेट की ओर बढ़ रही है, जिसके परिणामस्वरूप ताइवान में शक्तिशाली भूकंप आ रहे हैं।

- पूर्वी तट पर हुआलिएन के निकट आए नवीनतम भूकंप से 1999 के ची-ची भूकंप की तुलना में न्यूनतम क्षति हुई।
- 1999 में 7.7 तीव्रता वाले ची-ची भूकंप में 2,430 से अधिक लोग मारे गए, 11,305 घायल हुए तथा बड़ी संख्या में इमारतें ढह गईं।
- हाल ही में हुएलिएन भूकंप में कम मौतें हुईं, क्योंकि अधिकांश मौतें इमारतें गिरने के कारण नहीं, बल्कि भूकंप के कारण चट्टानों के गिरने के कारण हुईं।
- 1999 के भूकंप के बाद लागू किए गए कड़े भवन संहिता के कारण हाल के भूकंप में न्यूनतम क्षति हुई, केवल हुआलिएन और ताइपे में कुछ इमारतें ही ढहीं।
- ची-ची भूकंप के बाद प्रशासनिक सुधारों के फलस्वरूप ताइवान में आपातकालीन प्रतिक्रिया और आपदा न्यूनीकरण उपायों में सुधार हुआ।
- ताइवान की भूकंप संबंधी तैयारियां उन्नत हैं, जिसमें उन्नत भूकंप-निगरानी नेटवर्क, पूर्व चेतावनी प्रणालियां और जन जागरूकता अभियान शामिल हैं।
- सरकार भूकंप सुरक्षा आवश्यकताओं को निरंतर अद्यतन करती रहती है तथा भूकंप प्रतिरोध क्षमता में सुधार के लिए भवन मालिकों को प्रोत्साहित करती है।
- ताइवान के भूकंपीय कोड प्रत्येक क्षेत्र में भूकंप की आवृत्ति और तीव्रता के आधार पर तैयार किए जाते हैं, जिसमें भूकंपीय डैम्पर्स और बेस आइसोलेशन सिस्टम जैसी प्रौद्योगिकियों का उपयोग किया जाता है।
- ताइपे 101 जैसी प्रतिष्ठित इमारतों में भूकंपीय गतिविधि का सामना करने और क्षति को कम करने के लिए ट्यून्ड मास डैम्पर्स जैसी विशेषताएं शामिल हैं।

भारत क्या कर सकता है

- भारत महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के विस्तार के दौर से गुजर रहा है, खासकर हिमालय जैसे टेक्टोनिक रूप से अस्थिर क्षेत्रों में, अक्सर पारिस्थितिक मानदंडों की उपेक्षा की जाती है।
- ताइवान में हाल ही में आया भूकंप भारत की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में भूकंप सुरक्षा को प्राथमिकता देने के महत्व को रेखांकित करता है।
- भूकंप के दौरान क्षति के जोखिम को कम करने के लिए सभी बुनियादी ढांचे के विकास को भूकंपीय सुरक्षा नियमों का पालन करना चाहिए।
- भारत ताइवान भूकंप से महत्वपूर्ण सबक सीख सकता है, जैसे भूकंपीय नियमों का पालन करना तथा सुरक्षित संरचनाओं का निर्माण करना।

2. <u>जल संकट:</u>

क्या शहरी जल प्रणाली टूट रही है (बेंगलुरु मामला)?

- अपनी हरियाली, आईटी हब और सुखद जलवायु के लिए जाना जाने वाला बेंगलुरु 2023 में गंभीर जल संकट का सामना कर सकता है।
- 2023 के सूखे ने बेंगलुरु में पानी की कमी को बढ़ा दिया है, जिसका असर अन्य शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों पर भी पड़ेगा।
- **केंद्रीय जल आयोग के साप्ताहिक बुलेटिन** के अनुसार , कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे दक्षिणी राज्यों में प्रमुख जलाशय, चरम गर्मी के करीब आने के बावजूद, केवल 25% या उससे कम क्षमता तक ही भरे हैं।

- जल संकट शहरी जल प्रणाली की स्थिरता और संभावित विफलता के बारे में चिंता उत्पन्न करता है।
- के.सी. दीपिका द्वारा संचालित बातचीत में **टी.वी. रामचंद्र और एस. विश्वनाथ ने इस मुद्दे पर चर्चा की।**
- उनकी बातचीत के अंश बेंगलुरु और अन्य क्षेत्रों में जल संकट की चुनौतियों और प्रभावों पर प्रकाश डालते हैं।

यह पहली बार नहीं है कि भारत का कोई बड़ा शहर जल संकट से जूझ रहा है। यह हमारे शहरों में जल संबंधी बुनियादी ढांचे के बारे में क्या कहता है?

- देश भर में शहरों में जल संकट **अक्सर जल संसाधनों के कुप्रबंधन के कारण होता है।**
- बेंगलुरु की जल समस्या अनियोजित शहरीकरण से उत्पन्न हुई है , तथा समय के साथ **शहर के परिदृश्य में भारी परिवर्तन हुए हैं।**
- **1800 में, बेंगलुरु में 740 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 1,452 परस्पर जुड़े हुए जल निकाय और 80% हरित क्षेत्र था।**
- आज, **शहर का 86% हिस्सा पक्की सड़कों से ढका हुआ है** , तथा हरित क्षेत्र घटकर **3% से भी कम रह गया है।**
- बेंगलुरू की 40% से अधिक जल आवश्यकताएं भूजल स्रोतों से पूरी होती हैं, जिनकी पूर्ति आदर्श रूप से झरझरा शहरी परिदृश्यों के माध्यम से की जानी चाहिए।
- शहर **अपनी 55-60% जलापूर्ति के लिए कावेरी नदी पर निर्भर है** , लेकिन **पिछले चार दशकों में कावेरी जलग्रहण क्षेत्र में 45% वन क्षेत्र नष्ट हो गया है।**
- वर्तमान में **कावेरी जलग्रहण क्षेत्र में केवल 18% वन क्षेत्र है, जिसमें से 75% कृषि के लिए समर्पित है।**
- **जलवायु परिवर्तन** इन चुनौतियों को और बढ़ा देता है, जिससे बेंगलुरु और उसके बाहर जल संसाधनों और उपलब्धता पर और अधिक प्रभाव पड़ता है।
- 20वीं सदी में जल प्रावधान संस्थाओं को जल आपूर्ति बोर्ड के रूप में डिजाइन किया गया था।
- शासन के प्रतिमानों को जल प्रबंधन बोर्डों की ओर स्थानांतरित करने की आवश्यकता है, **जिसमें विभिन्न जल स्रोतों जैसे पाइप जल, वर्षा जल, भूजल, सतही जल, झीलें, नदियाँ और अपशिष्ट जल को शामिल किया जाए।**
- शासन की शुरुआत नदी बेसिन संस्थाओं से होनी चाहिए, जो भूदृश्य संरक्षण, वनों की कटाई, रेत खनन, प्रदूषण और कृषि पद्धतियों की देखरेख करें।
- परिदृश्य में ऐसे अपरिवर्तनीय परिवर्तनों को रोकना अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो नदी के प्रवाह को बाधित कर सकते हैं या भारी प्रदूषण का कारण बन सकते हैं।
- शहरी स्तर पर संस्थाओं को **जल के सभी रूपों को पारिस्थितिक संसाधन के रूप में समझना और प्रबंधित करना होगा।**
- बेंगलुरु और अन्य शहरी क्षेत्रों से प्राप्त सबक भारत में समग्र जल प्रबंधन दृष्टिकोण के महत्व को उजागर करते हैं।

कई लोग जिस विडंबना की ओर इशारा कर रहे हैं वह यह है कि ये वही शहर हैं जो बारिश के दौरान जलमग्न हो जाते हैं। हम कहां गलत हो रहे हैं?

- बेंगलुरु में जल प्रबंधन संस्थान स्वतंत्र रूप से काम करते हैं, जिससे मौन शासन होता है।
- बैंगलोर जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड पाइप जल आपूर्ति का प्रबंधन करता है।
- ब्रुहत बेंगलुरु महानगर पालिका, कर्नाटक टैंक संरक्षण और विकास प्राधिकरण के साथ, सतही जल निकायों की देखरेख करती है।
- भूजल प्रबंधन भूजल प्राधिकरण के अंतर्गत आता है।

- अपशिष्ट जल प्रबंधन में स्पष्ट स्वामित्व का अभाव है, जो नालों या झीलों में प्रवाहित होने पर बाढ़ में योगदान देता है।
- जल प्रबंधन के प्रति खंडित दृष्टिकोण परिदृश्य की खराब योजना और डिजाइन का परिणाम है
- कंक्रीटीकरण और ख़राब सड़क निर्माण महत्वपूर्ण मुद्दे हैं।
- **सड़कें बांधों और बाधाओं के रूप में कार्य करते हुए, जल विज्ञान के प्रवाह में बाधा डालती हैं।**
- इससे पानी की प्राकृतिक गति बाधित होती है, जिससे जल निकासी की समस्याएँ पैदा होती हैं और बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है।
- अपर्याप्त सड़क डिज़ाइन बेंगलुरु जैसे शहरी क्षेत्रों में पानी से संबंधित समस्याओं को बढ़ा देता है।
- जल प्रबंधन में सुधार और बाढ़ के खतरों को कम करने के लिए **सड़क निर्माण और कंक्रीटीकरण प्रथाओं को संबोधित करना महत्वपूर्ण है।**
- **अनेक एजेंसियों के कारण खंडित शासन एक प्राथमिक मुद्दा है।**
- कई राज्य एजेंसियों में सक्षम नेतृत्व की कमी है, जिससे प्रभावी जल प्रबंधन में बाधा आ रही है।
- **वर्षा जल संचयन एक समाधान प्रस्तुत करता है** , क्योंकि बेंगलुरु में सालाना 700-850 मिमी वर्षा होती है, जिससे पर्याप्त जल संसाधन उपलब्ध होते हैं।
- लगभग **70% जल आवश्यकता** वर्षा जल संचयन से पूरी की जा सकती है।
- छतों पर वर्षा जल संचयन प्रणाली के माध्यम से तथा वर्षा जल को रोकने के लिए झीलों का पुनरुद्धार करके वर्षा जल का संचयन किया जा सकता है।
- झीलों के बीच पुनः संपर्क स्थापित करने से पानी को निर्बाध रूप से प्रवाहित होने देकर बाढ़ को रोका जा सकता है।
- बाढ़ के प्रति सरकारी प्रतिक्रिया में प्रायः वर्षा जल निकासी नालियों का पुनर्निर्माण शामिल होता है, लेकिन इससे नालियों को कंक्रीटयुक्त और संकीर्ण बनाकर समस्या और भी गंभीर हो सकती है, जो जल विज्ञान के सिद्धांतों के विपरीत है।

बेंगलुरु की स्थिति के बारे में दो तर्क हैं। एक है आजीविका के नए केंद्र बनाकर शहर की आबादी कम करना। दूसरा है बेहतर जल अवसंरचना बनाना। इस पर आपका क्या कहना है?

- 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद बेंगलुरु में शहरीकरण अपरिहार्य हो गया।
- बेंगलुरु ने अपनी जलवायु और आर्थिक अवसरों के कारण लोगों को आकर्षित किया।
- उचित योजना और बुनियादी ढांचे का विकास भविष्य की जनसंख्या वृद्धि को समायोजित कर सकता है।
- शहर की विफलता, विशेष रूप से बाहरी इलाकों में, **विकास का अनुमान लगाने और उसका प्रबंधन करने में असमर्थता में निहित है।**
- आशावाद **बढ़ती आबादी का समर्थन करने के लिए झीलों, जलभृतों, वर्षा जल और अपशिष्ट जल उपचार सहित प्रभावी संसाधन प्रबंधन में निहित है** ।
- बेंगलुरु ने अपनी वहन क्षमता को पार कर लिया है, जो **पांच दशकों में कंक्रीट क्षेत्र में 1055% की वृद्धि, वनस्पति में 18% की हानि और जल निकायों में 79% की हानि से स्पष्ट है।**
- प्रभावी प्रबंधन की कमी के कारण यह स्थिति पैदा हुई है, जो एक महत्वपूर्ण चूक को उजागर करता है।
- **बेंगलुरु पर दबाव कम करने के लिए क्लस्टर आधारित विकास को एक समाधान के रूप में प्रस्तावित किया गया है।**
- **इसका लक्ष्य उद्योगों को तालुका मुख्यालयों में स्थानांतरित करके पलायन को उलटना है, तथा** अन्य क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देना है।
- सभी संसाधनों और अवसरों को बेंगलुरू में केंद्रित करने से यह क्षेत्र रहने लायक नहीं रह जाएगा और टिकाऊ नहीं रह जाएगा।

ज़्यादातर ध्यान शहरी केंद्रों पर है। नदी घाटियों के किनारे के क्षेत्रों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है। क्या यह सही समय नहीं है कि सरकारें शहरों से दूर उन पारिस्थितिकी तंत्रों का सम्मान करना शुरू करें जो अंततः इन शहरों को पनपने में मदद करते हैं?

- शासन ढांचे को नदी बेसिन स्तर पर पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है।
- **गाडगिल और कस्तूरीरंगन समिति की रिपोर्ट** जैसी रिपोर्टों का लक्ष्य यही था, लेकिन विभिन्न कारणों से उन्हें अस्वीकार कर दिया गया।
- बेंगलुरु का अस्तित्व कावेरी नदी के स्वास्थ्य पर निर्भर है; इसके खराब होने से शहर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
- **नागरिकों को कावेरी की प्राचीन स्थिति और पर्याप्त जल प्रवाह सुनिश्चित करने के बारे में चर्चा को प्राथमिकता देनी चाहिए।**
- पर्यावरणीय विनाश पानी की कमी, पाइप से पानी या टैंकर की कीमतों जैसी बढ़ती चिंताओं का मूल कारण है।
- प्रभावी संस्थानों की स्थापना करना और विशेषज्ञता प्राप्त करना सिस्टम और संसाधनों को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।

जब भी कोई संकट आता है, हम अचानक प्रतिक्रियाएँ देखते हैं। हमारे शहरों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए सरकारों को क्या करना चाहिए?

- संस्थानों को मौजूदा समस्या की व्यापक समझ होनी चाहिए।
- उन्हें **मुद्दे को सटीक रूप से परिभाषित करने में सक्षम होना चाहिए।**
- **दीर्घकालिक एवं टिकाऊ समाधान** तैयार करने पर होना चाहिए ।
- इन समाधानों में अस्थायी समाधान प्रदान करने के बजाय समस्या के मूल कारणों को संबोधित किया जाना चाहिए।
- बदलती परिस्थितियों और नई चुनौतियों के अनुरूप **अनुकूलन और विकास की क्षमता होनी चाहिए ।**
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि संस्थाएं प्रभावी रूप से कार्य करें, **प्रणाली के भीतर जवाबदेही आवश्यक है ।**
- **भ्रष्टाचार योजना प्रयासों को कमजोर करता है तथा संसाधनों के अकुशल उपयोग को बढ़ावा देता है।**
- परियोजनाओं का क्रियान्वयन वास्तविक आवश्यकता के आधार पर किया जाना चाहिए न कि केवल धन के उपयोग के लिए।
- **शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए सक्षम और नैतिक नेताओं का चुनाव करना महत्वपूर्ण है।**
- भ्रष्टाचार से निपटना और जवाबदेही को बढ़ावा देना, योजना और कार्यान्वयन प्रक्रियाओं की प्रभावशीलता में सुधार लाने के प्रमुख पहलू हैं।

केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी)

- **शीर्ष तकनीकी संगठन:** सीडब्ल्यूसी जल संसाधन के क्षेत्र में भारत का प्रमुख तकनीकी निकाय है।
- **कार्यप्रणाली:** यह जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के अधीन कार्य करता है।
- **अधिदेश:** भारत के जल संसाधनों के समग्र विकास और प्रबंधन के लिए तकनीकी मार्गदर्शन, सहायता और समन्वय प्रदान करना।

सीडब्ल्यूसी द्वारा प्रदान किए गए डेटा और सेवाएं

1. **जल विज्ञान अवलोकन नेटवर्क**

- **विस्तृत नेटवर्क:** सीडब्ल्यूसी निम्नलिखित पर डेटा एकत्र करने के लिए देश भर में जल विज्ञान अवलोकन स्टेशनों का एक विशाल नेटवर्क बनाए रखता है:
  - नदी का जल स्तर
  - नदी का प्रवाह/निर्वहन
  - भूजल स्तर
  - जल गुणवत्ता (चुनिंदा स्थानों पर)
  - जलाशयों का अवसादन

2. **बाढ़ पूर्वानुमान:**
   - **चेतावनी जारी करना:** सीडब्ल्यूसी भारत में प्रमुख नदी घाटियों के लिए बाढ़ पूर्वानुमान और चेतावनी जारी करने के लिए डेटा का विश्लेषण करता है, जिससे आपदा तैयारी में सहायता मिलती है।
3. **जल संसाधन आकलन**
   - **उपलब्धता और उपयोग:** सीडब्ल्यूसी विभिन्न क्षेत्रों में सतही जल और भूजल की उपलब्धता और उनके वर्तमान उपयोग पैटर्न पर अध्ययन और आकलन करता है।
4. **डेटा प्रसार**
   - **जल सूचना प्रणाली:** सीडब्ल्यूसी एकत्र किए गए डेटा की एक बड़ी मात्रा को विभिन्न प्लेटफार्मों के माध्यम से जनता, शोधकर्ताओं और नीति निर्माताओं के लिए स्वतंत्र रूप से उपलब्ध कराता है:
   - **जल वर्ष पुस्तकें:** जल विज्ञान संबंधी आंकड़ों का व्यापक संकलन।
   - **ऑनलाइन पोर्टल और डेटाबेस:** विशिष्ट डेटासेट तक आसान पहुंच।

3. हिमनद झील विस्फोट बाढ़ (जीएलओएफ):

कई हिमनदी झीलों का विस्तार, इसरो को भारतीय हिमालयी नदी घाटियों के जलग्रहण क्षेत्रों की छवियां दिखाता है

हिमानी झीलों में परिवर्तन:

- इसरो द्वारा 1984 से 2023 तक भारतीय हिमालयी नदी घाटियों को कवर करने वाली दीर्घकालिक उपग्रह इमेजरी हिमनद झीलों में महत्वपूर्ण परिवर्तन दिखाती है।
- 2016-17 के दौरान पहचानी गई 10 हेक्टेयर से बड़ी 2,431 झीलों में से 676 हिमनदी झीलों का 1984 के बाद से उल्लेखनीय विस्तार हुआ है।
- विशेष रूप से, इनमें से 130 झीलें भारत के भीतर स्थित हैं, जिनमें 65 सिंधु में, 7 गंगा में और 58 ब्रह्मपुत्र नदी घाटियों में हैं।
- विस्तारित झीलों में, सबसे अधिक संख्या मोराइन-बांधित (307) है, इसके बाद क्रमशः कटाव (265), अन्य (96), और बर्फ-बांधित (8) हिमनदी झीलें हैं।
- उपग्रह-व्युत्पन्न दीर्घकालिक परिवर्तन विश्लेषण हिमनद झील की गतिशीलता को समझने के लिए मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं, जो पर्यावरणीय प्रभावों का आकलन करने और हिमनद झील विस्फोट बाढ़ (जीएलओएफ) जोखिम प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन अनुकूलन के लिए रणनीतियों को विकसित करने के लिए आवश्यक है।

हिमानी झील में बाढ़ का प्रकोप:

- **यह क्या है** - एक GLOF तब बनता है जब ग्लेशियर या मोराइन द्वारा क्षतिग्रस्त पानी अचानक छोड़ा जाता है।

हिमानी खतरों में योगदान देने वाले कारक -

- (ए) बड़ी झील की मात्रा;
- (ख) संकीर्ण एवं उच्च हिमोढ़ बांध;
- (ग) बांध के भीतर स्थिर ग्लेशियर बर्फ; और
- (घ) झील स्तर और मोरेन रिज के शिखर के बीच सीमित फ्रीबोर्ड।

ग्लेशियल फटने से निपटने के लिए एनडीएमए के दिशानिर्देश क्या हैं?

- **संभावित खतरनाक झीलों की पहचान:** संभावित खतरनाक झीलों की पहचान क्षेत्रीय अवलोकनों, पिछली घटनाओं के अभिलेखों, झील/बांध और आसपास के भू-आकृति विज्ञान और भू-तकनीकी विशेषताओं तथा अन्य भौतिक स्थितियों के आधार पर की जा सकती है।
- **प्रौद्योगिकी का उपयोग:** मानसून के महीनों के दौरान नई झीलों के निर्माण सहित जल निकायों में होने वाले परिवर्तनों का स्वचालित रूप से पता लगाने के लिए सिंथेटिक-एपर्चर रडार इमेजरी (रडार का एक रूप जिसका उपयोग दो-आयामी चित्र बनाने के लिए किया जाता है) के उपयोग को बढ़ावा देना।
- **संभावित बाढ़ को नियंत्रित करना:** नियंत्रित तरीके से पानी का रिसाव, पम्पिंग या साइफन द्वारा पानी को बाहर निकालना, तथा हिमोढ़ अवरोध के माध्यम से या बर्फ के बांध के नीचे सुरंग बनाना आदि तरीकों से पानी की मात्रा को कम करना।
- **निर्माण गतिविधि के लिए एक समान कोड** : संवेदनशील क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास, निर्माण और उत्खनन के लिए एक व्यापक ढांचा विकसित करना।
- जीएलओएफ प्रवण क्षेत्रों में भूमि उपयोग नियोजन के लिए प्रक्रियाओं को स्वीकार करने की आवश्यकता है।
- **प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों (ईडब्ल्यूएस) को बढ़ाना:** वैश्विक स्तर पर भी क्रियान्वित और प्रचालनशील जीएलओएफ ईडब्ल्यूएस की संख्या बहुत कम है।
- हिमालयी क्षेत्र में, GLOF की पूर्व चेतावनी के लिए सेंसर और निगरानी आधारित तकनीकी प्रणालियों के कार्यान्वयन के कम से कम तीन उदाहरण (नेपाल में दो और चीन में एक) सामने आए हैं।
- **स्थानीय जनशक्ति को प्रशिक्षण:** राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ), आईटीबीपी और सेना जैसे विशेष बलों पर दबाव डालने के अलावा, एनडीएमए ने प्रशिक्षित स्थानीय जनशक्ति की आवश्यकता पर बल दिया है।
- यह देखा गया है कि 80% से अधिक खोज एवं बचाव कार्य राज्य मशीनरी और विशेष खोज एवं बचाव दलों के हस्तक्षेप से पहले स्थानीय समुदाय द्वारा किए जाते हैं।
- **व्यापक अलार्म सिस्टम:** सायरन द्वारा ध्वनिक अलार्म से युक्त शास्त्रीय अलार्म बुनियादी ढांचे के अलावा, सेल और स्मार्टफोन का उपयोग करने वाली आधुनिक संचार प्रौद्योगिकी पारंपरिक अलार्म बुनियादी ढांचे को पूरक या यहां तक कि प्रतिस्थापित कर सकती है ।

नीति

1. आंध्र प्रदेश की एक आदिवासी महिला ने सड़क पर बच्चे को जन्म दिया।

- आंध्र प्रदेश के एक आदिवासी गांव की 28 वर्षीय किलो वसंता नामक महिला ने सोमवार तड़के सड़क किनारे एक बच्चे को जन्म दिया।
- चीडीवालासा गांव की आदिवासी समुदाय की वसंता को सुबह करीब 4 बजे प्रसव पीड़ा हुई।
- उसके परिवार के सदस्यों ने सहायता के लिए आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा (108) को कॉल किया।
- यद्यपि एम्बुलेंस गांव से लगभग एक किलोमीटर दूर स्थित निकटतम स्थान पर पहुंच गई, लेकिन गांव तक जाने के लिए मोटर योग्य सड़क न होने के कारण वह आगे नहीं बढ़ सकी।
- वसंता के पति भास्कर राव और गांव की कुछ महिलाएं उसे कच्चे रास्ते से एम्बुलेंस तक ले गईं।
- एम्बुलेंस पहुंचने से पहले ही वसंता ने सड़क किनारे एक बच्ची को जन्म दे दिया।
- उसे भारी रक्तस्राव होने लगा, जिसके कारण एम्बुलेंस स्टाफ को चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए पैदल आना पड़ा।
- एम्बुलेंस स्टाफ ने भी वसंता को एम्बुलेंस तक ले जाने में ग्रामीणों की सहायता की, जिसके बाद उसे आगे के इलाज के लिए हुकुमपेटा के स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया गया।

' फंड की निकासी हुई '

- सीपीआई (एम) जिला सचिवालय सदस्य के. गोविंदा राव का आरोप है कि मनरेगा जैसी योजनाओं से करोड़ों रुपये की धनराशि निकालने के बावजूद आदिवासी बस्तियों में सड़कों का निर्माण नहीं किया गया।
- पिछले कुछ वर्षों में बेईमान ठेकेदारों द्वारा कथित तौर पर धन की हेराफेरी की गई है।
- राव हर आम चुनाव से पहले सड़कें बनाने के वादे करने लेकिन उन्हें पूरा करने में विफल रहने के लिए राजनेताओं की आलोचना करते हैं।
- उपसरपंच किल्लो नागेश्वर राव और ग्रामीणों का दावा है कि 2017 में एमजीएनआरईजीएस के तहत एक सड़क स्वीकृत की गई थी, लेकिन धन आवंटित होने के बावजूद काम बीच में ही रोक दिया गया था।
- मिट्टी हटाने वाली मशीनें मंगाई गईं और काम शुरू हुआ, लेकिन पूरा होने से पहले ही रोक दिया गया।
- ग्रामीण गर्भवती महिलाओं और बीमार व्यक्तियों को समय पर चिकित्सा सहायता सुनिश्चित करने के लिए सड़क का निर्माण तत्काल पूरा करने की मांग कर रहे हैं।

2. अपनी तुलना दूसरों से न करें:
सच्ची खुशी पाने के लिए अपनी प्रतिभा और क्षमता पर ध्यान केंद्रित करें

- वर्णनकर्ता को शैक्षणिक रूप से, विशेषकर गणित में, कठिनाई हुई, लेकिन वह पांचवीं कक्षा तक पहुंचने में सफल रहा।
- गणित की परीक्षा में कई सहपाठी भी असफल हो गए, जिसके बाद वर्णनकर्ता ने अपने पिता को परीक्षा के परिणाम दिखाए।
- पिता ने वर्णनकर्ता की सहपाठियों के साथ अंकों की तुलना करने की आदत पर सवाल उठाया।
- उन्होंने बताया कि दूसरों से अपनी तुलना करने से व्यक्तिगत सुधार नहीं होता।
- इसके बजाय, उन्होंने वर्णनकर्ता को **अपने स्वयं के विकास और क्षमता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित किया।**
- माँ ने **व्यक्तिगत खुशी के लिए आत्म-तुलना के महत्व पर जोर देते हुए इस विचार का समर्थन किया।**
- माता-पिता दोनों ने खुद की तुलना दूसरों से न करने की सलाह दी और बेहतर दृष्टिकोण के रूप में आत्म-मूल्यांकन और सुधार का सुझाव दिया।
- उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि खुद की तुलना करने वाला एकमात्र व्यक्ति उसका अपना पिछला प्रदर्शन होता है।
- कथाकार ने दूसरों के साथ अपने जीवन की तुलना करना बंद कर दिया और अपनी क्षमता पर ध्यान केंद्रित किया।
- **उन्होंने शोध में अपना करियर चुना जबकि उनके दोस्तों ने अलग रास्ते अपनाए।**
- **अपने शोध कार्य में चुनौतियों के बावजूद, उन्हें पूर्णता और संतुष्टि मिली।**
- कथावाचक को **इच्छाओं और आकांक्षाओं में अंतर को स्वीकार करने के महत्व का एहसास हुआ।**
- **सोशल मीडिया दूसरों से अपनी तुलना करने की प्रवृत्ति को बढ़ाता है** ।
- सोशल मीडिया पर अत्यधिक तुलना से **आत्म-सम्मान में कमी और असुरक्षाएं पैदा होती हैं।**
- तुलना करने के बजाय लोगों को खुद को स्वीकार करना चाहिए और अपनी प्रतिभा को विकसित करने पर ध्यान देना चाहिए।
- **स्वीकृति और आत्म-सुधार से वास्तविक खुशी और संतुष्टि मिलती है** ।

Patriotic IAS

यूपीपीएससी विशेष

1. खेल:

1.1 बैडमिंटन

- चीन के चेंगदू में चल रहा थॉमस एंड उबेर कप ओलंपिक से पहले एक महत्वपूर्ण बैडमिंटन टूर्नामेंट है।
- थॉमस कप को बैडमिंटन का 'विश्व कप' माना जाता है।
- भारतीय पुरुष टीम ने 2022 में अपना पहला थॉमस कप खिताब जीता, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ा।
- एचएस प्रणय, लक्ष्य सेन, सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी जैसे खिलाड़ियों वाली मजबूत भारतीय टीम इसे पेरिस ओलंपिक से पहले अपने कौशल का परीक्षण करने के अवसर के रूप में देख रही है।

1.2 शतरंज

- **टोरंटो में कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट पर एक नज़र**
- **आर. प्रग्गनानंद, डी. गुकेश और विदित गुजराती** ओपन टूर्नामेंट में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं
- **कोनेरू हम्पी और आर. वैशाली** महिला टूर्नामेंट में भाग ले रही हैं
- **केवल विश्वनाथन आनंद ने ही** इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व किया है, जो पांच बार विश्व चैंपियन रह चुके हैं।

2. पुरस्कार:

2.1 प्रो. जोधका को मैल्कम अदिशेसिया पुरस्कार मिलेगा

- जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज के प्रोफेसर सुरिंदर एस. जोधका को मैल्कम आदिशेषिया पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है।
- अज़ीम प्रेमजी विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ डेवलपमेंट के एसोसिएट प्रोफेसर विकास कुमार को एलिजाबेथ अदिशेसिया प्रशस्ति पत्र-2024 से सम्मानित किया जाएगा।
- ये पुरस्कार उत्कृष्ट सामाजिक वैज्ञानिकों को मान्यता देने के लिए प्रतिवर्ष दिए जाते हैं।
- पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं का चयन सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में उनके योगदान और उपलब्धियों के आधार पर किया जाता है।

अदिशेसिया पुरस्कार

- **प्रतिष्ठित भारतीय पुरस्कार: विकास अध्ययन** में उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देता है ।
- **संस्थापित:** मैल्कम **एवं एलिजाबेथ अदिशेशिय्या ट्रस्ट** ।
- **पुरस्कार के प्रकार:**
  - विकास अध्ययन में विशिष्ट योगदान के लिए मैल्कम एस. आदिशेषिया पुरस्कार।
  - एलिजाबेथ अदिशेसिया पुरस्कार (2018 में शुरू किया गया), 45 वर्ष से कम आयु के युवा विद्वानों को दिया जाता है।

पुरस्कार का फोकस:

- अनुसंधान, शिक्षण, प्रकाशन, वकालत और नीति निर्माण के माध्यम से सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण और मौलिक योगदान के लिए सम्मानित किया जाता है।

नामांकन और चयन:

- **नामांकन:** शैक्षणिक एवं विकास क्षेत्र के प्रतिष्ठित विशेषज्ञों से आमंत्रित।
- **स्वतंत्र जूरी:** प्रतिष्ठित व्यक्तियों की एक राष्ट्रीय स्तर की जूरी पुरस्कार विजेताओं की सिफारिश करती है।

पुरस्कार प्रस्तुति:

- यह पुरस्कार प्रतिवर्ष, आमतौर पर नवम्बर माह में दिया जाता है।
- इसमें नकद पुरस्कार, प्रशस्ति पत्र और मैल्कम अदिसेशिय्या स्मारक व्याख्यान देने का अवसर शामिल है।

डॉ. मैल्कम एस. आदिशेषिया के बारे में:

- प्रसिद्ध भारतीय अर्थशास्त्री एवं शिक्षक।
- यूनेस्को के पूर्व उप महानिदेशक।
- मद्रास विकास अध्ययन संस्थान (एमआईडीएस) की स्थापना की।

2.2 पद्म पुरस्कार:

- पूर्व उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू, अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती, गायिका उषा उत्थुप और टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना पद्म पुरस्कार प्राप्त करने वालों में शामिल थे।
- एम. वेंकैया नायडू और सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक बिंदेश्वर पाठक को पद्म विभूषण प्रदान किया गया।
- बिन्देश्वर पाठक को मरणोपरांत यह सम्मान दिया गया तथा यह पुरस्कार उनकी पत्नी अमोला ने ग्रहण किया।
- मिथुन चक्रवर्ती, उषा उत्थुप, उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल राम नाईक और उद्योगपति सीताराम जिंदल को **पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किया गया** ।
- **गुजरात स्थित हृदय रोग विशेषज्ञ तेजस मधुसूदन पटेल, मराठी फिल्म निर्देशक दत्तात्रेय अंबादास मयालू (राजदत्त), और चिकित्सक चंद्रेश्वर प्रसाद ठाकुर** पद्म भूषण प्राप्त करने वाले अन्य लोगों में से थे।

- पद्मश्री पुरस्कार पाने वालों में उत्तर प्रदेश के **मास्टर कालीन बुनकर खलील अहमद , मध्य प्रदेश के लोक गायक कालूराम बामनिया** , **बांग्लादेशी गायिका रेजवाना चौधरी बान्या** , **उत्तर प्रदेश की चिकनकारी कढ़ाई कलाकार नसीम बानो** और **पश्चिम बंगाल के कूच बिहार की राजबोंगशी लोक गायिका गीता रॉय बर्मन शामिल हैं** ।
- अन्य उल्लेखनीय पुरस्कार विजेताओं में टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना, त्रिपुरा के आध्यात्मिक व्यक्ति चित्त रंजन देबबर्मा, बैंकर कल्पना मोरपारिया, परोपकारी किरण नादर, हरियाणा के सामाजिक कार्यकर्ता गुरविंदर सिंह और उत्तर प्रदेश की लोक गायिका उर्मिला श्रीवास्तव शामिल हैं।
- एक हृदयस्पर्शी क्षण तब आया जब असम के प्रसिद्ध लोक नर्तक द्रोण भुइयां ने राष्ट्रपति से पद्म श्री प्राप्त करने के लिए रेड कार्पेट पर चलते हुए ओजापाली और देवधनी नृत्य शैली के माध्यम से आभार व्यक्त किया।

पद्म पुरस्कार: भारत का प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान

- **स्थापित:** 1954
- **उद्देश्य:** विभिन्न विषयों और गतिविधि के क्षेत्रों में "विशिष्ट कार्य" और असाधारण उपलब्धियों को पहचानना।
- **प्रशासित:** गृह मंत्रालय, भारत सरकार
- **घोषणा: आमतौर पर हर साल गणतंत्र दिवस (26 जनवरी)** की पूर्व संध्या पर की जाती है

पद्म पुरस्कारों के प्रकार:

तीन अलग-अलग पद्म पुरस्कार हैं, जो महत्व के घटते क्रम में दिए जाते हैं:

1. **पद्म विभूषण** (असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए)
2. **पद्म भूषण** (उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए)
3. **पद्म श्री** (विशिष्ट सेवा के लिए)

शामिल अनुशासन:

- कला (संगीत, पेंटिंग, मूर्तिकला, फोटोग्राफी, सिनेमा, आदि)
- सामाजिक कार्य
- सार्वजनिक मामलों
- विज्ञान और इंजीनियरिंग
- व्यापार और उद्योग
- दवा
- साहित्य और शिक्षा
- खेल
- सिविल सेवा
- अन्य

चयन प्रक्रिया:

- व्यक्ति और संस्थान **स्व-नामांकन सहित नामांकन जमा कर सकते हैं।** पद्म पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन नामांकन उपलब्ध हैं।
- प्रधान मंत्री द्वारा गठित एक समिति नामांकन की जांच करती है और अनुमोदन के लिए प्रधान मंत्री और भारत के राष्ट्रपति को सिफारिशें प्रस्तुत करती है ।